राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार,

18 फरवरी, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह।

रूंधवन क्षेत्र (भरतपुर) की चारदीवारी का निर्माण

17. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के अन्तर्गत मांडेरा की रूंधवन क्षेत्र की चारदीवारी निर्माण का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो कब? बैठक की कार्यवाही के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चारदीवारी निर्माण का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): (1) विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के अन्तर्गत मांडेरा की रूंधवन क्षेत्र की चारदीवारी का निर्माण तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 138/वन में दिए गए आश्वासन संख्या 1/09 की क्रियान्विति में करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। चारदीवारी निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है।

(3) निर्माण कार्य दिनांक 11.02.2011 को प्रारम्भ हो गया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के

(डा. दिगम्बर सिंह)

40 गांवों की समस्याओं का आपने समाधान किया। अभी यह बात सही है कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नरेगा में ग्राम पंचायतों के माध्यम से यह चारदीवारी का काम हो रहा है, इसमें कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं और कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में यह काम शुरू हो चुका है?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग-कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सात ग्राम पंचायतों के एरिये के बारे में प्रश्न जब पूछा, उस समय 350 हैक्टेयर में चारदीवारी निर्माण करने के लिए आपको आश्वासन माननीय गृह मंत्रीजी धारीवाल साहब ने दिया था। उसके विरूद्ध 888 हैक्टेयर में चारदीवारी के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। कुल सात पंचायतें आती हैं, लगभग चालीस ग्राम हैं जिनमें से पांच पंचायतों में अभी काम शुरू हो चुका है। करीब 25 किलोमीटर पक्की बाउण्ड्री बनेगी जिसमें 14 किलोमीटर बाउण्ड्री का काम अभी वर्तमान में शुरू हो चुका है। बाकी जो निर्माण दीवार का है, अगले वित्तीय वर्ष 11 मार्च के बाद उस काम की स्वीकृति कर दी जाएगी। जिला कलक्टर महोदय को डीएफओ ने जो प्रस्ताव दिये, उनकी एक सीमा है। पंचायतों की मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में 1 हजार किलोमीटर बाउण्ड्री पहली बार फोरेस्ट को बचाने के लिए दी। उसमें आपकी रूंध मांडेरा को शामिल करते हुए यह काम पूरा आने वाले समय में पूरा 25 ही किलोमीटर कर दिया जाएगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मांडेरा गांव जो रूंध है, इसके अन्दर कई गांव भी बसे हुए हैं। अभी पीएमजीएसवाई में चक घरवारी गांव है अन्दर, उसके लिए रोड सैंक्शन नहीं है और रोड का काम चल रहा है। एक और गांव है मधुबना, मधुबना की दूरी 500 मीटर है चक घरवारी से। चक घरवारी तक जब सड़क बन रही है तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट मधुबना तक सड़क बनवाने में कोई हिंडरेंस क्रिएट न करे क्योंकि गांव अन्दर बना हुआ है। गांव वालों ने एक रिप्रजेंटेशन आप भरतपुर पधारे थे, तब भी दिया था और यहां जयपुर आकर भी आपके आफिस में एक रिप्रजेंटेशन देकर गये हैं। काफी दिनों से गांव पूरा परेशान है, सड़क से जुड़ नहीं पा रहा है क्योंकि फोरेस्ट के अन्दर वह लगता है। अब पीएमजीएसवाई की रोड जब तीन किलोमीटर लम्बी बन रही है उसमें 500 मीटर का टुकड़ा बचता है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट अगर क्लीयरेंस दे तो वह गांव भी उसमें जुड़ सकता है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा, क्या फोरेस्ट डिपार्टमेंट यह क्लीयरेंस देगा?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री योजना की सड़क का निर्माण हो या और कोई निर्माण, फोरेस्ट एरिये के अन्दर होकर सड़क गुजरे या पानी की पाइप लाइन गुजरे या एनिकट निर्माण हो, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। संबंधित डिपार्टमेंट एक प्रोफोर्मा में फोरेस्ट विभाग में एप्लाई करे, हम मीटिंग में उसको मंजूरी देते हैं। भारत सरकार ने पहली बार एक हैक्टेयर तक के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया है, सार्वजनिक डवलपमेंट के लिए, जो रिजर्व फोरेस्ट नहीं है उसके अलावा फोरेस्ट है तो हम उसमें मंजूरी देते हैं। अगर फोरेस्ट कंजर्वेशन में रिजर्व फोरेस्ट है तो उसके अलग नियम बने हुए हैं। लेकिन आप संबंधित विभाग से, पीडब्ल्यूडी से, एक प्रोफोर्मा में आप एप्लाई कराएं, आपको निश्चित रूप से उसमें परमिशन मिलेगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हो या बता रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: वह क्या है?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उसी संबंध में, पीडब्ल्यूडी के ... (व्यवधान) धन्यवाद दिया है न, एक बार और दूंगा धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चलिए-चलिए प्रश्न पूछिए आप तो मूल प्रश्न।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए धन्यवाद देने में हम कोताही नहीं बरतेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आएं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि एक्सईएन पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आपके कार्यालय में आ चुकी है, उस पर आपके यहां से परमिशन होना बाकी है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस परमिशन को कितने टाइम में आप यहां से इश्यू करा देंगे?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आफिस में आ चुकी है, इसको मैं दिखवा लूंगा और जितना जल्दी होगा, हम डवलपमेंट के लिए उनको मंजूरी देंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। अगला प्रश्न श्री अशोक डोगरा।

बूंदी जिले के गरड़दा बांध की मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त नहरें

18. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी के गरड़दा बांध (लतारिया बांध) के टूटने से सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ तथा इसके लिए दोषी ठेकेदार व अधिकारियों/कर्मचारियों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत अथवा पुन: निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या इसके पानी के निकास हेतु बनाई गई नहरें टूटने के कगार पर है व टूटती जा रही हैं?

(3) क्या सिंचाई विभाग द्वारा बांध की नहरों के निर्माण हेतु वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो कब?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) बूंदी जिले के गरड़दा बांध के टूटने से राज्य सरकार को सड़क मरम्मत, क्षतिग्रस्त मकान एवं फसल खराबे इत्यादि के कारण 16.98 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के बांध की आर.डी. 1900 मीटर से आर.डी. 1960 मीटर में टूटने से लगभग 349.00 लाख रुपए की क्षति हुई। परन्तु यह बांध अभी तक भी संवेदक की डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियड में होने से समस्त टूटे हुए भाग को संवेदक को अपने हर्जे-खर्चे पर पुनर्निर्माण कराना है जिसके लिए संवेदक द्वारा अपनी सहमति दिनांक 20.08.2010 को प्रस्तुत की जा चुकी है। अनुबंध की शर्तों के तहत भी क्षतिग्रस्त भाग को ठीक करने का दायित्व स्वयं संवेदक का है। ठेकेदार व दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्रकरण सौंप दिया गया है। पांच अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।

(2) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पुन: निर्माण कार्य शुरू करवाने की कार्यवाही सम्पादित की जानी प्रस्तावित है। जो भी नहरें बनाई गई हैं, वो सामान्य टूट-फूट के अलावा सुरक्षित हैं व टूटने की कगार पर नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बांध बना, भरा नहीं, उसके पहले ही टूट गया। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी हुई थी, इसका शिलान्यास

(श्री अशोक डोगरा)

कब हुआ और इसको बनाने में लागत कितनी आई? नम्बर दो, इस बांध से कितने गांवों की कितनी हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित होना था? तीसरा, इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ अधिकारी-जेईएन, एईएन, एक्सईएन को तो आपने सस्पैण्ड कर दिया, लेकिन एसई, एडिशनल चीफ और चीफ इंजीनियर जिनकी देख-रेख में सारा काम हुआ, उनके खिलाफ आपने जांच नहीं की और किसी को जेल भी नहीं भेजा। चौथा, इस बांध को कितने टाइम में दुबारा बना देंगे? क्योंकि करीब 50 गांव इससे अफेक्टेड हैं, इसको कब तक बना देंगे? नहरों के रख-रखाव के लिए आप कह रहे हैं कि कोई टूट-फूट नहीं हुई जबकि नहरें तो वहां बची ही नहीं हैं। उसके लिए कोई स्टाफ भी नहीं लगा रखा और आज तक वन विभाग से उसकी परमिशन भी नहीं आई।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बांध 15.08.2000 को टूटा तो इस बांध की जांच के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। बाँध टूट गया इसकी गम्भीरता को समझते हुए भ्रष्टाचार निरोधक दल में हमने इसका केस रजिस्टर करा दिया। जो भी कार्यवाही होगी, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। न छोटे का न बड़े का, जो भी जिम्मेदारी फिक्स होगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा बांध की स्वीकृति का, बांध की स्वीकृति 30.3.03 को राशि 8,140 लाख रुपये की जारी की गयी थी। उसके बाद में इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 25.8.09 द्वारा राशि 14,704 का रिवाइज्ड एस्टीमेट किया गया था। बांध के निर्माण का कार्य आरंभ 2009 तक करना था और इस कार्य की 5.10.08 को पूरा कर समाप्ति की डेट थी। कार्य 25.3.10 को समाप्त कर दिया गया। इसका निर्माण पूर्ण कर लिया गया। 205 लाख हैक्टेयर के करीब इसको करना था और जहां बांध...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तैयारी नहीं करके आये क्या?

एक माननीय सदस्य: बात सुनें आप। गलत बात थोड़े ही बताएंगे सदन में ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्थगित कर दें अगर तैयारी नहीं है तो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाबू लाल जी कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): कैसे तैयारी नहीं है? कोई बात आयी है वो बताई है । 1961 हैक्टेयर में खेती का प्रावधान था और इसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति थी वो 8140 लाख थी।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मंत्रीजी इसकी लागत बताइये, लागत कितनी आयी? इसको बनाने में कितनी लागत आयी और कितने गांवों को सिंचित होना था?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि नये बांध के निर्माण के बाद जब पहली बार पानी भरा जाता है, वह सर्टीफिकेट कब जारी किया गया, कितनी तारीख को जारी किया गया? दूसरा नंबर, वह सर्टीफिकेट जारी करने वाला अधिकारी कौन था? तीसरा नंबर, कि इसकी प्रशासनिक जांच बिना टैक्निकल अधिकारी कराने का क्या औचित्य था? चौथा, इसकी जांच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जिसके निर्माण की डिजाइन आपके आईडीआर ने की है उसको जल आयोग से अगर भेजोगे तो दोनों में जो डिजाइन का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के अनुसार क्या कांट्रेक्टर काम करेगा?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है, साथ-साथ ही दे देंगे दोनों का जवाब।

श्री अध्यक्ष: हां, चलिये, एक आखिरी पूछ लीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह बांध टूटा तो करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसे ही कोटा में पुलिया टूटी और उसके जो दोषी थे... माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्न से रिलेटेड कोई पूरक प्रश्न हो तो पूछ लीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ...उसके जो दोषी अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया वो जेल में हैं, इनमें अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्न के लिए कोई पूरक प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): कब तक गिरफ्तार करेंगे?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्ष जी, इसकी लागत तो बता दीजिये, लागत कितनी आयी? डेढ़ सौ करोड़ आयी, दो सौ करोड़ आयी, कितनी लागत लगी थी जो पूरी पानी में बह गयी?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बांध टूटने से 349 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): उसके साथ-साथ यह बांध टूटने से चौदह गांवों में जल प्लावन हो गया था।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। चीफ इंजीनियर ने सर्टीफिकेट किस तारीख को जारी किया? जिसने यह कहा कि यह बांध पूर्ण रूप से गुणवत्ता से सक्षम है, वो तारीख बताएं?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बांध निर्माण की तारीख जो दी थी, उसके इंसपेक्शन से पहले बरसात हो गयी, पहले ही टूट गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ये बताएं कि इस चीफ इंजीनियर ने इसका सर्टिफिकेट जारी कब किया? नहीं, मैं सर्टिफिकेट की कापी रखूंगा टेबल पर। चीफ इंजीनियर ने सर्टिफिकेट कब जारी किया?

श्री अध्यक्ष: आप कौनसा कागज दिखा रहे हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं सर्टिफिकेट की कापी का कागज दिखा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपके पास उस चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट की कापी है क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां।

श्री करणसिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसका असली कागज देख लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: जरा मुझे दिखा दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पहले मंत्रीजी जवाब दें। अभी देता हूं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): यह असली कागज है क्या? एक बार सदन को पता लग जाएगा, असली कागज क्या है।

श्री नगराज (धरियावद): खाली कागज ही बता रहे हैं यह तो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): खाली कागज है यह।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पहले मंत्रीजी जवाब दें, उसके बाद टेबल कर दूंगा।

श्री नगराज (धरियावद): हां, लाओ-लाओ, दिखाओ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): लाइये-लाइये, सदन को गुमराह कर रहे हो।

श्री नगराज (धरियावद): बीच में खड़े होकर हर कोई चीज बता देते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक बिड़ला हमारे पिलानी में हैं और एक बिड़ला कोटा में हैं, ये ऐसे ही करते रहते हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): असली-नकली चेहरे का पता लग जाएगा।

श्री नगराज (धरियावद): अध्यक्ष महोदय, मंगाओ ताकि दुबारा से कभी खड़े नहीं हों।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कागज तो ले ही लो, अध्यक्ष महोदय। अगर कोई कागज है तो ले लो इनसे।

श्री करणसिंह (छबड़ा): प्रश्न पूछ कौन रहा है और कागज कौन दिखा रहा है?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह ट्रेनिंग कहां से ली है आपने?

श्री नगराज (धरियावद): परम्परा चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह **बताएं** कि चीफ इंजीनियर ने किस डेट को सर्टिफिकेट जारी किया कि बांध सम्पूर्ण मापदंडों से बना हुआ था।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, बैठिये आप। विराजें आप।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15.6.10 को सर्टिफिकेट जारी किया गया। बांध की कुल लागत तीन हजार...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्री महोदय, जब उसने ... (व्यवधान) इन्होंने कहा कि...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा। जवाब आने दीजिये। पहले जवाब आने दीजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): बांध की कुल लागत 3,727 आयी है, संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के इंजीनियर्स के साथ जांच करायी गयी। संभागीय आयुक्त और उन लोगों की सेवा साथ में ली गयी, उन्होंने अपनी एक विस्तृत जांच सरकार को सौंपी है। उसके तहत जो 21 अधिकारी थे, उन सबको नोटिसेज इश्यू किये गये, किसी को 16 सीसीए के तहत, किसी को 17 सीसीए के तहत। जब इसकी गम्भीरता को मैंने देखा तो हमने इस पूरे प्रकरण को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिया जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस चीफ इंजीनियर ने सर्टिफिकेट जारी किया है उस चीफ इंजीनियर को माननीय मंत्री महोदय बचा रहे हैं, सरंक्षण दे रहे हैं, जिसने कहा कि यह बांध पूरी गुणवत्ता से बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। आपके मूल प्रश्न से संबंधित...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिसने सर्टिफिकेट जारी किया उस चीफ इंजीनियर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जांच के पश्चात् जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कौन से भ्रष्टाचार निरोधक की बात कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। श्री हनुमान बेनीवाल।

प्रश्न संख्या-19

(स्थगित)

जयपुर की मानसागर झील का जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव हेतु बेचान

20. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मानसागर झील, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया था तथा क्या उक्त झील में निर्मित महल पुरा महत्व के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र में आता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव के नाम पर उक्त मानसागर झील को किस संस्था को किन नियमों के तहत किन-किन शर्तों के साथ कितने वर्षों के लिए लीज पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निजी संस्था में शामिल लोगों के नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त झील के पास व्यावसायिक उपयोग के लिए कितनी भूमि सरकार द्वारा निजी संस्था को दी गई और वहां पर कौन-कौनसी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भूमि जो व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई है, का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त निजी संस्था द्वारा मानसागर झील के पुनरुद्धार हेतु कितनी राशि व्यय करने का करार सरकार के साथ किया गया है?

(7) उक्त संस्थान द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पर सरकार की मानिटरिंग की क्या व्यवस्था है?

(8) क्या यह सही है कि उक्त झील का कुछ हिस्सा वन विभाग के अन्तर्गत आता है? पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था उक्त निजी संस्थान के साथ करार के रूप में की गई है?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास एवं पर्यटन मंत्री): (1) मानसागर झील का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ई. में करवाया गया था। मानसागर झील में स्थित जल महल सरकार का संरक्षित स्मारक नहीं है।

(2) मानसागर झील को किसी भी संस्था को लीज पर नहीं दिया गया है। वरन् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत

(श्रीमती बीना काक)

सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत मानसागर झील के संरक्षण का कार्य करवाया जा रहा है।

(3) मानसागर झील का पुनर्स्थापन कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।

(4) झील के पास स्थित 100 एकड़ भूमि, पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु मैं. जलमहल रिसोर्ट प्रा.लि. को 99 वर्षों के लिए लीज पर दी गई है। इस क्षेत्रफल में से 13.62 एकड़ भूमि पर संचालित होने वाली व्यावसायिक/पर्यटन गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

1. रिसोर्ट
2. क्राफ्ट विलेज
3. एथनिक विलेज
4. रेस्टोरेन्ट
5. फूड कोर्ट
6. मनोरंजन केन्द्र
7. कन्वेंशन केन्द्र
8. एम्यूजमेंट पार्क एवं अन्य सामान्य सुविधाएं।

(विवरण अनुलग्नक 'अ' पर संलग्न है)

(5) उक्त भूमि का डीएलसी दर से वर्तमान मूल्य रुपये 303.00 करोड़ है।

(6) झील संरक्षण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। अतः निजी विकासकर्ता के साथ मानसागर झील के पुनरुद्धार हेतु राशि व्यय करने का करार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(7) झील संरक्षण पर व्यय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। झील संरक्षण कार्य सम्पूर्ण करने के उपरान्त झील के रख-रखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा किया जाएगा।

(8) उक्त झील का ग्राम विजयमहल वन भूमि के खसरा नं. 28 (जुज.) रकबा 00.03 बीघा एवं खसरा नं. 38 (जुज.) रकबा 00.07 बीघा वन सीमा में आता है। यह वन भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन तालाब के रूप

(श्रीमती बीना काक)

में अंकित है। उपरोक्त 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में वन विभाग के आधिपत्य में है तथा इसमें कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था वन विभाग द्वारा उक्त निजी संस्थान के साथ करार के रूप में नहीं की गई है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, टेण्डर में जो डीजी कम्पनी को आमन्त्रित किया गया था, टेंडर के नियम और शर्तों के अनुसार जो भी कम्पनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेगी उसका पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होना आवश्यक था जबकि पहले केजी एन्टरप्राइजेज एक पार्टनरशिप फर्म थी उसके बावजूद इसको टेंडर प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया गया बल्कि टेंडर भी इसे दे दिया गया। इसमें न्यायालय की टिप्पणी भी इसके खिलाफ है। दूसरा, 99 साल की लीज पर देना अवैध है, इस संबंध में जेडीए के तत्कालीन लीगल एडवाइजर द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी राय दी गई थी क्योंकि 99 साल की लीज पर देना बेचने के समान है जिसको सरकार बेच नहीं सकती।

तीसरा मेरा प्रश्न है नगर निगम की यह 100 बीघा जमीन सरकार ने दी है इस निजी कम्पनी को, क्या नगर निगम के बोर्ड का प्रस्ताव आपके पास है या बिना प्रस्ताव के ही नगर निगम की एनओसी आपने खुद ही जारी कर दी, आप यह बताएं?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को यह बताना चाहती हूं, खास तौर से खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य को, कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई, वह एब्सोल्यूट ट्रांसपरेंट, ओनेस्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से अपनाई गई। लीज डाकूमेंट की शर्तों के अनुसार ही जो भी अनुबंध हुए, जो भी परमिशन दी गई, वह बाकायदा जो भी प्रैसक्राइब्ड थी, उनसे की गई। 2003 में बीडी की मीटिंग हुई थी, जयपुर प्राधिकरण के स्थान पर पर्यटन विभाग को इस प्रोजैक्ट के लिये अनुबंधित किया गया था। इस योजना के संबंध में निविदाएं प्राप्त करने से पहले नियमानुसार 14 अगस्त, 2003 को ही प्रीबिड की मीटिंग हुई और उसमें इच्छुक निविदादाताओं के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उनके उत्तर

(श्रीमती बीना काक)

बाकायदा दिये गये और स्पष्ट कर दिया गया कि निविदा पत्रों में उल्लिखित योजना के घटकों में जो भी टर्म्स एण्ड कंडीशन हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। कुछ लोगों ने अपनी बिड्स दीं। प्राप्त वित्तीय निविदाओं में मैसर्स केजी कंसोर्टियम को 22.11.2005 को तय किया गया जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। सफल निविदादाता से आरटीडीसी द्वारा 22.11.2005 को यह करार हुआ।

मैं तो यह बताना चाहती हूं कि यह जो विचार था यह 2003 में आया, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार की लीडरशिप थी, वह बहुत विजनरी लीडरशिप रही। दुनिया घूमी, उनको एक्सपोजर बहुत था, उसी के तहत उन्होंने 2005 में यह करार किया। जो करार आज साबित हो रहा है कि बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। आप तो धन्यवाद दीजिए, 2005 में वसुंधरा राजे जी ने यह करार किया था, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस कम्पनी को यह लीज पर दी गई, उसने कुछ मोडिफिकेशंस के लिये सरकार में एप्लाई किया। 10 अक्टूबर, 2007 में चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की मीटिंग ने यह कहते हुए कि ये मोडिफिकेशंस नहीं किये जाएं क्योंकि इससे जनता का कोई भला नहीं हो रहा है, केवल उस प्राइवेट पार्टी का भला हो रहा है, उसको रिजैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या कारण रहे कि आपकी सरकार आने के बाद आनन-फानन में आपने फाइल पर निर्देश किया चीफ सैक्रेटरी को कि तुरन्त मीटिंग बुलाओ और मीटिंग बुला कर जो मोडिफिकेशंस उस प्राइवेट कम्पनी ने चाहे हैं, उनको तुरन्त दे दो? 10 तारीख को सीएस महोदय ने उसको एप्रूव किया और 14 तारीख को आपने उसको एप्रूव कर आनन-फानन में जो मोडिफिकेशंस उन्होंने चाहे थे, वे आपने दे दिये। क्या यह सही है कि पहले होटल में कमरों की संख्या 200 थी, वह आपने 435 कर दी? 11500 वर्ग मीटर बिल्डअप एरिया था, वह आपने 32185 वर्ग मीटर कर दिया? टोटल रिवाइज्ड मास्टर प्लान 55189 वर्ग मीटर से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता था, वह आपने 1,25,000 वर्ग मीटर करने की अनुमति दे दी?

(श्री कालीचरण सराफ)

चौथा प्रश्न मेरा यह है, इसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि जल महल के मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्या यह सही है कि निजी विकासकर्ता ने वहां लिफ्ट लगाई, वहां टायलेट्स का निर्माण किया, जो चूने की जालियां लगी हुई थीं ...

श्री अध्यक्ष: उसको हटाना पड़ेगा क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): टाइल्स लगी हुई थीं उनको हटा कर मार्बल की टाइल्स लगाईं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें, जवाब तो आए। फिर इतने सवालों का जवाब कहां से आ पाएगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भाषण देने लग गये यह तो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, इनको और पूछ लेने दीजिए, साथ ही जवाब दे देना। रघु शर्मा।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप बाद में पूछ लेना, पहले मुझे इनका जवाब दे देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पूरा उल्लेख पिछले सैशन में आ गया था। इस सरकार में आनन फानन में कोई भी काम नहीं होता है, कालीचरण साहब। हाजिर नाजिर रखते हुए, सारे नार्म्स को देखते हुए, सारी टर्म एण्ड कंडीशंस को देखते हुए खुले रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से काम हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कालीचरण जी, पहले जवाब आने दीजिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और मुझे फख्र है कि मैं उस सरकार की नुमाइंदा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आप बैठिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मुझे फख्र है कि मैं उस सरकार की नुमाइंदा हूं जो ट्रांसपेरेंट है, सही तरीके से काम करती है, ईमानदार है। मुझे यह पावर है कि अगर मुझे कोई नार्म्स चेंज करने थे, 200 से 400 कमरे करने थे, तो मैंने किये, मैं कह रही हूं। 2006 में इनकी रिक्वायरमेंट चली गई थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए, विराजिए ।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): कौन से नियमों में किया है, इन नियमों में यह अधिकार है क्या इनको?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां सुनाइए, सुनाइए आप।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 2006 में एक रिवाइज्ड प्रपोजल दी दैन सरकार को दे दिया गया था according to the terms and conditions. (व्यवधान) सुनो तो सही +++ क्यों हो? "It was pointed out that ….. has made changes in the product specifications with reference to the proposals submitted during the bid stage." उनको हक था किसी भी प्रकार के चेंजेज करने का "The Lessee shall have the right to change/to modify layout and functions. Also the Lessee shall have the right to modify self-lease options for specific product depending on the market demand and commercial feasibility." यह आप लोगों के द्वारा बनाया गया, जो लीज डाकूमेंट था उसका हिस्सा था। मैं तो यह पूछना चाहती हूं, आप सब लोगों से 2006 में यह मांगा गया ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ...(व्यवधान) वहां बोलने की हिम्मत नहीं हुई इन लोगों में, यहां बोलने की हिम्मत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जबरदस्ती इंटरफियर कर रहे हैं। आप चुपचाप विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) 2006 में यह मांगा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 से लेकर दिसम्बर, 2008 तक यह जो परमीशन थी विकासकर्ता की, वह तब के माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में पड़ी रही। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं कि क्यों पड़ी रही वह वहां पर? अगर हमने कमरे बढ़ाये हैं तो न किसी लोभ के, न किसी लालच के। मैं कहना चाहती हूं, उस वक्त विकासकर्ता से होटल को पार्टनरशिप के अन्दर मांगा गया था, इसलिये यह फाइल 2 साल तक अटकी रही। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दो सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): होटल मांगा था विकासकर्ता से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिना सबूतों के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चोरी करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। इस व्यवधान में कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब में जो पूरक प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब नहीं है। और मंत्री महोदय अपने आप बिना किसी रिकार्ड के, बिना किसी प्रमाण के...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रिकार्ड है न, यह रिकार्ड टेबल करूंगी मैं अभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पार्टनरशिप का कोई प्रमाण है? कहां है पार्टनरशिप का प्रमाण? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): रिकार्ड टेबल करूंगी मैं अभी। (व्यवधान) मैं रिकार्ड टेबल करूंगी अभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पार्टनरशिप का प्रमाण कहां है, रखो। लाओ कागज पार्टनरशिप का कि हमने पार्टनरशिप मांगी और पार्टनरशिप नहीं दी। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): तो रीजन दे दीजिए, आपने दो साल तक क्यों अटका कर रखी। हमारे पास रीजन है। बिलकुल यही रीजन था। यही रीजन था, उस वक्त 400 कमरे कर दिये गये होते तो...

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):: ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं पैदा करें। अगले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): प्रश्न संख्या 21.

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया विराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं, कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: यदि सदन की कार्यवाही चलने देनी है तो मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। कृपया अगले वक्ता को पूछने दीजिए, वर्ना किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: इस तरह कोई सदन चल पाएगा क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप पर आरोप लगाये हैं? किसने?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य श्री रघु शर्मा, कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं केवल उप नेता श्री घनश्याम तिवाड़ीजी को अलाउ कर रहा हूं। कृपया विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। केवल भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री घनश्याम तिवाड़ीजी को अनुमति दे रहा हूं। कृपया आप विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रतापसिंह खाचरियावास, कृपया बैठ जाएं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी आपके समझ में नहीं आ रही है। दूसरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे फिर आपको।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठ जाइये। आसन पांवों पर है, बैठ जाइये आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, बैठ जाइये आप। श्री तिवाड़ीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। मैंने तिवाड़ीजी को समय दिया है, आप विराज जाएं। माननीय तिवाड़ीजी के अलावा किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, केवल तिवाड़ीजी का।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस सारी चर्चा में माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उसके बाद मेरे पर सत्ता पक्ष की बैंचों की तरफ से आरोप लगा कि आपने उस समय विरोध किया था, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी बीडी में, न ऐसे किसी काम में मैं था। मेरे विरोध करने का और पक्ष लेने का सवाल ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया ने गैर जिम्मेदाराना रूप से जो आरोप लगाये हैं कि हमारी सरकार इसमें पारदर्शिता... (व्यवधान) एक्सपंज किया जाना चाहिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी सदस्य का अंकित नहीं होगा। ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: बोलो-बोलो। किसी का अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बैठें। बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान) माइक चालू है। बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान) हां, क्या कह रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में यह कहा कि 200 कमरे आपने इसलिए नहीं किये कि आपकी सरकार उसमें पार्टनरशिप चाहती थी। तो इस प्रकार का कागज अगर सरकार के पास है कि हम उसमें पार्टनरशिप चाहते थे तो वह कागज ले कर दें या बता दें, तब तो हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन वे कागज नहीं हैं और बिना किसी कारण के पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा दिया कि आप पार्टनरशिप चाहते थे तो हम चाहते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए या उस कागज को टेबल कर दिया जाए, इतनी-सी बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान) हाउस नहीं चलने देना?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बोल लूं?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माइक तो चला दो, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट विराजो। माइक शुरू ही है। सब जगह चालू है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, विराज जाएं आप। विराज जाएं आप।

माननीय तिवाड़ीजी ने जो बात कही है, मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा, अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात होगी तो मैं एक्सपंज करूंगा। मुझे खुद को देख लेने दीजिए। मुझे खुद को देख लेने दीजिए प्रोसीडिंग। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, देख लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हो चुकी है। उस प्रश्न पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं हो रहा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

21. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (झाड़ोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटड़ा व झाड़ोल के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की कोटड़ा व झाड़ोल तहसीलों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद नहीं होते हैं।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित व्याख्याता उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(**विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें**)

श्री अध्यक्ष: समाप्त हो गई चर्चा। कोई अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है, कृपया विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं हो रहा। केवल मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता को मैंने इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): बोल रहा हूं साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से आपके मार्फत ...(व्यवधान).

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

बहिर्गमन

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा प्रकरण जो है, इस पर इस प्रकार सदन में चर्चा हुई है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भी जाओ। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इससे हम व्यथित हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाई जानी चाहिए और जांच में जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। जांच की मांग सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, अनाप-शनाप गलत आरोप लगा रही है इसलिए हम इस मामले पर सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: छोड़िये। श्री खराड़ीजी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): वापस आऊंगा दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री भगवान सहाय सैनी। श्री भगवान सहाय सैनी।

जयपुर की उप नगरीय बस सेवा हेतु किराया निर्धारण

22. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के उप नगरों में संचालित लो फ्लोर बसों के किराये का निर्धारण किस प्रकार किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त लो फ्लोर बसों द्वारा 35 किलोमीटर दूरी तक का किराया 15 रुपये लिया जाता है? यदि हां, तो जयपुर से चौमूं जिसकी दूरी 30 किलोमीटर ही है, का किराया 17 रुपये वसूल किए जाने के कारण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर-चौमूं का किराया 15 रुपये करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जयपुर के आगारों से संचालित की गई लो फ्लोर बसों के किराये का निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट -'1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में जयपुर-चौमूं का किराया निगम द्वारा अन्य साधारण बस सेवाओं के अनुरूप 17/- रुपये निर्धारित किया हुआ है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर से चौमूं लो फ्लोर बसों की किराया राशि भी 17/- रुपये ही रखी गई है, जिससे किराया राशि में विरोधाभास न हो।

(3) रोडवेज बसों व लो फ्लोर बसों के किराये में विरोधाभास न हो तथा वर्तमान में जेसीटीएल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एवं जन भावनाओं के अनुरूप पूरी किराया नीति पर पुनः विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चांदपोल से चौमूं का किराया क्यों बढ़ाया? क्या जयपुर-बस्सी रूट जो एन.एच. 8 पर है, उस पर रोडवेज की

(श्री भगवान सहाय सैनी)

बसें नहीं चलतीं? क्या उनका किराया कम है? जब जयपुर के पूरे उप-नगरों में रोडवेज की बसें चलती हैं और वहां के किराये की एक ही सारणी है तो चौमूं का किराया ही क्यों बढ़ाया? आपने जो सारणी दी है उसके बाद में 30.12.2010 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जे.एम.सी.टी. जोन, जयपुर के लैटर के आदेश से यह 15 रुपये से 17 रुपये किया। इसमें लिखा है कि जे सी टी एस एन एल के पत्र संख्या एन.डी. इतना-इतना उप नगरीय मार्गों पर संचालित वाहनों का किराया निर्धारण किया गया है। क्रम में निम्न दो स्टेशनों के मासिक रियायती पास की दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है। यह जो किराया बढ़ाया है उसमें केवल मासिक पास का बढ़ाया गया था, यह दैनिक यात्रियों का किराया क्यों बढ़ाया गया? इसके लिये कौन दोषी है? मनमर्जी से पैसा वसूल कर रहे हैं। मासिक पास की दरों में बढ़ोतरी के आदेश हैं रोड़वेज के, इसमें दैनिक यात्रियों के आदेश नहीं हैं। यह मनमर्जी से अधिकारियों ने किराया बढ़ाया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किराये में कमी करेंगे?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चौमूं का ही किराया क्यों बढ़ाया गया। यह बात सही है कि जहां पर जे सी टी एस एल काम करता है, अपनी बसेज चलाता है, वहां पर सिर्फ चौमूं एक ऐसी जगह थी जिसका कि 15 रुपये किराया होना चाहिये था, लेकिन 17 रुपये कर दिया। उसके पीछे कारण यह था कि निगम की बसों का किराया चौमूं तक का 17 रुपये था, तो दोनों में विरोधाभास न हो, इसलिये उसका 17 रुपये रख दिया। यह जे सी टी सी एल द्वारा जिन रूट्स पर पांच बसें चलाई जाती हैं, उनका किराये का परिशिष्ट मैंने आपको दिया है- शून्य से लेकर 25 किलोमीटर तक 10 रुपये, 26 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक 15 रुपये और 36 किलोमीटर से आगे तक 20 रुपये। आपने चौमूं की दूरी 30 किलोमीटर बताई है, जबकि उसकी दूरी 32 किलोमीटर है, जहां से स्टार्टिंग पाइंट है। स्टार्टिंग पाइंट है चौमूं पुलिया, चौमूं पुलिया से चौमूं तक की दूरी 32 किलोमीटर होने की वजह से इसी में कुछ रद्दोबदल किया गया है। लेकिन फिर भी इस सारी किराया नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है और पुनर्विचार करके इसको दुबारा देखा जाएगा ताकि विरोधाभास किसी प्रकार का नहीं हो। उसी रूट पर निगम बस चलाए और उसी रूट पर जे सी टी सी एल बस चलाए तो दोनों का किराया करीब-करीब बराबर हो, इस प्रकार की नीति बनाने का सरकार विचार रखती है।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं की दूरी 32 किलोमीटर नहीं 26 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर तक 15 रुपये किराया है, फिर 17 क्यों किया? दूसरा, क्या बस्सी तक निगम की बसें नहीं चलतीं, रोडवेज की बसें नहीं चलतीं? उनका किराया इसी सारणी से लिया जा रहा है। केवल चौमूं का किराया बढ़ाया गया है और वह किराया भी बिना आदेश बढ़ाया गया है। आपने एक पत्र उपलब्ध करवाया है 30.12.10 का, उसमें आपने लिखा है, निम्न दो स्टेशनों से मासिक रियायती पास की दरों पर परिवर्तन किया जाता है। इसमें किराया बढ़ाने का कहीं उल्लेख ही नहीं है, उसके बावजूद अधिकारियों ने किराया बढ़ा दिया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस किराये को आज ही खतम करें। जब यह कह रहे हैं कि जन भावना के अनुरूप पूरी किराया नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा, तब तक इस किराये को 15 रुपये ही रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ ।

प्रश्न संख्या-23

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-24

श्री प्रभुलाल सैनी

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-25

डा. जसवन्त यादव

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-26

श्री भवानी सिंह राजावत

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-27

श्री नन्दलाल मीणा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

28. **श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के कौन-कौन से गांवों एवं शहरों में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है तथा उनमें फ्लोराइड व टी डी एस की कितनी-कितनी मात्रा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइडयुक्त गांवों में किस योजना में किस प्रकार कब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री महीपाल मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के 12 ग्रामों में स्थापित 14 हैण्डपम्पों में उपलब्ध जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक है। उक्त क्षेत्र के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित कोटपूतली कस्बे में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से कम होने के कारण फ्लोराइड की समस्या नहीं है। उक्त ग्राम/ढाणियों में फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की मात्रा संबंधी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त 12 ग्रामों में स्थापित 14 हैण्डपम्पों पर डि-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। अगले 6 माह में यह यूनिट स्थापित कर दिये जाएंगे। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में निहित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि कोटपूतली में सिर्फ 12 गांव हैं जहां फ्लोराइड पानी की समस्या है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कोटपूतली में 24 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां फ्लोराइड की भंयकर समस्या है और स्वयं कोटपूतली कस्बे में भंयकर समस्या है। आपको जो जानकारी दी गयी, उस प्रकार आपने बताया कि सिर्फ 12 हैण्डपम्प ही ऐसे हैं जहां फ्लोराइड का पानी आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहपुरा खुर्द है उसके गांवों में पानी पीने के लिये भी नहीं है और कहीं जो पानी आता है, वह व्हाइट-व्हाइट आता है, वहां भी पीने के पानी की भंयकर समस्या है। इतनी भयंकर फ्लोराइड की मात्रा है कि वहां का पानी अगर पीया जाता है तो दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। जो जानकारी आपने दी, मैं यह चाहता हूं उन गांवों के लिये आप क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे?

श्री महीपाल मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जो मानक निर्धारित है 1.5 से ऊपर का, वहां पर फ्लोराइड डि-फ्लोरिडेशन यूनिट्स लगाने का काम है। आपने जो 12 गांव बताये हैं ...

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): 12 गांव नहीं, 24 गांव हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हां 24, उन 24 गांवों में, क्योंकि आपका प्रश्न 12 गांवों तक का ही था ...

श्री रामस्वरूप कसाना : मेरा प्रश्न 12 गांवों का नहीं था, मैंने पूरी कोटपूतली तहसील का पूछा था। जिन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने गलत जवाब दिया है और सदन को गुमराह करने का काम है। वहां 24 गांवों में ऐसी समस्या बनी हुई है जहां पीने के पानी की समस्या है।

श्री महीपाल मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण मिशन के तहत इस साल 10 हजार गांवों को फ्लोराइड से डि-फ्लोरिडेशन यूनिट लगाकर उनके अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने का सरकार का इरादा है।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन

29. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नया जयपुर योजना की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब व उसमें कितना वर्ग क्षेत्र निर्धारित किया गया, जिसमें कौन-कौनसा क्षेत्र लिया गया? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित नया जयपुर के क्षेत्र को कम किया गया है? यदि हां, तो कितना वर्ग क्षेत्रफल कम किया गया और कौन-कौन से क्षेत्र में कम किया गया? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्व में निर्धारित क्षेत्र में कितने गांवों की बसावट शामिल की गई थी तथा अब इनमें से किन-किन गांवों को बाहर किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): (1) जी हां। जयपुर शहर के पूर्वी क्षेत्र में आगरा रोड पर सुनियोजित विकास करने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण की 57वीं बैठक दिनांक 14.10.09 में 'नया जयपुर शहर' योजना विकसित करने के उद्देश्य से लिये गये निर्णय की पालना में अधिसूचना दिनांक

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

27.10.09 जारी की गयी। जिसकी सीमाएं पूर्व में ढूंढ नदी, पश्चिम में झालाना पहाड़ियां, उत्तर में जमवारामगढ़ रोड तथा दक्षिण में जयपुर-दिल्ली रेलवे लाइन तक कुल लगभग 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। नया जयपुर में शामिल ग्रामों की सूची मय खसरा नम्बर सहित परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा रोड, जमवारामगढ़ रोड, सुमेल रोड, जयसिंहपुरा खोर रोड एवं जामडोली रोड तथा गोनेर रोड तथा खो नागोरियान रोड व आसपास के क्षेत्र में सघन आबादी होने, जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी तथा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं एवं 90-बी एवं ग्रुप हाउसिंग योजना के एकल पट्टे तथा अन्य आई.टी. प्रोजेक्ट एवं अनुपयोगी भूमि यथा- पहाड़, कब्रिस्तान, नदी, मन्दिर, मस्जिद व संस्थानों को आबंटित भूमि एवं अवैध रूप से मौके पर हो चुकी आवासीय बसावट के कारण प्रस्तावित नया जयपुर शहर के क्षेत्रफल में लगभग 66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कम किया गया। व्यापक जन हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र को कम करने का निर्णय लिया गया। जिस क्षेत्र को कम किया गया, उसका विवरण मय खसरा नम्बर परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(3) पूर्व में सम्मिलित ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है तथा बाहर किये गये गांवों की सूची मय खसरा नम्बर परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

(12.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा 27 अगस्त और उसके बाद दोनों मीटिंग्स में 105 स्क्वायर किलोमीटर से घटाकर आपने 66 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। पहला तो मेरा प्रश्न यह है कि आपको नया जयपुर बसाने की आवश्यकता क्यों प्रतिपादित हुई और ऐसी कौनसी रिपोर्ट थी जिसके आधार पर आपको सौ किलोमीटर एरिये की आवश्यकता थी? नम्बर दो, उसके बाद में अचानक परिस्थिति का बदलाव क्यों हुआ जिसके कारण से इस नये जयपुर की आवश्यकता केवल 66 किलोमीटर पर ही केन्द्रित कर दी गयी? नम्बर तीन, ये दोनों रिपोर्ट जिनमें पहले 105 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रखा गया और फिर 66 रखा गया। उनके आधार क्या थे? वे आधार मुझे चाहिए। नम्बर चार, यह इलाका जो छोड़ा गया, इस छोड़े गये इलाके में किन-किन नेताओं के, किन-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किन अफसरों के, किन-किन मंत्रियों के और किन-किन बड़े लोगों या बड़े बिल्डर्स के एरिये आते हैं, जो इसमें से निकाले गये? इस एरिये में जिन-जिन लोगों की 90 बी की, जिसके लिए आप हमारे से कहते हो, यह 90-बी क्या है? इसकी अधिसूचना जारी....

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह पुरानी सरकार अच्छी तरह जानती है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, मंत्रीजी, प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, महाराज। पहले आप जानते थे। अब हम जानते हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने कैसे जाना? पूरी जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए। प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो।

श्री अध्यक्ष: अब समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह सूची आपने सदन के पटल पर नहीं रखी जो आपने कहा है कि यह इलाका पहाड़ी होने के कारण, अवैध बस्तियों के कारण, जंगल होने के कारण से निकाल दिया गया है। क्या अधिसूचना जारी करते समय यहां पर पहाड़ नहीं थे? क्या अधिसूचना जारी करते समय यहां जंगल नहीं था और अचानक जंगल किसने लगा दिया? अचानक पहाड़ किसने खड़े कर दिये? अचानक वहां बस्तियां किसने बसा दीं? यह भी आपने स्पष्ट नहीं किया। अन्तिम प्रश्न मेरा यह है कि यह निर्णय किस आधार पर हुआ और दोनों निर्णयों की अध्यक्षता किसने की?

श्री अध्यक्ष: इसमें आपको एक और ध्यान रखना होगा कि सीकर से चौमूं और चौमूं से सांगानेर, कहीं और आगे बढ़ाने का विचार था क्या जयपुर को?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा कि बारह बजकर तीन मिनट तो हो गये, इस पर काल अटेंशन मोशन और लगा है, मैं तो यह चाहता हूं कि इस पर डिटेल चर्चा हो जाए। आधे घंटे की चर्चा इस पर रखी जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा तय कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। दोनों पक्ष चाहते हैं तो तय कर दिया जाएगा। आप दोनों पक्षों का यही आग्रह है तो मैं आधे घंटे का समय दे दूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं तो कहता हूं कि आप एक घंटे की चर्चा कर लीजिए। I am ready to discuss.

श्री अध्यक्ष: चलिए। चर्चा समाप्त। (व्यवधान) आधे घंटे की चर्चा की बात हो चुकी, उसके बाद अब क्या बाकी रह गया? कृपया विराजें।

अनुपस्थिति अनुमति

टीकाराम जूली श्री, सदस्य, को 15 फरवरी, 2011 से पांच सप्ताह के लिए

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री टीकाराम जूली, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 15 फरवरी, 2011 से पांच सप्ताह के लिए सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

प्रश्न यह है कि क्या उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

ज्ञानदेव आहूजा श्री, सदस्य, को 15 फरवरी, 2011 से सत्रान्त तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 15 फरवरी, 2011 से सत्रान्त तक के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

प्रश्न यह है कि क्या उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री बंशीधर खण्डेला एवं तीन अन्य सदस्यों द्वारा सीकर में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

   उपरोक्त सम्बन्ध में अन्य प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

2. श्री राजेन्द्र राठौड़ सदस्य द्वारा सभी जिला मुख्यालयों के पास सीवरेज के गन्दे पानी से सब्जियां पैदा करने तथा फलों को प्रतिबन्धित रसायनों से पकाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. श्री अमराराम सदस्य की ओर से राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के हथियार लाइसेंस रिन्यू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख सदस्य की ओर से पाली के बांगड़ अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों के पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

   माननीय सदस्यों को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है। अतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री शिवजीराम मीणा सदस्य द्वारा ओलावृष्टि के कारण जहाजपुर तहसील क्षेत्र की नगरपालिका सहित 40 से अधिक गांवों की फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. श्री अजय सिंह एवं सात अन्य सदस्यों द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के थांवला क्षेत्र के किसानों को सरकारी सहायता के रूप में गोभी के घटिया बीज वितरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

   माननीय सदस्यों को नियम 295 के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है। अतः इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री हरी सिंह रावत एवं चार अन्य सदस्यों द्वारा विधान सभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ तथा भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. श्री कैलाश चन्द भंसाली सदस्य की ओर से जोधपुर में गंदगी की वजह से आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से सीकर जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत, श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं श्री पेमाराम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।
2. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतू के बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन से भदेरश पावर प्लान्ट तक कोयला परिवहन से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
3. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य द्वारा ओलावृष्टि के कारण जहाजपुर तहसील क्षेत्र की नगरपालिका सहित 40 से अधिक गांवों की फसलों के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में जिप्सम उद्योगों पर उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में।
5. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के गंगाशहर में चारों तरह से इकट्ठे हो रहे गंदे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत जोधियासी (नागौर) की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय को राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
7. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले की पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ के 500 से अधिक आबादी की समूह ढाणियों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री ग्यारसा राम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनीता सिंह सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) के बी ई ई ओ के ए पी ओ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पी एच सी/सी एच सी में एन आर एच एम के तहत आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री हरिसिंह रावत।

सूचना

राजस्थान में अवैध शराब का कारोबार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फारमेशन। मैं पाइन्ट आफ इन्फारमेशन के माध्यम से आसन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान के अन्दर अभी जहरीली शराब से मौतों की खबरों की सुर्खियां सूखी भी नहीं थीं कि राजस्थान राज्य अवैध स्पिरिट की तस्करी का अड्डा बनता चला गया और इसके अन्दर राज्य के आबकारी मंत्री और उनके साथ एग्रोबायोटिक अजीतगढ़, एच एस बी एग्रो इण्डस्ट्री...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसको नियमों से उठा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि यह समाचारों में सुर्खियां बना है, फोटो छपी है। एक माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य की फोटो साथ में छपी है। आरोप यह है राज्य के आबकारी मंत्री पर कि इनके संरक्षण में अवैध स्पिरिट का अवैध कारोबार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इनको बोलने दो। मैं हरिसिंहजी रावत का नाम पुकार चुका हूं। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। श्री हरी सिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह अवैध स्पिरिट राजस्थान की सीमा से बाहर पाण्डिचेरी तक चली गयी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। विराजिये, माननीय सदस्य। श्री हरिसिंह रावत, श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और दामन में दाग हैं आबकारी मंत्री के भी ...(व्यवधान) आबकारी मंत्री के संरक्षण के अन्दर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिह रावत, शुरू करें न आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज है, मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही नहीं। एफ. आई. दर्ज है और मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही नहीं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह अति महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लोगों के साथ यह जो 19 हजार लीटर...(व्यवधान) पकड़ा गया था वह भी यहीं से निकला हुआ है। (व्यवधान) और आबकारी मंत्रीजी एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। (व्यवधान) श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए मेरा निवेदन है, आबकारी मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए, वर्ना इनके दामन में दाग है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने हरिसिंहजी का नाम पुकार लिया है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): आबकारी मंत्रीजी का जवाब मांगा जाए। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जवाब दिलवाओ, पहले मंत्रीजी से जवाब दिलवाओ ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): यह जहरीली शराब से ...(व्यवधान)... इसलिए जवाब मांगा जाए मंत्री महोदय से। (व्यवधान) सरकार क्या कर रही है? इसलिए राजस्थान सरकार के मंत्री से जवाब मांगा जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी वक्तव्य दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह देख रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): शराब माफियाओं को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब माफियाओं को सरकार द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मंत्री महोदय से जवाब मांगा जाए इसमें।

एक माननीय सदस्य: तस्करी हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान) मैंने श्री हरिसिंह रावत का नाम पुकार लिया है। माननीय सदस्य श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मंत्रीजी को स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान का अवाम सच्चाई जानना चाहता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कोई बात कहना चाहते हैं, नियमों के तहत कहें। माननीय श्री हरिसिंह रावत को मैंने एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने के लिए अवसर दे दिया है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी है ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों फैक्ट्री श्रीमाधोपुर विधान सभा और खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में हैं और सीकर जिले के आबकारी मंत्री भी इसमें मिले हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय हरिसिंहजी को मैंने समय दे दिया है बोलने के लिए एडजोर्नमेंट मोशन पर, इसको आप दूसरे तरीके से उठा सकते हैं। कृपया व्यवधान न करें।

एक माननीय सदस्य: आज अख़बार में छपना निःसंदेह कोई षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है यह। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्रीजी, चुप क्यों बैठे हैं, जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें, अंकित नहीं हो रहा है। मैंने हरिसिंह जी को निवेदन कर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के शीर्ष समाचार पत्र में यह जो फ्रंट लाइन में खबर छपी है, उसको लेकर माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप किस नियम के तहत बात कह रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नियम नहीं है, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन के तहत वो आ गये, सदन में यह मामला आ गया, सदन में माननीय मंत्रीजी मौजूद हैं और मामला बिलकुल साफ आया है, इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज है। इसका यह भी हो गया कि इसमें अवैध शराब गयी है, पांडीचेरी भी गयी है, वहां का फर्जी परमिट बना है। इन्दौर के कोई सज्जन हैं, आठ राज्यों में इस प्रकार के परमिट बनाते हैं, स्मगलिंग का काम चल रहा है। इसमें हो सकता है प्रकाश चौधरी का और इनका, राजेन्द्रजी का उन्होंने नाम लिख दिया। वो सदन में मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा विशेष सेंसिटिव, जब राजस्थान में शराब से मौतें हो रही हैं और आपके थानों में केस रजिस्टर हैं, उसके बाद में कार्यवाही नहीं हो रही है और माननीय सदस्य ने इस बात को सदन के सामने ला दिया है तो इसके सम्बन्ध में आपको व्यवस्था, या तो मंत्रीजी अपना स्पष्टीकरण दे दें, इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दें। कल भी हमने कहा था कि जब मंत्रियों पर आरोप लगता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को आ कर स्पष्टीकरण देना चाहिए। न तो गृह मंत्रीजी के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलते हैं न आबकारी मंत्रीजी के बारे में बोलते हैं। लेकिन मंत्री यहां अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौजूद हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब यह मामला सदन में आ गया है और पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन के तहत आ गया तो मंत्रीजी से स्पष्टीकरण ले लीजिए अगर देना चाहें तो। न देना चाहें तो वक्तव्य दिला दीजिए। बात खतम हुई।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप देना चाहते हैं क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वरिष्ठ सदस्य हैं, अब यह तो मैं कह नहीं सकता कि इनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है।

एक माननीय सदस्य: क्या होता है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है, यह तो मैं कह नहीं सकता, मेरे मित्र भी हैं। एक अख़बार ने ...

श्री अध्यक्ष: इनकी बुद्धि पर आपको तरस आ रहा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरी बात सुनिये आप। जोर से बोलने से, अगर नहीं सुनना चाहते आपकी मर्जी है। अख़बार की मर्जी है, उसकी अपनी मिल्कियत है, उसमें जो चाहे सो छापे, कौन रोकेगा इसको? इस तरह की बात छाप कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी विश्वसनीयता समाप्त की है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मानननीय सदस्य जो बहुत उत्तेजित होकर और इतना बड़ा अख़बार यों-यों लहरा कर कह रहे हैं, जब मेरी जानकारी में यह मामला आया, तत्काल उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी। एक पार्टी जो एग्रो बायोटेक है, उससे करीब आठ करोड़ की वसूली की जा रही है। दूसरी पार्टी एच.एस.बी. जो है, उससे सवा करोड़ की वसूली की जा रही है।

इस तरह अखबारों के माध्यम से आप किसी पर भी यदि लांछन लगाने लगे तो जहां तक मैं समझता हूं कि इस सदन में जो माननीय 200 सदस्य बैठे हुए हैं, किसी के खिलाफ भी कोई भी अख़बार कुछ भी छापेगा, उसकी अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वह आदमी अपनी पर। रही बात इस पर पूरी चर्चा करने की, आप काफी आन्दोलित हैं, काफी उद्वेलित हैं, जब मन हो, तब आप चर्चा करें, किस को एतराज है इस चर्चा से?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है। इस सारे विषय पर, जो सारा विषय आज छपा है, इसके अलावा भी जो सारा शराब का काम हुआ है, इस सारे मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा या मंत्री के वक्तव्य के द्वारा आप सदन में चर्चा कराएं तो माननीय सदस्य अपनी सारी बात रख सकेंगे और यह अपना जवाब दे सकेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब से मौतें पहले भी हुई हैं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं ठहराता। शराब एक बुराई है, इसको हम मानते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसमें किस कदर अन्दर तक पीड़ित हैं और किस कदर कानून बनाने में लगे हुए हैं कि अवैध शराब मामले में यदि किसी पर कार्यवाही हो रही है और यदि जांच में यह पाया गया कि सम्बन्धित अधिकारी भी किसी तरह से संलिप्त है, तो उसके खिलाफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम केवल विभागीय कार्यवाही नहीं करेंगे, उसके खिलाफ क्रिमिनल ओफेंस चार्ज करेंगे जो बाकी मुकदमों में दर्ज होता है। इससे ज्यादा कोई भी सरकार अपनी ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्रीजी, छोटे-मोटे को मार रहे हो, आबकारी कमिश्नर को दो-दो पद करके बैठा रखा है, क्या कार्यवाही कर ली आपने?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): विराजिये आप, विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): विराजिये क्या, क्या कार्यवाही कर ली आपने?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रात की खुमारी उतरी नहीं है आपकी अभी तक। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं उतरी, रोज पीता हूं, रोज।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): और राजेन्द्र पारीक जब बोलता है तब पूरे होशहवास में बोलता है। रात की खुमारी अभी उतरी नहीं। अभी आपकी रात की उतरी नहीं, यह जब उतर जाए तब बात करना मेरे से।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्री महोदय, संरक्षण मत दो, इन शराब माफियाओं को संरक्षण मत दो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सरकार का इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता। सरकार उन अधिकारियों को ...(व्यवधान) बाद में किसी तरह से यदि संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ उन्हीं धाराओं में चार्ज लगेगा जो मुलजिमों के खिलाफ लगता है। इससे बड़ा सरकार का कोई कदम नहीं हो सकता और यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की स्वयं की पहल है।

श्री जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बात यहां खतम नहीं होती। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी का पहले तो किसी माननीय सदस्य को यह कहना कि आपकी रात की खुमारी अभी उतरी नहीं है, यह बिलकुल अनुचित है, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष: खुमारी का मतलब क्या होता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खुमारी का मतलब ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): रोज पीता हूं मैं तो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब यह कहा गया था कि बकवास कर रहे हैं, निपट लेंगे तो उस चीज को तो एक्सपंज नहीं किया, आज क्या एक्सपंज करवा रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): खुमारी शब्द से एतराज है तो मैं रात का सुरूर कह दूं इनको। इनको खुमारी पर एतराज है तो मैं यह कहता हूं कि राज का सुरूर अभी तक आपका नहीं गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय घनश्यामजी, यह आपका विषय नहीं है खुमारी क्या होती है, रोहिताशजी बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मेरा नहीं, रोहिताशजी का विषय नहीं है, यह दोनों का आपस का विषय है, राजेन्द्रजी का भी विषय नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपको तो जानकारी नहीं है न, अध्यक्ष महोदय, इसकी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात मैं कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियसली कह रहा हूं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि किसी प्रकार से हम किसी की मानहानि करें, कोई मंत्री की हम अवहेलना करें, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा विषय सदन के सामने आ गया, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा अंग्रेजी का अख़बार मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं इस विषय पर पढ़ता नहीं हूं, उसमें साफ-साफ यह आया था कि इन्दौर की एक कोई पार्टी है जो सारे हिन्दुस्तान भर में फर्जी परमिट बनाती है और उसकी दो फैक्ट्रियां, एक रींगस में और एक अजीतगढ में, लगी हुई हैं। उसमें पांडीचेरी के नाम से फर्जी परमिट लिये गये 3 लाख 20 हजार लीटर के। पांडीचेरी में एक्साइज कमिश्नर ने लिखा है कि यहां पर इस प्रकार की कोई है ही नहीं। वह स्पिरिट 40 रुपये लीटर के हिसाब से आज गयी और लाखों रुपये का, करोड़ों रुपये का ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लागू कहां से, काल अटेंशन मेरे पास है ही नहीं, मैं लागू कहां से?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वो कह रहे हैं कि हम आधे वो ला रहे हैं तो फिर काहे को भाषण करवा रहे हैं इनके?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप स्पीकर साहब को कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आप करा दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तो दे दीजिए, आप दे दीजिए, हो जाएगा इस पर बहस का ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बहस करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष: है ही नहीं, कहां से करा दूंगा चर्चा? काल अटेंशन मेरे पास नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आप मंत्रीजी का समय फिक्स कर दीजिए और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा घपला है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस घपले पर मंत्रीजी का वक्तव्य आना चाहिए। इस घपले पर मंत्रीजी का वक्तव्य आना जरूरी है ताकि सदन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दे दिया न वक्तव्य। आपकी बात का स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उप नेता महोदय, मैं 2004 में आपको एक घटना का जिक्र करके बताता हूं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पिछले बजट सत्र में मंत्रीजी ने कहा था कि सीकर में स्पिरिट नहीं बिकती, पूरे के पूरे टैंकर बिकते हैं। आपने कह दिया कि सीकर में स्पिरिट नहीं बिकती, यह सदन के रिकार्ड पर है।

श्री अध्यक्ष: सही कहा था न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सदन के रिकार्ड पर है, मंत्रीजी ने यह कहा था, सीकर में स्पिरिट नहीं बिकती।

श्री अध्यक्ष: कहा था जब नहीं बिक रही थी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिक रही थी जब कहा था और बिकवा रहे थे ...(व्यवधान) कोई कार्यवाही नहीं, इस पर 420 का मुकदमा है, गिरफ्तार कितने हुए, मंत्रीजी बता दें? 420 का मुकदमा, कितने लोग गिरफ्तार हुए, मंत्रीजी बता दें? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज में तो शराब इन्होंने ...(व्यवधान) बांटी है, 9 आदमी मरे

(श्री रामलाल)

हैं और चार अभी भी अन्धे घूम रहे हैं। इन्होंने बाकायदा लोक सभा के चुनाव में ...(व्यवधान) जिनके मुकदमे तो ...(व्यवधान) एक भी कार्यवाही नहीं की है और खुद जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने जाकर...(व्यवधान) उनको बरी किया है, मुकदमे से निकाला है 2004 के चुनाव में ...(व्यवधान) खुद इनकी पार्टी के सांसद थे जिसमें 9 आदमी मरे हैं और इनके भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष भी इन्वाल्वड थे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मुकदमे दर्ज हैं जिनको इन लोगों ने बचाया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जब आप कह रहे हैं कि बहस के लिए ...(व्यवधान) समय तय करवाइये ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): लोग अन्धे होकर घूम रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप चर्चा का समय तय करवाइये ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): खुले आम जिन्होंने दारू बांटी है, वह पकड़े गये हैं और मैंने धरना दिया है वहां। उस समय आपके सांसद ...(व्यवधान) पूरे जिले के अन्दर शराब बंटी है जिसमें 9 आदमी मर चुके हैं, 4 आदमी अन्धे होकर घूम रहे हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पुरानी सरकार ने बचाने का पूरा काम किया था। भवानी मण्डी के अन्दर एन डी पी एस के अन्दर ...(व्यवधान) गुण्डागर्दी की थी उसको बचाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): शराब बंटवायी गयी ...(व्यवधान) आप बताओ, आपने कितने आदमियों को गिरफ्तार किया? 9 आदमियों को ...(व्यवधान) शराब खुले में बांटी गयी (व्यवधान)... आदमी मर गये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस सेवा दल का जिला ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सरकार की तरफ से अगर उत्तर आ रहा है तो फिर हमें भी सवाल पूछने का अवसर मिले। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इस सरकार ने कोई कार्यवाही की ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए, उस समय जिन लोगों को बचाया ...(व्यवधान) बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया ...(व्यवधान) आप बताओ, आपने कितने आदमियों को गिरफ्तार किया? 9 आदमी मारे गये ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात समाप्त हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अब अगर इन बातों पर जाएंगे रामलाल जी तो बहुत मुश्किल काम होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आपका आरोप है कि सरकार इनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनका आरोप है कि आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप लोगों ने उनको बचाया है, जो 9 आदमी मरे उनको आप लोगों ने बचाया है, इनका सवाल यह है। इसका जवाब दीजिए न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं जवाब दे रहा हूं, जिनके यहां पर नागौर में जाकर मुख्य मंत्रीजी रात को रुके थे, सुबह वही आदमी गिरफ्तार हो गया ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष ...(व्यवधान) महात्मा गांधी की ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): सरकार ने तो उनको पकड़ा है, सरकार ने तो पकड़ कर जेल में बंद किया है। वह भी आपके कार्यकर्ता हैं ...(व्यवधान) आप लोगों ने जितना शह दिया है, कोई पार्टी जहरीली शराब को शह नहीं दे सकती ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पुलिस वालों को सरेआम थाने में पीटा है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपने तो उनको खुलेआम बाजार के बीच में चेनें लूटना, बलात्कार करना ...(व्यवधान) आपने खुली छूट दे रखी थी, उन्होंने ये कारनामे किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पहले 9 बियर शाप थीं उनकी संख्या 68 हो गयी, 68.

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और यह कह रहे हैं कि हमने बंद कर दीं 8 बजे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कहां करते हो आप लोग?...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं, दो नम्बर की दारू बिकती है, ये जो दुकानें बंद करते हैं 8 बजे ...(व्यवधान) दो नम्बर की दारू बिकती है ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जब आपकी जानकारी में कोई बात आयी, सम्बन्धित कम्पनी ने कुछ स्पिरिट दूसरी जगह भेजी है, जिसको राज्य सरकार ने गलत माना उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके खिलाफ करीब दस करोड़ रुपये की हमने पैनल्टी इम्पोज कर दी, गिरफ्तार भी हुए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गिरफ्तार कितने हुए?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): चार आदमी गिरफ्तार हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मालिक कौन है? अध्यक्ष महोदय, बोर्ड आफ डाइरेक्टर ...(व्यवधान) मालिक ...(व्यवधान) मैं टेबल करना चाहता हूं, कौन है मालिक इसका। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अपराधियों को बचाया गया है, जो स्पिरिट बेची उसके मालिक के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) सबको बचाया गया है ...(व्यवधान) जानबूझकर फैक्ट्री मालिक को बचाया जा रहा है। न तो स्पिरिट का परिवहन करने वालों के खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हो, जबकि स्पिरिट...(व्यवधान) फैक्ट्री मालिक ने करवाई है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जानकारी में आया उसके खिलाफ रींगस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, चार लोगों को ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैच फिक्सिंग हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह आपसे कर लूंगा मैं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): लीपापोती हो रही है ...(व्यवधान) फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की, बताइये आप? (व्यवधान) फैक्ट्री मालिक ने कहा कि माल चोरी हो गया, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की आपने। (व्यवधान) एफ आई आर में ट्रक के चालक को आपने गिरफ्तार किया ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरे कार्यकाल में फाइव स्टार होटल में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपके कार्यकाल में जिस तरह के काले कारनामे हुए, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): आप फैक्ट्री मालिक को बचा रहे हैं, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस अजीतगढ़ की कम्पनी का मालिक कौन है? (व्यवधान) बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में किसका नाम है?(व्यवधान) टेबल करना चाहता हूं, कौन है यह मालिक। (व्यवधान)...कौन हैं यह? (व्यवधान) बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की सूची मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यह सीकर जिले के मंत्री हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मालिक प्रकाश चौधरी है ...(व्यवधान) और गिरफ्तार नौकर हो रहा है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय की कांस्टीट्युएंसी में यह हुआ है और खण्डेला विधान सभा में यह काम हुआ है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): जवाब दीजिए, सुनना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि जब यह शराब के नशे में ...(व्यवधान) सो जाते हैं तब राजेन्द्र पारीक जाग कर इनको सबको देखता है। देखकर जब मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ हमने दस करोड़ रुपये की वसूली करने की कार्यवाही की ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): कितने रुपये वसूल किये गये, कितनों को गिरफ्तार कर लिया?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उन्हीं धाराओं में तो कार्यवाही होगी, इनको मैं 302 में तो बुक नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मालिक कौन है इसका?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मालिक प्रकाश चौधरी है ...(व्यवधान) उसको गिरफ्तार ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): गिरफ्तार छोटे-छोटे उन मजदूरों को किया और मालिकों को बचा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप जब रात को सुरूर में डूबते हैं न तब राजेन्द्र पारीक पूरी तरह जागरुक होकर काम करता है और अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है। आप रात भर सुरूर में खो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता कि रात को क्या-क्या काम हो रहे हैं। आपके कार्यकाल में जितने काले कारनामे हुए, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। यहां पर बातें करते हैं आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरे कार्यकाल में एक बता दो, एक बता दो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कितने, कितने बताऊं, आंखें लहराने से, हाथ लहराने से बात को दबा नहीं सकते ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं छुट्टी ले लूंगा ...(व्यवधान) एक बता दूंगा ...(व्यवधान) मेरा मुकाबला नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): रात को दुकानों पर रुकते थे आप, राजेन्द्र पारीक नहीं रुकता ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैंने तीन महीने में खाट खड़ी कर दी दारू वालों की ...(व्यवधान)... मैंने अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): राजेन्द्र पारीक प्रभावी कार्यवाही करता है ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैंने पांच सितारा होटलों में दो नम्बर की दारू पकड़ी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपकी तरह दुकानों पर जाकर नहीं रुकता मैं ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप कहां मेरी बराबरी करोगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दुकानों पर रुकता नहीं, मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.27 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई)

(12.57 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सूचना

राजस्थान में अवैध शराब का कारोबार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी कि अचानक उत्तेजना में सदन स्थगित हो गया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री महोदय को यही कहना चाहते हैं कि अब सारी चीजें राजस्थान के अवाम...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से समाचार पत्र का हवाला देते हुए मामला उठाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से जो इन्होंने मामला उठाया, उस पर चर्चा किये जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया आप सदन की कार्यवाही आगे चलाने हेतु व्यवस्था फर्माएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अवैध रूप से स्पिरिट पकड़ी और 3,30,000 लीटर स्पिरिट राजस्थान की सीमा से पांडिचेरी चली गयी। इसी स्पिरिट से नागौर में तरनाऊ के अन्दर कांग्रेस के जिला उपभोक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेश सांगवा के पास..

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप लोगों को शर्म आनी चाहिये...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आ रही है। शर्म आ रही है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): शर्म आनी चाहिये। हैड लाइंस में छपा। यह लिखते हैं...(व्यवधान) शराब का अवैध कारोबार। फोटो और छाप दी, जैसे कोई हिस्ट्रीशीटर हो..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 19,000 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद हुई है राजेश सांगवा के पास, इसलिये ये सारे छींटे सरकार के दामन पर लगते हैं। एक तरफ जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, दूसरी तरफ राजस्थान अवैध स्पिरिट की तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है। इसलिये, सभापति महोदय, यही निवेदन है, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया, आप चर्चा का समय नियत कर दें। हम अपनी बात कह दें, मंत्री महोदय अपनी बात स्पष्ट कर दें, राजस्थान के लोगों के सामने सारी बात स्पष्ट चली जाएगी।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): सभापति महोदय, हमारा निवेदन है, शराब पूरी बंद की जाए। शराब बंद होनी चाहिये। पूरी शराब बंद की जाए। पूरी बंद की जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कैसे बंद होगी? कोई बंद नहीं होगी। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के जिले जोधपुर के अन्दर खुले आम अवैध शराब बनायी जा रही है, उन पैसों को तो देखो। नहीं होगी बंद। कैसे बंद हो जाएगी? (व्यवधान) नहीं हो सकती। जोर लगा लें, नहीं बंद हो सकती।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): शराब बंद की जाए। शराब की दुकानें पूरी बंद की जाएं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भाटी साहब, क्या विचार है? माननीय भाटी साहब, क्या विचार है? (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): शराब को बंद किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय सदस्या यह बता रही हैं कि मैं पीड़ित हूं। मेरे जिले में पूरी तरह शराब का अवैध कारोबार है। मैं कह रहा हूं अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह शराब बंद करने...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जोर लगा लें। पारीक साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कम से कम आप मुख्य मंत्री के जिले जोधपुर में तो बंद करवा दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): बंद करवा दो। सभापति महोदय, बंद करवाइये। जो पुरुष शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर उनकी मौतें हो गयी हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो। विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): शराब पूरी तरह बंद होनी चाहिये। शराब का कारोबार पूरा बंद होना चाहिये। मैं बहुत परेशान हूं शराब से। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो। श्री हरिसिंह रावत।

(13.00 बजे)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): पूरी की पूरी रात जहरीली शराब का सेवन होता है और इतने लोग मर गये जोधपुर जिले के अन्दर।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, इसमें बात अध्यक्ष महोदय के समय ...(व्यवधान) एक मिनट, शांति रखें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक मरने वाले को एक लाख रुपया और दूसरे मरने वाले को पांच लाख रुपया यह दोहरी नीति सरकार चला रही है। (व्यवधान) बात तो सुनो ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): मैंने कल कहा था कि ...(व्यवधान) 25 की संख्या में वह मरे हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आप हमें टाइम नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): आज वह संख्या 26 हो गयी है ...(व्यवधान) सभापति महोदय, कल आपने कहा था कि आपका अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) आज भी आप कहेंगे कि अंकित नहीं हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह बात तय हुई थी अध्यक्ष महोदय जब आसन पर थे कि इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे, उस वक्तव्य पर सारी बात हो जाएगी। बात खत्म हो चुकी इस पर, यह बात समाप्त है। यह प्रश्न उठा और इस पर यह व्यवस्था हो गयी। अब सदन की कार्यवाही आप आगे चलाएं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था नहीं हुई। वक्तव्य देंगे, यह बात नहीं आयी है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ गयी।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भीम विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद व अन्य सुविधाएं

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत विधान सभा भीम, देवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों के संबंध में मैं अपना कुछ वक्तव्य रखना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए चिकित्सा सुविधा हमारा मौलिक अधिकार है और इसके लिए चिकित्सा विभाग उत्तरदायी है। लेकिन आज की यह सरकार अपने इस कर्तव्य से लापरवाह हो रही है जिसकी वजह से आज सम्पूर्ण राज्य में सभी ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर शहरों के बड़े चिकित्सालयों तक में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और इसकी वजह से मरीज अकाल मौतों के ग्रास में जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय विराजमान हैं, राजस्थान के जितने भी ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और शहरों के जो भी चिकित्सालय हैं, उनमें कनिष्ठ विशेषज्ञों के जो पद रिक्त हैं उनको तत्काल भरें ताकि जो गरीब लोग बिना इलाज की वजह से मर रहे हैं, उनको राहत मिल सके।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के देवगढ़, भीम में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 2006 में भीम का स्वास्थ्य केन्द्र 50 से 70 में क्रमोन्नत किया गया था और देवगढ़ सीएचसी 30 से 50 में क्रमोन्नत हुआ था। लेकिन अफसोस है कि 2006 से आज तक जो भी कनिष्ठ विशेषज्ञ होने चाहिए थे, उनके एक भी पद नहीं भरे गये। अगर बीच में कुछ एक-दो पद भरे भी गये तो राजनीति की वजह से उनके तत्काल वहां से ट्रांसफर कर दिये गये। आये दिन अगर वहां कोई एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो इलाज नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं, आप लास्ट टाइम पधारे थे। मेरा क्षेत्र 150 किलोमीटर नेशनल हाइवे पर पड़ता है जिसकी वजह से आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना का कारण और हो गया, कि यह जो नेशनल हाइवे नम्बर-8 है ब्यावर से लेकर गोमती तक, उसका मेगा हाइवे में परिवर्तन होने की वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन एक-दो दुर्घटनाएं नहीं हों और लोग भगवान को प्यारे नहीं होते हों। मेरे वहां पर कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद हैं, लास्ट टाइम इसके लिए हमने भूख-हड़ताल भी की थी और मैं भी उस भूख-हड़ताल में बैठा था। हमारे कलक्टर महोदय पधारे थे उन्होंने आश्वासन भी दिया था और शायद, मंत्री महोदय, आपसे भी बात हुई थी। आपने भी आश्वासन दिया था कि मैं तत्काल उन पदों को भर दूंगा। लेकिन अफसोस है कि 6 तारीख को हमारा धरना था, अब विधान सभा भी चालू हो गयी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि तत्काल इन पदों को भरा जाए।

सभापति महोदय, दूसरी एम्बुलेंस की बात, बजट भाषण में मंत्री महोदय ने फर्माया था कि 300 एम्बुलेंस आएंगी और उनके आने के बाद तत्काल आपके भीम और देवगढ़ के लिए मैं अलाट कर दूंगा। लेकिन अफसोस है कि इसमें भी राजनीति हुई है। नेशनल हाइवे पर जहां जरूरी था एम्बुलेंस देना, वहां तो नहीं दी लेकिन इंटीरियर गांवों में इन्होंने जरूर एम्बुलेंस पहुंचा दी क्योंकि, शायद वहां पर कांग्रेसी विधायक थे। वैसे तो मंत्री महोदय काफी सजग हैं, मैं सोचता हूं कि आप तो शायद यह पक्षपात भी नहीं करते हैं, तो तत्काल मेरे क्षेत्र में दो एम्बुलेंस जो कि निहायत जरूरी हैं, नेशनल हाइवे नम्बर 8 की सीएचसी भीम और सीएचसी देवगढ़ में दी जाएं ताकि दुर्घटना में जो कोई घायल होता है या बीमार होता है, उसको तत्काल ही सुविधा मुहैया हो सके।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, दूसरा मेरा सुझाव है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक गरीब लोगों को ऐसी महंगी दवाइयां देते हैं जो उनकी सीमा से या उनकी हैसियत से परे हैं। एक मेडिसिन तो ऐसी होती है जेनेरिक जो 5 रुपये की आती है और उसी की जो दूसरी दवाई आती है, वह 100 रुपये की होती है। इस प्रकार एक मरीज जो आजीविका 100 रुपये नहीं कमाता, मान लीजिये, वह हास्पिटल जाता है तो 1500 रुपये, 2000 रुपये की दवाई वहन नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, कि जेनेरिक दवाइयों के लिए आप आदेश करें डाक्टर्स को कि कोई भी डाक्टर जेनरिक दवाई के अलावा दूसरी दवाई नहीं लिखेगा। साथ ही साथ हर चिकित्सालय के बाहर कोई बोर्ड बना दिया जाए कि ने जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं, उसी के अनुरूप दी जाएं। वैसे बहुत सी जगह सरकार ने यह किया भी है लेकिन गांवों में शायद यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह व्यवस्था आप करें ताकि इस व्यवस्था का गरीब को फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र भीम में 2006 में एक ट्रोमा यूनिट सैंक्शन हुई थी लेकिन अफसोस है कि यूनिट सैंक्शन होने के बाद उससे संबंधित जो एपरेटस हैं, वे वहां पड़े हुए धूल चाट रहे हैं। उनसे संबंधित आर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थीसिया का डाक्टर नहीं होने के कारण वे धूट चाट रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप वहां तत्काल उन डाक्टर्स को लगाएं ताकि वहां यह व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ वहां पर आपने ट्रोमा यूनिट के लिये 62 लाख रुपये भी सैंक्शन कर दिये भवन बनाने के लिये, लेकिन वहां की राजनीति की वजह से, वहां के सीएमएचओ की लापरवाही की वजह से आज करीब दो साल हो गये हैं, वे पैसे पड़े हैं। शायद वे पैसे वापस चले जाएंगे। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस पर तत्काल कार्यवाही करें। राजनीति की वजह से कभी इधर, कभी उधर, वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जिसकी वजह से वे पैसे भी व्यर्थ पड़े हुए हैं। अगर हास्पिटल में वह ट्रोमा यूनिट बन जाएगी तो मैं सोचता हूं कि आये दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके इलाज में सुविधा रहेगी और इसके अन्तर्गत जो दूसरी कोई सुविधा है डाक्टर्स की, वह भी उपलब्ध हो पाएगी।

सभापति महोदय, हमारे देवगढ़ में आपने लास्ट टाइम रेडियोग्राफर के पद के लिए बोला था, आपने एक्स-रे मशीन तो दे दी लेकिन रेडियोग्राफर नहीं होने की वजह से वह भी 2 साल से धूल चाट रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा निवेदन है कि तत्काल रेडियोग्राफर का भी आप अपाइंटमेंट करें ताकि वहां यह काम सुचारु रूप से चल सके और जनता को फायदा हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर की सीवरेज व सफाई व्यवस्था

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। जोधपुर नगर जो कि अब महानगर हो चुका है, वह आज महा नरक हो गया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने थोड़े दिन पहले पत्रकार वार्ता में कही कि जोधपुर की हालत सफाई के लिहाज से बहुत खराब हो गयी है। उन्होंने खुद कई जगह दौरा किया और अधिकारियों को कहा कि ये कचरे के ढेर क्यों लग रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी स्वयं का गृह जिला है, उनका शहर है जहां से वह विधायक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी नगर निगम की जो बजट की बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस के नामजद पार्षद हाजिम जोधपुरी ने टेबल पर मुर्गा बनकर यह कहा कि यह निगम कोई काम नहीं करता है, नाकारा हो गया है। जो बात कहते हैं उसको किया नहीं जा रहा है। यह ऐसी दुर्घटना घटी है जो लोकतंत्र के इतिहास में, जोधपुर नगर निगम के इतिहास में कालिख पोत गयी है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, अखबारों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से मालूम पड़ता है कि सारा रुपया जोधपुर में जा रहा है और यह माननीय सदस्य दूसरी बात कह रहे हैं, तो यह रुपया बीच में खा कौन रहा है? इसको बताया तो जाए कि इसमें है क्या? (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): जोधपुर में कचरों का ढेर और नालों की सफाई को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने समय सीमा पर पाबंद किया है। झूठे एफीडेविट दिये जा रहे हैं, समय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं सुधरी है। 30 नालों में से सिर्फ 12 नालों की सफाई हुई है जिनमें 15 हजार टन कचरा स्वीकार किया गया है। बाकी 18 नालों की अभी सफाई होनी है। इतना कचरा जोधपुर में इकट्ठा हो गया है, सारे नाले डटे हुए हैं और भूजल का स्तर बढ़ रहा है एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि जोधपुर में भूजल की समस्या के कारणों में नालों का डटना भी एक बड़ा कारण है।

(कैलाश चन्द भंसाली)

सीवर लाइनों को बदलने के काम के बारे में सरकार बार-बार कह रही है कि निगम ने प्रस्ताव भेजा है 364 करोड़ का कि जोधपुर की सड़ी-गली, पुरानी लाइनों को बदलने के लिए आवश्यक है कि इतना नया बजट दिया जाए। सारी पुरानी सीवर लाइनों को बदला जाए ताकि सफाई की समुचित व्यवस्था हो सके। नालों की सफाई का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में सुबह 7 बजे अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो वहां 22 पोइण्ट ऐसे हैं जहां पर सीवरेज का गंदा पानी बहता है। महिलाएं मंदिर जाती हैं, मैं भी सत्संग भवन से निकलता हूं तो लोग कहते हैं, आपके राज में। अब उन्हें मालूम नहीं कि राज किसका है, परन्तु लोकतंत्र में जनता को यह बात करने का अधिकार है। उसकी अनदेखी हो रही है, शहर की सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। सफाई अभियान के तहत जितने नालों की सफाई की गई, उनमें ज्यादातर पोलीथिन बैग्स से डटे हुए नाले थे। हजारों टन कचरा निकाला गया है और वह सारा रिसाव हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 364 करोड़ रुपए के बजट का शीघ्रातिशीघ्र प्रावधान किया जाए ताकि जोधपुर की सड़ी-गली, पुरानी सीवर लाइनें ठीक हो सकें। वहां पर यांत्रिक सिस्टम लागू किया जाए। मैंने बैंग्लौर और सूरत में यह सिस्टम देखा है कि किस तरह से यांत्रिक पद्धति से रात्रि में सफाई होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया था कि सफाई कर्मचारियों की कमी है, उस कमी के कारण तथा अकर्मण्यता के कारण सफाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि लाइनें बदलने का बजट दिया जाए और रात्रिकालीन यांत्रिक सफाई की सेवा जयपुर और जोधपुर में प्रारम्भ की जाए। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने सुना है कि सीवर लाइनें वहां चोक हो गई हैं, पानी सड़कों पर बह रहा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों के बाद भी काम नहीं हो रहा है। माननीय मंत्रीजी, आपको इस पर कुछ न कुछ कहना चाहिए, जोधपुर की यह हालत है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की कर्म स्थली और जन्म स्थली है।

श्री सभापति: कृपया उनको बोलने दें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वह बोल रहे हैं, उस पर मंत्रीजी को बोलना चाहिए। जोधपुर की यह हालत है और हमको सुनना पड़ता है। जोधपुर की यह हालत है, वहां कचरे के ढेर पड़े हैं और आप आकर देखते नहीं हो।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय धारीवाल साहब वहां कुछ दिन पहले पधारे थे। उनको भी यह सब हालत बताए गए थे, विशेषकर सूरसागर और जोधपुर शहर का जो भीतरी भाग है उसमें जिस तरीके की सफाई की व्यवस्था है, उससे आम आदमी नाखुश है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में जो नाम का कार्यक्रम चलाया गया था 15 दिन तक उसमें सिर्फ 150 टन कचरा इकट्ठा किया गया, जो डम्पिंग स्टेशन हैं उनको कम किया जाए, उनकी सफाई समय पर हो, कचरा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

सीकर जिले की जर्जर सड़कें

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सीकर जिले की जर्जर सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार के मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि बरसात के बाद दीपावली तक सारी सड़कों का पैच वर्क करवा देंगे। लेकिन आप ग्रामीण सड़कों की बात तो छोड़िए, नेशनल हाइ-वे नम्बर-11 जो जयपुर से चलकर सीकर जाता है, उस पर साधारण आदमी की बात तो छोड़िए यदि कोई गर्भवती महिला डी आई जीप में बैठकर प्रसव के लिए अस्पताल जाती है तो उस सड़क पर एक-एक फीट गहरे इतने खड्डे हैं कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसका प्रसव उस जीप में हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाइवे नम्बर-11 पर गोकुलपुरा से सीकर घुसने तक सड़क कोई बहुत ज्यादा बढ़िया वाली बना ली तो भी स्थिति यह है ...(व्यवधान) आपके दर्द हो रहा है तो कह दो, वर्ना सुन लो।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य सड़क नेशनल हाइवे नम्बर-11 पर सीकर से निकल कर बीकानेर जाते हैं तो सीकर से निकलने के बाद बढ़ाढर तक 1-1 फीट गहरे खड्डे हैं, उसकी दोनों साइडें टूट गई हैं। आज हम यदि मुख्य धार्मिक स्थलों को जाने वाली सड़कों की बात करें तो सीकर से सालासर जाने वाली सड़क पर मैं समझता हूं कि हर सात दिन में बड़े अधिकारी भी जाते हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि उस सड़क की भी दोनों साइडें टूट गई हैं और एक-एक फीट गहरे खड्डे हो गये हैं। नरेगा योजना में खड्डे

(श्री पेमाराम)

खोद दिये जिससे आए रोज वहां दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं का कोई जिम्मेदार है तो वे राजस्थान सरकार की गलत नीतियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद की सड़कों की हालत बताना चाहता हूं। सीकर से धोद जाने वाली सड़क नम्बर 37-बी, जो राज्य मार्ग है, 3 मीटर चौड़ी थी, वह टूटते-टूटते 1 मीटर भी नहीं बची है। सैकड़ों गांवों का आवागमन इस सड़क के द्वारा होता है। नरेगा योजना में दोनों साइडों में खड्डे खुदवा दिए गए हैं, जीप से या बस से सफर करें तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। यदि कोई पैदल सवारी भी आती है और साइकिल वाला सामने मिल जाता है तो खड्डे में पैर डालकर टलना पड़ता है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सीकर से खूड और खूड से लोसल जाने वाली सड़क पर चलना, उस पर से यह मंत्री महोदय भी गुजरते हैं, उन्होंने देखा है। मैं अभी मेरी बात रख रहा हूं, न मुझे कोई पी डब्ल्यू डी का अधिकारी यहां बैठा दिखता है और न पी डब्ल्यू डी के मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। कोई धणी-धोरी नहीं है उन सड़कों का। हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया, यह अभी जोरों से चर्चा चल रही थी, माननीय सभापति महोदय, हर ग्राम पंचायत में जहां प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया, गांवों के सौ-सौ लोगों ने सबसे पहले अपने गांव की सड़कों की हालत के बारे में ज्ञापन दिया, उन ज्ञापनों को रिसीट करवाया। उन ज्ञापनों की कापी मैं साथ लेकर आया हूं, यदि आप आदेश दें तो मैं टेबल कर दूंगा। (व्यवधान) उसके बावजूद प्रशासन गांवों के संग अभियान का नाटक करने वाली राजस्थान की सरकार ने एक भी सड़क का नवीनीकरण करवाना तो बाद की बात है, एक भी सड़क का पैच भी भरवा दिया हो तो आप मुझे बताएं। मैं इनके अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और यहां तक कि इनके मुख्य अभियंता तक से भी जाकर मिला, तो मुख्य अभियंता का कहना था कि राजस्थान की सरकार के पास सड़कों के लिए पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना है कि जिस सरकार के पास सड़कों के लिए पैसा नहीं है, या तो वह सड़कों को ठीक करवाए अन्यथा उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर की सड़कों को ठीक करवाने के लिए पैसा है, शहरों को बढ़िया बनाने के लिए पैसा है लेकिन गांवों के लिए पैसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारे सीकर शहर में सीवरेज के नाम

(श्री पेमाराम)

पर सारी की सारी सड़कों को तोड़ दिया गया। वहां व्यापारी ही नहीं, शहरवासी ही नहीं, ग्रामीण इलाके के लोग भी जब शहर में आते हैं तो धुंआ तो है ही है, मिट्टी उड़-उड़ कर दुकानों में जाती है। उस मिट्टी का परिणाम यह आता है कि शाम के टाइम तक हर व्यापारी को 50 ग्राम मिट्टी राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार फ्री में खिला रही है। सड़कों को ठीक कराने का काम कुछ भी नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके में जो सड़कें हैं, चाहे सीकर से धोद की सड़क हो, चाहे लोसल से ज्याना जाने वाली सड़क, हालत यह है, सभापति महोदय, काली कांकरियां उखड़ गईं। इनके अधिकारी कोई दौरा नहीं करते। लोसल से भीमा जाने वाली सड़क, वहां काली कांकरी भी नहीं है, सारी की सारी उखड़ गई। यह मंत्री महोदय बैठे हैं, कोई आओ, मौका देखो, राजस्थान सरकार के संवेदनशीलता का दम भरने वालों, आओ मेरे साथ चलकर देखो ......(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मंत्री महोदय कहां हैं, उनको बुलाइये। सभापति महोदय, मंत्री महोदय कहां हैं? (व्यवधान) पूरे राजस्थान की सड़कों का हाल है। (व्यवधान) सभापति महोदय की कांस्टीट्युएंसी में खुद के सड़कों का यह हाल है, ये क्या निर्देश देंगे? (व्यवधान) सड़कें खराब हैं चित्तौड़ में। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, हमारे सीकर से निकल कर दांतारामगढ़ जो सड़क जाती है, दांतारामगढ़ जाने वाली सड़क राज्यमार्ग है, सभापति महोदय, वह सड़क टूटते-टूटते उसकी काली कांकरियां उखड़ गईं। मुख्य मंत्री का वादा था कि दीपावली तक सारे पैच भर दिये जाएंगे, सीकर जिले में सड़कों की यह हालत बनाकर रख दी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप करो।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, सम-अप तो राज के घर का ही है, मैं तो जनता की फरियाद लेकर आया हूं कि जनता की फरियाद सरकार सुने। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): पैच नहीं भरे हैं ......(व्यवधान) पैच नहीं भरे आपने, पैच भरने का काम भी आपने ठीक से किया नहीं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर से जयपुर हाइवे को देख लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पूरे गड्ढे पड़े हैं।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, एक ही मिनट में।

श्री सभापति: हो गया आपका। आ गया आपका सारा, सब कुछ आ गया। सड़कों के बारे में आपने बोला सब कुछ।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, एक ही सैकिण्ड में।

श्री सभापति: आपने अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोला, सीकर के बारे में बोला। (व्यवधान) अब आप सम-अप करो। (व्यवधान) आ गया सभी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैंने सीकर जिले की नेशनल हाइवे नं. 11, राज्य मार्ग, एमडीआर, ग्रामीण सड़कें ......(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्री पेमाराम (धोद): मुझे बता दो एक भी सड़क ठीक हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सारी सड़कों के लिए बोल गये, अब आप विराजो। (व्यवधान) अब आप विराजो......(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि सीकर जिले में और मेरे धोद विधान सभा क्षेत्र में जो टूटी हुई सड़कें हैं (व्यवधान) या तो केन्द्रीय सड़क निधि से या राज्य सड़क निधि से उन्हें ठीक करवाने का काम करें। मुझे आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद। (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री सभापति: नियम 295 के तहत निम्नांकित सदस्यों को अनुमति होगी। श्री अजय सिंह।

डेगाना में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। डेगाना उपखण्ड एवं

(श्री अजय सिंह)

तहसील मुख्यालय है तथा यह जयपुर-जोधपुर एवं रेवाड़ी-दिल्ली रूट का एक अति महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय जैसे उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सालय, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भेड़ व ऊन विभाग, कृषि उपज मण्डी, पशु चिकित्सालय, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सहकारी बैंकों के कार्यालय हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में कस्बे में 4 राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक, 5 माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा के नोडल क्षेत्र में 15 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 49 माध्यमिक विद्यालय हैं। कस्बे में उपरोक्त सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले उच्च कक्षाओं के छात्रों की संख्या लगभग 5000 है।

डेगाना कस्बा कई नजदीक ग्रामों का एक मात्र शहर है तथा यहां से आसपास के गांवों से प्रति दिन लगभग 250 प्राइवेट बसों का आवागमन होता है। लेकिन डेगाना विधान सभा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, डेगाना उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से गरीब किसान एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है।

महोदय, यदि डेगाना में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कर दिया जाए तो 60-70 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी गांवों एवं ढाणियों के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ति का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से पिछड़े इस क्षेत्र के गरीब किसान परिवार के युवा बालक-बालिकाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास होगा।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि इस उचित मांग को पूरा कर डेगाना की जनता के साथ न्याय करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कर्नल सोनाराम।

बायतू क्षेत्र में कोयला परिवहन से हो रही परेशानी

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं मुख्य मंत्री का ध्यान बनिया सांडा धोरा

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

रेलवे स्टेशन जो मेरे विधान सभा क्षेत्र बायतू में आता है, से भादरेश पावर प्लांट तक कोयला परिवहन से आम जन को होने वाली परेशानी एवं टेंडर में अनियमितताओं के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

बाड़मेर जिले में भादरेश पावर प्लांट हेतु कोयला उपलब्ध करवाने का कार्य पहले उतरलाई रेलवे स्टेशन से किया जाता था। अनियमितताओं एवं प्रदूषण के चलते ग्रामीणों एवं एयरफोर्स प्रशासन के एतराज पर उक्त कार्य वर्तमान में बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन से किया जाने लगा है। लेकिन जिन सुविधाओं एवं शर्तों के साथ कार्य प्रारम्भ किया गया था, उनकी पालना संबंधित कम्पनी द्वारा नहीं की जा रही है। जैसा कि मेरी जानकारी में लाया गया है, कोयला परिवहन का ठेका किसी उच्च राजनैतिक पहुंच वाले रखूसदार लोगों का है इसलिए ट्रकों में जो माल लोड किया जा रहा है, वो निर्धारित मानदण्डों से अधिक किया जा रहा है एवं ज्यादा चक्कर लगाने के लिए ड्राइवरों को अतिरिक्त राशि का प्रलोभन देकर वाहनों को अंधाधुंध गति से चलाया जा रहा है। अधिक माल लोडिंग एवं वाहन की गति के तेज होने के कारण कोयला बनिया सांडा धोरा से भादरेश पावर प्लांट तक बिखरता एवं उड़ता रहता है, जिससे सड़क पर चलने वाले पैदल यात्रिकों, दुपहिया वाहनों एवं अन्य यात्री वाहनों का इस सड़क पर गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। प्रशासन, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा कोई रोकथाम भी नहीं की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों, जन प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई बार प्रशासन, परिवहन एवं पुलिस विभाग के ध्यान में यह प्रकरण लाया गया है लेकिन कम्पनी की हैसियत एवं राजनैतिक रखूसदार के साथ ही बाहुबली ठेकेदार होने के कारण आम आदमी तो क्या प्रशासन भी उनके विरूद्ध कार्यवाही करने में लाचार दिखाई दे रहा है।

नेशनल हाइवे नं. 112 भी ओवरलोडेड कोयला परिवहन वाले वाहनों की तेज गति एवं उनमें से गिरने वाले कोयले के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी मरम्मत आवश्यक है। कम्पनी द्वारा रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्य से प्रदूषण होने के कारण स्टेशन पर संचालित मिडिल स्कूल को अन्य जगह स्थापित किया गया है, वह विद्यालय भी टैंटों में चल रहा है। उसकी बिल्डिंग का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हो पाया है, बच्चे धूप एवं खुले आसमान में पढ़ने के लिए विवश हैं। कारपोरेट सोशियल रेस्पोंसिबिलिटी के तहत यह कार्य किया जाना चाहिए था।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

चूंकि समस्या कई मंत्रालयों से संबंधित है, अतः मैं आदरणीय मुख्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसमें आप व्यक्तिगत रूप से दखल करके जो मैंने अनियमितताएं एवं समस्याएं बताई हैं, उनकी जांच करवा कर संबंधित मंत्रालयों को कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: शिवजीराम मीणा।

जहाजपुर में ओलावृष्टि से तबाह फसल का मुआवजा

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अत्यन्त लोक महत्व का विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले दिनों 15 फरवरी, 2011 को भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील क्षेत्र की नगरपालिका जहाजपुर सहित 9 ग्राम पंचायतों कुराडिया, ईटून्दा, लुहारीकलां, सरसिया, रावतखेड़ा, पण्डेर, जामोली, बावड़ी एवं गांगीथला के करीब 40 गांवों में ओलावृष्टि होने से रबी की जीरा, सरसों, मसूर, जौ, तारामीरा, गेहूं इत्यादि फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में अधिकांशतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब काश्तकार पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन भी नहीं है। क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार अकाल एवं सूखे के कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही थी, फिर भी माह अक्टूबर-नवम्बर, 2010 में अच्छी वर्षा होने से काश्तकारों ने माली हालत खराब होने के बावजूद कर्जा लेकर महंगे खाद-बीज क्रय कर रबी की फसल बोई थी। ऐसी स्थिति में प्रकृति के प्रकोप से हुई ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों के चेहरों पर आई मुस्कराहट गायब हो गई है तथा राम के रूठने पर काश्तकार की निगाहें अब सरकार पर टिकी हुई हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में तत्काल सर्वे करवाया जाकर फसलों में हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा राशि स्वीकृत करवाकर काश्तकारों को शीघ्र राहत प्रदान कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जी।

बाड़मेर जिले में जिप्सम उद्योगों पर उत्पन्न संकट

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री मेवाराम जैन)

सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले में जिप्सम उद्योगों पर पड़ रही मार के सम्बन्ध में इस जन हित के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में वर्तमान में जिप्सम के करीब 100 लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं जिनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीबन 10000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। सभापति महोदय, इन लघु उद्योगों को पूर्व में लीज पर जिप्सम सप्लाई की जा रही थी तथा बाद में नाका लगाकर रायल्टी वसूलकर भी जिप्सम सप्लाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान में सरकार ने लीज भी खत्म कर दी एवं नाका द्वारा रायल्टी वसूलकर जो जिप्सम सप्लाई की जा रही थी, उसको भी बन्द कर दिया है।

सभापति महोदय, वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि बाड़मेर में जिप्सम उद्योग बन्द होने के कगार पर आ गये हैं जिसके कारण हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि सीमावर्ती एवं पिछड़े जिले बाड़मेर में इन बन्द हो रहे जिप्सम लघु उद्योगों को जिप्सम सप्लाई सुलभ कराकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दें ताकि इनसे जुडे हजारों मजदूरों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, सरकार इन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए या तो उद्यमियों को लीज आबंटन करे अथवा नाका लगाकर रायल्टी वसूलकर जिप्सम सप्लाई सुलभ कराए, अन्यथा हजारों मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर पश्चिम के गंगाशहर में गंदे पानी से उत्पन्न स्थिति

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषय की सूचना देना चाहता हूं।

महोदय, बीकानेर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के गंगाशहर में बीकानेर शहर के सूरसागर की तरह एक और बीकानेर के सूरसागर से भी कई गुणा सूरसागर बन रहा है। गंगाशहर के पुराने चान्दमल जी के पार्क में एक नया सूरसागर तैयार हो गया है। उक्त स्थान पर गंगाशहर के चारों तरफ से गंदा पानी चान्दमल जी पार्क में गरीब बस्तियों, हरिजन बस्तियों, मेघवाल व

(डा. गोपाल जोशी)

नायकों की बस्तियों में इकट्ठा हो रहा है। गंदा, संक्रमित, लोगों के घरों का डब्ल्यू.सी. व सभी तरह के रोग फैलाने वाला पानी, उपरोक्त सभी बस्तियों के इसके डूब में आ जाने से गरीब, हरिजन, मेघवाल, नायक आदि बस्तियों के लोगों को कहीं अन्य जाकर बसने को बाध्य होना पड़ रहा है। दूर-दूर से गंदा पानी जैसे चौधरी कालोनी, किसमी देसर, गंगाशहर, गोपेसर बस्ती से गंदा, सड़ाध मारता पानी आकर दूर-दूर तक सड़ांध मारता है। रोग ग्रसित पानी के इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने से लोगों का जीवन दूभर हो रखा है, जैसे पहले बीकानेर के जूनागढ़ के सामने वाले सूरसागर ने कर रखा था। लोगों को वहां से गुजरते समय नाक व मुंह पर कपड़ा लगाकर जाना पड़ता है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस नये पनपते रोगों के भण्डार से छुटकारा शीघ्रातिशीघ्र दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मंजू देवी।

जोधियासी (नागौर) उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

श्रीमती मंजू देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत जोधियासी (नागौर) में बालिका शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए रा.उ.प्रा.बा.वि. को रा.मा.बा.वि. में क्रमोन्नत करवाना चाहती हूं क्योंकि जोधियासी एक बड़ा कस्बा है और यहां पर प्रथम से 10वीं तक लगभग 500 छात्राएं अध्ययनरत हैं। स्थानीय भामाशाहों द्वारा बालिका विद्यालय पर लाखों रुपये खर्च किये जा चुके हैं जहां पर्याप्त कक्षा कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, कार्यालय कक्ष तथा पानी, शौचालय, मूत्रालय की सुविधा भी उपलब्ध है तथा पेयजल व विद्युत फिटिंग का कार्य पूर्ण रूप से किया हुआ है।

अतः माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार से मेरा सादर अनुरोध है कि बालिका शिक्षा के महत्व को देखते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, जोधियासी को राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय में क्रमोन्नत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

बालेसर व शेरगढ़ पंचायत समिति के 500 से अधिक आबादी की समूह ढाणियों का प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ाव

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ से प्राप्त व जिले की अन्य पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को जिला परिषद्, जोधपुर में अनुमोदन अनुसार 500 जनसंख्या की समूह (क्लस्टर) ढाणियों (हैबिटेशन) के भी प्रस्तावों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दिशा-निर्देश अनुसार 500 मीटर परिधि में आने वाली ढाणियां, ढाणियों (हैबिटेशन) के समूह को जोड़ना व डामर सड़क से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी वाली ढाणियों को डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। ऐसी ढाणियां एवं ढाणियों की जनसंख्या के समूह के प्रस्ताव पंचायत समिति शेरगढ़ व बालेसर में सर्वसम्मति से हाल ही में पारित किये गये व जिला परिषद, जोधपुर द्वारा भी अनुमोदन किये गये।

वर्तमान में 500 तक की जनसंख्या वाली ढाणियों (हैबिटेशन) को जोड़ा जा रहा है जिसमें पंचायत समिति शेरगढ़ के ग्राम पंचायत भोमसागर में स्वामियों की ढाणी-300, रूगभारती की ढाणी-150 एवं हमीर एवं माइगरों की ढाणी-175 इस समूह की कुल जनसंख्या 625, ग्राम पंचायत खिरजा खास में गांव तलिया सोढ़ा जोरजी की ढाणी-270, सोढ़ा पंवार की ढाणी-40, रावोले और सोढ़ा की ढाणी-40, भदराड़ मेघवाल-80, सांवतसिंह की ढाणी-40, गांव में बस स्टैण्ड-100, खिरजा खास-277 इस समूह की कुल जनसंख्या 877, ग्राम पंचायत सुवालिया में मेघवाल पालकियों की ढाणी-400, शेराणियों की ढाणी-200 इस समूह की कुल जनसंख्या 600 बनती है। इसी प्रकार पंचायत समिति बालेसर की 05 सड़कों के लिए समूह (क्लस्टर) ग्राम आगोलाई में जाखड़ों की ढाणी-320 + मेघवालों की ढाणी-240, इस समूह की कुल जनसंख्या 570, ग्राम सेखाला में धोकलसर-385 + जसोड़ों की ढाणी-170 इस समूह की जनसंख्या-555, ग्राम खुडियाला में चारणों की ढाणी-420 + जाटों की ढाणी-120 इस समूह की जनसंख्या 540, ग्राम बेलवा राणाजी में मडोटो की ढाणी-402 + राजावतों की ढाणी-119 इस समूह की जनसंख्या 521, ग्राम बारनाऊ में पंडितों का बास-311 + बहादुर सिंह वालों की ढाणी-200 इस समूह की कुल जनसंख्या 511 का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

तहसील शेरगढ़ में बनी डामर सड़कों से 500 मीटर परिधि में ऐसी कई ढाणियां हैं जो नहीं आती हैं व सम्पर्क सड़क या मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर दूरी से अधिक दूरी पर ढाणियां हैं। ऐसे ढाणियों की जनसंख्या 500 से अधिक है व मुख्य सड़क एवं सम्पर्क सड़क से 500 मीटर परिधि से दूर हैं, ऐसी सड़कों को भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शामिल करावें।

पंचायत समिति शेरगढ़ में भाण्डू चारणान 1474, देचू 1465, देवराजगढ़ 928, गड़ा 866, गुमानपुरा 759, भूंगरा 674, सोहनगढ़ 614, शिवपुरा 477 + गोदारो मालियों की ढाणी 70 इस समूह की जनसंख्या 547, खिरजा भोजा-451 + गेघवालों की ढाणी-70 इस समूह की जनसंख्या 521, भाण्डू जाटी 425 + मनगोनियों की ढाणी 75, इस समूह की जनसंख्या 500, गुमानसिंहपुरा-425 + सालेचों की ढाणी-75, इस समूह की जनसंख्या 500, इसी प्रकार पंचायत समिति बालेसर में देवातु 1965, कुई जोधा 1157, गोदेलाई 701, सुखमण्डला 686, गोपालसर 630, केतु मदां 516, बस्तवा 507, बिराई 1218, लोड़ता अचलावता-453 + भादू विश्नोइयों की ढाणी-130 इस समूह की जनसंख्या 583, अमृतनगर-427 + कडेलों की ढाणी-102 इस समूह की जनसंख्या 529 बनती है। विभाग द्वारा उक्त सभी ढाणियों (हैबिटेशन) की जनसंख्या को मुख्य व सम्पर्क सड़क पर बताया गया है जबकि इन सभी ढाणियों की जनसंख्या मुख्य सड़क से 500 मीटर परिधि से अधिक दूरी पर है।

अतः जोधपुर जिले की पंचायत समिति बालेसर व शेरगढ़ से पारित प्रस्तावों में राष्ट्रीय पेयजल सर्वे, 2003 में चयनित 500 जनसंख्या की समूह (क्लस्टर) ढाणियों (हैबिटेशन) को सम्पर्क सड़क से 500 मीटर से अधिक की परिधि वाली ढाणियों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डामर सड़क की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसा राम कोली।

बयाना विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र बयाना में सड़कों की हालत बदतर एवं जर्जर होती चली जा रही है। नव सड़क निर्माण करना तो

(श्री ग्यारसा राम कोली)

दूर, पैचवर्क इत्यादि भी कार्य नहीं किया जा रहा है। भरतपुर से बयाना, बयाना से रूदावल, जोतरोली, जटमासी, रूपवास, रूदावल से बोकोली मोड़, बयाना से हिण्डौन, रूपवास से धौलपुर, बयाना से छोकरवाड़ा इत्यादि-इत्यादि सड़कों में गहरे-गहरे गड्ढे पड़ गये हैं जिससे वाहन टूट रहे हैं, दुर्घटनाएं आये दिन होती रहती हैं किन्तु स्थानीय अधिकारी बेखबर हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि ठेकेदारों की देनदारियां 61 करोड़ रुपये बकाया है और सरकार उनके लिए पैसा ही नहीं दे रही है, फिर बेचारे अधिकारी क्या करें। और ये अधिकारी निरुत्तर हो जाते हैं। सड़कें जो रिकार्ड में बनी हैं, आम रास्तों से भी, कच्चे से भी बुरी हालत में हो गई हैं। अतः, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सड़कों के बारे में जो आम जनता की समस्या है, इसका अविलम्ब समाधान करें। कम से कम नई नहीं बना सकते हैं तो उनके पैचवर्क तो करवा दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

ओमप्रकाश हल्देनिया श्री, बीईईओ का पदस्थापन कर वेतन की स्वीकृति

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के तहत लोक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित कर निवेदन कर रही हूं कि सरकार ने और शिक्षा मंत्रीजी ने बी.ई.ई.ओ. ओमप्रकाश हल्देनिया को परेशान करने की नीयत से दिनांक 14.6.2010 को आदेश जारी कर बी.ई.ई.ओ. नगर से ए.पी.ओ. कर दिया गया है और इनको माह जुलाई, 2010 से अब तक भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। यह पद आज तक भी खाली है। इस संबंध में जिला प्रभारी मंत्री ने भी दिनांक 15.7.2010 को इनका कार्य संतोषप्रद होने की शिक्षा मंत्रीजी को अनुशंसा कर दी। इसके बावजूद भी सरकार ए.पी.ओ. के आदेश को निरस्त नहीं कर रही है, न उनको तनख्वाह दी। जिसके बहुत कारण खोजने पर निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि आपकी जन्म तिथि गलत अंकित की गई है, जिसके संशोधन हेतु उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र 1990 में ही दे दिया था जो फाइल में आज तक भी मौजूद है और 21 वर्ष बाद भी इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया। इनकी जन्म तिथि 10.8.1955 है जबकि पदोन्नति आदेश में दिनांक 10.6.1955 अंकित हो गई। इस एक लिपिकीय त्रुटि, जिसका 21 साल बाद कोई औचित्य नहीं बनता

(श्रीमती अनीता सिंह)

है। जन्म तिथि के कारण रिव्यू डी.पी.सी. भी होती है तो भी ये बी.ई.ई.ओ. के पद पर पदस्थापन योग्य पाये जाते हैं।

अतः इस नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करती हूं कि श्री ओमप्रकाश हल्देनिया के ए.पी.ओ. आदेश को निरस्त कर उन्हें बी.ई.ई.ओ. नगर के पद पर पदस्थापित करें और उनको वेतन दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2011 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय फुलेरा एवं क्षेत्र के अनेक ग्रामों में हुई भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि एकदम से अचानक सड़कें बर्फ के मोटे-मोटे ओलों से भर गईं, घरों की छतों पर सफेद चादर बिछ गई और किसानों के खेतों में खड़ी फसल ओलों की मार से नीचे गिर गई जिससे किसानों को भारी नुकसान एकदम से हो गया है।

एक तरफ जहां राम किसानों से रूठा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राज भी काश्तकारों की दयनीय स्थिति पर आंख मूंदकर चुप बैठा हुआ है। अभी तक सरकार की ओर से जानकारी मिलने के बावजूद कोई राहत की घोषणा नहीं की गई है जो कि एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति ही कही जा सकती है। जो सरकार किसान हितैषी होने का रोज दम भरती है, उसके राज में किसान इस तरह से प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के नरैना, फुलेरा, तेजा का बास, खण्डेल, मंडा भीमसिंह, सिणोदिया, भैंसलाना, नांदरी, मलिकपुरा, लूणियावास, बधाल एवं अन्य अनेक ग्रामों में ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

मेरी राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि किसानों की फसल के नुकसान का तुरन्त आकलन करवाया जाकर उनको राहत एवं मुआवजा दिलाने की व्यवस्था आज ही कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर (अनुपस्थित) श्री हनुमान बेनीवाल।

आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना के जरिये एन.आर.एच.एम. के तहत आयुष चिकित्सकों की भर्ती के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में एन.आर.एच.एम. के तहत राज्य में 1,034 आयुष चिकित्सकों की भर्तियां कीं जिसकी सभी ने प्रशंसा की एवं उन चिकित्सकों की सेवाओं से राज्य सरकार व जनता संतुष्ट थे।

उपरोक्त चिकित्सकों के कारण वर्ष 2009-10 में केन्द्र सरकार ने एन.आर.एच.एम. में राज्य सरकार को 18 राज्यों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था।

कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगभग 636 पी.एच.सी./सी.एच.सी. पर आयुष चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं, उन पर आज तक भर्तियां नहीं की हैं जबकि सरकार हर साल लाखों पदों पर नियुक्तियों के आश्वासन देती है।

उपरोक्त पदों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर स्पष्ट बजट आबंटन भी किया गया है जिसके बाद भी इनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं एवं बजट को अन्य मदों में खर्च कर बजट की कमी के कारण नियुक्तियां नहीं होना बताया जा रहा है।

इन पदों पर भर्ती हेतु इन बेरोजगार आयुष चिकित्सकों ने 18.10.2010 से यहां जयपुर के अन्दर धरना भी दे रखा है जिसे आज लगभग 125 दिन हो गये हैं परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

बेरोजगार आयुष चिकित्सकों के दल द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं चिकित्सा मंत्रीजी से बीसों बार सम्पर्क करने पर बजट की कमी बताई गई जबकि केन्द्र सरकार में संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करने पर बताया गया कि बजट की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार भर्ती प्रस्ताव ही नहीं भिजवा रही है।

इन बेरोजगारों ने जयपुर में दो रैलियां निकालीं एवं सरकार को चेताया भी, परन्तु किसी मंत्री, अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आज भी राज्य में एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेदिक इलाज को गांवों में प्राथमिकता दी जा रही है। इस वर्ष की स्वास्थ्य चेतना यात्रा में 28.55 लाख मरीजों में से 11.37 लाख मरीजों ने आयुर्वेद/यूनानी पैथी से इलाज कराया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस पैथी की महत्ता भी एलोपैथी के समकक्ष ही है परन्तु राज्य सरकार इसको दबा रही है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये सरकार से निवेदन है कि इन आन्दोलनरत बेरोजगार आयुष चिकित्सकों की उचित सुनवाई कर यथाशीघ्र एन.आर.एच.एम. के तहत इनकी नियुक्तियां कराएं।

सभापति महोदय, आजकल यह अवधारणा बन गई है कि रसोईघर के अन्दर काम करने वाले लोग उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। सरकार को निर्देश दें कि रसोईघरों में भी संविदा के आधार पर नियुक्तियां निकाले और चौका-चूल्हा करने वाले लोगों के लिए, जूठे बर्तन मांजने वाले लोगों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्तियां निकाले ताकि इनका भी भविष्य सुरक्षित हो।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। जिन माननीय सदस्यों को पर्ची पर बोलने की अनुमति होगी, उनमें हैं श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कल रणवीरजी का मामला आया था, वह क्या हुआ? अभी बताओ न, इसका जवाब तो दो।

श्री सभापति: अभी इसके बाद दिला दिया जाएगा। मैंने नाम पुकार दिया है, इसके बाद ले लेंगे। इसके बाद ले लेंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसको पहले ले लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय,...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजेन्द्रजी खुश हैं, ये दो मिनट बाद बोल लेंगे। राजेन्द्र जी बोलते हैं तो दोनों तरफ घूमते हैं।

श्री सभापति: मैंने सदस्य का नाम पुकार लिया है। मैं बुलवा लूंगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तैयार हैं, साहब, वह तैयार हैं।

श्री सभापति: मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह तैयार हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): साहब, यह बड़ा मामला है, छोटे मामले की तरफ ध्यान दो। यह तो बड़ा फिक्सिंग का मामला है। यह मामला फिक्सिंग का है। इधर देखो।

श्री सभापति: आप विराजिये। बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई बात नहीं।

शासकीय वक्तव्य

रणवीर पहलवान, विधायक को पुलिस द्वारा फरार घोषित किये जाने का प्रकरण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, माननीय विधायक रणवीर सिंहजी के विरुद्ध एक अभियोग 328/94 धारा 147, 307 और 452 का विधायकपुरी थाने में पंजीकृत किया गया था। पुलिस अनुसंधान में रणवीर सिंहजी के विरुद्ध अपराध 452 आई.पी.सी. का प्रमाणित पाया गया है लेकिन उन्होंने कई तलाश करने पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट, एक बार जवाब आ जाने दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कई तलाशी के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। तलाश के पश्चात् भी अभियुक्त की जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने 299 सी.आर.पी.सी. में चार्जशीट पेश करने के लिए 31.12.1994 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु चार्जशीट की। ये आदेश दे दिये थे। 31.12.94 को चार्जशीट पेश करने के लिए 299 सीआरपीसी में तत्कालीन एसपी के द्वारा आदेश दे दिये गये थे। थाने के रिकार्ड के अनुसार...(व्यवधान) मेरी सुनिये एक बार। थाने के रिकार्ड के अनुसार पत्रावली मंसूर अली जो उस वक्त एक निरीक्षक था, तत्कालीन निरीक्षक, जयपुर शहर को भिजवाई गई थी, 31.3.95 को, लेकिन आज दिनांक तक वह पत्रावली थाने पर प्राप्त नहीं हो पाई, वह पत्रावली आज भी गायब है। एक बात। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, विराजो। माननीय सदस्य, विराजो, सुनिये। (व्यवधान) आप विराजो तो सही आगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं आ रहा हूं, उसी बात पर आ रहा हूं, आप बैठिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सीधी बताओ न, मेरे खिलाफ वारंट है कि नहीं है? मैं फरार हूं कि नहीं हूं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप विराजो तो सही। मैं आ रहा हूं न उसी बात पर। पर आप बैठिये तो सही, मैं आ तो रहा हूं। मुझे बोलने तो दीजिये, उसके बाद में आप जो पूछेंगे, बताऊंगा मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: पहले पूरा तो बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसमें कोई दो राय नहीं, जिस प्रकार की शिकायत कल माननीय विधायक महोदय ने यहां पर उठाई थी, कल 17.12.11 को, कि उनका नाम वांछित अपराधियों की सूची में वैबसाइट पर दे दिया गया है, यह बात सही है। लेकिन उनकी शायद जानकारी में यह नहीं आया होगा कि उन्होंने बात सदन में 17.2 को उठाई जबकि 16.2 को ही वैबसाइट से उनका नाम हटा दिया गया। एक बात।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 16.2 को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ठहरो आप, तसल्ली रखो। (व्यवधान) मोटी बात यह है कि इसमें निश्चित तौर पर पुलिस के थाने के स्तर पर गफलत हुई है। वांछित अपराधियों की सूची में नाम जब आता है जबकि उस व्यक्ति के खिलाफ 299 सीआरपीसी में चालान पेश हो जाए, चार्जशीट पेश हो जाए, तब आता है। लेकिन इनके खिलाफ आदेश तो हो गये थे एसपी के, लेकिन न तो चार्जशीट पेश हो पाई थी और न आगे की कोई कार्यवाही हो पाई थी क्योंकि पत्रावली गुम हो चुकी थी। तो मेरी स्पष्ट यह स्वीकृति है कि निश्चित तौर पर यह जो नाम वांछित अपराधियों की सूची में माननीय विधायक महोदय का आया है, वह गलत तरीके से आया है। लेकिन आज वह केस जेरकार है और जेरकार नहीं होता तो 17.12.10 को आपने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया होता कि मेरे खिलाफ जो केस है जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका, उस गिरफ्तारी वारंट को बेलेबल वारंट कर दिया जावे। यह आपके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप एक मिनट रुको तो मैं बोल लूं।

श्री सभापति: आप पहले सुन तो लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसका अर्थ यह है कि आपको इस बात की जानकारी थी कि आपके विरुद्ध एक प्रकरण अनुसंधानहीन है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, नम्बर एक- अख़बार में मेरे खिलाफ यह चीज छपी कि मैं फरार 17 वर्ष से हूं, मेरे खिलाफ वारंट है, जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि मेरे खिलाफ वारंट नहीं है, गलती नम्बर एक। नम्बर दो, मेरे घर दो पुलिस वाले करीब तीन महीने पहले आये, उन्होंने मेरे को बताया कि आपके खिलाफ वारंट है। तो मैं तो न्यायालय में जाऊंगा ही, मेरी गलती क्या है इसमें? न्यायालय में मैं गया और न्यायालय में पुलिस ने उत्तर दिया कि हमारे इसके खिलाफ न तो वारंट है और न हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। महोदय, बात यह नहीं, बात बहुत बड़ी है, माननीय गृह मंत्रीजी से मैं प्रार्थना करूंगा, इसकी जांच वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से करवाएं। सन 94 में एक एसएचओ ने रात को मेरे विरुद्ध....

श्री सभापति: बात हो गई न पूरी, पूरा बता दिया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बात हुई नहीं, साहब। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बात पूरी बताने दो न । (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गई न, वह कह रहे हैं, वैबसाइट से हटा दिया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आज मेरे पिताजी, मेरे बाप-दादा मुख्य मंत्री नहीं रहे कि सन 94 से आज तक मेरे को बचाते रहे। अब मैं पकड़ा क्यों नहीं, बात यह है। मंसूर अली के पास फाइल हो, गंगाराम के पास हो, रही तो पुलिस में है, मेरे घर तो रही नहीं, साहब, मैं पकड़ा क्यों नहीं? मेरे विरुद्ध रात को 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुबह पता चलते ही जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया उसको मैं माननीय तत्कालीन एसपी पुखराज सिरवी के पास लेकर हाजिर हुआ। उसने एसपी को कहा कि, साहब, एसएचओ ने रात को दारू पिलाकर मेरे खाली कागज पर दस्तखत करवाये थे और उन पर करके रणवीर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरे न तो यह घर आये, न कोई गोली चली, न कोई लेना, न देना। तत्कालीन एडिशनल एसपी (क्राइम) बादामजी बैरवा की उसी समय ड्यूटी लगाई गई और उनकी गाड़ी में मेरे को बैठाकर जो विनोद भाटी के घर में घुसना बताया, उसके घर गये। उसके घर वालों ने कहा कि न तो रणवीर आया और न गोली चली। मेरी तरफ से तो उसी दिन मुकदमा बंद कर दिया। उस टाइम के एसएचओ से एसपी साहब ने कहा क्योंकि एसएचओ साहब एसएचओ नहीं थे, वह भी मुख्य

(श्री रणवीर पहलवान)

मंत्रीजी के भतीजे थे और वह तो पावरफुल थे, एसपी ने उनको कहा कि इस तरह के घृणित कार्य नहीं करने चाहिए। आपको यह पता ही नहीं कि रणवीर कहां था और कहां नहीं था और मुकदमा दर्ज? यह जो मुकदमा दर्ज? करवाने वाला व्यक्ति है वह कह रहा है कि रणवीर मेरे घर में घुसा ही नहीं। यह बात होकर उस फाइल को दबा दिया गया है, क्या कर दिया गया है, मैं तो आ गया। मेरे तो चार महीने पहले पुलिस आई घर पर। मैं गया न्यायालय में, न्यायालय में उत्तर दिया कि मैं हूं ही नहीं। यह काम तो मेरे विरुद्ध कर रहे हैं, तो आम आदमी के विरूद्ध तो क्या करेंगे? 17 वर्ष से उस वैबसाइट पर मैं फरार दिखा रखा हूं। आज यह अख़बार में जब खबर आई है, दो सौ आदमी मेरे विधान सभा क्षेत्र से। सभापति महोदय, जन प्रतिनिधि के पास इज्जत प्राण से भी अधिक होती है, हमारी सब की इज्जत चली जाएगी तो उस एरिया में घुसने भी नहीं देंगे लोग। डाकू चुना है, अपराधी चुन दिया, क्या चुन दिया? यह सामान्य बात नहीं है, एक वैबसाइट पुलिस की। अपराध दो किस्म के हैं, विचारणीय और अविचारणीय। माननीय गृह मंत्री के बैग में कारतूस पाये, हो सकता है वह अविचारणीय अपराध था। लेकिन वैबसाइट पर मेरे, मेरा वैबसाइट पर भगोड़ा बताना विचारणीय अपराध है, यह अविचारणीय नहीं है। मैं मेरे घर से गाड़ी लेकर चला और पड़ोसी का बच्चा नीचे आ जाए, यह अविचारणीय अपराध है। पड़ोसी का बच्चा रोड के बीच में आ जाए और मैं गाड़ी तब लेकर चलूं और वह बीच में आ ले, यह विचारणीय अपराध है। यह विचारणीय अपराध किया है पुलिस ने और विचारणीय अपराध में सज़ा है। अगर मैं दोषी हूं और फरार हूं और किसी न्यायालय से मेरे विरुद्ध वारंट है तो मेरा यहीं पर इस्तीफा लिया जाए और मैं जेल में जाने को तैयार हूं। और नहीं तो इस श्रृंखला में जितने भी अधिकारी हैं, अविलम्ब निलम्बित किये जाएं और उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका रोजनामचा, उन्हीं की वैबसाइट, वे तो पूरे सदन को गायब बता देंगे। कल और कितना बड़ा अपराध कर देंगे। उनसे पूछा जाए। माननीय गृह मंत्रीजी, इस मुकदमे को आप व्यक्तिगत रूप से देखें। वह व्यक्ति भी जिंदा है, यह मुकदमा दर्ज जिसके नाम से कराया गया बताया है कि मैं उसके घर घुसा और मैंने गोली चलाई। वही व्यक्ति सुबह कह रहा है कि मेरे घर रणवीर नहीं आया। उसकी पत्नी, उसका बड़ा भाई, पूरा मोहल्ला। और वही व्यक्ति रात को कह रहा है कि रणवीर ने गोली चलाई और वही व्यक्ति सुबह कह रहा है कि एसएचओ ने मेरे को तो दारू-दुरू पिलाकर दस्तखत करवाये थे और मुकदमा दर्ज हो गया। सन 94 से आज तक, आप

(श्री रणवीर पहलवान)

कह रहे हैं कि मेरी बहुत तलाश की गई। किसी अपराध के उपरांत अपराधी की कितनी बार तलाश, कितने दिन बाद तलाश बंद कर दी जाती है? आज तक जारी ही होगी न तलाश? तब बहुत तलाश जारी की और मैं नहीं मिला तो मैं ...(व्यवधान) तभी तो पुलिस के सामने आता, उसी दिन गिरफ्तार करती न मेरे को वह। बहुत दिन तक मेरी तलाश की, मैं नहीं मिलने पर यह किया और वह किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप क्या चाह रहे हैं? आप यह बताइये, क्या चाह रहे हैं?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सज़ा-ए-मौत।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, इसमें आप सभापति हैं, मैं सदन का मैम्बर हूं, मैं यह चाहता हूं, मेरे....

श्री सभापति: आप तो गृह मंत्रीजी से मिल करके जिस अधिकारी से जांच करवाना चाहें, आप करवा लें वापस से।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): जांच की बात नहीं है, साहब।

श्री सभापति: वैबसाइट से आपका नाम हटा दिया ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, उसमें तो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नाम उसमें था ही नहीं। कोई नाम नहीं था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई मर्डर कर देगा और कल कह देगा, मैं माफी चाहता हूं, माफी मिल जाएगी? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले वैबसाइट पर नाम डाल दो और फिर हटा दो, यह कोई तरीका है? 17 वर्ष तक अगले का आप अपमान करो, उसकी मानहानि करो और आप कहते हैं कि हटा दिया, यह कैसा अंधेर राज है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, मेरा नाम हटाया गया है? मेरा नाम हटा दिया गया, बात यह नहीं, लिखा क्यों गया था, बात यह है। उसके अन्दर मेरा नाम क्यों डाला गया था? मेरे को इस सदन से परमिशन दी जाए मानहानि के लिए, मैं न्यायालय में वह करूंगा। और उनके विरूद्ध जो भी कार्यवाहियां हैं वह एक सदन के मैम्बर की इज्जत...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, यहीं कराओ। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बेइज्जती हुई है, उसके लिए आप जो भी दोषी अधिकारियों को बुलाकर यहां पर करें, गृह मंत्रीजी, इसका मेरे को आप बताओ। कल और किसी का डालेंगे, परसों तीसरे का डालेंगे, अपराधी है, भगोड़ा है। एमएलए ही भगोड़े हैं तो फिर लादेन और वीरप्पन, 2003, 04, 05, 06, रामस्वरूप और सुमेर सिंह नाम के दो कांस्टेबल मेरे गनमैन रहे। प्रभाकर ने लादेन को भी दे रखे हैं कि, साहब, वह भगोड़े हैं कि उनके भी गनमैन लगा दो। पुलिस मेरे को भगोड़ा बता रही है और वही गनमैन लगा रही है कि इसकी रक्षा करो। बात यह बहुत बड़ी है, साहब, बात छोटी-सी नहीं। दो सौ फोन तो मेरे विधान सभा क्षत्र से आ गये, क्या उत्तर दूं उनको? मैं भगोड़ा हूं, इस खबर को पढ़कर। आप खुद विधायक भी हैं, साहब, आपके क्षेत्र में यह बात फैलाऊं मैं कि आप डाकू, चोर और भगोड़े हैं तो क्या बीतेगी आपके साथ? आप खुद महसूस करें। वही चीज मेरे भी लागू होती है, वही गृह मंत्रीजी के भी लागू होती है, वही हम सब के होती है। (व्यवधान) हमारी दुकान में तो इज्जत के अलावा और क्या चीज है? मेरे पास तो इज्जत ही है जिसके कारण मैं निर्दलीय जीता हूं। और वह भी इस अख़बार में दो-चार बार और दे देंगे तो मैं तो खत्म काम। जो भी अधिकारियों ने जो दिया है उन अधिकारियों को दण्डित किया जाए, निलम्बित किया जाए। यह छोटी-मोटी बात नहीं है। कल गृह मंत्री को मर गया बता देंगे, परसों मुख्य मंत्रीजी को कर देंगे वैबसाइट पर। पूरा विश्व देख रहा है वैबसाइट पर। राजस्थान विधान सभा का...

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, कितना सुन्दर अख़बार के अन्दर लिखा है कि एक विधायक जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको सुरक्षा

(14.00 बजे)

दे रखी है। दो में से एक करो, अगर मैं अपराधी हूं तो यहां से गिरफ्तार करो मेरे को, मैं सदन से इस्तीफा देता हूं। और मैं नहीं हूं तो उनको पद से छुड़वाओ जल्दी, वे किस कारण से बैठे हुए हैं वहां पर? बात यह है। बात यह नहीं है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो तो सही आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): विराजने से पहले मैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब मैं व्यवस्था दूंगा न, मैं व्यवस्था दे रहा हूं आप विराजें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ...(व्यवधान) इस्तीफा दिलाएं इस बात पर। उनको तो कारतूस होते हुए छोड़ा जाता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजो तो सही। गृह मंत्रीजी, उच्च स्तर के अधिकारी से इस पूरे प्रकरण की आप जांच कराएं। जो आपने गफलत स्वीकार की है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): पूरे प्रकरण की मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, सभापति महोदय, वैबसाइट में इनका नाम डालना गलत था क्योंकि 299 सीआरपीसी में इनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात, अनुसंधान तो आज भी जारी है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अनुसंधान जारी है, 307 का मुलजिम हूं मैं उसमें और 17-17 वर्ष तक अनुसंधान हो, पुलिस वाले कर क्या रहे हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरी बात तो सुनो। सुनो तो सही, जवाब तो सुनो। मेरा आपने कहा न कि मैं बुलाकर इसकी जांच करा लूं या यह कर लूं, मेरा आपसे यह निवेदन है कि उनको तो मैं बुला लूंगा लेकिन पत्रावली लेकर आप तो आओ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरे पास पत्रावली...(व्यवधान) आप यह बताएं पत्रावली मेरे घर में है क्या? कमाल कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) इनके पास पत्रावली नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) पत्रावली उनके पास है क्या? कितनी शर्मनाक बात इन्होंने कह दी ...(व्यवधान) जो आरोप लगाये हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पत्रावली मुलजिम रखते हैं या पुलिस वाले रखते हैं, किसके पास है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, इससे ज्यादा कोई अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। एक गृह मंत्री ...(व्यवधान) वह फाइल लेकर आए...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) मामला सामने आया है ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यहां, गृह मंत्रीजी, कुछ सोच-समझकर बोला करो। पत्रावली आपके विभाग के पास होगी। जिसको आप मुलजिम मानते हो उसके पास पत्रावली नहीं है ...(व्यवधान) कुछ सोच-समझकर बोलो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो आप।

(माननीय सदस्य श्री रणवीर पहलवान द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह तो सदन में बैठे एक विधायक की हालत है, तो फिर ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या मन में जो आए वही बोल देते हो हर टाइम। पत्रावली किनके पास होती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): इन्होंने कैसे बोल दिया? आप मुलजिम हैं? जो मुलजिम होगा ...(व्यवधान) पत्रावली क्यों लेकर आएंगे? (व्यवधान).

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी, जब यह आरोप लगा रहे हो कि उनके पास पत्रावली है, वह लेकर आएं...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, मजाक बना रहे हैं सदन का। सदन का मजाक बना रखा है आपने, सदन के अन्दर सोच समझ कर बोलना चाहिए। पत्रावली गृह मंत्रीजी के विभाग के पास है न कि जिसको आप मुलजिम मानते हैं उसके पास ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): गृह मंत्रीजी की जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, कैसे बोल दिया इन्होंने ऐसे ही एक माननीय सदस्य के लिए?. (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, निवेदन तो आपसे ही करेंगे।

श्री सभापति: आप विराजो, सुनो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी ने जिस बचकाना तरीके से बयान दिया है, एक तो माननीय सदस्य की मानहानि हुई, खुद कह रहे हैं, गफलत में वैबसाइट पर नाम आ गया और फिर यह आरोप लगा रहे हैं कि पत्रावली माननीय सदस्य लेकर आएं। गृह मंत्रीजी, कभी तो गम्भीर हुआ करो कम से कम ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पत्रादि कहा है, पत्रावली नहीं माननीय सदस्य, पत्र आदि लेकर आएं। आप बात को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक तरफ यह कह रहे हो, क्या लेकर आएं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पत्र आदि कोई हो वह लेकर के आएं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ...(व्यवधान) आप तो समझदार हो, पुलिस के ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): यह, बेनीवालजी, कोई लव लैटर नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लव लैटर नहीं है, इन्होंने कहा, पत्रावली लेकर आएं। इनके पास है क्या? पुलिस वाले रखते हैं या मुलजिम को दे रखी है आपने? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह छोटी बात नहीं है, राज्य के गृह मंत्रीजी एक माननीय सदस्य को यह कह दें, इनके खिलाफ मुकदमा है उसकी पत्रावली इनके पास है। राज्य के गृह मंत्री यह कह दें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 17-17 साल किस अवस्था में गुजारे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गृह मंत्रीजी कारतूस लेकर चल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इस पर गृह मंत्रीजी से मेरे को इस चीज की व्यवस्था, मेरे आश्वासन दिलाओ कि वे अधिकारी सदन में आकर उत्तर दें जिन्होंने यह 17 वर्ष से वैबसाइट पर डालकर फरार दिखा रखा था। आज गृह मंत्रीजी स्पष्ट कह चुके कि उन्होंने गलती से डाला है। उनकी तो छोटी-सी गलती है और हमारी जिंदगी की इज्जत एक मिनट में ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उस अधिकारी को सस्पैण्ड किया जाए, गृह मंत्रीजी यह हद हो गई।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जांच किस बात की, जब पत्रावली ही इनके पास नहीं है, पत्रावली ही गायब है? गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, पत्रावली गायब ही है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब फाइल ही इनके पास है तो फिर आप मुकदमा दर्ज करो इस पर ...(व्यवधान) इनके पास फाइल ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी के विभाग की हालत यह है कि केस अभी जारी है और पत्रावली गायब है। और कि माननीय सदस्य फाइल को लेकर आएं। जब यह जांच कराएं तो मैं समझता हूं, इससे ज्यादा अफसोसजनक इनकी कार्य क्षमता ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): गृह मंत्रीजी यह कहें कि माननीय सदस्य फाइल लेकर आएं, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं। गृह मंत्रीजी को खड़े होकर सदन से माफी मांगनी चाहिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। एक माननीय सदस्य को वैबसाइट पर भगोड़ा घोषित करके उनकी इज्जत के साथ जो भट्टा लगाया है, और गृह मंत्रीजी यहां खड़े होकर उसी अंदाज में यह कहते हैं, वह फाइल लेकर आएं, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं सदन के सामने। गृह मंत्रीजी खड़े होकर माफी मांगें, इससे पहले कोई कार्यवाही

(श्री अमराराम)

नहीं होगी। और जिन अधिकारियों ने यह कार्यवाही की है, जो नहीं डालना चाहिए था, उस अधिकारी को तो पहले सस्पैण्ड करें और उसके बाद में माफी मांगें इस सदन से।

श्री सभापति: विराजें, विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है, एक माननीय सदस्य की बात नहीं है। जिस हल्केपन से राज्य के गृह मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि पत्रावली उनके पास है और वह पत्रावली लेकर आएं, इसका मतलब 17 साल पहले पत्रावली इन माननीय सदस्य के पास थी। किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है वह व्यक्ति, आप चेहरा देखो उस व्यक्ति की तरफ, इतना अपमान! और दूसरी तरफ, सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जिस तरह से हंस रहे हैं, गृह मंत्रीजी मुस्करा रहे हैं, यह तो एक तरह से इज्जत उछालने वाली बात हुई है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, अब चर्चा समाप्त।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं आप विराजो तो सही।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): गृह मंत्रीजी को बोलो, आपको जो पुलिस ने दिया है वह मनगढ़न्त है वह आपने जो दिया है। आपको पुलिस को जो लिखा हुआ दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पुलिस कोर्ट में ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सदस्य जिस दिन गृह मंत्री होंगे उस दिन क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक दिन रणवीर पहलवान गृह मंत्री होगा उस दिन क्या हालत होगी? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, एक आदमी थोड़ी गलती करता है उसको मंत्री पद गंवाना पड़ता है और एक आदमी ऐसा बचकाना बयान देता है उसके लिए कोई सज़ा नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यह कांग्रेस सरकार का यह क्या हाल है? एक आदमी कहता है पत्रावली और उधर से मुख्य सचेतक महोदय कहते हैं, पत्रादि मांगा है। एक मिनट में ही बदल जाते हैं। आप थोड़ी बहुत तो जबान पर लगाम लगाओ।

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) अरे, यह तो जले हुए कारतूस हैं, यह क्या जवाब देंगे?

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें। माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, वर्तमान में राजस्थान पुलिस द्वारा राज्यभर में वांछित अपराधियों की सूची को वैबसाइट पर अपलोड...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): दुनिया की सूची आपके पास में है, मेरी है क्या?

श्री सभापति: पूरी बात तो सुनो पहले आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट तो सुनो आप ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वर्तमान में पूरे राजस्थान में जितने भी अपराधी हैं, मेरी है क्या? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वही बात पर आ रहा हूं, मैं आपकी ही बात पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी है क्या आपके पास?

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी बात को दुनिया से जोड़कर क्या बता रहे हो? मेरा नाम है या नहीं, बस इतना-सा बता दो।

श्री सभापति: पहले विराजो तो सही, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वर्तमान में यह भारत में उग्रवादियों का सफाया करें, यह बम पकड़ेंगे तो उससे मेरा क्या लेना-देना है? दुनियाभर की कहानी से मेरा क्या लेना-देना है? मेरा नाम किसी न्यायालय ने मेरे जन्म से लेकर आज तक, किसी न्यायालय ने, मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे खिलाफ अगर वारण्ट जारी किया है तो मैं पद से इस्तीफा इस विधान सभा को देकर जेल जाने को तैयार हूं। अगर मेरे खिलाफ वारण्ट नहीं है तो उस अधिकारी को पद से मुक्त किया जाए और उसको दण्डित किया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उस प्रश्न को डायवर्ट मत करो।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप प्रश्न को डायवर्ट कर रहे हो। इन्होंने यह माना है वह अपराधी है तो जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों को पनिशमेंट दो ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अपराध दण्ड मांगता है...

श्री सभापति: आप सुनो तो सही, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो भी कोई गलती करे उसको दण्ड मिलना चाहिए। इनको बदनाम कर दिया पूरे हिन्दुस्तान में, यह कोई बात है क्या?

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान पुलिस के द्वारा वांछित अपराधियों की सूची वैबसाइट पर अपलोड करने का काम अभी जारी है और वर्तमान में यह कार्य काफी कुछ प्रोग्रेस पर है। वैबसाइट पर अपलोड ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, बाकी अपराधियों के साथ कुछ नहीं होगा ...(व्यवधान) लेकिन इन्होंने, माननीय सदस्य ने क्या कर दिया... (व्यवधान) अब क्या कर रही है पुलिस ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए।

श्री पेमाराम (धोद): ...(व्यवधान) यह बताइए कि इनका नाम डालने वाले अपराधी अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी पर आ रहा हूं न।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह फाइल इनके पास है या आपके पास है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): फाइल कहां है? यह अपराधी हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, बोल रहे हैं न गृह मंत्रीजी। गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वांछित अपराधियों को राजस्थान पुलिस वैबसाइट पर डाल रही है, मैं मना करता हूं क्या पुलिस को, मत डालो? मैं तो मेरी पूछ रहा हूं, मेरा क्यों डाला है? मेरे खिलाफ वारण्ट है क्या? वर्तमान में राजस्थान पुलिस वांछित अपराधियों के नाम वैबसाइट पर डाल रही है तो यहां का कोई मैंबर मना कर रहा है क्या कि उसको मत डालो? डालते रहो, पर मैं कह रहा हूं कि मेरा क्यों डाला गया है, 16-17 वर्ष से मैं फरार कहां हूं?

श्री सभापति: जवाब दे रहे हैं न।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उसका जवाब वांछित अपराधियों से कहां मांग रहा हूं, मैं तो मेरा मांग रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): केवल मैं फरार हूं या फरार नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोर्ट से वारंट है या नहीं है, बात इतनी है। अगर मैं फरार हूं और मेरे खिलाफ वारंट है तो मैं प्रेम के साथ कानून का सम्मान और गृह मंत्रीजी का सम्मान करता हुआ जेल जाने को तैयार हूं। पद से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर मेरा नाम नहीं है तो वो ही सज़ा उनको मिलनी चाहिए वो दामाद हैं क्या सरकार के? वो काम तो उनका भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: तो बोलने तो दीजिये न आप गृह मंत्रीजी को। आप बैठो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी, क्षमा मांग लो आप तो, मामला खतम कर दें। क्षमा मांग लो आप तो।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसी पर आ रहा हूं मैं। बैबसाइट पर अपलोड करने का काम जारी है। (व्यवधान) उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनिये। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। उनको बोलने तो दो आप। आप जवाब ही नहीं आने देना चाह रहे हो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: अब विराजो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, वर्तमान में बैबसाइट के ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वो बता रहे हैं न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): तथ्यों के सत्यापन का काम जारी है और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही आपका नाम निकाल दिया गया 16 तारीख को बैबसाइट से।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरा नाम लठ आया है तब निकला है, यों नहीं निकला। न्यायालय में गया और उस थानेदार को पता चला न कि अख़बार में आ गई और मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मैं तो एसपी को अभी लिख कर दे आया और एसपी नाम काटेगा। ये एसएचओ ने कही कि मैं नाम नहीं काटता। परंतु मैं कह रहा हूं कि डला क्यों था वो बोला कि मुर्गी अंडे देती है कैसे तो वो विद्यार्थी बोला कि घुसड़ता कैसे है, यह बताओ पहले तो, गुरुजी, देने का तो मैं तब बताउंगा। पहले तो मेरा नाम उसमें आया कैसे, पहले यह बताओ।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। बैठो तो सही।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी बात ये नहीं है। सभापति महोदय, मास्टरजी ने कहा कि बच्चों, मुर्गी अंडे कैसे देती है। तो एक बच्चा बोला कि घुसड़ता कैसे है, यह बताओ पहले। उसमें नाम कैसे आ गया? मेरे खिलाफ वारंट है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं भी आपका हूं, पुलिस वाले भी आपके हैं, अपराधी आपके नहीं होने चाहिए। अपराधी मैं हूं या तो पुलिस वाला है, दोनों में से एक को न्याय मिलना चाहिए न, साहब।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बैबसाइट पर इनका नाम डालने में जिस किसी की भी गलती होगी, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें अनुसंधान जारी है, बगैर पत्रावली के अनुसंधान कहां से होगा?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, आप एक चीज सुनो। आप ऐसा करो, साहब, दस-पन्द्रह दिन इस्तीफा देकर मुझे बना दो गृह मंत्री, मैं ला दूंगा पत्रावली। अब मैं तो एमएलए हूं, पत्रावली मैं कहां से लाऊं? पत्रावली का आपको पता है पत्रावली का पुलिस को पता है। माननीय डीजी साहब यहां हैं, पत्रावली मैं लाऊंगा तो अनुसंधान भी मैं ही कर लूंगा फिर। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने कहा है कि मंसूर अली तत्कालीन निरीक्षक, जयपुर शहर को भिजवायी गयी थी, उसके बाद में आज दिन तक यह पत्रावली नहीं पायी गयी। मैं तो इसीलिये कह रहा हूं कि अगर आपकी जानकारी में है तो पत्रावली लेकर आ जाएं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सत्यापन का कार्य जारी था। बैबसाइट पर कइयों के नाम आ चुके थे, उनके तथ्यों का सत्यापन हो रहा था। सत्यापन में इनका गलत पाया गया तो इनका हटा दिया गया।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): विराज जाऊंगा, साहब, क्या न्याय मिला मुझे?

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप इस पर माननीय गृह मंत्रीजी ने भी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है। भविष्य में भी जो भी कार्यवाही की जानी है, जो बैबसाइट पर आपने नाम फर्माया था वो जानकारी आपकी आ गयी है कि 16 तारीख से वो नाम नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वो गलती से डल गया और हटा दिया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आगे की जो कार्यवाही है, नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अब मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, अगला विषय लिया जाए, इस पर कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आपने बहुत अच्छी बात कही।

श्री पेमाराम (धोद): गृह मंत्री ने यह बताया कि राजस्थान में जिस तरह से पहलवान जी का...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। अंकित नहीं होगा आपका।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। अंकित नहीं होगा अब।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक मिनट। मेरा बैबसाइट पर नाम डाला गया, बड़े प्रेम से कहा कि गलती हो गई और हटा दिया गया। इस

(श्री रणवीर पहलवान)

भास्कर अख़बार में खबर आयी कि जिस अपराधी को गिरफ्तार करना था, उसके सुरक्षा लगा रखी है। यह जिस जनता ने पढ़ा और उस जनता के दिल में जो मेरे प्रति जगह थी और आज उसके दिल में जो मेरे प्रति नफरत है...

श्री सभापति: नहीं है, कोई नफरत नहीं है आपके प्रति।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसका खामियाजा मैं प्राण देकर भी नहीं भर सकता। मतलब इतनी छोटी-सी बात है कि जैसे कोई कुछ नहीं, बस छोटी-सी बात हो गयी थी, अब खतम कर दी।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं अगर दोषी होता तो माननीय गृह मंत्रीजी मुझे सज़ा देते।

श्री सभापति: अब आप विराजो। आगे की कार्यवाही चलने दो, माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, पहले यहां तक की कार्यवाही तो बताएं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: हलकेपन से लिया कहां जा रहा है? विराजो आप।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: मैंने वक्तव्य दिला दिया।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री सभापति: मैंने संरक्षण दे दिया न। संरक्षण आसन पूरी तरह से देगा। गृह मंत्रीजी ने दोनों चीजें बता दीं कि जिसने वैबसाइट पर गलत डाल दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और आप आगे क्या चाहते हो?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति: और उच्च स्तर की जांच करा लेंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय गृह मंत्रीजी पूरे राजस्थान के गृह मंत्री हैं।

श्री सभापति: पूरे प्रकरण की उच्च स्तर की जांच करा लेंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं-नहीं। जांच की जगह तब बचती कि गृह मंत्रीजी यह कहते कि गलती नहीं हुई। गृह मंत्रीजी अपने आप स्वीकार कर रहे हैं कि गलती हो गयी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं यह नहीं कह रहा कि गृह मंत्रीजी ने नाम डाला था।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ××× ...(व्यवधान)

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी। ...(व्यवधान)

आप विराजो, चर्चा समाप्त, मैंने दे दी है व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपसे बात कर लूंगा, विधायकपुरी थाने को आप भी खूब जानते हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। अब चर्चा समाप्त।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बैठने को तो मैं दो वर्ष से बैठा ही हूं कौनसी तुडाइयां कर रहा हूं? मैं तो शांति से बैठा ही था।

श्री सभापति: आप विराजो, गृह मंत्रीजी ने सारा स्पष्ट कर दिया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप सुन चुके हो, पूरा सदन सुन चुका है कि माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे हैं कि गलती हो गई। गलती हो गई तो गलती की सज़ा होती है। मेरे से गलती हो जाएगी उस दिन मुझे माफ कर देंगे क्या?

श्री सभापति: पूरे सदन में आपने कहा है न कि जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, बात खतम। अब आप और क्या चाह रहे हो, वह बताओ आप? गृह मंत्रीजी बोले हैं न।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सन 94 की गलती की सज़ा आज तक नहीं मिली है गलत मुकदमा दर्ज करने वालों को, तो यह सज़ा मिलेगी उसको 20 वर्ष बाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने जानकारी कल दी है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, मेरे को जानकारी देने का शौक नहीं था, मेरे को तो जनता ने जानकारी दी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आज सरकार का वक्तव्य आ गया, गृह मंत्रीजी ने दे दिया और आपकी जो बात है, जो आपकी भावना है, जो सदन की भावना है उसके अनुसार माननीय गृह मंत्रीजी ने ....

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): गृह मंत्रीजी यह बता दें कि उनको सज़ा कितने दिन में दे देंगे? इसमें जांच की जगह ही नहीं है।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी, बता दो आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नाम उसमें डाल दिया और नाम डालने के बाद आपने कह दिया कि वह नाम गलत डाला गया था।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी, इनको व्यक्तिगत रूप से आप बता देना कि कब तक जांच हो जाएगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नाम डाला, यह आपने मान लिया कि गलत है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जिसने वैबसाइट पर आपका नाम डाला है, वह गलत तरीके से डला है, उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके कि किसकी गलती है यह, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अनुसंधान की पत्रावली ....

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अनुसंधान तो हो गया। आपने कहा कि वैबसाइट पर आपका नाम हटा दिया, हो गया न अनुसंधान।

श्री सभापति: अब आप विराजिए ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप पुलिस विभाग की तरफ से इस अख़बार में खबर देने की इच्छा रखते हो क्या जिससे मेरी इज्जत वापस बरकरार हो कि रणवीर फरार नहीं था और यह हमने गलत कृत्य किया, क्या यह मंशा रखते हो? नहीं रखते हो तो यह जो अख़बार में मेरी बेइज्जती गांव-ढाणी में हुई है, उसको बताने में मेरे को 200 जन्म लगेंगे। यह अख़बार तो पूरे राजस्थान में चला गया और मैं उस राजस्थान में बताने के लिये 100 जन्म...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब यह समाप्त करने की चीज है क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: दे दी व्यवस्था। गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़। चर्चा समाप्त।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आखिर उनका करना क्या है ... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ। सदन के एक माननीय सदस्य आहत होकर खडे हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी एक प्रार्थना है ...(व्यवधान) और माफी एक बंद कमरे में मांग लें, वह माफी अलग होती है। बेइज्जती तो पूरे राजस्थान में हुई है और माफी मांग ली एक बंद कमरे में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पूरे सदन में बात हो गई। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): साहब, सदन को आर्डर में लाओ मैं तो तैयार हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजो, विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं विराज जाऊंगा। मैंने सदन का समय बेवजह कभी बर्बाद नहीं किया है। मेरे ढाई वर्ष इस बात के गवाह हैं,

(श्री रणवीर पहलवान)

बेमतलब अपनी सीट से मैं हिला भी नहीं हूं। मैं यह कह रहा हूं कि बेइज्जती राजस्थान में हुई है और एक कमरे में कह दिया कि गलती हो गई। राज्य सरकार इस खबर को अख़बार में प्रकाशित कराए कि यह गलत छापा गया और उन दोषी अधिकारियों को दंड दिया जाए। और मैं दोषी हूं तो मुझे दें।

श्री सभापति: बोल दिया न आपने, अब क्या बाकी रह गया?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह बता दें कि कितने दिन में उनको दंड मिल जाएगा।

श्री सभापति: कह रहे हैं न कि जल्दी से जल्दी। इन्क्वायरी तो होगी न उसकी। माननीय सदस्य, हर चीज की प्रक्रिया है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तेरहवीं विधान सभा खतम होने तक इन्क्वायरी चालू रहेगी, चौदहवीं में मैं आऊं या नहीं आऊं, इसका क्या पता?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हर चीज की प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद सरकार कार्यवाही करेगी, यह गृह मंत्रीजी ने बोल दिया। अब आप विराजो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): दो दिन, पांच दिन, 10 दिन यह अपराध नपा-तुला है इसमें जज की अध्यक्षता में आयोग बैठाने की जगह नहीं है।

श्री सभापति: शीघ्र से शीघ्र कर देंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसमें वैबसाइट पर नाम डाला था, अपराध कर दिया, गलत नाम डाला और हटा दिया, यह स्वीकार कर लिया, दोषी को सज़ा देनी है। इसमें यह नहीं है कि रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाएगी, वह जांच करेगी। कोई रेल हादसा हो गया?

श्री सभापति: आप विराजो। श्री राजेन्द्र राठौड, माननीय सदस्य आप बोलना चाहते हैं या नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आर्डर में लाओ, साहब, आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो मैं क्या उम्मीद करूं ?

श्री सभापति: आप बोलो, सारी बात हो गई, गृह मंत्रीजी ने सारा स्पष्ट कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हाउस आर्डर में आ जाए।

श्री सभापति: हाउस आर्डर में है, आप बोलें, माननीय सदस्य । अब आप विराज जाओ।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): दो दिन में, दस दिन में, एक महीने में, कुछ सीमा होनी चाहिये, मुझे इतना ही बता दो, मैं बैठने में एक सैकण्ड लगाऊंगा।

श्री सभापति: शीघ्र से शीघ्र बोल दिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी, कह दो एक महीने की बात। समय दिलवा दो न, साहब।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): साहब, जांच चलेगी, जांच करके मेरा नाम डाला था क्या पहले? मेरा नाम भी जांच करके डालते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं डिपार्टमेंट से मालूम करके आपको निवेदन कर दूंगा, कितने दिन में जांच होगी।

श्री सभापति: अब विराजो आप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में व्याप्त खाद्य व जल प्रदूषण व इस जांच हेतु प्रयोगशाला का अभाव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो लाखों लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ जुडा हुआ है। सभापति महोदय, सितम्बर, 2010 को उदयपुर में एशियन एग्री-हिस्ट्री फाउंडेशन ने एक सेमीनार की। अन्तराष्ट्रीय सेमीनार थी संरक्षित खेती के परम्परागत तरीको को लेकर, हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां गये। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वहां जो वक्तव्य दिया वह बड़ा चिंताजनक था। उन्होंने यह कहा कि राज्य में सीवरेज के पानी से बड़ी मात्रा में सब्जियां पैदा की जा रही हैं। रासायनिक अपशिष्ट नदियों में बहाये जा रहे हैं जिससे मानव शरीर को खतरा पैदा हो गया है। सभापति महोदय, राजस्थान के जिला मुख्यालय विशेष तौर पर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, टोंक सहित लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर सीवरेज लाइन पर पम्प लगा कर सब्जी पैदा की जा रही है। और जयपुर में विशेष तौर पर चौमूं, मुहाना, चाकसू, फागी, रेनवाल, सांगानेर, बगरू और रामगढ़ में। सांगानेर में तो 75 परसेंट जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सब्जियां पैदा हो रही हैं, वे गंदे पानी से हो रही हैं। गंदे पानी से पैदा हुई हर सब्जी को खाने वाला एक तरह से जहर का निवाला ले रहा है। जयपुर में गूलरडैम, शिकारपुरा रोड नाला, नाला रामसिंहपुरा, गोविंदपुरा नाला, अमानीशाह का नाला, सैकडों बीघा जमीन में इन नालों का पानी सब्जी पैदा करने में ले रहे हैं, सभापति महोदय, यह समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ। जयपुर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने मई, 2010 में जयपुर के बड़े भू-भाग में जहां सब्जियां पैदा हो रही थीं, वहां सर्वे कराया। मई, 2010 में सर्वे हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में सिंचाई के पानी के लिये तय मानक पर सीवरेज का पानी खरा नहीं उतरता है। चिकित्सकों का भी यह कहना है, स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे भी लोग मिले थे, इन्होंने भी बयान दिया था कि गंदे पानी से जो सब्जी पैदा होती है उससे उल्टी-दस्त का रोग हो रहा है, हैपेटाइटिस ए और बी हो रहा है, टाइटफाइड हो रहा है, सिस्टोकोरिसिस जैसा रोग हो रहा है, अल्सर और डायरिया हो रहा है। एसएमएस के न्यूरोलोजी विभाग ने डा. आर.के. सुरेखा के नेतृत्व में एक सर्वे कराया था उस सर्वे में जयपुर में एक हजार लोगों में से 4 लोगों में मिर्गी के लक्षण पाये गये और उसका कारण यह बताया गया कि न्यूरो सिस्टोकोरिसिस नाम का एक कीड़ा गंदे पानी से सब्जी में पैदा होता है, लार्वा के रूप में पेट में चला जाता है और उस कीडे के कारण यह मिर्गी का रोग होता है।

सभापति महोदय, यही नहीं, अपने यहां मुहाना में एशिया की सबसे बडी सब्जी मण्डी है, उस सब्जी मण्डी और पूरे राजस्थान के हर शहर में जहां सब्जी मण्डियां हैं, जहां थोक का व्यापार होता है, वहां प्रतिबंधित रसायन से सब्जियों को और फलों को जल्दी पकाने का काम भी किया जा रहा है। सभापति महोदय, फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड क्वालिटी आफ इण्डिया, एफ.एस.एस.ए.आई., इसने राज्य सरकारों को सर्कुलर भेजा है। सर्कुलर राज्य सरकार के पास यह आया कि फलों और सब्जियों को पकाने के लिये जो कैमिकल डाले जा रहे हैं, वे पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। इनमें कुछ तो इस प्रकार के कैमिकल डाले जा रहे हैं- कैलशियम कार्बोहाइड्रेट, ईटोफोन, होस्पोडिन मोडिन, मोनोपोस्टोफिस और आक्थोसिप्सन इंजेक्शन, W.H.O. वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन, इसने इन सभी को मानव जीवन के लिये हानिकारक और प्रतिबंधित माना है। आज ईटोफोन और कैलशियम कार्बोहाइड्रेट इससे केला,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आम, अमरूद ये अगर कच्चे हों और उसमें डाल दें तो 24 घण्टों में पक जाते हैं। चिकित्सकों की राय के अनुसार ये फल जो खाता है उसकी याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नर्व सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों में कैंसर रोग हो सकता है। सभापति महोदय, भारत के खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 44,(में कैलशियम कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को पूर्णतया प्रतिबंधित कर रखा है और इसी में रसायन से फल-सब्जी को पकाने के लिये 6 माह की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान की हुकूमत के पास वह लैब नहीं है, वह प्रयोगशाला नहीं है जहां इन फलों के बारे में सैम्पल लेकर कैमिकल की जांच कर सके। इसी कारण से आज बड़ी संख्या के अन्दर लोग इस जहर को खाने के लिये मजबूर हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, आज किसान भी कई तरह के इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहा है, कई तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग कर रहा है। एक इंजेक्शन है आक्सीटोसिन, यह दूध कम दे पशु या गाय का बछड़ा मर जाए, तब उसको लगाकर दूध निकालने के लिये काम आता है। इसका उपयोग हो रहा है। यह फलों के अन्दर, सब्जियों के अन्दर इंजैक्ट कर देते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आई.सी.एम.आर. और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.सी.ए.आर., इनके एक संयुक्त अनुसंधान की रिपोर्ट भी जुलाई, 2010 में आई जिसमें यह कहा गया कि यह इंजेक्शन मानव शरीर के लिये अत्यन्त घातक है। सभापति महोदय, हमारे फलों और सब्जियों में जो केमिकल उपयोग में लाया जा रहा है, उसमें मेलिफ्योन और एडिसोफोन पूरे यूरोप में प्रतिबंधित हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से दो मिनट बोलने की व्यवस्था है, माननीय सदस्य को लगभग 10 मिनट से ज्यादा बोलते हुए हो गये और अभी बात का कोई सार नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: बोलने दें, बोलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं महत्वपूर्ण बात को कह रहा हूं। आपके समझ में नहीं आ रही है, आप विराजें। आप विराज जाइये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह व्यवस्था आपको देने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था यहां से आ जाएगी।

श्री सभापतिः मुख्य सचेतक हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह कौन हैं मेरे को कहने वाले?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह भी आसन से प्रार्थना करें।

श्री सभापतिः विराजें आप, समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो, सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि राजस्थान सरकार इनके लिये कितनी गम्भीर है, यह जो सरकार में बैठे नुमाइंदे दिख रहे हैं, न चिकित्सा मंत्रीजी को फिक्र है, न कृषि मंत्रीजी को फिक्र है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप तो चिकित्सा मंत्री रहे हैं राजस्थान के, यह कोई कल-परसों से ही शुरू हुआ है क्या काम?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप विराज जाइये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, विराज तो जाएंगे। सभापति महोदय, यह कब से शुरू हो रहा है? इस सरकार को चार्ज करके आप राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मत करो। (व्यवधान) यह समस्या है, एग्री करते हैं हम इससे। लेकिन वर्तमान सरकार दोषी है इसके लिये, आप अपने गिरहबान में झांको, कितने साल से हो रहा है यह? एक सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप लिटरेरी डाक्टर हैं, यह टैक्निकल डाक्टरों की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः अब समाप्त करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर सरकार में मंत्री बनने के लिये उतावले मेरे मित्र के मन में यही बात है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कैसे-कैसे बने हैं, मुझे इसका पूरा इतिहास ज्ञात है। यहां मेरी आथोरिटी बनाने की है, आपकी तरह भीख मांगने की नहीं है। इसलिये मुझे ज्ञान मत दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वाह-वाह। तो, सभापति महोदय, मेरे मित्र, बहुत पुराना साथ है, डाक्टर सामने लगा रहे हैं, डाक्टर कैसे बने हैं, यह भी आप और मैं दोनों मिलकर जानते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह पोल मत खोलो आपस में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यही नहीं, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, 8 जिलों के अन्दर पीने का पानी इस परियोजना से आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अभी पी.ए.सी. की कमेटी गई। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, शायद मंत्री महोदय स्वीकार भी करेंगे, लुधियाना के पास इस नहर को पंक्चर करके लुधियाना का इण्डस्ट्रियल वाटर डाला जा रहा है, सीवरेज वाटर डाला जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर-बाड़मेर, जैसलमेर के लोग यह प्रदूषित पानी पी रहे हैं। कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता जिस वर्ष में आंत्र-शोथ वहां नहीं फैला हो, हैज़ा वहां नहीं फैला हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, और मांग करना चाहूंगा कि सरकार अभियान चलाकर गंदे पानी, सीवरेज के पानी का या तो ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाए ताकि उस पानी का रिसाइकल करके उपयोग हो और यह रसायन से पकाये जाने वाले फलों के लिये प्रयोगशाला स्थापित करे।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड क्वालिटी आफ इण्डिया ने जो सर्कुलर जारी किया है उस पर कार्यवाही करे। और W.H.O. ने जिन केमिकल्स को प्रतिबंधित किया है, यह सवाल इस बात का नहीं है, मैं तो बोल कर बैठ जाऊंगा, पर सवाल राजस्थान के आम-अवाम के स्वास्थ्य का है। सभापति महोदय, इस गूंगी-बहरी सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है, इस सरकार से मुझे आशा भी नहीं है। सरकार उत्तर भी नहीं देना चाहती है पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति: आप विराजो। श्री अमरारामजी।

राजगढ़ के भैंरूका ट्रस्ट द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोदया और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और साथिन, एक-एक आंगनबाड़ी में चार-चार

(श्री अमराराम)

महिलाएं काम करती हैं। महिलाओं और बच्चों के लिये सब तरह का काम जो बाल विकास विभाग ने तय कर रखा है, उसके अनुसार काम करती हैं। राजगढ़ पंचायत समिति, जिला चूरू में पिछले 118 दिन से पंचायत समिति की महिला कार्यकर्ता जिनको बहुत कम मानदेय मिलता है-1600 रुपये, 1000 रुपये और साथिन को तो मुश्किल से 600 रुपये मंथली मिलते हैं। जबकि मिनिमम वेज राजस्थान में 135 रुपये है, हजारों की संख्या में लगातार 108 दिन से गुहार लगा रही हैं विभाग से, प्रशासनिक अधिकारियों से भैंरुका ट्रस्ट की कारगुजारियों के खिलाफ, जिस तरह से वे अनैतिक कार्य, दूसरे कार्य करवा रहे हैं उसके खिलाफ। भैंरुका ट्रस्ट को पहले भी इस विभाग ने तारानगर में, भादरा में, कई पंचायत समितियों में यह काम दिया था, लेकिन उसके गैरकानूनी और भ्रष्टाचार की जांच कराने के बाद बाकी सब जगह से उसे हटा दिया गया। राजगढ़ इस भैंरुका ट्रस्ट का मुख्यालय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से महिला एवं बाल विकास विभाग जो काम कराता है उसके अलावा यह ट्रस्ट अपने प्रोडक्ट उस क्षेत्र में काम करने वाली हर महिला कार्यकर्ता से बेचने को कहता है कि 8-8 प्रैशर कुकर नहीं बेचेगी तो उसको मानदेय नहीं मिलेगा। 6-6 महीने तक रोका, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, प्रैशर कुकर बेचेंगे, मानदेय नहीं देंगे, इसके साथ-साथ बीमा की राशि, जो नियम बना रखा है कि उनका कुछ हिस्सा विभाग देगा और कुछ वह ट्रस्ट देगा, उसकी रसीद नहीं देते। लगातार उन्होंने प्रदर्शन किये, जिला कलक्टर के सामने वे गये। इनके विभाग के अधिकरी गये जांच करने, उनकी अनियमितताओं के खिलाफ जांच भी दे दी लेकिन आज तक इन महिलाओं को उस भैंरुका ट्रस्ट से मुक्ति नहीं मिली है, हालांकि बाकी राजस्थान में मिल गई है। इस विभाग की पूरी कार्यविधि पूरे राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को दे दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने और महिलाओं और बच्चों को सशक्त करने के लिये जब विभाग को जिम्मेदारी दे दी है तो मैं तो मंत्रीजी से एक ही निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि तुरन्त घोषणा करें कि इस भैंरुका ट्रस्ट से पीछा छुड़ाएंगे। इन्होंने गलतियां की हैं, पोषाहार में घपला किया है। इन्होंने अपने ट्रस्ट के लिये जो सर्वे कराया, उसका एक नया पैसा भी नहीं दिया। जो 600 रुपये और एक हजार रुपये मंथली मिलता है उसमें से इन महिलाओं को देना पड़ा है। रात को 10-10 बजे निर्जन स्थान पर छोड़ दिया और उनको एक पैसा नहीं दिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस भैंरुका ट्रस्ट से जो सैकड़ों आंगनबाड़ी

(श्री अमराराम)

कार्यकर्ता वहां हैं, उनको छुट्टी दें। वहां 13 सुपरवाइजर भी हैं, निश्चित रूप से उनकी भी आप सुध लें। सुपरवाइजर महिलाएं जो 10 साल से काम कर रही हैं, उनको अगर छोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरा होगा। इसलिये उस भैंरुका ट्रस्ट से एक तो उनको मुक्त करें। और जितनी अनियमितताएं की हैं भैंरूका ट्रस्ट ने, उनसे वापस वसूल करने का काम करें तो मैं समझता हूं कि उन महिलाओं का सशक्तिकरण हम कर सकते हैं। इससे उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। यह मंत्री महोदय करें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वे वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं अमरारामजी साहब की बात को तवज्जोह देते हुए और इस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए आपके माध्यम से आपसे कहना चाहती हूं कि यह भैरूंका ट्रस्ट से हम लोग काम वापस ले लेते हैं। जब तक कोई अच्छा एन.जी.ओ. हमको वहां पर नहीं मिलता है काम करने के लिए या एस.एस.जी. के जरिए काम करने के लिए, स्वयं विभाग उस काम को देख लेगा और शीघ्रताशीघ्र किसी अच्छे एन.जी.ओ. को चुनकर हम काम उनको दे देंगे। मैं निर्देश दे देती हूं विभाग को कि भैंरूका ट्रस्ट से काम को ले लिया जाए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पंचायती-राज से ही करवाओ आप तो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जैसा आप कहेंगे, मैं भैंरूका को तो हटा देती हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): भैंरूका ट्रस्ट ने जो अनियमितताएं की हैं, उनकी जांच करवाओ और उनसे वसूल करो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और जो अनियमितताएं की हैं, उनकी भी जांच करवा कर एक्शन लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जल महल वाला भी वापस ले रहे हो क्या? जल महल वाला? वह भी आदेश दे दो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अब दुबारा शुरू करवाऊं क्या? क्या मतलब है फिर?

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जल महल में मछलियां रहती हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बड़ी शार्क मछली खा जाती है, छोटी मछलियों की क्या औकात है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह तो वेजीटेरियन हैं। मछली वैसे भी नहीं खाते।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जल तुरई है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तुरई के नाम पर तो खा लेते हैं कभी-कभी। (व्यवधान)

पाली के बांगड़ अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो पाली का बांगड़ अस्पताल है, 'ए' श्रेणी का अस्पताल, 350 शैयाएं वहां स्वीकृत हैं, बिल्डिंग भी सुन्दर और आलीशान बनी हुई है और सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपकरणों की व्यवस्था भी वहां पर करवाई है, लेकिन उसका फायदा जनता को ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण कि वहां पर चिकित्सकों की बहुत भारी कमी है। दो साल पहले उस बांगड़ अस्पताल की इतनी प्रतिष्ठा थी कि कोई पैसे वाला मरीज होता था तो वह भी निजी अस्पताल में नहीं जाकर बांगड़ अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहता था। लेकिन आज कोई मरीज इलाज कराने जाए तो बहुत कम डाक्टर उसको मिलते हैं और कई बार तो तीन-तीन, चार-चार घंटे डाक्टरों का इंतजार करने के बाद उनको निराश लौटना पड़ता है।

माननीय मंत्रीजी, अब मैं आपको पदों की हालत बता दूं, बांगड़ अस्पताल में कुल 59 पद स्वीकृत हैं डाक्टरों के, उसमें से 29 तो बिलकुल खाली। 3 ऐसे जो लम्बी छुट्टी पर हैं, महीने में एक आधे दिन आते हैं और उपस्थिति लगाकर वापस छुट्टी लेकर चले जाते हैं। मतलब कुल 32 डाक्टर भी नहीं 59 में से। एस.एस. 9, उसमें से 5 पद खाली और एक लम्बी छुट्टी पर। कुल 3 एस.एस. काम कर रहे हैं। एम.ओ. के 29 पद आपने स्वीकृत कर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रखे हैं, उसमें से भी 20 पद खाली और दो पिछले पांच सालों से आ ही नहीं रहे। कुल 22 पद खाली 29 में से। वहां सरकार ने सी.टी. स्कैन मशीन लगा रखी है। एक नहीं, तीन-तीन सोनोग्राफी की मशीन दे रखी हैं। डिजिटल एक्स-रे भी वहां है। रेडियोलोजी विभाग में एक एस.एस. का पद और एक जे.एस. का पद स्वीकृत। पिछले दो वर्षों में जे.एस. तो एक भी आया ही नहीं और एस.एस. ने दो वर्षों में मात्र 20 दिन ही अपनी ड्यूटी की, बाकी वह छुट्टियों पर रहा। इतनी मशीनें लगी हुई हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ई.एन.टी. में भी एस.एस. और जे.एस. दोनों के पद स्वीकृत, दोनों पद डेढ़ साल से खाली। एम.एस. ई.एन.टी. वाला भी नहीं कोई। किसी गूंगे-बहरे को विकलांग प्रमाण-पत्र बनाना है ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस पर्ची की व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस व्यवस्था को जब वर्ष 1995 में कायम किया गया था तो उसमें स्पष्ट यह दर्शाया गया था कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बद्ध होना चाहिए। माननीय सदस्य वर्षों पुरानी बात को लेकर कह रहे हैं। आज के समय में अगर आपका कोई हो तो अलग बात है। इस पर व्यवस्था दें। आपको दो मिनट के लिए बोलने का समय देने की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था फर्माएं और अगर माननीय सदस्य का विषय कोई बहुत विस्तृत है तो वे आने वाले समय में इसके लिए कुछ और नियमों में आएं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह अति महत्व का विषय है।

श्री सभापति: संक्षेप में आप समाप्त करो। समय अपना ...(व्यवधान) अभी अभिभाषण पर भी काफी माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एनेस्थिसिया डिपार्टमेंट में मात्र एक एम.ओ. कार्यरत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप थोड़ा जल्दी करो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी बात तो सुनो आप। एनेस्थिसिया डिपार्टमेंट में मात्र एक एम.ओ. कार्यरत। एक एस.एस. का पद स्वीकृत, एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जे.एस. का पद स्वीकृत और पिछले पांच दिन से वह एम.ओ. भी छुट्टी पर। आपरेशन के लिए जो मरीज आता है वह उम्मीद लेकर आता है कि मेरा आपरेशन होगा, सर्जन करना चाहता है, लेकिन एनेस्थिसिया डिपार्टमेंट में पद खाली होने से उस मरीज का आपरेशन होता नहीं। कोई आपरेशन नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका तो इतना ही कहना है कि चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और क्या बताऊं मैं? यह बात भी नहीं बताऊ मैं?

श्री सभापति: तो बस इसको थोड़ा-सा जल्दी आप समाप्त करो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अस्पताल की यह हालत हो गई कि रोज ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जहां-जहां पर बी.जे.पी. के एम.एल.एज. हैं वहां पर जान-बूझकर सी.एच.सीज. और पी.एच.सीज. से लोगों को हटा रहे हैं। यह क्या मतलब है?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हटा दिया गया है। किसी को अपने क्षेत्र में ले गये हैं। (व्यवधान) दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनको बताओ मत, नहीं तो बाकी भी हटा देंगे, जो है वह और खाली कर देंगे। आप क्यों जानकारी दे रहे हो इनको?

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य बात पर भी आ जाऊंगा। इतने पद खाली होने से जो हालात बन रहे हैं, आये दिन मरीजों के परिजनों और चिकित्साकर्मियों के बीच वहां पर झड़पें होना चालू हो गईं। सप्ताह में तीन-चार बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर पुलिस बुलवानी पड़ती

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है, ये हालात बनने लग गये हैं। क्योंकि डाक्टर मिलेगा नहीं तो मरीज के परिजन में आक्रोश आएगा और उससे ये हालात बन गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका कथन यही है न कि डाक्टरों की कमी है, बस वही है न? आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरी बात तो सुन लो आप।

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो। एक-एक डाक्टर के लिए आप ... (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं एक-एक डाक्टर की बात कहां कर रहा हूं, मैं तो डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप इसको समाप्त कर दो। आपने बता दिया। हर विभाग का होगा तो फिर नहीं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वहां पर रोज झगड़े हो रहे हैं आपस में। मरीज निराश लौट रहा है, इलाज मिलता नहीं है सरकारी अस्पताल में।

श्री सभापति: अब आपने ध्यान आकर्षित कर दिया कि चिकित्सकों की कमी है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, वह मंत्रीजी ने सुन लिया। अब आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि कम से कम आपरेशन नहीं रुके, उसके लिए निश्चेतना विभाग में तो आप पर्याप्त डाक्टर लगा दो। बाकी तो लगेंगे जब लगेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारे आदरणीय पारखजी ने और साथियों ने यहां पर बात रखी है, इसमें कोई शक नहीं कि अस्पतालों में कमियां हैं। पर जो बेनीवालजी ने अभी आरोप लगाया कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 62 साल में पहली दफा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दो हजार एम.ओज. की पोस्ट्स सैंक्शन की हैं। उनकी प्रक्रिया आर.पी.एस.सी.

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

में चल रही है और 1214 के इंटरव्यू चल रहे हैं। अब इंटरव्यू में इसलिए देर हो गई कि कुछ बीच में आरक्षण की वजह से यह तय नहीं हो पाया कि रिजर्वेशन कितना कहां रखना चाहिए। ये हमारे पास जैसे-जैसे आते जाएंगे एम.ओज. हम उनको जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि आपके यहां उनकी पोस्टिंग कर दी जाए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा एक निवेदन है कि जो आपरेशन रुक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें। विराजें, विराजें। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक ही निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एनेस्थिसिया के डाक्टर्स की कमी के कारण जो आपरेशन रुके हुए हैं, चाहे आप कांट्रेक्ट पर लगा दो, आर.एम.आर.एस. से कांट्रेक्ट की अनुमति दे दो मेहरबानी करके। (व्यवधान) आपने सीजेरियन के लिए दे रखा है...

श्री सभापति: अब आप विराजिए, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री सभापति: अब आप विराजो। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। अब अंकित नहीं हो रहा है। आपकी सारी बात सुनकर उन्होंने जवाब दे दिया, अब तो आप विराजो। (व्यवधान) विराजो आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री सभापति: भर्ती की प्रक्रिया चालू है और आपके यहां पर जल्दी से जल्दी लगा देंगे, बात हो गई। अब आप विराजो।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आप विराजो। अब आप विराजो।

लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की समस्या

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 164 गांव और एक नगरपालिका क्षेत्र आते हैं। उसके पड़ोस में फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र है जहां पर 119 गांव और दो नगरपालिका क्षेत्र आते हैं। माननीय सभापति महोदय, दोनों तहसीलों और दोनों विधान सभा क्षेत्रों में जो पेयजल उपलब्ध है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, 3 पीपीएम से लेकर 7 पीपीएम तक है। माननीय सभापति महोदय, 3 पीपीएम से 7 पीपीएम की जो फ्लोराइड की मात्रा होती है, वह पेयजल के लिये उपयुक्त पानी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोग इस फ्लोराइड के पानी को पी-पीकर कुबड़े हो गये हैं। 50 साल की उम्र से पहले ही वे बूढ़े हो जाते हैं। औसत आयु जो औरों की 75-80 साल है, वहां के लोगों की औसत आयु 45 और 50 साल की है। माननीय सभापति महोदय, लोगों में 30 साल की उम्र से पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, दांत गिर जाते हैं। यहां तक स्थिति आ गयी कि वहां के लड़कों को कोई अपनी लड़की देना पसन्द नहीं करता है, क्योंकि वहां पर फ्लोराइड का पानी है। आजादी को 60 साल से अधिक हो गये हैं, लोग शुद्ध पेयजल के लिये तरसते हैं। विभिन्न सरकारें आईं, दो साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पांच साल शासन किया, तब भी इस सदन के माध्यम से बार-बार सवाल उठते गये कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लोगों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाओ। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने वहां पर कुछ भी काम नहीं किया और एक रुपया भी सैंक्शन नहीं किया। आज भी लोग वहां पर फ्लोराइड का पानी पीते हैं। 2003 में कोई योजना बनी बताते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से मेरे पास में जवाब आया है। 2003 की योजना कागजों में रह गयी और 2007 में उसको संशोधित करके 300 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत यह रही कि वहां पर एक रुपया भी फ्लोराइड की मुक्ति के लिये नहीं लगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस अम्ब्रेला प्रोजैक्ट योजना में किसी तरह का काम नहीं हुआ। पिछले बजट भाषण में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्री मदेरणा साहब को, कि उन्होंने 50 लाख रुपये लक्ष्मणगढ़ के लोगों को फ्लोराइडमुक्त पानी पिलाने के लिये सर्वे के लिये दिये थे और वह कार्य शुरू

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हो गया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और जलदाय मंत्रीजी ने आपणी योजना फेज सैकण्ड को विश्व बैंक की सहायता के लिये भेजने का भी बजट भाषण में उल्लेख किया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय जलदाय मंत्रीजी से, अब समय आ गया है कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति दिलाइये और इस आपणी योजना फेज सैकण्ड को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दिलाकर इसी सत्र में इस काम को चालू करवाइये। वहां के लोग बहुत आस लगाये बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपणी योजना फेज सैकण्ड धन्नासर से चालू होकर सरदारशहर के लिये है, उसे डिजाइन करवाएं। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने का काम यह सरकार करे तो मैं समझता हूं, करीब साढ़े 6 लाख की लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की जनता जो फ्लोराइड का पानी पीती है, यह सरकार अगर उन लोगों की आत्मा की बात सुनेगी, वहां के लोगों को शुद्ध पेयजल पिलाएगी तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आएगी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने के लिये प्रयासरत हैं। राजस्थान में 34 हजार ऐसे गांव और ढाणियां हैं जहां पर पीने योग्य पानी नहीं है, पानी की गुणवत्ता वहां पर ठीक नहीं है। इस वर्ष में 4600 गांव और ढाणियों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने की महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सरकार की मंशा आई है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार इसी वर्ष प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर लक्ष्मणगढ़ के 164 गांवों और नगरपालिका क्षेत्रों को और फतेहपुर विधान सभा के समस्त नागरिकों को इस फ्लोराइड के पानी से मुक्ति दिलाने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं। श्री हेमाराम जी चौधरी। आप जवाब दे रहे हैं। आप दे रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त गांवों को निजात दिलाने के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 164 गांव हैं, एक शहर है। फतेहपुर और उसके

(श्री महीपाल मदेरणा)
गांवों के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया। लक्ष्मणगढ़ और 6 शहरों को विभाग द्वारा जल सप्लाई की जाती है इसमें फ्लोराइडयुक्त प्रभावित 73 गांव हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा 1.0 पीपीएम से अधिक है। इन सभी गांवों में वर्ष 2011-12 के अन्दर विभागीय स्रोतों से अल्पकालीन समाधान हेतु हैण्डपम्प अटैच डि-फ्लोरिडेशन यूनिट और नलकूप अटैच के डि-फ्लोरिडेशन प्लांट लगाना प्रस्तावित है। राजस्थान की सरकार अगले तीन वर्षों में 10 हजार फ्लोराइडयुक्त गांवों को मुक्त कराने की एक कार्य योजना बना रही है।

जहां तक मुख्य मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर के समस्याग्रस्त गांवों के अन्दर दीर्घकालीन पेयजल व्यवस्था के लिये इंदिरा गांधी नहर से पानी पहुंचाने की घोषणा की गयी थी, मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि उसके सर्वे के लिये हमने पैसा दिया है और सर्वे का कार्य प्रगति पर है। 31.3.2011 तक सर्वे का कार्य पूर्ण हो जाएगा। सर्वे के पश्चात् प्रोजैक्ट बनकर आएगा तो उसके संसाधन की उपलब्धता कहां से करनी है और उसके अनुसार इंदिरा गांधी का पानी उपलब्ध कराना सरकार के विचाराधीन है। धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, फ्लोराइडयुक्त पानी के लिये ब्यावर के साथ यह भेदभाव की भावना है। कांग्रेस के जहां सदस्य हैं, वहां पर पहले योजना पास हो जाती है और... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। आपका अंकित नहीं हो रहा है। श्री हेमाराम जी चौधरी। अधिसूचनाएं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 24 व 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री हेमाराम चौधरी)

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/24 दिनांक 14.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/25 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा अविवादित सीमा ज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/26 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा नामान्तरकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/27 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/28 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान राज्य के समस्त जिलों में भूमि आबंटन के प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जिस पंचायत में आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/30 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सैट लगाने के लिये भूमि आबंटन) नियम, 1979 के

(श्री हेमाराम चौधरी)

अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/31 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आबंटन) के लिये विभागीय आदेश क्रमांक 5 (109)राज-ख/60 दिनांक 20.7.63 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/32 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम, 2007 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/33 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आबंटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी उदघोषणा के लिये निर्धारित अवधि को 15 दिन से 7 दिन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/34 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन), नियम, 1970 के नियम-18 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

(श्री हेमाराम चौधरी)

11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/35 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में भूमि के बंटवारे की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/36 दिनांक 22.10.2010 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम संख्या-3, वर्ष 1955) की धारा-251 (1) एवं अधिसूचना क्रमांक 5(21)राज-4/80/34 दिनांक 4.9.82 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के अधिकार के क्रम में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के दौरान तहसीलदार की शक्तियों का समस्त नायब तहसीलदार, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को दी गई है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/37 दिनांक 10.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत गलतियों का शुद्धिकरण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारियों पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदत्त की गई है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.9(7)राज-6/2010/38 दिनांक 10.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत आबादी विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्य एवं प्रदत्त शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर्स जिनको प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के लिये नियुक्त किया गया है, को प्रदत्त की गई है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/2005-पार्ट-39 दिनांक 30.11.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन

(श्री हेमाराम चौधरी)

निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आबंटन) नियम, 1963 के तहत राजकीय विभागों के लिये भूमि आबंटन की कार्यवाही दिनांक 31.3.2012 तक के लिये बढ़ाई गई है ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.6(9)राज-6/96-पार्ट/39-ए दिनांक 8.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 सपठित धारा-102-ए तथा 207 के अधीन पूर्व अधिसूचना दिनांक 2.6.09 को अधिक्रमित करते हुए राजकीय भूमि नगरीय निकायों के नाम हस्तान्तरित की जाती है, तो उक्त भूमि के विक्रय नियमन एवं आबंटन किये जाने पर राशि जयपुर विकास प्राधिकरण 20 प्रतिशत, यूआईटी 5 प्रतिशत, म्युनिसिपल कारपोरेशन से 2.5 प्रतिशत, म्युनिसिपल कौंसिल से 2 प्रतिशत, म्युनिसिपल बोर्ड से कोई राशि नहीं ली जानी है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.4(10)राज-6/2009/40 दिनांक 24.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)राज-6/2004/41 दिनांक 24.12.2010 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन, नियम, 1959 में संशोधन किया गया है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/42 दिनांक 10.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि भूमि में संपरिवर्तन), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.9(52)राज-6/2010/2 दिनांक 20.1.2011 जिसके द्वारा जिन क्षेत्रों में भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पद रिक्त होने पर, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा, जिन्हें आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हैं, भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जाएगा ;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.9(18)राज-6/2002/3 दिनांक 24.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं के संनिर्माण तथा पैट्रोल

(श्री हेमाराम चौधरी)

पम्प, चिकित्सा सुविधायें स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आबंटन एवं नियमितीकरण), नियम, 1978 में संशोधन किया गया है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/2006/4 दिनांक 28.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख), नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)राज-6/2000/5 दिनांक 4.2.2011 जिसके द्वारा श्री जी.के. तिवारी, सदस्य, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये साहूकार महापंजीयक नियुक्त किया गया है ; एवं

24- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/6 दिनांक 11.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में शिविर प्रभारियों को कलक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में शिविर प्रभारियों को उनके कार्य क्षेत्र में कार्य करने हेतु शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)उप/2010 दिनांक 21.10.2010, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 की अवधि में उपनिवेशन तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ;

श्री सभापति: श्री बृजकिशोर शर्मा।

परिवहन विभाग

श्री बृजकिशोर शर्मा (परिवहन मंत्री) सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.7(66)परि/रूल्स/एचक्यू/94 दिनांक 28.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.7(198)परि/रूल्स/एचक्यू/2003/II दिनांक 11.2.2011 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: श्री शांति कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे के निम्न दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2009-10

I भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 ; एवं

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2006-07

II भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) वर्ष 2006-07.

श्री सभापति: श्री बृजकिशोर शर्मा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 व प्रमाण-पत्र

श्री बृजकिशोर शर्मा (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये अंकेक्षण प्रतिवेदन व प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

समिति का प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (क्र सं. 2 व 3)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 2010-11 के निम्नांकित दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- सहायता एवं अकाल राहत, उद्योग, पंचायती राज, कृषि, कृषि विपणन, वित्त, कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आयुर्वेद, सिंचाई, वन, ऊर्जा, सहकारिता एवं मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग के वर्ष 2000 से 2005 तक के लम्बित आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2010-2011 का द्वितीय प्रतिवेदन ; एवं

2- सैनिक कल्याण, संस्कृत शिक्षा, श्रम एवं नियोजन, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, डेयरी विकास विभाग, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, निर्वाचन, आयोजना, आबकारी, प्रशासनिक सुधार, राजकीय उपक्रम, भू-जल, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, कारागार, सिंचित क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक निर्माण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, संसदीय कार्य, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जन अभियोग निराकरण, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यातायात, अल्प बचत, खादी एवं ग्रामोद्योग, जनजाति क्षेत्रीय विकास, परिवार कल्याण, स्टेट मोटर गैराज, राज्य बीमा, मत्स्य, चिकित्सा (शिक्षा), मंत्रीमण्डल सचिवालय तथा कला एवं संस्कृति विभागों के वर्ष 2001 से 2005 तक के आश्वासनों से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2010-11 का तृतीय प्रतिवेदन।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द कटारिया। (अनुपस्थित) श्री अमराराम जी।

याचिका

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

ढाणी एवं मजरों में घरेलू बिजली कनेक्शन

1. राज्य में ढाणी एवं मजरों में बसे किसानों एवं बीपीएल परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन देने बाबत् ;

दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में विद्युत वितरण निगम, अजमेर का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

2. दांतारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय में विद्युत वितरण निगम, अजमेर का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने बाबत् ; एवं

दांतारामगढ़ में विद्यालयों का क्रमोन्नयन एवं विषयों का प्रारम्भ

3. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने एवं आवश्यकतानुसार विषय खोलने बाबत्।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

शेरगढ़ में संस्कृत विद्यालय की स्थापना

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने बाबत्;

शेरगढ़ में नलकूप से पेयजल की आपूर्ति

2. पंचायत समिति शेरगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के तहत पेयजल से अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ढाणियों हेतु गुणवत्ता वाले उपलब्ध भू-जल के स्थान पर नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ; एवं

बालेसर में नलकूप से पेयजल की आपूर्ति

3. पंचायत समिति बालेसर में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के तहत पेयजल से अभावग्रस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ढाणियों हेतु गुणवत्ता वाले उपलब्ध भू-जल के स्थान पर नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत् ।

(15.00 बजे)

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति: डा. दिगम्बर सिंह।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, अभी 15 तारीख को राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिस अभिभाषण का वाचन करवाया गया, मैं तो समझता था कि महामहिम राज्यपाल द्वारा जो भी बात यहां कहलवायी जाएगी, उस बात में सत्यता होगी। बहुत गहन अध्ययन के बाद यह अभिभाषण तैयार किया जाता होगा। गवर्नमेंट के द्वारा उसकी एप्रूवल लेकर तैयार किया जाता होगा। परन्तु यह अभिभाषण जो 15 तारीख को सदन में महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया, इसमें सरकार की गम्भीरता नाम की चीज नजर नहीं आती और मैं कहता हूं कि बिलकुल असत्य वाचन इस सर्वोच्च सदन में महामहिम द्वारा करवाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि राजस्थान के निर्माण का परिणाम चारों ओर देखने को मिल रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं उसमें और यहां पर दो सौ माननीय सदस्य हैं, मैं नहीं समझता कि किसी गांव, ढाणी, कस्बा या शहर में राजस्थान निर्माण का असर नजर आया हो। बार-बार संवेदनशील और पारदर्शिता का नारा हमको सुनने को मिलता है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, डाक्टर साहब अभिभाषण पर बोल रहे हैं, यह किसको सुना रहे हैं? एक भी कैबिनेट मंत्री सदन के अन्दर नहीं है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं लिख रहा हूं।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं। लिखने की बात नहीं कह रहा हूं। सरकार सारी की सारी चली गयी, किसको सुना रहे हैं आप? एक राज्य मंत्री के भरोसे सदन चला रहे हैं आप। पूरी टीम है आपके पास।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं खुद बैठा हूं, वीरेन्द्रजी बैठे हैं, लिख रहे हैं। पैन खोल रखा है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): नहीं-नहीं, कुछ नहीं। दो राज्य मंत्रियों से सदन चलाएंगे आप? सदन को मजाक बना रखा है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हम इन्डिपेंडेंट हैं। आप चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा नहीं है, रामलालजी। सभापति महोदय, जो व्यवस्था आपको करनी है वह करो, परन्तु बात सुनकर गर्दन यूं कर लें, हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। इस सदन की परम्पराएं रही हैं, माननीय अध्यक्षों के निर्णय हैं कि जब आम बहस हो उस समय एक कैबिनेट मंत्री का सदन में रहना अनिवार्य है। ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का भी आपको पालन करना चाहिए। सरकार को निर्देश देना चाहिए, मंत्री को बुलाओ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आसन की और आपकी छवि भी नहीं बनेगी।

श्री सभापति: ये आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आ गये तो ठीक है, पर आपको बोलना चाहिए था। आपकी जुबान हिलनी चाहिए थी इसमें।

श्री सभापति: अभी यहां पर गृह मंत्रीजी थे, यह बोलने के लिए जब खड़े हुए थे तब। मुश्किल से एक मिनट पहले ही गये हैं वह। अब आ गये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, यह सदन छह करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा क्या रोल विधान सभा में है, किस तरह से हम अपनी बात को रखते हैं, क्या हमारा आचरण है, यह सारा-सारा जनता के बीच में विभिन्न चैनल्स और अखबारों के माध्यम से जाता है। परन्तु जब सरकार ही सदन में असत्य बातों को कहलवाये, असत्य बातों का वाचन राज्यपाल महोदय द्वारा करवाये तो मैं समझता हूं कि उस सरकार के बारे में कोई टिप्पणी करना भी व्यर्थ है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए सरकार को बहुत एम्फेसिस किया कि हमारे काम करने का आधार हमारा घोषणा पत्र रहेगा। उस घोषणा पत्र में एक घोषणा थी कि किसी भी वर्ग की महिला को प्रथम प्रसव पर पांच किलो देशी घी सरकार देगी। पांच किलो देशी घी तो पता नहीं कहां चला गया। जब हिसाब-किताब लगाया कि इसमें तो बहुत ज्यादा बजट चाहिए तो पांच किलो देशी घी सभी वर्गों को काटकर केवल बी पी एल महिला के लिए लागू किया। परन्तु, सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कहते हुए, कि पक्ष और विपक्ष के सारे माननीय सदस्य, यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रतिपक्ष में हूं

(डा. दिगम्बर सिंह)

यह बात सच है, आप अपने-अपने क्षेत्रों में अस्पतालों से कन्फर्म कर लें कि कितनी महिलाओं को देशी घी मिल रहा है प्रथम प्रसव पर। इससे आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने कितना सत्य और असत्य बोला है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि सुरक्षित मातृत्व के लिए सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्म भोजन उपलब्ध करवाया गया है जच्चाओं के लिए। यहां पर महिला सदस्य भी बैठी हुई हैं और एकाध माननीय सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों के बच्चे हैं। देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो जच्चा को गर्म गर्म खाना कौन देता है? यह गरम खाना कौन खा रहा है? किसको खिला रहे हो? यह पैसा कहां जा रहा है महामहिम राज्यपाल के मुंह से आप यह पढ़वा रहे हैं कि हम जच्चाओं को गरम-गरम खाना दे रहे हैं और इससे हमारी मातृ मृत्यु दर कम हो रही है। सभापति महोदय, अच्छा होता, अगर मातृ मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं तो उन गरीब महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते जिनको दो टाइम की रोटी और दूध नसीब नहीं होता है। नौ महीने तक प्रैग्नेंसी में खून की कमी से जूझती है, उसके लिए फल और दूध की व्यवस्था करते तो हम मान सकते थे कि हम मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहते हैं। टाइम से उनको वैक्सीनेशन होता, टाइम से उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां मिलतीं। केवल गरम -गरम खाना देना प्रसव के समय, यह सरकार की घोषणा है। बहुत वाह-वाही लूटी कि हम राजस्थान का निर्माण कर रहे हैं, अगर यह राजस्थान का निर्माण है तो मुझे अफसोस है, माननीय सभापति महोदय, इनकी सोच पर और इनके विचारों पर।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पैरा 73 पर यह कहा गया कि शिशु स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव पर सरकार का विशेष ध्यान है और इसके लिए सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। प्रयास क्या किये हैं? एक स्किल अपग्रेडेशन का कोर्स शुरू किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजे हैं, मैंने बीच में भी आपसे टेलीफोन पर एक बार बात की थी, यह स्किल अपग्रेडेशन कोर्स का डिसीजन तत्कालीन सरकार का है जब हमारी सरकार थी उस समय लिया गया था। इसके पीछे मानसिकता यह थी कि जो डाक्टर केवल एम.बी.बी.एस. है, ग्रामीण क्षेत्र में

(डा. दिगम्बर सिंह)

अगर स्पेशलिटी डाक्टर नहीं मिल रहे हैं तो उस डाक्टर को एक साल की ट्रेनिंग के बाद इस लायक बनाया जा सकता है कि एनेस्थीसिया दे सके, दूसरा कोई सर्जरी की ट्रेनिंग एक साल की करके सर्जरी कर सके, वहां पर सिजेरियन जैसे आपरेशन छोटे-मोटे हो जाएं। पैथोलोजी की ट्रेनिंग करने वाला वहां पर जो रुटीन की जांच है वो जांच कर सके। परन्तु इस सरकार ने क्या किया है, आपको पता है? सभापति महोदय, इस सरकार ने स्किल अपग्रेडेशन 6 महीने में ही कर दिया। एक साल का जो हमारा डिसीजन था वो केवल इसीलिए कि पूर्ववर्ती सरकार का डिसीजन था, उसको स्किल अपग्रेडेशन का मात्र कोर्स 6 महीने का कर दिया। बदलना था इसलिए स्किल अपग्रेडेशन का कोर्स मात्र 6 महीने का कर दिया।

मैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि पैथोलोजी जैसा बड़ा सब्जैक्ट जिसमें ब्लड बैंक का पूरा काम सीखना पड़ता है, जिसमें हिस्टेपैथोलोजी का पूरा काम सीखना पड़ता है, जिसमें बायोकैमिस्ट्री का पूरा काम सीखना पड़ता है, 6 महीने में ही कोई डाक्टर क्या उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा? मैं समझता हूं, यह भी जिस तरह से सरकारी रुटीन बनाते हैं प्रोग्राम्स का, वो बना कर रख दिया और किसी डाक्टर की स्किल अपग्रेडेशन नहीं हुई है। आपने जो प्रयास किये, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने प्रयास किये परन्तु आपके प्रयास सफल नहीं हो पाये। जितने भी आपके फर्स्ट रैफरल यूनिट्स हैं, आपने उनको फंक्शनल करने के लिए डाक्टर के ट्रांसफर भी किये, उनको लगाया भी। पर मैं कहता हूं अगर स्किल अपग्रेडेशन का एक साल का कोर्स आप कराते तो आपके जो एफ.आर. यूज हैं, वो फंक्शनल होतीं, वहां पर आपरेशन भी होते, वहां पर बेहोशी के डाक्टर भी मिलते और वहां पर इन्वैस्टीगेशन की फैसिलिटी भी पैदा हो सकती थी, पर चूंकि यह हमारी सरकार का, दूसरी सरकार का फैसला था, इसको बदलना तो जरूरी था।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम 200 एम.एल.एज. यहां बैठे हैं इन्क्लूडिंग हमारे माननीय सदन के नेता सहित, अगर एक-एक विधायक से अलग-अलग बुला कर बात कर लें कि आपके क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति क्या है, तो पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से वास्तविकता आपके सामने आ जायेगी। मैं यह नहीं कर रहा कि आपने कोई

(डा. दिगम्बर सिंह)

प्रयास नहीं किये, परन्तु आपके प्रयास सार्थक आज तक कोई नहीं हुए हैं। आपके 368 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थे इनमें से 68 भी सी.एच.सीज. 24 घंटे काम नहीं करती हैं। रात को न कोई कम्पाउण्डर मिले, न रात को कोई डाक्टर मिले और न कोई क्लास फोर्थ मिले। ताला लगा हुआ सी.एच.सी. में मिलता है।

हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो सवाल है, जो सरकार कह रही है कि उसको कम कर सकते हैं, मैं समझता हूं, यह सवर्था गलत है और यह सम्भव भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार की पारदर्शिता की बात भी आपके सामने लाना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब हमारी सरकार का डिसीजन था कि राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज अलग से बनायी, अलग से एग्जाम पी.एम.टी. के कंडक्ट करेगी, प्री पी.जी. के एग्जाम कंडक्ट करेगी, सारे एडमिशन का, सारा एग्जामिनेशन का कंट्रोल हैल्थ यूनिवर्सिटी करेगी। परन्तु मुझे दुःख है, माननीय सभापति महोदय, यह कहते हुए कि आज हैल्थ यूनिवर्सिटी की स्थिति एक मिडल स्कूल से भी बदतर है। आज हैल्थ यूनिवर्सिटी की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई इण्टर डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन ही नहीं है। कब एग्जामिनेशन होंगे, कब नहीं होंगे इसका ही कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पर वाइस चांसलर बना कर ऐसे आदमी को बैठाया है जिसको सर्च कमेटी ने रिजैक्ट कर दिया था। उस आदमी को वाइस चांसलर का चार्ज देकर एड हाक वाइस चांसलर बनाया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्री पी.जी. एग्जाम हुआ, सरकार की पारदर्शिता की मैं पोल खोल रहा हूं, आप भी ध्यान से सुन लें क्योंकि सब लोगों के क्षेत्र प्रभावित हुए होंगे। प्री पी.जी. का टेस्ट 2011 में हुआ उसमें प्री पी.जी. के टैस्ट का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले यह होता था कि उसके जो परीक्षार्थी होता था उसको आन्सरशीट की एक कापी मिलती थी, एक स्टैन्डर्ड शीट की कापी मिलती थी, उसको बाकायदा एक कामन रैंक का पता लगता था कि पूरे दो हजार बच्चे अगर बैठे हैं तो मैं रैंक में कहां स्टैंड कर रहा हूं। इसमें इस समय क्या कहते हैं, अंधा पीसे कुत्ता खाए वाला हिसाब उस राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी में हुआ है क्योंकि न तो आन्सर-की की बच्चों को

(डा. दिगम्बर सिंह)

दी है और न ही कामन रैंक डिक्लेयर की है। केवल जिन लड़कों का सलैक्शन हुआ, उनकी एक लिस्ट उन्होंने उसमें डाल दी। इसके अलावा कोई बच्चों को पता नहीं कि मेरे कितने मार्क्स उसमें आये। न रिवैल्युएशन की कोई पासिबिलिटी उसमें इन्होंने छोड़ी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि इस एग्जामिनेशन में 300 सवाल थे और उन 300 सवालों में से, मंत्री महोदय, 170 सवाल आदित्य पब्लिकेशन की मुदित खन्ना द्वारा लिखित एक गाईड है, एक एग्जामिनेशन गाइड है, उस गाइड के 170 सवाल जिस तरह से सीरियल नम्बर पर गाइड में हैं उसी तरह से वो 170 सवाल उस प्री पी.जी. के एग्जाम में आये थे। क्या यह पारदर्शिता है? अगर इसको पारदर्शिता कहेंगे तो फिर बेइमानी और भ्रष्टाचार किसको कहेंगे, माननीय सभापति महोदय, मेरे समझ में नहीं आता।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हैल्थ यूनिवर्सिटी में इस समय जो स्थिति हो रही है एक वर्ग विशेष के लोग इस समय पूरी तरह से जमे हुए हैं। आज हमारे जो वाइस चांसलर का जो चार्ज है वहां पर, बहुत नामी-गिरामी हैं वैसे तो वो, बीकानेर का तो हर व्यक्ति, और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर होंगे तो वो भी जानते होंगे, डा. राजा बाबू पंवार हैं जो अपने कामों के लिए, अपने कारनामों के लिए बहुत फेमस रहे हैं। डी.एल.बी. के एग्जाम में तो साउथ इंडिया में कोई ऐसा घपला किया था जिसकी सी.बी.आई. तक की जांच हुई थी उसमें। और राजा बाबू तो हैं ही, इसके साथ डाक्टर सैफी हैं उदयपुर से, वो कण्ट्रोलर एग्जामिनेशन के हैं और इसके अलावा ...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 273. No allegation of a incriminatory or defamatory shall be made by Member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या कह रहे हो आप? मैं यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)... .

एक माननीय सदस्य: कौन से नियमों की बात कर रहे हो?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): There are rules relatead to the dignity of the House. No personal interest can be done. There are two things. This is the rule.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं यह कह रहा हूं कि यह राजस्थान हैल्थ यूनिवर्सिटी है या कोई मदरसा है? इसमें राजा बाबू, इसमें डा. सैफी, इसमें मोहसिन खान, इसमें ए.क्यू. खान, सारे, ओ.एस.डी.। और मंसूर अली करके उनके पी.ए. हैं। तो इसको पूरा का पूरा मदरसा-सा बना रखा है। जितने प्री पी.जी. में डाक्टर के सलेक्शन हुए हैं, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जांच करा कर देख लीजिए, मोर दैन 60 परसेंट केवल उदयपुर से हैं क्योंकि यह सैफी साहब उदयपुर के रहने वाले हैं। बाकी बचे हुए बीकानेर से हैं क्योंकि हमारे जो वाइस चांसलर हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर यहां के सारे लड़कों के साथ जबरदस्त कुठाराघात हुआ है। एक तगड़ा घपला, माननीय सभापति महोदय, इस प्री पी.जी. के एग्जाम में हुआ है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं अगर वास्तव में इसी को संवेदनशील सरकार आप कहते हैं, इसी को पारदर्शी सरकार कहते हैं तो इससे ज्यादा तो फिर कहने की कोई जगह किसी की बचती नहीं है।

मैंने पारदर्शिता तो आपकी, इस सरकार की देखी है, रोज जब मैं अपने क्षेत्र जाता हूं, अपने जिले में जाता हूं, पहली बार इस सदन में अगर सत्ता पक्ष के कोई भी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो सब ने बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि हमने बिजली उत्पादन को बढ़ाया है। आपने बिजली उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आज गांवों में 24 घण्टे बिजली मिल रही है, बिजली की कोई किल्लत नहीं है। ट्रांसफार्मर एडवांस में गांवों में रखे रहते हैं, गांव वाले बहुत खुश हैं। सभापति महोदय, अभी तो सवा दो साल हुए हैं, आगे एक साल बाद जो स्थिति बनने वाली है, माननीय सदस्य, सच बोलना सीख लो। जब तक सच नहीं कहोगे, तब तक आपके क्षेत्र की जनता आपको माफ भी नहीं करेगी। वास्तव में आज जो दुर्गति हो रही है, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बिजली विभाग के अन्दर है। आज बिना पैसे के किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, चाहे तीन-तीन महीने से गांव में अन्धेरा हो। जब तक पैसे देकर नहीं जाएंगे, जे ई एन, ए ई एन की जेब में पैसे नहीं देंगे। आज ट्रांसफार्मर बिक रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा आरोप है इस सरकार पर कि ट्रांसफार्मरों की बिक्री कर रहे हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज तक बिजली विभाग में कभी देखने को नहीं मिला।

मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, एक गाना बड़ा फेमस हुआ, गाना इसलिए नहीं फेमस हुआ कि कोई बहुत अच्छे गायक ने गाना

(डा. दिगम्बर सिंह)

गाया हो, पर फेमस इसलिए हुआ कि वह वास्तविकता थी। वो गाना, सखी सइयां तो खूब ही कमात है, मंहगाई डायन मारे जात है।

एक माननीय सदस्य: पुराना साथ है कांग्रेस का और मंहगाई का।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): सभापति महोदय, बुरा जो ढूंढन मैं चला बुरा न मिल्या कोई। जो दिल खोजा आपणा, मेरे जैसा बुरा न कोई।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): केवल सफेद कपड़े नजर आ रहे हैं, हमको कुछ दिख नहीं रहा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): यह तो किसके अन्दर है, लोगों के सामने है। जनता के सामने सारा है आपका।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): यह कह रहे हैं, इनके तो शक्ल पर है आपके दिल में है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, आज मंहगाई की मार इतनी जबर्दस्त है, लोग कहते थे कि गरीब आदमी प्याज फोड़कर रोटी खा लेता था सूखी रोटी प्याज के साथ। गरीब आदमी का बच्चा जब रोता था तो बूढी मां उसको गुड की डली पकड़ा देती थी कि तू गुड़ खा ले। बच्चा चुप हो जाता, चाटने लग जाता था। पर आज गरीब आदमी के साथ कितना मजाक इस सरकार ने किया है, चाहे वह केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोषी दोनों सरकारें हैं, इस मंहगाई पर काबू करने का कोई प्रयास इन्होंने कभी किया नहीं क्योंकि जमाखोरों से मिली हुई सरकार है, जमाखोरों के पैसे से बनी हुई सरकार है।

मैं बहुत ही पीसफुली एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि वह कह रहे हैं कि गुर्जर आन्दोलन का हमने यों कर दिया यों कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। नर मुण्ड मिल रहे हैं बीच बाजार में। आए दिन जितनी हत्याएं, जितनी लूट, जितनी वारदातें आज हो रही हैं, मैं समझता हूं, दो साल का अगर खाका देख लो, माननीय राजेन्द्र जी ने अपने भाषण में उस समय कहा था कि एस सी ए सटी का जो अत्याचार है उसमें राजस्थान दूसरे नम्बर पर आ चुका है। दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान में है राजस्थान। गरीबी में अगर देखोगे तो मेरे खयाल से हमसे नीचे कोई दूसरा प्रदेश तो बचा ही नहीं होगा। आपने मुहिम चलाई, हमारे माननीय सदस्य अभी चले गये रणवीर पहलवान जी, मुहिम चलाई कि कितने लोगों के वारण्ट हैं, या जो भी उनको पकड़ने की बात है,

(डा. दिगम्बर सिंह)

मुझे मालूम है कि कितनी मुंह की बिहार में राहुल गांधी ने खाई, कितनी मुंह की कांग्रेस ने वहां पर खाई है, लालू यादव ने खाई है। बिहार सरकार का अनुसरण करके आप लोगों को अन्दर करना है तो उनको करो जो हैबीचुअल क्रिमिनल्स हैं। अगर गलती से किसी की बेल जम्प हो गयी तो वह इतना बड़ा हैबिचुअल क्रिमिनल हो गया क्या? हमारे माननीय मंत्री महोदय कल जमानत कराके आए हैं, आज ही अख़बार में छप रहा था, यह कोई क्रिमिनल हैं क्या? क्रिमिनल वे लोग हैं जो रोज थाने पर बैठे रहते हैं, जिनके ऊपर छह-छह हत्या के मुकदमें हैं, जो रोज दारू की तस्करी करते हैं, जो डोडा पोस्त की तस्करी करते हैं। उन लोगों को तो पकड़ने का कोई काम नहीं है। आपने तो मुहिम चला दी और सीधे-साधे लोगों के, कभी रणवीर पहलवान का नाम डाल दिया, कभी हमारे राजकुमार जी शर्मा का नाम डाल दिया, कभी हनुमान बेनीवाल का नाम डाल दिया, जैसे इनसे बड़ा आफेन्डर, हैबीचुअल ही नहीं है। इससे सरकार का कोई इकबाल नहीं बन रहा है। सरकार का इकबाल बनता है जब तक घुड़सवारी मजबूती से सरकार नहीं करेगी। आज इस सरकार के फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस गवर्नमेंट का कोई कण्ट्रोल नहीं है। आज ब्यूरोक्रेसी ने जो डिसीजन ले लिया, उसको चेंज करने की क्षमता न तो मंत्री की किसी की है और न ही माननीय मुख्य मंत्रीजी की है। यह तो आज इस सरकार में चल रहा है।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा अच्छा काम तो मुझे बता दें, कि हमारी सरकार ने यह बहुत अच्छा काम कर दिया था। एक राग अलाप रहे थे प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन गांवों के संग जो अभियान चला 52 दिन का, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा फ्लाप प्रोग्राम राजस्थान के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। इसमें इतने नामान्तरण कर दिये, इतने रिकार्ड उपलब्ध करा दिये, इतने जाति प्रमाण पत्र बना दिये, मैं यह कहता हूं कि ये रुटीन के काम हैं, इनको अभियान में क्यों किया जाता है? इसके साथ-साथ और निवेदन करना चाहूंगा...

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आपकी सरकार में अभियान चला था लेकिन एक भी गरीब आदमी का काम नहीं हुआ था। मैंने देखा था प्रशासन गांवों के संग की ओर, उस समय छह साल का काश्तकार पीड़ित था, उसका कार्य नहीं किया गया था।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपके बस की बात नहीं है, बैठ जाओ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाये गये हैं, जबर्दस्ती डाक्टर्स को प्रैस करके विकलांग सर्टिफिकेट इश्यू कराए गए हैं कि चाहे कितने प्रतिशत की विकलांगता हो, आप तो सर्टिफिकेट जारी करिये। किसी को पांच परसेंट का दे दिया, वह कहां लेकर घूमेगा? क्या फायदा उसको मिलने वाला है? केवल इसमें रिकार्ड बनाने के लिए कि हमने इतने लाख नामान्तरण कर दिये। मैं तो कह रहा हूं, जहां नामान्तरण बाकी थे, उस तहसीलदार को, वहां के रेवेन्यू अधिकारी को, पटवारी को सस्पैण्ड करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि अब तक इतनी पैण्डेंसी क्यों थी, क्यों नहीं जाति प्रमाण पत्र बनाते हो आप लोग, क्यों नहीं निवास स्थान प्रमाण पत्र बना देते हो। गांव के गरीब लड़के घूमते रहते हैं, न कोई पटवारी पूछता न कोई तहसीलदार। हमने बहुत बड़ा रिकार्ड पेश कर दिया, हमने इतने लाख बना दिये और छह महीने बाद फिर वह समाप्त। तो इतना फ्लाप शो यह हुआ है।

इसका भी आप सब लोग क्योंकि पक्ष वाले जो विधायक हैं उनकी तो थोड़ी मजबूरी है, आप लोग बोल नहीं पाओगे परन्तु मेरी बात अन्दर से महसूस जरूर करोगे। एक दिन आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, यह भी ध्यान रखना आप। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं बस दो मिनट में समाप्त करूंगा।

राइट टू एजुकेशन का एक्ट अभी आया है, बहुत बड़ा एक्ट बना है, सबके लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी है। इसको लागू करने से पहले प्रिपेरेटरी फेज होना चाहिए था। कितने टीचर्स की आवश्यकता है? पचास हजार शिक्षक लगाने थे, दो साल से बात सुन रहे हैं, हम लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, इस बार भी कहा कि पचास हजार लगा रहे हैं, पिछली बार भी कहा कि पचास हजार लगा रहे हैं, उससे पिछली बार भी कहा, पचास हजार। लगाने की प्रक्रिया छोड़ गये माननीय घनश्याम जी। मैं तो घनश्याम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने और कालीचरण जी ने शिक्षा में बेहतरीन काम किया। जितने स्कूल आपने क्रमोन्नत किये, आज इस सरकार ने और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने आकर पूरा तहस-नहस करके रख दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस एक्ट को लागू जरूर किया जाए, पर इस एक्ट को लागू करने से पहले शाला में कितने भवनों की आवश्यकता है हमें?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आज भी खुले आसमान के नीचे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी कल्पना शायद इस सरकार को नहीं है। अब समाप्त कर रहा हूं।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने कल पहली बार हमारे पूर्व माननीय मंत्री और सदन के सदस्य अमीन खां जी को सुना। जब वो बहुत द्रवित मन से बोल रहे थे तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसे सच्चे और अच्छे इन्सान के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, वह अच्छा नहीं है। अगर यह बर्ताव करना ही था तो इसके लिए आपके शिक्षा मंत्री बिलकुल उपयुक्त आदमी थे जिन्होंने कहा कि नर्सों की चोटी पकड़ कर खींच लो। जिन्होंने कहा कि टीचर्स को तुम्हारी घरवाली के नाड़े के पास लगा दूं क्या। ऐसी असंसदीय भाषा जिस आदमी ने यूज की हो उसके नाम पर तो कुछ नहीं करना और एक बहुत शरीफ और नेक इन्सान जिसने गलती से, वह भी कोई गलती नहीं, उन्होंने तो भावुकता में बताया कि कांग्रेस किस तरह से हाथ पकड़ती है किसी कार्यकर्ता का। यह वह कहना चाह रहे थे। पर इनके साथ जो कुछ हुआ, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रतन जी देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में जो अभिभाषण पेश हुआ है, उनके प्रति धन्यवाद, आभार प्रकट करने के लिये और इस सरकार का नक्शा जो इस सदन में अभिभाषण के माध्यम से इस प्रदेश की जनता के सामने रखा गया है, उसके बारे में बोलने के लिये उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, 2010 और 2011 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा, अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि इस सरकार की जो विकास की नीति है, वह आम आदमी की नीति है। आम आदमी के शब्द का प्रयोग किया है, आम आदमी की बात की है। दोनों जगह आप पढ़ोगे तो महसूस होगा कि इस सरकार ने सर्वांगीण विकास की बात की है। पिछले समय महामहिम ने यह बात कही थी कि सदन के सभी सदस्य जन हित के अन्दर रचनात्मक सहयोग देने के लिये और इस प्रदेश के विकास

(श्री रतन देवासी)

के लिये एकजुट होकर अपनी बात रखें। इस बार भी महामहिम ने यही बात रखी सदन के सामने कि इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी सदस्य एकजुट होकर चिन्तन करें, मनन करें, विमर्श करें और इस सदन में अपनी बात रखें। इस सरकार की सोच, इस सरकार की बात तब साफ हो जाती है जब दोनों जगह, 2010 और 2011 में सरकार ने यह बात कही कि आम आदमी के उत्थान के लिये काम करें। आम आदमी इस प्रदेश के अन्दर सुखी रहे, खुश रहे। अच्छे से अच्छे दिन देखे। उसको बुरे दिन, दुःख के दिन देखने नहीं पड़ें, ऐसा समय नहीं आए, हमारी सरकार इस बात पर मंथन करे। इससे पता चलता है कि इस सरकार की नीति क्या है, सरकार के मन में क्या है।

यह बात अलग है जैसा अभी सदन के हमारे वरिष्ठ साथी दिगम्बर सिंह जी यह बात कह रहे थे कि कभी न कभी सच कहना पड़ेगा हमें। मगर आप भी सच्चाई को कहां कबूल कर पा रहे हैं? यह लोकतन्त्र का ढांचा है, इस बात का हमें पता है कि किसी को हां कहना है और किसी को ना कहना है। आपके मन में हां कहने की नौबत आएगी मगर आप कह नहीं पाओगे। आप तो ना ही कहोगे। अलग-अलग बात हो सकती है। मगर कहीं न कहीं यह बात हमें सदन के सामने रखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि इस प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है। हम कहां सही हैं, हम कहां गलत हैं। दो साल हो गये इस सरकार को और दो साल के अन्दर हमने 4-4, 5-5 बड़े चुनाव देखे। हमने आचार संहिताओं का दौर देखा। हमने भीषण गर्मी पिछले साल 2010 में पड़ी, उस गर्मी के दौरान पानी की समस्याओं को किस तरह से सुलझाना था, उसको देखा। उसके बाद में हमने यह भी देखा, थोड़ी-बहुत कसर रह गयी तो समय-समय पर आप इस आन्दोलन को चेताते रहे कि कहीं न कहीं सरकार व्यस्त रहे। मगर इसके बावजूद कि 24-25-26 महीने के अन्दर आधा समय चुनावों में गया, आपका आधा समय 2-3 महीने गर्मी में गये 2010 में, आधा समय इन आन्दोलनों के कारण ठप्प हो गया, सरकार ने और राज्यपाल महोदय ने अपने दोनों अभिभाषणों में इस बात को सामने रखने की कोशिश की, और बहुत तस्वीर साफ है, कि हम क्या करना चाहते हैं। आप 2008 के चुनाव का कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें और उस घोषणा पत्र के आधार पर जो अभिभाषण 2010 और 2011 में हुआ, उससे आप बात करें।

(श्री रतन देवासी)

अभिभाषण के बाद में मैंने सुना, मीडिया के अन्दर कुछ हमारे प्रतिपक्ष के साथी अपनी बात कह रहे थे तो मुझे ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात का हुआ कि आप प्रतिपक्ष की भूमिका में हो, आप विपक्ष में बैठे हो। आप वहां जाकर आलोचना कर रहे हैं तो आपकी आलोचना ऐसी ठोस बात पर होनी चाहिये जिसे मीडिया के माध्यम से पढ़ने वाला, देखने वाला, सुनने वाला राजस्थान का कोई भी आम आदमी कहे कि इस व्यक्ति ने या इस नेता ने सही बात कही। आपने केवल कह दिया कि अभिभाषण बेकार है, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा हो गया, तो इन शब्दों का राजनीति में कोई अर्थ नहीं होता। आप यह कहते कि बिजली में उस समय यह हुआ, पानी में यह हुआ, समाज कल्याण में यह हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ यह हुआ।

माननीय दिगम्बर सिंहजी ने अभी कहा कि राजस्थान का ग्राफ बढ़ गया है, दलितों पर अत्याचार का बढ़ गया है। हमारे राज के अन्दर आप एक ऐसा समय बताओ, जैसा पिछले आपके राज के अन्दर एक दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार कर उसको पैदल चलने पर मजबूर किया था, ऐसी कोई घटना कांग्रेस के राज के अन्दर हुई है। आप बताओ तो दलित की बात हो सके। हम तो दो साल के अन्दर विकास के काम और समस्याओं को दूर करने के अलावा पांच साल के राज में जो आपने पाप किये, उस पाप को भी धोने में लगे हुए हैं। आपके राज की वजह से ही..

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अमीन खां जी को उतार दिया।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): और भी कोई रह गये हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहता हूं कि एक मिनट वह बोल लें। हमारे मित्र है बाबू सिंह जी, इसीलिये तो आप वक्ता नहीं बन रहे हो। घनश्याम जी बैठे हैं, इनका हम बहुत सम्मान करते हैं और इनको पता है..(व्यवधान) भाटी साहब आ गये, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि अच्छा वक्ता होगा वही अच्छा श्रोता बनेगा। आप सुनोगे। हमने सुना प्रेम से आपको तो कुछ न कुछ यहां से लिया ही होगा और लेने वाली चीज लिखी भी होगी।

मेरा निवेदन है, सभापति जी, आपके माध्यम से कि पांच साल के आपके पाप को धो रहे हैं। पांच साल में आपने इस राजस्थान में जो संस्कृति

(श्री रतन देवासी)

पैदा की, राजस्थान के अन्दर जो कार्य किये, उसको हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं। उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। एक-एक विधान सभा में अगर कोई जानता हो तो इस बात को कह सकता है कि यह बात सही है या गलत है। आपने पांच साल के अन्दर शराब की संस्कृति बढ़ा दी। मैं सीमावर्ती जिले से आता हूं, मेवाड़ के लोग भी यहां बैठे है जहां उदयपुर और कई जिले गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे हुए होंगे। पिछले पांच साल के अन्दर शराब के जो हादसे हो रहे हैं, यह आपकी देन है पांच साल में..(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): राजस्व आय का स्रोत शराब को किसने बनाया? यह नीति किसने लागू की? इस देश को बरबाद कर दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शराब नाम को लोग जानते नहीं थे।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं सम्माननीय भाटी साहब की बात पर ही आगे बात कह रहा हूं। पांच साल में आपने जगह-जगह दुकानें खुला दीं। जो बेरोजगार था उसको मजा आ गया कि चंडीगढ़ का मैं माल बेचूं। मैं प्रेम से चंडीगढ़ का माल बेचूंगा तो पैसे कमाऊंगा। वह रोजगार पर लगता, रोजगार पर नहीं लग सका। उसने चंडीगढ़ का माल बेचना शुरू कर दिया। पांच साल के आपके राज के अन्दर सीमावर्ती जिलों के अन्दर तो यह हाल हो गया कि आम और गरीब आदमी, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति को आपने छोटी-मोटी शराब पकाना, बनाना सिखा दिया। उसने उस शराब को गुजरात राज्य में बेचकर आमदनी का स्रोत ढूंढा जिसकी वजह से आज ये दिन हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं। यह आप लोगों की देन थी। आपके राज की देन थी जो राजस्थान आज तक भुगत रहा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अब तो मिट गया?

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): चालू है, मैं कह रहा हूं। हम तो कह रहे हैं, पाप को धो रहे हैं। हम आपके पाप को धो रहे हैं अभी तक और उसमें सफल भी हुए हैं। मैं खुद इस सदन में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि शराब तस्करी पर अभी रोक लगी है। और रोक लगी, जब-जब ये काम आगे हुए हैं..(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अब तो बहुत सस्ती दर पर दे रहे हो रात को हरियाणा की। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अभी यह बात कह रहा हूं, मैंने पिछले अभिभाषण के दौरान भी यह बात कही है। उन विषयों पर नहीं आना चाहता हूं कई माननीय सदस्य बोल गये, कई माननीय सदस्य बोलेंगे और हर विषय पर बोलेंगे। कोई बिजली पर बोलेंगे, कोई पानी पर बोलेंगे, कोई समाज कल्याण पर बोलेंगे, कोई नरेगा पर बोलेंगे, कोई हरित राजस्थान पर बोलेंगे, कोई शिक्षा के ऊपर बोलेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान की इस विधान सभा का दिसम्बर, 2008 में गठन हुआ उस गठन के दौरान जब हम लोग इस विधान सभा में आये तो राजस्थान के सामने एक तस्वीर आप लोगों ने पेश की। राजस्थान के सामने यह तस्वीर बनायी कि यह राज कैसे चलेगा, यह सरकार कैसे चलेगी। इस सरकार के अन्दर इतने नौजवान लोग जीतकर आये, इतने विधायक पहली बार जीतकर आये जो इस सदन में कब सीखेंगे, कब बोलेंगे। ऐसे मंत्री बने हैं जो क्या करेंगे। एक तस्वीर मीडिया के माध्यम से पूरे राजस्थान में आयी कि इस सदन में प्रतिपक्ष इतना मजबूत रहेगा कि इस सरकार को काम चलाने में ही मुश्किल आ जाएगी। प्रतिपक्ष में इस पूरे प्रदेश की राजनीति करने वाले, प्रतिपक्ष की राजनीति करने वाले सम्मानीय दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, मैं एक-एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम उनका सम्मान करते हैं कि राजस्थान की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, अपना एक महत्व है। ऐसे चेहरों के सामने जब इस सरकार के चेहरे रखे गये तो लोगों में एक बात कही गयी, एक चर्चा का विषय बन गया कि क्या होगा, कैसे राज चलाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार 2010 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद और बजट के बाद से लेकर अब तक जितनी चर्चा हुई उस चर्चा के दौरान राजस्थान के नये आये विधायकों ने अपनी बात मजबूती से रखी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): शासन तो राष्ट्रपति शासन में भी चलता है ...(व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): इससे पता चलता है कि प्रतिपक्ष के सामने क्या बात हुई। आप प्रतिपक्ष की बात करते हो? बिना दूल्हे की बरात है, आप सरकार को बताओगे। बिना दूल्हे की बरात सरकार को बताएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। राजस्थान की जनता ने आपको विधान सभा का चुनाव हराया। राजस्थान की जनता ने आपको लोक सभा के

(श्री रतन देवासी)

चुनाव में मुंह की खिलायी। राजस्थान की जनता ने पंचायती राज के चुनाव में आपको मुंह की खिलायी। राजस्थान की जनता ने स्वायत्त शासन के चुनाव में अधिकतर जगह आप लोगों को मुंह की खिलायी, फिर भी आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। यह आइना था।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कल सफाया हो गया आपका पूरे इंडिया में, कल सफाया हो गया कांग्रेस का। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अब जो चुनाव आएंगे उनमें कांग्रेस का सफाया होगा। दो वर्ष में ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इंडिया में चारों सीटें हार गये, चारों सीटें, कल आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): मैं यही देखना चाहता था कि लोकतंत्र में इस प्रदेश के लोगों ने जो संदेश दिया है और यह संदेश और आइना इनके सामने आता है तो इनको कितना दर्द होता है। इनके उठने से यह दर्द हमें महसूस हो गया और इसके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों को महसूस हो गया कि आज कमजोर विपक्ष के अलावा कोई नहीं हो सकता है। हमारे मंत्रियों की बात करते हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कोई नहीं बैठा है। अब पता लग गया है कि यह सरकार तो आउट गोइंग है। यह आइना है। यह आइना ही तो है। एक भी सीनियर अफसर बैठा हो तो बता दो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): रोहिताश्व कुमार जी, जनता जानती है अच्छी तरह से आप लोगों को।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हां, जान गये, जान गये। (व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, हमारे मंत्रियों की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जब मौका देखते हैं तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों की बात करना चाहते हैं। हम सदन में पहली बार जरूर आये होंगे, चुनाव दूसरी बार जरूर लड़ा होगा। लेकिन चाहे पार्टी की राजनीति हो या राजस्थान की राजनीति को पढ़ना, समझना, देखना, सुनना, जो काम हमने किये हैं उनके मुकाबले 5 साल के अन्दर आप लोगों की

(श्री रतन देवासी)

स्थिति क्या थी? जो इस राज में नहीं है उससे सौ गुणा ज्यादा खराब स्थिति आपकी थी। आपके मंत्रियों के बयान दूसरे मंत्रियों के खिलाफ आते थे। आपकी कैबिनेट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी के सामने ही बयान आते थे ...(व्यवधान) आप ऐसा है सुनो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अमीन खां जी को क्या सुना रहा था कांग्रेस का कार्यकर्ता पाली में? (व्यवधान) क्या सुना रहा था? वह कल बयान नहीं आया क्या पाली का? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। (व्यवधान) आप व्यवधान नहीं करें, वह अपना वक्तव्य भी पूरा नहीं कर पाएंगे।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं उन बातों से ताल्लुक भी रखता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वक्तव्य ही नहीं दे पाएंगे अगर बीच में व्यवधान होगा तो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हम सबकी रक्षा करनी है आपको तो ...(व्यवधान) आप तो दयावान हो, धमकी नहीं दिया करो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि जब यह बोलें तो व्यवधान मत करो, नहीं तो लम्बा चलेगा समय। (व्यवधान) अभी मुझे स्लिप दी है कि किसी को ट्रेन से जाना है, किसी को शादी में जाना है ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, वाद-विवाद में रोचकता आती है ...(व्यवधान) वर्ना नीरस हो जाएगा वातावरण।

श्री सभापति: विराजें, विराजें माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मंत्रियों की बात चल रही थी, आपने कार्यकर्ता की बात कही, यह हमारे यहां आजादी है। माननीय सदस्य अभी बोले माइक पर एक मिनट पहले कि पाली में आपके कार्यकर्ता ने क्या कहा। यह कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं को छूट है कि अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है। आपके राज में तो कार्यकर्ताओं तक को छूट नहीं थी कि अपनी बात कह सकता था। आपने खींवाराम की बात कह दी, राजस्थान के अन्दर इस बात का बवाल मचा दिया है ...(व्यवधान) ओम जोशी जी कल बोले, दूसरे लोग बोले, सारे लोग बोले, इक्टठे होकर बोले।

(श्री रतन देवासी)

आपने एक तमाशा बना दिया राजस्थान के सामने। एक खींवाराम क्या आया कि आपने उसका प्रदर्शन पूरे राजस्थान में कर दिया। सही बात कही किसी ने, कल मैं सुन रहा था, रोहिताश्व जी माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप में हिम्मत है तो बोलकर बताओ ...(व्यवधान) जो अमीन खां जी ने कहा है आप बोलकर तो बताएं...(व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सदस्य रोहिताश्व जी खड़े होकर कह रहे थे कि एक लाख की शर्त लगा दूंगा अगर आप उठाकर ले आओ, कल मैंने बात सुनी। जब हमारे मंगलाराम जी गोदारा यह बात कह रहे थे तब उन्होंने सही बात कही कि अगर हमारे राज में ऐसा हुआ होता तो आप उसको पट्टी बंधवाकर इस सदन में लेकर आ जाते। यह लोकतंत्र की पहचान है, आपके राज के अन्दर जो नहीं हुआ। मुख्य मंत्री को मिलने के लिए आपके मंत्री समय लेते थे, आपके मंत्रियों को समय नहीं मिलता था। यहां राजस्थान का आम आदमी जाकर मुख्य मंत्री के वहां जन सुनवाई कर सकता है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अपना समय दे सकता है। राजस्थान का आम आदमी जानता है कि मुझे सुबह 8 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जाना है तो किसी का अपाइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मुख्य मंत्री निवास पर जाकर अपनी बात कह सकता हूं। आपके समय में आपके मंत्रियों को समय नहीं मिलता था। यह भारतीय जनता पार्टी के राज और कांग्रेस के राज का फर्क है। उसमें किसी ने अपनी बात कह दी तो क्या हुआ? उस बात को आप अलग से लेकर चले गये?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना ही अपनी बात कहने का अधिकार है तो अमीन खां जी ने कौनसी गलत बात कही थी? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतनी छूट दे रखी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अब कुछ अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, बोलने वाले माननीय सदस्य को आपने जिनका नाम पुकारा है, सभापति महोदय, हाउस को थोड़ा व्यवस्था में रखवाएं।

श्री सभापति: वह मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, पिछली बार जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो मुझे बराबर याद है, उस समय यहां पर एक बात आयी थी कि कांग्रेस वालों को और इस सरकार को किसी संस्था का नाम देना है तो इनको राजीव जी और उनके अलावा कोई नाम याद नहीं आता है। मैंने उस समय भी यह बात कही थी और आज फिर से इस बात को उस ताल्लुक में कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल सत्य बात है कि हमको राजीव जी के अलावा कोई याद नहीं आता। हमको इंदिरा के अलावा कोई याद नहीं आता। हमको नेहरू के अलावा कोई याद नहीं आता। हमको सरदार पटेल के अलावा कोई याद नहीं आता ...(व्यवधान) आप तो पड़ोसी हो, आप तो धर्म निभाओ पड़ोसी का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं समय का पूरा ध्यान रख रहा हूं, जो रोक-टोक हुई है वही समय एक्सट्रा ले रहा हूं। सभापति महोदय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाने की बात आयी, किसी ने बात ही नहीं कही। पिछली बार हंगामा हो रहा था इस नाम को लेकर कि सब जगह राजीव का नाम रख रहे हैं। हमने तो कभी यह नहीं कहा कि मध्य प्रदेश के अन्दर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से छात्रवृति योजना चल रही है। पिछले बजट के अन्दर गुजरात की सरकार ने नगर विकास न्यास और नगर सुधार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी नगर विकास योजना को लेकर 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, उनके नाम से स्कीम रखी है। गुरू गोलवलकर की स्कीम हो, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं। हम यह कहते हैं ...(व्यवधान) कि मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो, गांव का कोई व्यक्ति हो, पंचायत का कोई व्यक्ति हो, जिले का कोई व्यक्ति हो जिसने अच्छा काम किया हो, जिसका परिवार भामाशाह परिवार हो, जिसने उल्लेखनीय कार्य किया हो, जिसको लोग आदर्श मानते हैं अगर उसके नाम से आप प्याऊ से लेकर मोहल्ले, सड़क, मार्ग वगैरह कोई भी नाम रखना चाहते हो तो आप रख सकते

(श्री रतन देवासी)

हो क्योंकि वह आम आदमी का आदर्श होता है और उस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, उस बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री सभापति: अब आप समअप करें, माननीय सदस्य।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, मैं मेरी दो बातें कहकर समअप करना चाहता हूं। सरकार ने खूब काम किये हैं, वे काम दिखेंगे भी और आगे पता भी चलेगा। भले ही वह अनुसूचित जाति, जनजाति को लेकर स्कीमें हैं, पिछड़ों को लेकर हैं, और माननीय हेमसिंह जी, मेरे मित्र जोर-जोर से कह रहे हैं कि एसबीसी की भी हैं। इन सभी की हैं। सभी की व्यवस्था है, सभी की स्कीमें हैं। भले ही बालिकाओं को साइकिल बांटने की बात हो, अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय छात्रावासों की बात हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की बात हो, माडल स्कूल प्रस्तावित किए, वह बनाने की बात हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, 33 केवी बनाने की बात हो, पानी का जो मैनेजमेंट किया गर्मियों के दौरान टैंकरों से, उसकी बात हो, पानी की स्कीमों की बात हो, किसी भी विभाग की बात हो, उस विभाग पर चर्चा करके हम बता सकते हैं कि सरकार ने किस हिसाब से काम किया है। कल रघु शर्माजी ने एक बुकलैट बताई थी, मैं वह बुकलैट सभी विधायकों को मेरी तरफ से अलग से भी भेंट करूंगा ताकि आप महकमावाइज बता सको। मैं मेरी कांस्टीट्युएंसी की बात कर रहा हूं, आप उसमें देख सकते हो कि क्या हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, समय ज्यादा हुआ है, कहने को बहुत बातें हैं, हमारे साथी सारी बातें कह देंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी बात है। पेंशन की बात आई, मैंने हमेशा व्यक्तिगत तौर पर इस बात को माना है और मेरे क्षेत्र में मैंने अलग से व्यक्ति बैठा कर पेंशन परामर्श केन्द्र खोला हुआ है। क्योंकि एक विधवा, एक विकलांग जब पांच सौ, सात सौ, आठ सौ रुपए की पेंशन के लिए भटकता है तो उसका दर्द हमें महसूस होने लगता है कि क्या दर्द होता है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हमारे प्रतिपक्ष के साथी, मेरे मित्र ओम बिरलाजी ने बाहर मीडिया से बात की कि जो जन्म लेता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना है और जो मरेगा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। यह तो हमको ही पता है कि जो जन्म लेगा उसका भी बनेगा और जो मरेगा उसका भी बनेगा। जो जियेगा उसका ही बनता है, मगर किसी ने कह

(श्री रतन देवासी)

दिया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान लॉ एण्ड आर्डर को छिपाने के लिए है, किसी ने कह दिया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए है, किसी ने और कुछ कह दिया। मैं आपको विद प्रूफ, विद एविडेंस, न्यूज पेपर्स, फोटोज, मीडिया की कटिंग्स, स्पीच रिकार्डेड बता सकता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद खुद कैम्पों में जाने के लिए लालायित होते थे और एस डी ओज को फोन करते थे कि यह पट्टा, ये प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ये विकलांगों के सर्टिफिकेट, ये खाद-बीज की बोरियां जो देंगे, वह हमारे आने के बाद ही बांटना, हमारी वहां उपस्थिति होनी चाहिए। रोज वह खुद उन कैम्पों में जाते थे। मैं इस बात को आपके सामने रख सकता हूं, सदन की टेबल पर भी इस बात को रख सकता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): इसका मतलब यह था कि इस अभियान से आम आदमी को राहत महसूस हुई। कितने सर्टिफिकेट बने? आपके राज में क्या वे रोज धक्के नहीं खाते थे? मैं यह कह सकता हूं कि काम में डिले होता है, मगर साथ में इतने सारे लोगों को रिलीफ मिली है। इसका मतलब यह है कि इतने सारे लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए अगर दो महीने यह अभियान चला है तो राजस्थान की जनता इस अभियान में पूरे-पूरे दिन, 12 घण्टे, 8 घण्टे सिनेमा देखने नहीं गई थी, अपना काम करवाने गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सरकार की जो एक तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने रखी है सदन के माध्यम से कि विकास और सर्वांगीण विकास, आम आदमी का विकास, दलित, पिछड़े और महिलाओं का विकास किस प्रकार से होगा। क्या-क्या कार्यक्रम होंगे, क्या काम हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने पूरे प्रदेश के सामने सदन के माध्यम से रखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उसके समर्थन में खड़े होकर शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि बहुत अच्छा विकास इस प्रदेश का हो सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है, दो दिन से यहां पर बहस चल रही है। लेकिन वाकई में यह सही है कि 2 साल से जब से राजस्थान में कांग्रेस की

(श्री पेमाराम)

अशोक गहलोत की सरकार आई है, एक असफल सरकार के रूप में साबित हुई है, इससे बड़ा कोई उदाहरण राजस्थान में हो नहीं सकता। बिजली की बात करें, तो कि बिजली का उत्पादन कर दिया। निश्चित तौर पर उत्पादन किया, निश्चित तौर पर पेट भरा। जो पुरानी लाइनें थीं, उनको उतार कर दूसरी वाली केबल कमीशन पर खरीद कर या तो ठेकदारों का पेट भरा या अधिकारियों का या बाकी लोगों का पेट भरा। आम जनता को आज भी गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, मैं तो आप तमाम लोगों को कह रहा हूं जो यहां चुनकर आए हैं माननीय सदस्य, राजस्थान की ढाणियों में जो लोग आवास करते हैं, इस अभियान के मार्फत आप यह शो करना चाहते हो कि राजस्थान सरकार ने ठीक किया, इस बात के लिए आप धन्यवाद लेना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की ढाणियों में आवास करने वाले कोई भी गरीब, बीपीएल को आपने कनेक्शन नहीं दिया। ढाणियों में आवास करने वालों के कनेक्शन को रोक कर रखने वाली कोई है तो वह राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है। बंद कर दिये। उधर से कोई लाइन गुजरती है, 60 साल की आजादी के बाद कोई भी बल्व से उजाला करना चाहता है, आपने एक ही काम किया है, वी सी आर के नाम से राजस्थान की जनता को लूटने के लिए जितने राजस्थान में जिले नहीं हैं, उससे ज्यादा आपने बिजली के वीसीआर के थाने बना दिये। जनता को मुकदमा दर्ज करवाकर थानों में भिजवाने का काम किया है। मैं तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देशन दें कि इनको सद्‌बुद्धि आए और ढाणियों में आवास करने वाले लोगों के विद्युत कनेक्शन चालू करें।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक प्रशासन गांवों के संग अभियान का सवाल है, नामांतरण से लोग इसलिए वंचित रह गये कि जब से यह सरकार आई है, एक तरफ महंगाई ने राजस्थान की जनता का, देश की जनता का कचूमर निकाल कर रख दिया। गरीब को दो जून के बजाय एक जून की रोटी खाने के लिए बाध्य करने वाली कोई है तो वह कांग्रेस की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के मंत्री का अधिकारी कहना नहीं मानते, राजस्व अधिकारी कहना नहीं मानते। यदि किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके पांच बेटों के नाम जमीन का नामांतरण होना था, उसमें पैसे लिए मगर नामांतरण नहीं खोल रहे थे। उसी का परिणाम है, नामांतरण पिछले दो वर्ष से भ्रष्टाचार के कारण रुके हुए थे।

(श्री पेमाराम)

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान का जहां तक सवाल है, पहला ही दिन था, सिहोट छोटी में, मेरे इलाके में यह अभियान शुरू हुआ। पहले ही रोज इनका तहसीलदार बच्चों के प्रमाण-पत्रों पर दस्तखत नहीं करे, आदत पड़ी हुई थी। (व्यवधान) यह दो वर्ष की आदत थी। वह तो ऐसा है कि आप बैठ गये, आपने किया तो इधर, वह नहीं करेंगे वह इधर आएंगे। जब हम सरकार में आएंगे और अमराराम राजस्थान का मुख्य मंत्री बनेगा तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होगा जो उनको रोके। आएंगे और आपको यहां बैठा कर हम आर्डर निकालेंगे। उसके बाद महंगाई को भी कण्ट्रोल करेंगे और नामांतरण का एक आर्डर निकाल देंगे कि जिसका पिता फोत हो गया, 15 दिन के भीतर जो भी अधिकारी नामांतरण तस्दीक नहीं करेगा, उस तहसीलदार को घर भेजने का काम करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे काम रुकता है।

माननीय सभापति महोदय, तहसीलदार ने यह काम नहीं किया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। इनका चीफ सैक्रेटरी वहां गया, मैं वहां मौजूद था, आपका एस पी चला गया दो ट्रक लेकर। मैंने कहा, एस पी साहब, पहले ही रोज मुझे गिरफ्तार करवा लो, बढ़िया रहेगा। वर्ना जो काम नहीं करेगा, जनता हर रोज हर पंचायत में समस्या लेकर आएगी। यह हालत है प्रशासन गांवों के संग अभियान की। मैं तो पूरा लेकर आया हूं।

आज सहकारिता मंत्रीजी यहां नहीं है। आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये प्रमाण मेरे नहीं हैं, लोगों के हैं जिन्होंने अर्जी दी है। गरीबों ने राजस्थान की संवेदनशील और पारदर्शी सरकार से फरियाद की है कि हे प्रशासन वालों! यह मेरी जमीन है, मैं को-आपरेटिव का मैम्बर हूं, मुझे लोन दो। उसमें देखते हैं कि यह कांग्रेस को वोट देने वाला है, यह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। हमने कहा कि यह इलाका तो हमारा है, आप पक्षपात कर रहे हैं। यह मेरा नहीं है। कौन प्रमाण-पत्र की बात करने वाला है? हमने वहां कहा कि हमें प्राप्ति रसीद दो, छपवाओ। आपने प्रशासन गांवों के संग अभियान के नाम पर राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपयों का चूना लगाने का काम किया है, काम करने का काम नहीं किया है। जनता का कोई काम नहीं किया।

(16.00 बजे)

मंडावरा, दुजोद, मुझे बताइए, एक-एक गांव का नाम पुकारूं? प्रशासन गांव के संग के अभियान की बात करते हो, सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के

(श्री पेमाराम)

सवाल पर मैं कल बोला था और आज आपको बता दूं, 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद अजमेर के सरकारी अस्पताल में दलित की बेटी थी, गरीब की, राजस्थान में दलितों पर इसलिए अत्याचार बढ़े हैं कि कांग्रेस दलित के बेटे का कत्ल हो जाए, अपराधी को नहीं पकड़ेंगे। दलित की बेटी के पूरे 9 महीने का बच्चा हो जाए, अजमेर के अस्पताल में जनम के आया है, कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी कोई है, मुझे बताओ, अपराधी का तो बाद की बात है जेल में जाना, कोई है जो उसको छाती के लगाए? उसकी मां पागल हो गई, बाप पागल है, उस बेटी का कौन धणी? पारदर्शी और संवेदनशील। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का नाम भी अपराधियों की लिस्ट में हो, वहां राजस्थान की आम जनता इस सरकार से, अशोक गहलोत की सरकार से न्याय की उम्मीद कर नहीं सकती।

सभापति महोदय, जहां तक पंचायती राज में 5 विभाग देने का सवाल है, आरपीएससी से होती थी, क्या किया? एक ही काम किया, अपने चेलों को पालने के लिए कि जिला परिषदों से भर्ती होगी। वहां चेले पलेंगे, बेइमानी और भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा। एक ही काम किया आपने कि बेइमानी और भ्रष्टाचार राजस्थान में बढ़ाया जाए। यही है, वर्ना मुझे बताइए, पोस्टें सारी खाली हैं, नौकरियों पर पाबंदी है, कोई नौकरियां खोलते, लोगों को लेते। अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय क्या कह रहे थे? बोले कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों को हम सरकार में लेंगे। मैं तमाम से पूछ रहा हूं, आपसे कांग्रेसी भाइयों, बैकलाग है आज भी शिड्यूल्ड कास्ट का, आपने लाक लगा दिया उन पर, दलित विरोधी काम करके। शिड्यूल्ड कास्ट का वोट लेने के लिए तो पैर चूमने के लिए जाते हो, वर्षों से वोट लेने की बात करते हो और यहां आकर एक ही काम करते हो। उनके घर पर छड़ा डालने का काम करते हो कि कहीं उसका बेटा पढ़ नहीं जाए, कहीं उसका बेटा नौकरी नहीं लग जाए। उसके ताला लगाने का काम करते हो।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक छात्रवृति का सवाल है, मेरे सीकर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के बच्चे जो सरकारी कल्याण कालेज में पढ़ते हैं, गर्ल्स कालेज में पढ़ते हैं, पिछले 2 साल से छात्रवृति बाकी है, दो वर्ष से। अब भी मानवता है, अब भी राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार में मानवता है तो सीकर जिले की दो साल से जो छात्रवृति बकाया पड़ी है, भिजवाओ, मैं स्वागत करूंगा आपका। वर्ना मेरा मानना यह है कि वाकई में जानबूझकर यह सरकार गरीब के बेटे को समय पर इमदाद नहीं देना चाहती।

(श्री पेमाराम)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक खनिज नीति का सवाल है, हमारे जिले में तो बंटाधार हो रहा है। खनिज माफिया पैदा हो गये हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनमें से किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो खनिज माफियाओं को रोके, न राजस्थान की पुलिस में ऐसा कोई अफसर पैदा हुआ जो खनिज माफियाओं को रोके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, ऐसे तो डार्क जोन है हमारे सीकर जिले में नीमकाथाना इलाके में, लेकिन अवैध तरीके से वहां पर ट्यूबवैल बनाकर बजरी की धुलाई की जा रही है, पानी का दोहन कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार कह रही है, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहलवा रहे हैं कि जल नीति बनाएंगे। खुद पर लागू नहीं करेंगे, खिलाफ वालों के लिए जल नीति बनाएंगे। एक ही काम कर रहे हैं विरोधियों से चुन-चुन कर बदला लेने का।

सभापति महोदय, जहां तक हरित राजस्थान का सवाल है, हरित राजस्थान में हरा भरा राजस्थान हो, ऐसा सपना था मुंगेरी लाल का। सभापति महोदय, मेरा तो निवेदन है कि आप यहां विधान सभा की एक कमेटी बनाइए, तमाम दलों की कमेटी बनाकर उनकी जांच करवाइए, कागजों में पौधे हो सकते हैं, जमीन पर पौधे, इस साल तो बरसात भी खूब हो गई, यदि पौधे होते तो जिंदा मिलते। लेकिन उसमें भी अड़ंगा डालने का काम किया है। पिछले बजट में हमारे सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदय कह रहे थे, हरित राजस्थान में बढ़िया सड़कें बनाएंगे। मुझे नहीं पता, राजस्थान में क्या किया, हमारे जिले में जो पहले से ही बनी हुई थी, वह तो टूट गई और हरित राजस्थान में नई सड़कें बनाने वालों। सड़कों के दोनों तरफ आपने खड्डे खोदकर पटक दिये। 12 महीनों से जनता दुःखी है, उस पर न कोई कांकरी पड़ती है, डामर की तो कल्पना छोड़ दो। मुझे पता है कि आने वाले ढाई साल में आप चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे और वे खड्डे जनता की छाती पर छोड़ जाएंगे।

सभापति महोदय, अभी अभिभाषण में कहा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का। ये हमारे सीकर से चुनकर आने वाले और नीमकाथाना से भी माननीय सदस्य बैठे हैं, हमारे जिले में क्या हुआ? सीकर जिले में, कांग्रेसियों, सुन लो, कितनी ढाणियों की परमिशन आ गई केन्द्र सरकार से? सीकर जिले

(श्री पेमाराम)

की जिला परिषद् में अभी तक एक भी प्रस्ताव नहीं रखा गया। ऊपर से कहां से टपका, यह मुझे पता नहीं। हम तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से चुनकर आए हैं, अमराराम जी दांतारामगढ़ से, वहीं से चुनकर आए हैं, फिर भी पांच कांग्रेस से चुनकर आए हैं, तीन के इलाके लक्ष्मणगढ़ में एक सड़क नहीं, फतेहपुर में एक का प्रस्ताव नहीं। यह कहां से लाये हो, कौन से कानून की बात करते हो?

(16.07 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

इसमें भी आपने एक ही काम किया है, अभी डाक्टर साहब कह रहे थे, अंधा बांटे रेवड़ी। पोपा बाई का राज हो गया, मर्जी आए उसके खाते में डाल दो और मर्जी आए उसको ऊपर करवा दो। सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा कि महामहिम से राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने असत्य का एक पुलिंदा इस पवित्र सदन में पढ़वाया क्योंकि सरकार दो साल में लगातार असफल होती जा रही है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ लोगों में त्राहि-त्राहि और दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों का ब्यूरोक्रेट्स पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं, ब्यूरोक्रेट्स इनका कहना नहीं मानते इसलिए, सभापति महोदय, सरकार दो साल में लगातार हर मोर्चे पर विफल रही है, मैं तो यह कहूंगा कि सरकार को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देकर जनता में जाना चाहिए। मैं राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने 3 जनवरी, 2009 को कहा कि हम आधुनिक राजस्थान बनाएंगे, 22 फरवरी, 2010 को कहा कि राजस्थान में नये राजस्थान का संकल्प कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव के बाद सफलता मिली है, नीतियों को सफलता मिली है, कार्यक्रम को सफलता मिली है। 15 फरवरी को महामहिम के मुख से कहलवाया गया कि हम नये राजस्थान के निर्माण के संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा होता, यह कहलवाते, जो 22 फरवरी को आपने कहा था कि नगर निगम के चुनाव में जीते हैं, हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जीते हैं तो एक साल के अन्दर महामहिम ने 15 फरवरी को भाषण दिया, महामहिम के मुख से यह भी कहलवाते कि हम 9

(श्री ओम बिरला)

महीने के अन्दर राजस्थान की जनता का विश्वास खो चुके हैं। बहुत लम्बा समय नहीं हुआ, लोक सभा से विधान सभा, विधान सभा से नगर निगम, पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव की स्थिति दो साल में राजस्थान की जनता देख रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन जनवरी को विश्वास मत के समय बड़ी बात कही थी। बहुत दर्द था उनको राजस्थान की जनता का। कह रहे थे कि पिछले राज में गुंडागर्दी होती थी, डकैती आम बात थी, ऐसा राज मैंने जिन्दगी में नहीं देखा। महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी महिलाओं की चेन खींची जाती थी, मंत्रिमण्डल के सदस्य मुख्य मंत्री पर आरोप-प्रत्यारोप करते थे, फोन टेपिंग होता था। दो साल हो गये, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कौनसा फोन टेप हुआ, इसकी जांच के परिणाम आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय बताते। कौनसा गुंडा राज रुक गया? डकैतियां होती हैं राजधानी के अन्दर, महिलाओं का मंगलसूत्र छीना जाता है। आज भी राजस्थान के अन्दर हजारों लोग लापता हैं। राजस्थान के गृह मंत्री के शहर में सरोज मीना, दीपावली के दिन जब लोग दीये जला रहे थे, उजाला हो रहा था, और वह गरीब चौकीदार अपनी बेटी को लेकर घूम रहा था। अंधेरे के अन्दर थाने में जा रहा था कि मेरी बेटी लापता है, नाबालिग है, दुबली-पतली है, शक्ल से ऐसी भी नहीं है कि किसी के साथ भाग जाए। थाने वालों ने फरियाद नहीं सुनी तो गृह मंत्रीजी के यहां पर गया पर फरियाद नहीं सुनी गयी और आज भी वह सरोज मीना लापता है। कितने नाबालिग राजस्थान के अन्दर लापता हैं? मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्री महोदय, कोई अमीर की बेटी होती तो शाम को लौट जाती, पर वह जनजाति के गरीब मजदूर की बेटी थी, उसकी आंख के आसूं नहीं थम रहे थे। थोड़ी देर बाद गया तो पता चला कि सविता चतुर्वेदी घर से बाहर निकली तो मंगल सूत्र छीनकर गली में ले गये। जोधपुर के अन्दर चेनें छीनी जा रही हैं। अब तो गुंडाराज नहीं दिख रहा आपको? अब तो कोई महिलाओं की चेन नहीं खींची जा रही है? मुख्य मंत्रीजी, बहुत लम्बा समय नहीं हुआ, केवल दो वर्ष हुए हैं।

आपने कहा था कि शराब संस्कृति पैदा कर दी। और भी वक्ता कह रहे थे कि जगह-जगह दारू की दुकानें खोल दीं। आपने क्या किया? 2008 में 22 बीयर बार और आज 132 बीयर बार। गली-गली में बीयर बार खुली हुई हैं। रात को 12 बजे तक दारू पीयी जा रही है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं राजस्थान के विधायक के नाते कहना चाहता हूं, जिन दुकानों को कम करने की बात इन्होंने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं रिजाइन दे दूंगा

(श्री ओम बिरला)

अगर गलत हो, कि अंग्रेजी शराब की दुकानों को कम करने का दावा करने वाली सरकार ने जितने भी गांव-ढाणियां हैं उन गांव-ढाणियों में देशी शराब के साथ अंग्रेजी शराब के आउटलैट दिये हैं जिनकी संख्या हमारी सरकार से डेढ़ी है। मैं यह सदन में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजस्थान के आबकारी मंत्रीजी बता दें। या जो बात मैंने कही है, उसका खंडन कर दें। जिस शराब संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, स्पिरिट बेची जा रही है। मुख्य मंत्रीजी, शहर के चार कदम दूरी पर लोगों की जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, चार कदम शहर से दूर। आपकी नाक के नीचे जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, पाली में मर गये चार दिन बाद। नवजीवन योजना शुरू की, कौनसी नवजीवन योजना? दो हजार कौन से लोगों को रोजगार? +++ मत करो यह बेइमानी गरीब के साथ। नवजीवन योजना के बारे में अभी हमारी विधायक कह रही हैं कि कलक्टर खा गये....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ये शब्द लिये गये हैं....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मैं कह रहा हूं +++

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मेरा निवेदन है कि उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए और माननीय सदस्य को इस बात के लिए भी आपकी ओर से आगाह किया जाए कि भाषा की शालीनता का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह लफ्ज आपने कैसे इस्तेमाल किया पूर्व सरकार के लिए? (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, कृपा करके विराज जाएं। सम्माननीय, आप भी विराज जाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, ऐसे शब्द काम में लिये जा रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य नशे में हैं।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य श्रीमान्, आप अपने श्रीमुख से फरमाओ अब। (व्यवधान) आदरणीय, अब आप विराज जाएं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने श्रीमुख से ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जो थोड़ा-सा ठीक हों।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने दो साल में राजस्थान की जनता को कई बातें कहीं....

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, अगर इसमें ऐसा कोई शब्द जिसको असंसदीय स्वरूप में पहचाना गया हो उसको आप एक्सपंज कर दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुझे भी अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर प्राइवेट अस्पताल में मरने के बाद भी रखते हैं। (व्यवधान) पेंशन के लिए लोग चक्कर काटते हैं, मिलावट करने वाले लोगों को फांसी देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की बगैर परमीशन के कोई भी शब्द बोला गया तो अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आरपीएससी के गैस्ट हाउस में कहा कि भर्ती में दलाली हो रही है। किसके राज में दलाली हो रही है? किसका राज है? थानेदार को पता है कि कौन चोर है, कौन चोरी कराता है। सारे सिस्टम पर आक्षेप लगा दिया, सारा सिस्टम करप्ट बता दिया। कौन सुधारेगा इसको? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य मंत्रीजी, आप हमारे नेता हैं, आपको लगता है कि यह सिस्टम गलत है, जो हमें भी लगता है कि गलत है तो सुधारो सिस्टम को। दो साल के अन्दर बहाल करते हैं। करप्शन के बारे में हमने कोई नीति बनाई, कानून बनाया? मैंने मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन पर कहा, मुख्य मंत्रीजी, सादगी, ईमानदारी का चेहरा दिखता है, एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार करने वालों को पसंद नहीं करते। कालीसिंध के ठेकेदार और एफसीआई के गोदाम, ऐसे लोग आपकी पसंदगी नहीं हैं। दो साल में एक बार कानून बनाते कि जो भ्रष्ट अफसर होगा उसको इतने दिन के अन्दर कानूनी सज़ा होगी। जो मंत्री पर आरोप उनके विधायक लगा रहे हैं, केकड़ी वाले माननीय विधायक ने कहा कि मंत्रीजी अवसाद में हैं, फिर भी मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि पर्चियां जा रही हैं, लैटरपैड पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लोगों को दे रहे हैं, सारा करप्शन का अड्डा हो चुका है। कौन रोकेगा? हमारे पिलानी वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी 8वीं पास नहीं हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये मंत्रीजी चोर और भ्रष्ट व्यक्तियों को लगाते हैं। एक माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे। आप लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। कौन मंत्री चोर है? अगर एसीबी के अन्दर प्रधान मंत्री ने जांच नहीं भेजी है तो खण्डन करें मुख्य मंत्रीजी, कि प्रधान मंत्री के यहां से कोई पत्र नहीं आया है। नहीं तो दो साल तक ए.सी.बी. की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। जैसे आपने कहा था कि हम इस सरकार की 90बी की जांच करेंगे। करते 90बी की जांच, करते फोन टेपिंग

(श्री ओम बिरला)

की जांच। एक कह रहे थे कि सरकार को चलाने वाले कोई और व्यक्ति होते। अगर और कोई व्यक्ति होता, दोषी होता और जेल में डालते मुख्य मंत्रीजी तो हम धन्यवाद देते। यहां सदन में कहने से काम नहीं चलेगा। जिन मुद्दों पर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने विधान सभा के सदन में कहा है, सदन के बाहर कहा है, अच्छा होता, राजस्थान के मुख्य मंत्री उन बातों का एग्जीक्यूशन करते। तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता। लेकिन जिस बात की सत्यता नहीं है, केवल आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम कहते हैं, पूरा देश जानता है कि राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के राज में राजस्थान विकास की ओर चलता था, पहिया कभी थमता नहीं था। देखो, पड़ौस के राज्य की स्थिति। जिस औद्योगिक निवेश की आप बात कर रहे हो, वह 30,000 करोड़ रुपये की हमारी योजना थी। केकड़ी के माननीय विधायक महोदय ने कहा था कि हम दो योजना लाये जिसमें एक होंडा थी, दूसरी योजना और भी थी। माननीय सदस्य, यह हमारे कार्यकाल की योजना है। आपने तो फीता काटने का काम किया। पड़ौस के राज्य को देखो...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जब तक तुम्हारा राज चला जाएगा। पड़ोसी राज्य गुजरात में जाकर देखो, 20 लाख करोड़ रुपये का एक दिन में निवेश और कोई गुजरात के मुख्य मंत्री पर करप्शन का आरोप आज तक नहीं लगा सकते। कहां राजस्थान, कहां गुजरात !

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमसे छोटा प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से कमजोर, पानी-बिजली से कमजोर। चाहे राजस्थान में बिड़ला हो, चाहे राजस्थान में मित्तल हो, चाहे राजस्थान में बजाज हो, पर एक लाइन में आकर बैठते मुख्य मंत्री के साथ में। माननीय सभापति महोदय, कौन से बेबस मुख्य मंत्री के राज में हम बैठे हैं। सारे आई.ए.एस. आफिसर्स बेलगाम हो चुके हैं। एक आई.ए.एस. आफिसर जिस पर इन्कम टैक्स का छापा पड़ा, खेल के मैदान से सरकारों को चला रहा है। गुंडों के पासपोर्ट बना रहा है। नरेगा के अन्दर शीट पर लिखा कि इसको सस्पैंड करना चाहिए, चीफ सैक्रेटरी ने जांच में डाल दिया। घनश्यामजी तिवाड़ी साहब कह रहे थे कि आई.ए.एस. ने नये जयपुर के अन्दर जमीनें खरीद लीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, हम भी सिस्टम के पार्ट हैं,

(श्री ओम बिरला)

आप भी सिस्टम के पार्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं होती। अगर करप्ट है तो लगाम लगाओ, रोको। कोई थानेदार चोर है तो रोको, कहो मत, नहीं तो सारा सिस्टम कालैप्स हो जाएगा। गृह मंत्रीजी क्या करेंगे? 10-10 डी.जी. और आई.जी. क्या करेंगे? आप थानेदार की मानिटरिंग करोगे तो ये लोग क्या करेंगे?

मानननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहना चाहता हूं। महंगाई पर अभी चार फरवरी को देश के प्रधान मंत्री ने कहा। ऐसे प्रधान मंत्री बहुत सज्जन हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने का काम राज्य सरकारों का है। उनको यह पता नहीं कि राजस्थान में उनकी सरकार है। एक गरीब व्यक्ति जिसके बारे में मुख्य मंत्री कहते हैं कि नरेगा में क्रय शक्ति बढ़ गई है, उसका पेट दबा हुआ है। उसके कपड़ों को देखो, माथे को देखो, गरीबी लिखी हुई है। उसके लिए महंगाई कम करने पर आपका कोई नियंत्रण होना चाहिए, कोई निर्णय होना चाहिए। गेहूं पर चार प्रतिशत टैक्स, 1.6 प्रतिशत मण्डी टैक्स, खाद्य पदार्थ पर पांच प्रतिशत टैक्स, 1.6 प्रतिशत मण्डी टैक्स। पैट्रोल-डीजल की बात करने वाले मुख्य मंत्रीजी, अच्छा होता कि आप प्रधान मंत्रीजी की सलाह मानते। जब आप प्रधान मंत्री की सलाह नहीं मानेंगे तो कौन राज्य सलाह मानेगा? प्रधान मंत्रीजी, किसको कह रहे हो आप कि राज्य महंगाई कम करे? मैं तो आटे और दाल की बात कर रहा हूं, मैं देशी घी और मक्खन की बात नहीं कर रहा हूं। जो गरीब रोज खाता है, उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा होता, मुख्य मंत्रीजी, महंगाई कम करने में आपका सकारात्मक पहलू हो और जिन विषयों पर आपके प्रधान मंत्री ने कहा है, उनको एग्जीक्यूशन करो। नहीं तो लोग प्रधान मंत्री की सलाह मानना छोड़ देंगे। और यह बहुत गम्भीर बात है कि राज्य और केन्द्र के अन्दर टकराव की स्थिति पैदा हो। यह सिस्टम के लिए ठीक नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं की मैं बात कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय दिगम्बर सिंह जी बता रहे थे। मेरे हाड़ौती में 39 सी.एच.सी. हैं, दुरु मियां साहब, सी.एच.सी. के अन्दर आपने खुद कहा है कि उसमें अभी तक एक भी आपरेशन नहीं हुआ है, 20 करोड़ रुपये लग चुके हैं। यंत्र हैं, लेकिन आपरेशन के लिए डाक्टर नहीं है। इतना ही नहीं, किस बी.पी.एल. की बात कर रहे हो? एक गरीब बी.पी.एल. कोटा मेडिकल कालेज में चला जाए, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, वाल्व चेंज हो नहीं सकता, न्यूरो सर्जरी का आपरेशन नहीं हो

(श्री ओम बिरला)

सकता। जयपुर में आ जाए तो, ओपन हार्ट सर्जरी उसकी होती है जिसके 90 प्रतिशत ब्लाकेज होते हैं। उस बी.पी.एल. को नौ महीने तक इंतजार कराओगे तो वह जिंदा रहेगा या मरेगा? आपको अगर 95 प्रतिशत ब्लाकेज बता दें, दुरु मियां साहब, और नौ महीने बाद अगर आप आपरेशन के लिए चले जाओ तो मैं आपको कहूंगा कि आपने उस बी.पी.एल. के, गरीब के दर्द को देखा है। आपको इबादत दी जाती है रमजान के अन्दर कि भूख से तड़पते हुए को देखो कि कैसे भूखा रहा जाता है, बिना पानी रहकर देखो कि कैसे प्यासा रहा जाता है। उस बी.पी.एल. के दर्द को देखो। बी.पी.एल. की बात करने वाले लोगों, सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं होता है और उसको मजबूरी के अन्दर अपने गहने बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर निजी अस्पतालों में इलाज कराने जाना पड़ता है। कौन से बी.पी.एल. के इलाज की आप बात कर रहे हो?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, उस गरीब के दर्द को देखो।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आदरणीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): ×××

श्री सभापति: आदरणीय, सदस्य, कृपया विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: आदरणीय, आप भी विराज जाओ। Why are you provoking? Don't provoke anyone. Let him speak.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: Please don't provoke. Don't provoke anyone. विराज जाएं। आदरणीय सदस्य, कृपया बैठे-बैठे आप नहीं बोलेंगे और खड़े होकर भी आसन की अनुमति लेकर बोलेंगे। किसी माननीय सदस्य का समय इस प्रकार से बर्बाद करने का आप अधिकार नहीं रखते। अगर आपको कोई बात अनुचित लग रही है तो नियम है जिसके तहत आप अपनी बात कह सकते हैं। जब आप बात कह रहे थे तो बाकी लोग भी सुन रहे थे। इतना तो कम से कम धैर्य रखिये। और, आदरणीय सदस्य, दो मिनट में आप अपना वक्तव्य...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता मंत्रीजी बैठे हैं, सहकारिता मंत्री महोदय, नाबार्ड से चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता है, किसान को आप कर्ज बांटते हैं सात प्रतिशत पर। मध्य प्रदेश में जाकर देखो, गुजरात में जाकर देखो, चार प्रतिशत पर किसानों को कर्ज दिया जाता है। और घोषणा करने वाले कांग्रेस के नेताओं, आपने कहा था कि किसान को आठ घंटे बिजली देंगे। दो साल गुजर गये, क्या किसान को आठ घंटे बिजली दे दी? कभी कोयले की खरीद की बात में घोटाला होता है, कभी ई-गवर्नेंस के नाम से 520 करोड़ की योजना जिसमें ढाई सौ करोड़ केन्द्र का अनुदान है, अगर मार्च तक पूरा नहीं हुआ तो ढाई सौ करोड़ रूपया राजस्थान की सरकार को देना पड़ेगा। कौन एचसीएल कम्पनी है जिसने पन्द्रह प्रतिशत भी काम नहीं किया। वह ढाई सौ करोड़ राजस्थान की जनता की पसीने की कमाई हम नहीं देने देंगे।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मजदूर जो लड़ता रहा दो साल तक, उसकी न्यूनतम मजदूरी के लिए आपने उससे वादा किया। मध्य प्रदेश में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, दो साल पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। आपने उस मजदूर की दो साल बाद न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई तो भी एक सौ पैंतीस रुपये है और केन्द्र में है एक सौ निन्यानवे रुपये। केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है, हमारा वेतन बढ़ जाता है, राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाता है लेकिन गरीब की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार चिंतित नहीं है। अच्छा होता कि सबसे पहले उस गरीब की, मजदूर की चिंता करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करता हूं कि जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है, हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करोगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। आप नहीं करेंगे, आपको चेताएंगे। आप गलत करेंगे, आपका विरोध करेंगे। और आप भ्रष्टाचार करोगे तो यहां भी कहेंगे, जनता के बीच में भी कहेंगे। देश का प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार पर असहाय है, राजस्थान के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार पर असहाय हैं। सारे के सारे मंत्रिमण्डल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं रोज। राजस्थान के पूर्व शिवचरण माथुर की तरह उदारता दिखाते, आज इस दुनिया में नहीं रहे, सदन में आरोप लगा, उन्होंने रिजाइन दे दिया अपने मंत्रिमण्डल से। यहां ××× यहां कोएलीशन गवर्नमेंट नहीं है....

श्री सभापति: श्रीमती ममता भूपेश।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जो प्रधान मंत्री की तरह-सा हो, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल अभिभाषण के माध्यम से राजस्थान... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्य के पास में कोई तथ्य हैं तो नियमों में आकर...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, अब विराजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ××× (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान) आदरणीय, विराजें। (व्यवधान) सचेतक महोदय, आप कुछ फरमा रहे थे? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापाति: आदरणीय, विराज जाएं। (व्यवधान) एक मिनट, आप विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, कुछ...(व्यवधान) आदरणीय, आप विराज जाएं, आपके मुख्य सचेतक कुछ फरमा रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण देने के दौरान कुछ ऐसे शब्द फरमाये हैं जो शब्द आपत्तिजनक हैं। इन्होंने मंत्रिमण्डल के ऊपर आरोप लगाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आपत्तिजनक शब्द हैं उनको निकाला जावे और माननीय सदस्य ने उत्तेजना फैलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किये इनके लिए....(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तथ्य पेश करूंगा। जो आरोप सदन में लगाये उसके तथ्य पेश करूंगा। आप बहस के लिए तैयार हो जाएं, भ्रष्टाचार की बात पर आधा घंटा रोज करिये, मैं सारे तथ्य आपके सामने रखूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य, आपको जो कहना था, आपने अपने वक्तव्य में कह दिया। अगर इनके वक्तव्य में, आदरणीय सदस्य के वक्तव्य में कोई भी आपत्तिजनक शब्द हों, शब्दावली हो या वाक्य हो, वह अंकित नहीं होगा। श्रीमती ममता भूपेश । (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय को जिन्होंने अपने अभिभाषण में अपने संवैधानिक दायित्व का ही निर्वहन नहीं किया बल्कि राजस्थान के विकास को एक मूर्त रूप देने वाले इस चालीस पृष्ठीय अभिभाषण का पठन किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह सिर्फ महज एक किताब नहीं थी, सिर्फ कागज के पन्ने नहीं थे। यह वह आइना था, वह कदमों की आहट थी जो राजस्थान की सरकार पिछले दो सालों के अन्दर गरीब और किसानों के लिए अपना कार्य करना चाह रही थी। इसके एक-एक पृष्ठ के अन्दर राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता है, राजस्थान सरकार की किसानों के प्रति भावनाएं हैं। राजस्थान सरकार ने गरीब और किसान के लिए जो अपनी नीतियां चलाई हैं, उन नीतियों का एक-एक शब्द जो इस अभिभाषण में अंकित है, उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूं।

अभी बात चल रही थी, मुख्य मंत्रीजी की बात करते हैं, कोई मंत्रियों की बात करते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं और कहना चाहती हूं इस बात को, कि जब पूर्व मुख्य मंत्री थीं तब आम आदमी नहीं, इस राजस्थान के अन्दर जो मंत्री के पद पर सुशोभित होते थे वे भी अपने आप को मुख्य मंत्री निवास पर जाने में गौरवान्वित महसूस करते थे। उनको महसूस होता था कि आज हमको मुख्य मंत्री घर के अन्दर जाने का मौका मिल पाया है। और आज इस लोक कल्याणकारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक किसान का बेटा, एक अनुसूचित जाति, जनजाति का वह इंसान जो सरकार से अपनी उम्मीद रखता है, मदद की गुहार करना चाहता है, उसके लिए भी उस घर के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्य मंत्रीजी को। सभापति महोदय, काल का चक्र इस तरह से घूमता है कि बड़े-बड़े घरों के अन्दर, बड़े-बड़े महलों में जन्म लेने वाले आज सामने की तरफ बैठते हैं और एक गरीब और किसान के बेटे को मुख्य मंत्री निवास के अन्दर रहने का मौका इस राजस्थान की जनता ने दिया। सभी लोगों के सामने पिछले कुछ ही दिन

(श्रीमती ममता भूपेश)

पहले, क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति की महिला हूं और मुझे फख्र है इस बात का, एक अनुसूचित जाति का इंसान अपनी पीड़ा को लेकर मुख्य मंत्री के पास पहुंचा और आक्रोश में उस व्यक्ति ने कुछ कहा। अगर पहले की मुख्य मंत्री होतीं तो शायद उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देतीं। लेकिन हमारी सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने उसको अपनापन दिखाया, उसको प्रेम दिया और यहीं तक नहीं, उसकी पीड़ा पूछने के लिए वह उसके घर तक गये। मैं साधुवाद देना चाहूंगी ऐसे नेक इंसान, नेकदिल इंसान को जो आज राजस्थान के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। बात करते हैं।

अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें चल रही थीं, मैं तो पहली बार सदन के अन्दर विधायक चुनकर आई हूं, मुझे बहुत लम्बा अनुभव नहीं है लेकिन जितनी मेरी जानकारी है और जितना मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ती थी, राजस्थान आज बाड़मेर के अन्दर रिफाइनरी के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। पूर्ववर्ती सरकार इस रिफाइनरी को एक राजनीति के रूप में दिखाना चाह रही थी और केन्द्र सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना चाह रही थी कि इस रिफाइनरी को केन्द्र सरकार पंजाब भेजना चाहती है, भटिण्डा के अन्दर शिफ्ट करना चाहती है। हमारी सरकार ने इस रिफाइनरी के मार्ग को प्रशस्त किया। इसी माह क्रूड आयल के विक्रय का करार ओएनजीसी से करके राजस्थान को अपने आप में सुदृढ़ बनाने, राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का काम किया गया है। इससे राजस्थान को सालाना 1800 करोड़ से 2500 करोड़ रुपये की जो रायल्टी मिलेगी उससे राजस्थान के अन्दर आने वाले वर्षों के अन्दर बहुत लाभ होगा। साथ ही इस रिफाइनरी के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य के लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है केन्द्र सरकार के सहयोग से।

अभी कह रहे थे हमारे भाई ओम बिरलाजी, कि कर्मचारियों को दुःख हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि एम्पलाई फ्रैंडली गवर्नमेंट आज राजस्थान के अन्दर कार्य कर रही है। पहली बार कर्मचारियों को बिना आंदोलन उनके अधिकार मिले, छठा वेतन आयोग लागू किया गया। जो वेतन की विसंगतियां थीं, उनको दूर करने का प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान को एक मजाक के रूप लिया जा रहा है, लेकिन मैं पुनः यह बात पूछना चाहूंगी कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी

(श्रीमती ममता भूपेश)

या अन्य किसी दल के सदस्य ऐसे थे जो इस अभियान का लाभ नहीं उठा पाये। हमारे राजस्थान के अन्दर लगभग 6 करोड़ जनता रहती है और इस अभियान के माध्यम से लगभग 90 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह निःशक्तजन हो। निःशक्तजनों की एक नई नीति बनी, पेंशन मिली, पट्टे जारी हुए। ऐसे छोटे-छोटे काम, एक गरीब आदमी, एक बीपीएल का आदमी जिस कार्य को कराने के लिए पचास दफ्तरों में घूमता। 18 विभागों को एक छत के नीचे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान किया है। मुझे मालूम है कि हमारे सामने बैठे हुए साथी इस बात पर खुश नहीं होंगे, लेकिन हमें इस बात की परवाह भी नहीं है। क्योंकि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राजस्थान के सुदूर इलाक़ों में रहने वाले, ढाणियों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी है और वे धन्यवाद देना चाहते हैं इस अभियान के माध्यम से उस व्यक्ति को जिसको आज का गांधी के नाम से पहचाना जाता है।

हमारे यहां पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोलने का प्रावधान हमारी सरकार लेकर आई जिसका जिक्र इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर है। प्रत्येक पंचायत समिति में 25 लाख रुपए और प्रत्येक पंचायत पर 10-10 लाख रुपए का राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र खोले जाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान) बनने शुरू हो गये हैं, आधे से ज्यादा बन चुके हैं। आप लोग अगर अपने इलाकों में जाएंगी तो आप देखेंगी कि क्या बन रहे हैं। यहां विधान सभा में बैठकर बोलने से इस चीज की पारदर्शिता नहीं आती है। कम से कम 15 जगह मैंने उद्‌घाटन कर दिया है। हमारी पंचायत समिति का भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र लगभग पूरा होने जा रहा है, हम शीघ्र उसका भी उद्‌घाटन करने जा रहे हैं, मैं इनको जानकारी देना चाहती हूं। इस सदन के अन्दर बोलना बहुत आसान है लेकिन गांवों के अन्दर जाकर हकीकत को देखना अपने आप में ढेढ़ी खीर है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि यहां हमारी आलोचना करने के बजाय अपने क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर देखें कि हमारी सरकार ने जो घोषणा की है उसकी क्रियान्विति कितनी हो रही है। उसके बाद अगर आप आकर कोई आरोप-प्रत्यारोप लगाए तो हमें इस बात की खुशी होगी। आईटी केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनका नाम भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्र है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस सदन के माध्यम से हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जो कि कम्प्यूटर इस देश के अन्दर लेकर आये।

(श्रीमती ममता भूपेश)

उस समय भी इसी तरह से विपक्ष में बैठने वाले लोगों ने कम्प्यूटर का विरोध किया था। उस समय लोगों ने कहा कि हमारे रोजगार खतम हो जाएंगे। कम्प्यूटर अगर आ गया तो हमारे नौजवान अपने घर में बैठ जाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं, लोगों के, नौजवानों के हाथों के नीचे जब कम्प्यूटर चलता है तो उसका रोजगार बढ़ रहा है। उसको आत्मनिर्भर और स्वावलंबन होने का एक मौका दिया हमारे राजीव गांधीजी ने, मैं आज इस सदन के माध्यम से उनकी दिवंगत आत्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। उनकी सोच के आधार पर आज भारत आगे चल रहा है इसलिए मैं उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं।

अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो 108 एम्बुलेंस एक नई चीज राजस्थान में हमारी सरकार के माध्यम से आई। (व्यवधान) 500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन हमारी सरकार ने बनाना शुरू किया ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार भी हमारी ही है। मैं यह कहना चाहती हूं आपसे कि केन्द्र सरकार से एनआरएचएम के माध्यम से आ रहे हैं तो वह सरकार भी हमारी ही है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, कृपा करके शांति बनाये रखें। She is not issuing Ten Commandents. Why are you worrying?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): गुरुजी, कृपा करके, गुरुजी कृपा करके...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सभापति: आदरणीय वरिष्ठ सदस्य महोदय, आपके विचारों और आपके स्वभाव से आसन भी वाकिफ है, उचित तो यह रहेगा कि वक्तव्य के समय कुछ बात हो तो उससे सदन की शोभा भी बढ़े और गरिमा भी बढ़े।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के कुशल नेतृत्व के अन्दर 500 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन का निर्माण राजस्थान के अन्दर चालू है। पिछले बजट भाषण के दौरान मुख्य मंत्रीजी ने आईसीयू सेंटर और ट्रोमा अस्पतालों की घोषणा की जिसके अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिकंदरा के अन्दर भी ट्रोमा अस्पताल खोलने की घोषणा भी है। उसकी बिल्डिंग का कार्य चालू है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्य मंत्रीजी

(श्रीमती ममता भूपेश)

को और चिकित्सा मंत्रीजी को। दो हजार से ज्यादा डाक्टर्स की आरपीएससी के माध्यम से भर्ती चालू है। मुझे उम्मीद है कि कई क्षेत्रों के अन्दर जो डाक्टर्स की कमी है, जिन चिकित्सालयों के अन्दर डाक्टर्स नहीं है उनमें आने वाले समय में हमारी सरकार डाक्टरों की शीघ्र भर्ती करेगी जिससे हमारी सरकार के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।

दो रुपए किलो गेहूं का मैटर सब लोगों की नज़रों में आ रहा है। कोई इसको क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। हम सुनते थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार जब आंध्र प्रदेश में चली और उन्होंने तीन रुपए किलो गेहूं और चावल किया तो उसको पूरे देश के अन्दर एक मिसाल माना गया था। लेकिन उससे भी नीचे दो रुपए किलो के अन्दर आज राजस्थान सरकार बी.पी.एल को गेहूं दे रही है। साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी फिक्स की है। पूर्व सरकार ने इतने डीलर बना दिये राजस्थान के अन्दर कि जनसंख्या से भी ज्यादा डीलरों की संख्या आ रही है। लेकिन उनको भी पाबंद किया गया कि हर महीने की 15 से 21 तारीख के बीच आपको यह देना ही देना है। पीडीएस सिस्टम को सुधारना ही सुधारना है। अभी बहुत-से सदस्य कह रहे थे कि स्कूलों में टीचर नहीं हैं। पूर्व सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव के अन्दर टैंथ की तीन स्कूलें खोल दीं। मेरे क्षेत्र के अन्दर 14 ग्राम पंचायतें ऐसी बची हुई थीं जहां दसवीं तक स्कूल नहीं थी। वहां आज हमारी सरकार के माध्यम से स्कूल खोली गई क्योंकि समानीकरण के तहत राजस्थान सरकार एक नीति लेकर आई जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर दसवीं की स्कूल होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है इस बात का, ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाये हैं तो 16 ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र में दसवीं की स्कूल से कैसे वंचित रह गईं? यह मुझे एक अजीब सी बात लगी, निरुत्तर-सा सवाल था। जिसका जवाब हमारी सरकार ने दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिये गये। जब मुझे 19 नवम्बर को दौसा के अन्दर आनंद बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो मुझे लगा कि मैं किस चीज का अवार्ड देने जा रही हूं। लेकिन जब मैंने अपने हाथों से चैक आठवीं में पढ़ने वाली, दसवीं में पढ़ने वाली और बारहवीं में पढ़ने वाली बच्चियों को दिये, मैं एकदम से बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने लगी कि ऐसी सरकार चल रही है जो 25 हजार, 40 हजार और 50 हजार की राशि के चैक हमारे इस देश के अन्दर हमारे राज्य की बालिकाओं को देना

(श्रीमती ममता भूपेश)

चाह रही है जो शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहती हैं। बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षिक दृष्टि से आगे करने के लिए 51 हजार लड़कियों को राजस्थान के अन्दर साइकिल वितरित की गई हैं। आज हम जब गांवों में निकलते हैं अपने दौरों पर तो हमें छोटे-छोटे गांवों और ढाणियों के अन्दर बच्चियां साइकिल पर स्कूल जाती हुई नजर आती हैं। यह हमारे आने वाले राष्ट्र के निर्माण में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन बच्चियों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वे अच्छे ओहदों पर पहुंचेंगी। सुदूर इलाक़ों में रहने वाली बच्चियां जो कि यह सोचती थीं कि दो-दो, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगी, उनका सपना पूरा हुआ और आज वे राजस्थान सरकार की इस सौगात के माध्यम से अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए गांव-गांव तक जा रही हैं।

पोलीटैक्निक कालेज खोलने की घोषणा की गई, उसका भी हवाला इस अभिभाषण के अन्दर है। प्रत्येक ज़िले के साथ दौसा जिला भी शामिल किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्य मंत्रीजी को कि दौसा जिले के अन्दर पोलीटैक्निक कालेज खोलने का स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने आकर शिलान्यास किया। आज वह भवन बहुत ऊंचा बन चुका है और पूर्ण विश्वास है मुझे कि हमारा जिला जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी बहुल इलाका है आने वाले क्षेत्र, में टैक्निकल एजुकेशन ले सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति स्तर पर आईटीआई सेंटर्स, कालेज खोले जा रहे हैं। आज गांवों और ढाणियों में, छोटे-छोटे क़स्बों में रहने वाले बच्चे जो पैसा खर्च करके जा नहीं सकते, जिनके मन के अन्दर भावनाएं हैं, जिनके माता-पिता चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा इंजीनियर बने लेकिन जो मोटी-मोटी फीस जमा नहीं करा सकते, उन लोगों को वहीं पंचायत समिति पर आईटीआई कालेज खोलकर स्वावलंबन का अधिकार देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले में सिकराय से ताल्लुक रखती हूं, सभापति महोदय, दौसा यहां से सिर्फ 35-40 किलोमीटर दूरी पर है लेकिन उद्योग और शैक्षणिक दृष्टि से वह बहुत ज्यादा आगे नहीं हुआ है। बहुत ही लम्बे समय से एक मांग हमारे इस क्षेत्र की आ रही थी ट्रांसपोर्ट नगर के यहां से टनल बनाने की, सुरंग बनाने की, मुख्य मंत्रीजी ने उसकी शुरूआत की है। मैं धन्यवाद दूंगी उनको इस बात के लिए, कि कम से कम 7-8 ज़िले अब इस

(श्रीमती ममता भूपेश)

रास्ते को सुगम बनाने के कारण आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव बन रहे हैं, नये शहर डवलप हो रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी भी संकल्पना पूरी होगी और आने वाले समय में जयपुर का एक हिस्सा दौसा भी बनेगा जो औद्योगिक दृष्टि से, नालेज कॉरीडोर की दृष्टि से अपने आप में एक अलग पहचान बना पाएगा।

बिजली की बातें भी सबने कीं। पिछले बजट का 52 प्रतिशत पैसा जो कि लगभग 12,434 करोड़ रुपये था, वो सिर्फ ऊर्जा पर दिया गया क्योंकि राजस्थान किसान की खेती के ऊपर आधारित राज्य है। यहां पर बहुत बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं और यहां की अस्सी प्रतिशत जनता किसान है, खेती का काम करती है। उसके लिए आत्मनिर्भर और स्वावलंबन ऊर्जा की दृष्टि से बजट का 52 प्रतिशत पैसा देने से मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम राजस्थान में ऊर्जा की दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े होंगे। गांव-गांव के अन्दर आज 33 केवी सब-स्टेशन आ रहे हैं, आने वाले वर्षों में इसका और बाइफरकेशन होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर 11 केवी का ट्रांसफार्मर भी आएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिर्फ पिछले साल में 6 ट्रांसफार्मर 33 केवी के बन गये और चार अभी निर्माणाधीन हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम गांव में जाते हैं, और इस चीज की होड़ मची रहती है आजकल। हम जिस गांव में जाते हैं हमसे किसान कहता है कि हमारे गांव में फीडर बनवाओ। कुछ तो होगा इन फीडरों में जो राजस्थान का किसान चाहता है कि वो फीडर हमारे घर के अन्दर आए। उनको पता है कि राजस्थान सरकार 33 केवी का और 11 केवी का सब-स्टेशन बनाएगी तो बिजली भी अच्छी तरीके से, सुगमता से आ पाएगी। इसलिए राजस्थान का किसान फीडर को अपने घर, अपने गांव और अपनी ढाणी के अन्दर बनवाना चाहता है।

मैं अंत में मुख्य मंत्रीजी को एक ऐसे आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी जिस आंदोलन को सर्वोच्च न्यायालय ने भी शर्मनाक घटना बताया था और राजस्थान को काले अक्षरों के अन्दर अपना नाम लिखवाना पड़ा था पूर्व सरकार के माध्यम से। सभापति महोदय, अपना अधिकार मांगने का हक सबको है, गुर्जर भाइयों ने जब अपने आरक्षण की मांग रखी तो उनका अधिकार था, उन्होंने मांगा। हर आदमी अपने से बड़े आदमी से सब कुछ मांगना चाहता है, लेकिन परिवार का मुखिया उसको देता किस तरीके से है, वो बात एक अलग तरह की है। पिछली सरकार ने आंदोलन

(श्रीमती ममता भूपेश)

करवाकर, उनको भड़का कर फिर उन पर गोलियां चलवाईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में ...(व्यवधान) एक मिनट, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में बीस लाशें पच्चीस दिन पड़ी रहीं, सभापति महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सदस्या, आप वन्दना मीणा को भी धन्यवाद दे दो।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): पच्चीस लाशें मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ी रहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, एक चीज मैं निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से तमाम सदस्यों को, ऐसी दर्दनाक स्थिति राजस्थान में कभी नहीं हुई होगी कि बीस-बीस लाशें वहां पर पड़ी हैं और वहां बिजली काट दी गई। हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे उनको पानी नहीं दिया गया। यहां तक कि बर्फ की सिल्लियां जो उन लाशों के लिए जा रही थीं, उन सिल्लियों को भी रोक दिया गया। उन मृत आत्माओं के प्रति निरंकुशता का प्रतीक पिछली सरकार थी और आज ये बात करते हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है। टोंक के अन्दर जब उस महिला ने पानी मांगा तो उसको गोलियां मिलीं। अभी-अभी गर्भवती महिलाओं की बात चल रही थी, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। हमारी सरकार सब कुछ देना चाहती है लेकिन गोली से मृत्यु नहीं देना चाहती। टोंक के अन्दर जब पानी मांगा गया तो उस महिला को मारा गया।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड करें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं तो पहली बार आई हूं, दो मिनट का समय आपसे चाहती हूं, मेरे पास ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता को कि उन्होंने गुर्जर भाइयों की समस्या को बहुत ही प्रेम से निपटाने का प्रयास किया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): बहुत हो गया गुर्जरों का, बस।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): मेरे क्षेत्र के अन्दर हैं, मेरे वोटर हैं, इसलिए मुझे चिन्ता है उनकी, सभापति महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): हो गया, बहुत सुन ली गुर्जर-गुर्जर... (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मेरी कम्युनिटी की बात मैं बोलूंगा।

श्री सभापति: सम्मानीय सदस्य, कृपा करके आदरणीय सदस्या को अपनी बात कनक्लूड करने दीजिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, आपने जो मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, अपनी भावनाएं, अपने विचार राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रकट करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। अंत में महात्मा गांधी जी की पंक्तियां जो मैंने एक किताब में बचपन में पढ़ी थीं, 'यह कर्म है न कि कर्मफल जो महत्वपूर्ण है। आप नहीं जानते कि आपको अपने कर्मों का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो परिणाम की चिन्ता भी आप छोड़ दीजिये।' मैं महात्मा गांधी जी के इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 6.30 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6.30 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री वासुदेव देवनानी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का यह मैंने आठवां अभिभाषण सुना है। संवैधानिक मर्यादाओं के तहत राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसमें अपेक्षा होती है कि सरकार की उपलब्धियों का उसमें वर्णन होगा। सरकार की कोई दिशा होगी, सही तथ्य आएंगे। लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि इस बार जो अभिभाषण पढ़वाया गया वह एक लाचार पार्टी के लाचार मुख्य मंत्री के द्वारा पढ़वाया गया जिसमें न तो तथ्य थे, न सत्यता थी और न कोई दिशा थी। वह एक नीरसता भरा भाषण पढ़वाया गया। भाषण में मुख्य मंत्री को जब मैं लाचार कहता हूं तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। जो मुख्य मंत्री अपने राज्य की सत्ता के अन्दर न डाक्टरों पर नियंत्रण कर सके न बाबुओं पर नियंत्रण कर सके, न महंगाई कम कर सके और न कहीं वो किसी भी थानेदार पर कोई अंकुश लगा सके, ऐसे मुख्य मंत्री को या तो अपनी टीम इम्प्रूव कर लेनी चाहिए या अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। यदि वो पद पर बने रहना चाहते हैं, अपेक्षा थी कि उत्तरदायी शासन देंगे, कोई इस प्रकार का शासन देंगे जिसमें पारदर्शिता होगी। आपने पैरा-2 के अन्दर कहा भी है कि हम उत्तरदायी शासन देंगे। उत्तरदायी शासन कैसा क्या? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के खिलाफ एसीबी की जांच चल रही हो, उनको मंत्रिमंडल में बनाये रखना उनकी क्या मजबूरी है? जिस मंत्री के खनन के दो पट्टों का आरोप हो, फिर निरस्त किये गये हों, उस पर भी उनको मंत्रिमंडल में बनाये रखने की उनकी क्या मजबूरी है? अपने मंत्रिमंडल का भी चयन करना शायद उनके अधिकार में नहीं है, इसलिए ऐसी जगह कहीं भी उत्तरदायी शासन की अपेक्षा करना मुझे उचित नहीं लगता। जहां तक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात है, वह मुझे लगता नहीं, इनके हाथ में है। और न जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की कोई संभावना दिखाई देती है। एक-एक पैरा में मैं गिनती करके बताऊंगा कि क्या-क्या झूठ बोला गया है, क्या-क्या गलत बुलवाया गया है। पैरा नं. 4 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। कौन-सा उल्लेखनीय कार्य किया गया? केन्द्रीय जो यूपीए की सरकार है, उसके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक आपकी हवा निकाल कर गये हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में एससी/एसटी के ऊपर अत्याचार जिसकी संख्या भी

(श्री वासुदेव देवनानी)

उन्होंने बताई, 6168 अत्याचार के मामले यहां पर दर्ज किये गये हैं, यह देश भर में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर तो क्या, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से तुलना करेंगे राजस्थान की जनसंख्या की, तो वो पहले नंबर पर होगा। आप जिन पर अत्याचार नहीं रोक सके, उनका उत्थान आप कैसे करेंगे? और यह तो छोड़ो, 4992 के तो चालान तक पेश नहीं हुए। ये 2009 की बातें हैं, मैं 2010 की नहीं कह रहा हूं जो आप कहो कि अभी होंगे। आपको डेढ़ साल हो गये, उनके चालान तक आप पेश नहीं कर पाये, क्या आप उनका उत्थान करोगे? आप उत्थान करोगे किसका? जहां पर विद्यार्थियों को एससी/एसटी की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, उन छात्रवृत्तियों में कितना घोटाला हुआ, क्या आज तक आप रोक पाये? 6 जिलों के प्रकरण सामने हैं-करौली हो, सवाईमाधोपुर हो, भरतपुर हो, पोस्ट मैट्रिक के लाखों रुपये के घोटाले सामने आये हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उत्थान कर रहे हैं। उन बेचारों को तो सही लोगों को समय पर छात्रवृत्ति मिल नहीं पा रही है, उसमें घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं और आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं।

(17.00 बजे)

पैरा नंबर 9 में कहते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने गुर्जर समाज के आंदोलन को लेकर चर्चा भी की, मैं पूछना चाहता हूं कि मनोहरथाना में भील समाज पर किसने गोलियां चलाई, किसके राज में चलीं, वहां पर कितने लोग मरे, कहीं पता भी है क्या? गुर्जर समाज को नहीं मार कर केवल एक उपलब्धि गिना रहे हैं, जो कि हमारे शासन काल के साथ जुडी हुई कुछ बातें हैं, आपने तो भील समाज को गोलियों से भूना है। क्या उस घटना को आप भूले हैं? क्या आप भूल गये कि चेचट थाने में महिला कांस्टेबल माया यादव से दुष्कर्म कर वहां पर उसका गला रेता गया। यह है आपकी कानून-व्यवस्था? हाड़ा रानी बटालियन की एक प्रशिक्षु छुट्टी के बदले अस्मत मांगने पर खुदकुशी करने के लिये मजबूर हो जाती है, यह है इनकी कानून-व्यवस्था। थानों में पता तो लगाएं कि वर्षभर में कितने लोगों ने खुदकुशी की है। उसका कहीं आंकड़ा नहीं बताएंगे।

मैं जिक्र करना चाहूंगा अजमेर के बारे में जहां से मैं विधायक हूं। वहां पर कितनी हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में से एक का भी राज आज तक पुलिस खोल नहीं पाई है। रोज अख़बार में खबर छपती है कि शादी में से लाखों रुपये का बैग पार कर लिया गया, पुलिस अब तक चोरों को ढूंढ नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

पाई। कोई शादी में घर पर दरवाजा बंद कर जाता है, उसके घर पर चोरी हो जाती है। आज अजमेर में एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जो कहीं आ-जा सके। सुबह महिलाएं मार्निंग वाक को निकलती हैं तो उनकी चेन छीन ली जाती है। कहीं कोई वाहन खड़ा करता है तो वाहन चोरी हो जाते हैं। इस प्रकार की हत्याएं, बलात्कार, चोरी, चेन स्नेचिंग, वाहन चोरी की घटनाएं पिछले दो साल में 13 परसेंट से अधिक बढ़ी हैं। इसको हम कानून का राज कहेंगे। और अभी 14 तारीख को तो हद हो गई, मैंने कल भी मुद्दा उठाया था, नगर निगम में पार्षद दल की साधारण बैठक हो रही है उसमें दर्शक दीर्घा से बाहुबली, गुंडे कूद कर पार्षदों को मारते हैं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य, आसन पांवों पर है, विराज जाएं। आसन पांवों पर है, विराज जाएं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अंकित कुछ नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने तो एक ही निवेदन किया, मैंने पक्ष-विपक्ष की बात कहीं नहीं कही। मैंने कहा-दर्शक दीर्घा से गुंडे लोग कूद कर यदि पार्षदों को पीटेंगे तो यह कौनसा लोकतंत्र है, यह कौनसी कानून व्यवस्था है, यह कौन से इतिहास में लिखी गई है, यह बता दिया जाए।

यदि जेल की बात करेंगे तो आज जेल तो ऐशगाह बनी हुई है। अजमेर जेल में कितने मोबाइल मिले हैं? खुलेआम हर चीज आ-जा रही है। यहां तक कि जेलरों की तो इस राज में जेल में हत्याएं तक हुई हैं। इस प्रकार की यदि कानून-व्यवस्था होगी, ऐसे अगर कानून मंत्री और गृह मंत्री होंगे और इस शासन को राज्यपाल के मुंह से यह कहलवाया जाए कि कानून-व्यवस्था अच्छी है तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी।

पैरा 12 में पंचायती राज व्यवस्था, उसमें कहते हैं कि हमने पांच विभाग दे दिये। आपने पंचायती राज में जिला परिषदों में सीईओ तो लगाये, क्या सीईओ किसी जिला प्रमुख का कहना मान रहा है? आज अजमेर की सीईओ वहां पर बैठती नहीं हैं, बिना पूछे छुट्टी चली जाती हैं। जब वहां रहती हैं तो रजिस्टर में हस्ताक्षर भी नहीं करतीं और वेतन मिलता रहता है। इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रकार के जिला प्रमुखों के पास सीईओ होंगे तो कैसे पंचायती राज चलेगा? माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, मैंने आपको भी पत्र लिखा है।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लीव पर बिना पूछे, बिना स्वीकृत कराये। वहां बैठती तक नहीं है। मंत्रीजी बोलेंगे, मैंने मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है, मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि कार्यवाही करेंगे। इनके पास शिकायत है, जिला प्रमुख ने भी कही थी जब आप अजमेर आये थे। यह केवल एक सीईओ की बात नहीं है, जहां भी जिला परिषदों में आपने सीईओ लगाये हैं वहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कि हम जिला परिषदों को सशक्त करें, कैसे सशक्त होंगे? आप अच्छे अफसर लगाइए ताकि सशक्त हों। आपने 5-6 विभाग भी उनको दिये हैं लेकिन क्या अफसरों की मानसिकता अभी भी कुछ बदली है? आज भी अजमेर जिला प्रमुख की बात वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते नहीं हैं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपको हो क्या गया है? Is there something wrong? आदरणीय सदस्या, कृपया आप विराज जाएं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री सभापति: आसन पांवों पर है, कृपया विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, आप भी इधर श्रीमुख करके फर्माएं, आप भी उधर मुख करके फर्माते हो।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने बता दिया है। जिस तरह जिला परिषदों को 6 विभाग दिये गये हैं, अभी तक तो सरकार में झगड़ा चल रहा है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी कौन है। क्या पंचायती राज के अन्तर्गत है, या शिक्षा मंत्रीजी मास्टर भंवर लाल जी के पास है? अभी उन्होंने घोषणा की कि 50 हजार अध्यापकों की नियुक्ति होगी, जब विधायकों की मीटिंग होती है शिक्षा के अधिकार के बारे में, उसमें पंचायती राज मंत्रीजी तो आते नहीं हैं, यह आकर बैठ जाते हैं। पहले यह तो तय करें कि आखिर विभाग है किसके पास। क्या केवल कागजों पर ही आपने उनको दे दिया है या वास्तव में दिया है, इसका भी तो कहीं निर्णय हो।

(श्री वासुदेव देवनानी)

पैरा नंबर 15 में आपने शिक्षा के अधिकार की बात कही है। सरकार को यह पता था कि 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया जाएगा, उसके बाद 2011 आने वाला है। अभी तक इस सरकार की कोई तैयारी नहीं है- कितने विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेंगे, कितने स्कूल से बाहर हैं, उनके लिये कितने कमरों की आवश्यकता होगी, उसके लिये कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग डेढ़ लाख अध्यापकों की जरूरत होगी, हजारों-लाखों कमरों की जरूरत होगी। सरकार ने एक भी पैसे का कहीं प्रावधान नहीं किया है। सरकारी स्कूलों की हालत तो यह है कि सुनकर किसी को हार्ट अटैक नहीं हो जाए कि सरकार है। जिसके कारण से पहली बार, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन 95 हजार विद्यार्थी कम हुए हैं। आज तक तो विद्यार्थी बढ़ते गये, इस शासन में क्योंकि इन्होंने अध्यापकों को इतना कुंठित कर रखा है, समानीकरण के तहत मनमानीकरण किया है ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जिसके कारण 95 हजार विद्यार्थी इस बार कम हुए हैं। ऐसी स्थिति होगी तो कैसे यहां राइट टू एजुकेशन लागू होगा, मुझे बड़ा संदेह है। केन्द्र सरकार पैसा देना चाह रही है, यहां पर लागू करना चाह रही है, हम सबकी इच्छा है कि वहां विद्यार्थी एडमिशन लें और पढ़ें, लेकिन साढ़े ग्यारह लाख बच्चे आज भी स्कूल से बाहर है। उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनको पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं है। यहां तक कि अभी तक उसके लिये कोई नियम भी नहीं बनाये गये। नियम है कि सारे प्राइवेट स्कूलों में 25 परसेंट विद्यार्थी गरीबों के होंगे। उन गरीबों की फीस क्या होगी? आज भी जयपुर के कुछ स्कूलों में फीस बढा दी गई है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, आपने फीस पर नियंत्रण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। इस प्रकार कैसे गाडी चलेगी, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है।

पैरा नंबर 24 में अल्पसंख्यकों के मदरसों के लिये उन्होंने बड़ी वाहवाही लूटी है कि हम वहां पर कम्प्यूटर शिक्षा कर रहे हैं। यहां पर टोटल 2970 मदरसे हैं, 2 लाख 3 हजार बालक-बालिकाएं हैं और आपने कम्प्यूटर दिये हैं 1200 । केवल 0.5 परसेंट विद्यार्थियों को कम्प्यूटर उपलब्ध करा कर वाहवाही लूट रहे हो। आप यह तो करते कि उनको पूरे कम्प्यूटर देते, वास्तव

(श्री वासुदेव देवनानी)

में उन बच्चों के लिये हमदर्दी थी तो कुछ व्यवस्था करते, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं।

पैरा 27 में आप कह रहे हो कि पेंशनर को हमने चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई हैं। कौनसी चिकित्सा सुविधाएं बढाईं? आपके लिये एक जानकारी दे रहा हूं, फर्जी पेंशनर मेडिकल डायरी तक बन रही हैं। यह फर्जी मेडिकल डायरी गवर्नमेंट की प्रेस में छपती है, उसका पीआरओ नंबर पेंशनर विभाग देता है, उसके कोषाधिकारी की मोहर लगती है। आज हजारों की संख्या में इस प्रकार की डायरियां मार्केट में है, लाखों रुपये उसके आधार पर लूटे जा रहे हैं। असली पेंशनर को तो किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है और आप वाह वाही लूट रहे हो।

पैरा 30 में है कि हमने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 7 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये। 7 करोड़ 80 लाख रुपये क्या होते हैं? हमने त्रिपुरा सुंदरी के एक मंदिर पर 7 करोड़ रुपये खर्च किये और राजस्थान में तो करोड़ों रुपये हमने खर्च कर दिये लेकिन यह सरकार केवल व्यवस्था के नाम पर वाहवाही लूट रही है।

(17.10 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

फिर पैरा 48 और 49 के अन्दर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुझे आश्चर्य लगता है, माननीय सभापति महोदय, आटे की कीमत तो 6 रुपये 80 पैसे और उसको पिसवाने की कीमत 2 रुपये 15 पैसे, 34 प्रतिशत केवल पिसाई पर। आज तक कभी नहीं हुआ, खुली लूट की जा रही है। आटे की आड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मिलों को यह आर्डर देकर, टेण्डर देकर गरीब जनता को लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं होता तो दूसरी बार जब टेण्डर मांगे गये तो डेढ रुपया कैसे आ गया? एक रुपया 40 पैसे कैसे आ गये? इसका मतलब पहले सारी मिलीभगत थी? उसकी ए.सी.बी. तक की भी जांच हो रही है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी हैं, मैं सोचता हूं कि बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं बाकी राजस्थान की बात नहीं करता, मंत्रियों की नहीं करता, वह खूब हुआ होगा। लेकिन अजमेर की यू.आई.टी. के अन्दर जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण, माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति मेरी श्रद्धा है और इनके बारे में मैं कभी भी कल्पना नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

कर सकता, लेकिन एक इस अजमेर यू.आई.टी. के अन्दर +++ का भी नाम आया है। यह पम्पलेट छपा है। मैं चाहता हूं, यदि यह पम्पलेट गलत है तो इसके खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, जो इस हाउस के मैम्बर नहीं हैं उनका नाम अगर इस सदन में लिया जाता है, यह परम्परा के विपरीत है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, जो इस सदन का मैम्बर नहीं है...(व्यवधान) जो इस सदन का मैम्बर नहीं है... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो इस सदन के मैम्बर नहीं हैं उनका नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इतना तो भ्रष्टाचार है। 125 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार, अजमेर में 125 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 125 करोड़ का भ्रष्टाचार। आदर्श सोसायटी में चह्वाण साहब से तो इस्तीफा ले लिया जाता है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, जो पर्चा यह दिखा रहे हैं उसको टेबल करवा लें आप। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं टेबल करता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उसमें न प्रिण्टर का नाम है, न छपाने वाले का नाम है। यह कोई चौपड़ थोड़े ही है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह विधान सभा है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह टेबल करिये, टेबल करिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो कार्यवाही करो न। जिस किसी ने भी छपाया है उसके खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप इनसे टेबल कराइये पेपर। यदि जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहे हैं तो साबित करो उसको। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने उसको निरस्त करने का आदेश दिया है। उस आबंटन को निरस्त करने का। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप लोग अगर टेबल करना चाहते हैं तो टेबल कराइये, सभापति महोदय, और साबित करने की जिम्मेदारी भी इनके खुद पर डाल दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जो सदन का मैम्बर नहीं है उसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है माननीय सदस्यों को। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने केवल इतना कहा है कि अगर यह पम्पलेट गलत है तो इसके खिलाफ कार्यवाही करो। जिसने गलत छपवाया है, आप कार्यवाही करो। जिसने भी यह पम्पलेट गलत छपवाया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करो। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपने छपवाया है, आपने छपवाया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, व्यवस्था दीजिए इस पर। यह कोई हल्का मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, जो माननीय विधायक कह रहे हैं, उसकी जांच खुद माननीय मुख्य मंत्रीजी करा रहे हैं। रिटायर्ड जो मिस्टर खन्ना हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने इसमें पाया है, आबंटन निरस्त करने के बारे में... (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री वासुदेव देवनानी द्वारा सदन पटल पर कागज रखा गया)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक जिम्मेदारी और डालिये, माननीय सभापति महोदय। इसको साबित करने की जिम्मेदारी भी इन पर डालिये। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अब कराओ जांच, इन्होंने टेबल कर दिया। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं निवेदन करुंगा कि माननीय सदस्य द्वारा जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे जो कुछ भी कहा गया है उसको एक्सपंज कराया जाए और यह जो कागज रखा गया है माननीय सदस्य के द्वारा...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अब करवाओ जांच। अब करवाओ जांच। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जिस कागज को आधार बनाकर इन्होंने अपनी बात रखी है, इसकी साबित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): साबित करना सरकार का काम है। (व्यवधान) कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उचित व्यवस्था दी जाए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह सदन किसी का नहीं हो सकता। यह बड़ी चौपड़ या छोटी चौपड़ नहीं है। (व्यवधान) जो डाकूमेंट इन्होंने टेबल किया है, आप व्यवस्था दीजिए कि इसको साबित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की हो। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): रघुजी, सरकार किसकी है, जांच कौन कराएगा? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप सत्यता की जांच कराओ। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं मिस्टर खन्ना, वह जांच कर रहे हैं ...(व्यवधान) और निरस्त होने के आदेश इन्होंने दिये हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या इस पर किसी प्रिण्टर का नाम है, छापने वाले का नाम है? ऐसी फिजूल इंफार्मेशन के आधार पर सदन में बात की जाए नियमों के खिलाफ, यह परम्परा ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार जांच कराए न इस कागज की। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप भी आ जाओ, आपकी भी जांच करा लेते हैं। (व्यवधान) आपकी भी करा देते हैं, इनकी भी करा देते हैं, सबकी करा देते हैं, आ जाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप यही चाहते थे क्या? आप यही चाह रहे थे न। (व्यवधान) आपका षड्यंत्र कामयाब हो गया, आपको बधाई। (व्यवधान) आप यही चाह रहे थे कि इसकी चर्चा हो। आपका षड्यंत्र कामयाब हो गया। हम तो नहीं चाहते थे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप षड्यंत्र के प्रतीक रहे हो 20 सालों से। इस हाउस में षड्यंत्र कौन कर रहा है, मैं तो अभी आया हूं, यह सदन गवाह है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। कृपया विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप षड्यंत्र के प्रतीक थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजिये, शांति रखिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जहां भी कहीं षड़यंत्र होगा, उस षड़्यंत्र में कहीं न कहीं आपका हाथ जरूर होगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वासुदेवजी का इस्तीफा लिखवा लो पहले। देवनानीजी, इस्तीफा लिखकर दे दो, फिर करवा लो जो भी करवाना है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है इसको टेबल करिये और माननीय सदस्य ने टेबल कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): साबित करने की जिम्मेदारी भी इन पर डालिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मजाक नहीं है यह, जो कागज यहां पर लहरा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): साबित करने की जिम्मेदारी भी माननीय सदस्य पर डालिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आपका अपना टाइम जा रहा है। मैं अगला नाम बोल रहा हूं, श्रीमती कान्ता भील। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माफी मांगें यह सदस्य। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा कुछ भी अब। कुछ भी अंकित नहीं होगा। कृपया विराजिये, समाप्त। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, समाप्त। श्रीमती कान्ता भील। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

(17.17 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष पदासीन)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मुझे मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष: उनको मैंने मौका दिया है। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, आपकी भी सुनूंगा, प्लीज।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी सदन में अभिभाषण के ऊपर बोलते हुए तारानगर के माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष: आज की बात करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं आपको निवेदन तो पूरा कर दूं। जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं और जिनको...(व्यवधान) आप बैठिये न। मैं अध्यक्षजी से टाइम लेकर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, प्लीज, मैंने टाइम दिया है दो मिनट।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कल भी परम्परा के विपरीत जाकर इन्होंने कुछ भाषण दिये। आज भी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य +++ के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के बारे में नहीं कर रहे हैं। +++ इस सदन के सदस्य नहीं हैं। दूसरी बात, जिस पम्पलेट का जिक्र कर रहे हैं उस पम्पलेट पर पब्लिशर का नाम नहीं है। उस पम्पलेट को किसने छापा, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कांग्रेस के लोगों ने छापा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गली-मोहल्लों में से कोई कागज उठा करके, कचरे में से अगर लेकर आ जाएंगे और सदन का समय जाया करेंगे तो यहां सब समझदार लोग बैठे हैं।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह गली-कूंचों में से नहीं आया है, आपके कांग्रेसियों ने छपवाया है। स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने इस पर कार्यवाही की है, तब निरस्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये, कृपया विराजिये। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पेपर गलत है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं इतने?

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, लगे हुए आरोप का स्पष्टीकरण या खण्डन नहीं कर सकता, नियमानुसार ऐसे व्यक्ति का नाम यदि कहीं लिया गया है तो उसको एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज। प्लीज शांति रखिए। जस्ट ए मिनट। जहां तक इस पम्पलेट का...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतने बोल गये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) इसके अलावा और कोई बोलने का, आप शांति रखो। अपने पर छोड़ो, इस झंझट में कहां पड़ गये? (व्यवधान)

यह एक पम्पलेट मेरे सामने आया है। टेबल किया गया है? (व्यवधान) प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा, मैं मालूम तो करूं। मैं था नहीं, इसीलिए तो ...(व्यवधान) यह टेबल किया गया है?

माननीय देवनानीजी, आपने टेबल किया?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां, जी।

श्री अध्यक्ष: इस पर सिग्नेचर कर दीजिए।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात। आप विराजें। (व्यवधान) आइये प्लीज। आप छोड़ो, आप तो बीच में हो ही कहां? (व्यवधान) आपको भी सुन लूंगा, आपको भी सुन लूंगा। एक मिनट। भाषण भी करवा दूंगा। इस पर दस्तखत तो करो। कृपया शांति रखें। कृपया शांति रखें। आसन पांवों पर है, आपस में चर्चा नहीं करें। माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

इन्होंने इस पर लिख दिया है कि मुझे यह डाक से प्राप्त हुआ है और टेबल किया है, इस पर दस्तखत कर दिये हैं। मैं इसको रिकार्ड पर ले रहा हूं। दूसरी चीज, चूंकि, ...(व्यवधान) आप शांति तो रखो। आपके समझ में ही नहीं आ रही बात। शांति तो रखो आप। इनको यह डाक से किसी ने भेजा है, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने टेबल किया है। मैं इसकी प्रति गृह मंत्रीजी को दे दूंगा, वो सारे तथ्यों की इस पम्पलेट के संबंध में, जब प्रेस का नाम नहीं है, नीचे नाम नहीं है, वो इसकी जांच करके कार्यवाही कर लेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यही मैंने कहा था।

श्री अध्यक्ष: अब इस प्रकरण को समाप्त करें। सिर्फ दो मिनट आपको और दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी थी। मुझे अनुमति दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, शांति रखो न आप। (व्यवधान) प्लीज, आप कर लो फैसला यहां आकर। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में भी कहा था कि यह मुझे डाक से प्राप्त हुआ है। आप इसका जो है ...(व्यवधान) कहा है।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): मैंने सम्माननीय कांताजी का नाम ले लिया था। ...(व्यवधान)...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने इसको टेबल किया है।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): सम्माननीय कांताजी का नाम ले लिया था। कांताजी का नाम लिया था।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): डाक का लिफ़ाफ़ा कहां है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांति रखिये। मैंने उनको केवल दो मिनट बोलने का समय दिया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसकी जांच हुई थी। एक खन्ना जो रिटायर्ड आई.ए.एस. है, उनको सरकार ने भेजा था। उसके आधार पर यह पूरी डील रद्द भी कर दी गई है। यह इसलिए मैं जानकारी सदन को देना चाहता हूं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां पर यू.आई.टी. में हो रहा है। कल भी 47 नए जो नये लैंड टू लैट ...(व्यवधान) के आबंटन हुए थे, वे भी सरकार ने रद्द किये हैं। वहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, उसको रोका जाए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसके आगे जो पैरा नम्बर-72 ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन तथ्यों के आधार पर माननीय सदस्य ने बात रखी, इसकी जिम्मेदारी इनकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाएं। मैं सुन रहा हूं। आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। आप भी आसन को ...(व्यवधान) आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): फिर अभिभाषण जो हमें लिखा हुआ मिला है, उसमें पैरा 72 में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कहा गया है। आज यहां पर जितने भी चिकित्सा से जुड़े हुए शिक्षक हैं, वे पिछले छह दिनों से धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बात पर किसी प्रकार की भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एम.सी.आई. जहां पर निरीक्षण करने जाती है, एक हास्पिटल कालेज से, वहां पर प्राध्यापक ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। एम.सी.आई. चली जाती है, उसके बाद वापस वे अपने पहले स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार से आज चिकित्सा शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था हो रही है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। वह चिकित्सा सुविधाओं की सराहना करने की आवश्यकता नहीं लगती।

इसी प्रकार पैरा नम्बर 90 में परिवहन विभाग, मुझे शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, जब कभी मांग पर मैं आऊंगा तो बोल लूंगा। मेरे अजमेर बस स्टैंड की जो दुर्दशा है। एक-एक फीट, आठ-आठ इंच के खड्डे हैं। माननीय परिवहन मंत्रीजी, पिछले एक साल से जो भी आगंतुक आता है, दरगाह का आता है, पुष्कर का आता है, वहां पर उतरता है, उसकी हालत खराब है। पहले आपके सामने मैंने कहा था, आपने कहा कि पैसों की आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास बहुत पैसा है। आज उसे एक साल हो गया। मैंने भी अपनी ओर से चार लाख रुपये दिये, अभी तक उसकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। कम्प्यूटर शिक्षा की तो धज्जियां उड़ रही हैं। न अध्यापक है। कई जगह पर तो ऐसे कम्प्यूटर हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इंटरवीन नहीं करें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जहां पर बिजली तक भी नहीं है। उच्च शिक्षा के हाल इतने बेहाल हैं कि 1200 से अधिक लैक्चरर्स नहीं हैं और हम कोई नई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। 457 भी हम लोग जो करके गये थे, उनको आपने नियुक्तियां दी हैं। बड़ी शान से कह रहे हैं कि 39 विश्वविद्यालय के आशय-पत्र जारी किये। यह तो पिछले भी उसमें था, आज भी है। आप तो यह बताओ कि कितने नए स्थापित हो गये? स्थापित तो एकाध ही हुआ, लेकिन आप 29 की वाहवाही लूट रहे हैं। आशय-पत्र जारी करने से कुछ नहीं

(श्री वासुदेव देवनानी)

होता, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है जो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए जे.एन.यू.आर. ...(व्यवधान) के अन्तर्गत आप कह रहे हो कि अजमेर, पुष्कर, जयपुर का हम बड़ा विकास कर देंगे। उसकी इतनी धीमी गति है, केन्द्र सरकार के पैसे का आप उपयोग तक नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण आयोग में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्रीमती कांता भील।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) अजमेर को आपने इग्नोर किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कांता भील।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यह सरकार का जो अभिभाषण है, यह झूठ का पुलिंदा है इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। श्रीमती कांता भील।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात सदन के समक्ष रखना चाह रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय एवं संवेदनशील मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सफलता एवं उपलब्धियों के साथ दो वर्ष पूर्ण किये जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से परिलक्षित होता है।

(17.27 बजे)

(मेजर ओ. पी. यादव, सभापति पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व से समूचे राजस्थान का चहुंमुखी विकास हुआ है। हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों से न केवल राजस्थान की तस्वीर बदली है बल्कि आम आदमी, गरीब, निःशक्तजन की तकदीर भी बदली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी काफी चर्चाएं हो रही थीं, विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों ने अपने ढंग से इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया। पर सरकार की जो नीतियां, उपलब्धियां हैं उनका सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध किया।

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

माननीय सदस्य दिगम्बरजी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान को फ्लाप बताया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस अभियान में उस व्यक्ति का काम हुआ है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, जिसकी न पैरवी जन-प्रतिनिधि करता है, न उस व्यक्ति में खुद की समस्या के समाधान करने की क्षमता है। अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों तक पहुंच कर अपनी बात रखने की क्षमता उसमें नहीं होती। जिसका बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जैसे परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री, हमारे विपक्षी भाई मजाक करते हैं, व्यंग्य करते हैं। जैसे ही संवेदनशीलता की बात आती है, तो उसको मजाक में लेते हैं। लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता है, बुरे वक्त में अपने भी सहारा छोड़ देते हैं, बुरे वक्त में परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है, माननीय सभापति महोदय, उन नि:शक्तजनों की, उन असहायों की, उन बेसहारा लोगों की सुनी गयी और उनके काम इस प्रशासन गांव के संग अभियान में हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग एक मेले की तरह पंचायत स्तर पर, पंचायत मुख्यालय तक पहुंचे हैं और यह अभियान सफल हुआ है। जो काम पिछले लम्बे समय से पैंडिंग पड़े थे, उन लोगों के काम पूरे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए 500, 600, 700, 800 रुपया मायना नहीं रखता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है, जो गरीब है, जिसको दो जून का खाना नहीं मिलता है, उस व्यक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए यह पेंशन बहुत महत्व रखती है।

सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी सारी अव्यवस्थाएं थीं, अभी हमारी सरकार ने उनको सुधारने का काम किया। इस पर काफी चर्चा हुई। 15 से 21 तारीख तक वितरण की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आम उपभोक्ता जो इसका पात्र है, वह दर-दर भटकता था और राशन डीलर सामग्री की कालाबाजारी करते थे। उपभोक्ता उनके पास जाता था तो नाम मात्र का एक या आधा दिन उचित मूल्य की दुकान खोलकर वितरण की औपचारिकता पूरी कर लेते थे। जब गरीब उपभोक्ता उनके पास जाता था उस समय यह कहा जाता था, उन्हें यह जबाव मिलता था कि वितरण हो गया, राशन सामग्री खतम हो गयी या उठायी ही नहीं इस महीने। जबकि

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

उठाकर कालाबाजारी कर दी जाती थी। तो 15 से 21 तारीख तक सप्ताह निर्धारित किया है ताकि व्यक्ति इधर उधर भटके नहीं। वह अपना काम-काज करके सात दिनों में से किसी भी दिन राशन की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अपना राशन ले सकता है। इससे आम उपभोक्ता को राहत मिली है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दो रुपये किलो गेहूं की जो व्यवस्था की है, उससे गरीब को लाभ हुआ है। लोग इसकी मजाक करते हैं, लेकिन वह मजदूर जिसको रोजगार गारन्टी योजना के तहत रोजगार मिला है और उस रोजगार के साथ ही दो रुपये किलो सस्ता गेहूं मिला है, उस व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था बहुत मायने रखती है।

सभापति महोदय, मैं बड़े लोगों की बात नहीं करती क्योंकि मैं उस बांसवाड़ा से आती हूं जो गरीब, पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। गरीब लोग निवास करते हैं, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। गरीबी क्या होती है, यह वे लोग अच्छी तरह जानते हैं। सभापति महोदय, रोजगार गारन्टी योजना के कुशल प्रबन्धन से आज विपक्ष बौखलाया हुआ है। आज इस योजना से उनकी खेती और खलिहान सुधरे हैं। सड़कें सुधरी हैं और उनके गली-मोहल्ले साफ-सुथरे नजर आते हैं। मैं विपक्ष में बैठी माननीय बहिनों से निवेदन करना चाहती हूं कि गरीब की बात को मजाक में नहीं लिया जाए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब से रोजगार गारन्टी योजना शुरू हुई, तब से वहां पर कच्चे और पक्के काम शुरू हुए हैं, मेड़ बन्दी के काम शुरू हुए हैं। हमारे वहां गुजरात राज्य पड़ौस में पड़ता है, लोग गुजरात में मजदूरी के लिए जाया करते थे। घर के दरवाजे पर कांटे लगाकर जाते थे और पशुओं को आस-पास में रहने वाले लोग रखते थे। बूढे बुजुर्ग जो लोग रहते थे उनको दो, चार, पांच, दस घरों के लोग मिलकर एक परिवार के सुपुर्द करके मजदूरी करने जाते थे। शादी-ब्याह का जब समय होता था, आ जाते थे। पांच, दस, बीस, पच्चीस लोग मिलकर शादी का फंक्शन कर लेते थे। लेकिन आज इस गारन्टी योजना से हमारे यहां पर न केवल काश्तकार सुखी हुआ है, बल्कि उसका गुजरात में मजदूरी के लिए जाना भी बन्द हुआ है। गुजरात में मजदूरी पर नहीं जाने से आज हमारे यहां पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का एनरोल बढ़ा है।

सभापति महोदय, अभी यहां पर बहुत बातें शिक्षकों की भर्ती के बारे में हो रही थीं, टिप्पणी हो रही थीं। मैं स्वागत करती हूं माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का, कि आने वाले समय में हमारी सरकार पचास हजार के

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

लगभग शिक्षकों की भर्ती करने की योजना रखती है। जो सक्षम व्यक्ति होता है, जो समर्थ होता है और जिसकी माली हालत ठीक होती है, वह तो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा लेता है क्योंकि वह उसकी फीस अदा करने में समर्थ होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में वे बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक फीस अदा करने में समर्थ नहीं होते।

अभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी सारी बातें शिक्षकों की कमी को लेकर उठायीं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कि गांवों की स्कूल्स में जहां पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, शिक्षकों के पद कम थे और शहरों की स्कूल्स जहां पर बच्चों की संख्या 70 के लगभग थी और स्टाफ था 17 का, समानीकरण के तहत बच्चों की संख्या के अनुपात में पदस्थापित करके शिक्षकों को गांवों की स्कूल्स में भेजा। तब जाकर गांवों की स्कूल्स में बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण पर विपक्ष के माननीय सदस्य महोदयों ने बहुत सारी बातें कीं, उनका जिक्र नहीं करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि शिक्षकों की भर्ती जो होने जा रही है, वह जिला परिषदों के माध्यम से होने वाली है। इस सम्बन्ध में अभी मजाक बनकर जो बात सामने आयी कि शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा विभाग किसके पास है, मैं उस तह में नहीं जाना चाहती। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पांच विभाग पंचायती राज को सुपुर्द किये हैं, स्थानीय समस्याओं का निवारण होगा। गरीब जो इधर-उधर भटकता फिरता है, जो जिला स्तर तक नहीं जा पाता है, जिस कर्मचारी का स्थानान्तरण होता है उसकी कमियों और खामियों की शिकायत को लेकर हर आदमी राज्य स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, वह पंचायती राज तक पहुंचेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): और निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा क्योंकि आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह विभाग है, निश्चित रूप से आम व्यक्ति की समस्याओं का समाधान सहज रूप से उपलब्ध हो पाएगा। आज के अवसर पर जितनी भी बातें यहां पर हुई हैं, उनके बारे में नहीं कहते हुए पुनः एक बार यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी राजस्थान

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

की सरकार माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे विपक्ष के बन्धु उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): ऐसा कोई भी बिन्दु अछूता नहीं रहा है इसलिए आज हमारे विपक्ष के भाई विचलित हैं। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार गारन्टी के क्षेत्र में हो। चाहे गरीब के घर में अंधेरा हो तो राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत उसके घर में उजाला किया जा रहा हो। चाहे बी पी एल परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही हो और चाहे गरीब परिवारों को दो रुपये किलो का गेहूं दिया जा रहा हो। इन बातों को मेरे विपक्ष के भाई नहीं पचा पा रहे हैं लेकिन इससे आम व्यक्ति को राहत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सभापति महोदय, पिछले दो दिन से सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा, वह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि राजस्थान में इन दो सालों में सारी समस्याओं का समाधान हो गया हो। किसी प्रकार की कोई समस्या इस राजस्थान में अब नहीं रही। आम आदमी को इतनी राहत मिल गयी कि सरकार ने सारे कष्ट समाप्त कर दिये हों। लेकिन हकीकत कुछ और है। सरकार की करनी और कथनी में रात दिन का अन्तर है। सरकार वादे बड़े-बड़े करती है, घोषणाएं बड़ी-बड़ी करती है। ऐसा लगता है कि कोई डण्डा घुमाया राजस्थान में और राजस्थान का कायाकल्प कर दिया हो। लेकिन सच्चाई अगर गांवों में जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने नजर आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सदन में शांति बनाये रखें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आज किसान विकास को तरस रहे हैं। क्या हालत हो गयी है पूरे राजस्थान की।

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर विराज जाएं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ये नहीं सुन रहे हैं। सभापति महोदय, वे नहीं सुन रहे हैं। देखिए, क्या हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप अपने-अपने स्थानों पर विराज जाएं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पूर्ववर्ती सरकार के पांच सालों के कार्यकाल में विकास का जो दौर राजस्थान की धरती पर चला, आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि हम विकास की रेस में अन्य प्रदेशों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन दो साल के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे कदम इस दौरान लड़खड़ा गये, हमको जिस गति से विकास करना था वो हम नहीं कर पाये और वापस हम पीछे की ओर खिसक रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बात तो करती है कि यह गरीबों की हितैषी सरकार है। बहुत सारी घोषणाएं कीं कि हमने गरीबों के लिए यह किया, विकलांगों के लिए यह किया, विधवाओं के लिए यह किया, नि:शक्तजन के लिए यह किया। बहुत सारी, बड़ी-बड़ी बातें कीं। दिसम्बर, 2009 में भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय ने निर्देश दिये थे कि प्रदेश में जो भी परिवार गरीब हैं और बी.पी.एल. की सूची में आने से वंचित रह गये हैं, उनका वापस सर्वे करा कर उन परिवारों को भी बी.पी.एल. की सूची में जोड़ कर उनको भी बी.पी.एल. की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने जो सर्वे किया, उसने माना कि राज्य की 33.13 परसेंट आबादी बी.पी.एल. की सूची में आने योग्य है। इतना ही नहीं, उसने कई वर्गों को स्वत: बी.पी.एल. मानने के भी निर्देश जारी किये जिसमें विधवा महिला है जो अपने परिवार को खुद चलाती है या कोई बंधुआ मजदूर है, या एड्स पीड़ित या टी.बी. का मरीज है। उन्होंने कई ऐसे मापदण्ड तय किये कि अगर राजस्थान की यह सरकार वाकई में गरीबों की हितैषी सरकार होती तो वापस सर्वे करा कर जो गरीब परिवार बी.पी.एल. की सूची में आने से वंचित रह गये, उनका भी नाम जोड़ कर उनको भी इस योजना में लाभान्वित करती। पर एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस संवेदनशील सरकार ने, अपने आपको संवेदनशील कहने वाली सरकार ने कोई नाम बी.पी.एल. की सूची में नहीं जोड़ा।

अभी प्रशासन गांवों की ओर कैम्प लगा, बहुत सारे गरीबों ने गुहार की, आवेदन किये कि हम गरीब हैं, सरकारी कर्मचारियों की गलती से हमारा नाम पहले बी.पी.एल. की सूची में जुड़ नहीं पाया, हम प्रार्थना पत्र देते हैं, इसकी जांच करो और हमारा नाम भी बी.पी.एल. की सूची में जोड़ कर हमको भी कुछ राहत दो। क्या किया इस सरकार ने? वो सारे के सारे आवेदन रद्दी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की टोकरी में हैं। जिनका हक बनता था बी.पी.एल. की सूची में नाम जोड़ने का, उनकी उम्मीदों पर इस सरकार ने पानी फेर दिया।

माननीय सभापति महोदय, दो साल पहले प्रशासन शहरों की ओर भी अभियान इस सरकार के कार्यकाल में चला, बड़े-बड़े पोस्टर इस सरकार ने छपवाये कि हम नि:शक्तजन की पहचान करके उनको भी किसी न किसी तरह ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): वह भी बता दें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वह 2002 में हुआ पहले।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): 2002 का?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पहले 2002 में हुआ और 2009 को वापस भारत सरकार ने आदेश दिये हैं, लेकिन राजस्थान में यह हुआ नहीं है। 2009 को आदेश दिये कि एक साल में पूरा करना था, कब होगा फिर?

माननीय सभापति महोदय, दो साल पहले भी सरकार ने प्रशासन शहरों की ओर अभियान के शिविर लगाये, विज्ञापन दिये, पोस्टर भी छपवाये कि हम नि:शक्तजन की पहचान करेंगे, उनको लिस्ट करेंगे, उनको प्रमाण पत्र देंगे। चलो, कर दी, पहचान कर दी, आपने सूची बना दी, प्रमाण पत्र भी आपने दे दिये। लेकिन दो साल में एक भी नि:शक्त को किस योजना में लाभान्वित किया, यह सरकार बता दे। थोड़ी अभी पहचान करेंगे, करेंगे कुछ नहीं।

माननीय सभापति महोदय, सारे नि:शक्त सरकार की ओर उम्मीद लगाये बैठे हैं कि हमें कार्ड दिया है, प्रमाण पत्र है, शायद सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। मेरा आग्रह है हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि यह बजट आने वाला है, आपने दो साल पहले जिनको कांच दिखाया, कम से कम उनको आप कोई न कोई लाभ पहुंचा दें।

माननीय सभापति महोदय, जितनी भी चर्चा यहां चली- चाहे 295 चला, चाहे पर्ची चली, चाहे स्थगन चला, हालात क्या हैं कि स्कूल है पर टीचर नहीं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको याद होगा, पिछले सत्र के मेरे प्रश्न में आपने खुद माना था कि 18 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): स्कूलों में टीचर नहीं। आज मैंने पर्ची के माध्यम से बताया, अस्पताल हैं डाक्टर नहीं। फिर कैसा काम? सरकार का दायित्व नहीं बनता कि जो विद्यालय खोले हैं वहां टीचर लगें? जो अस्पताल खोले हैं वहां डाक्टर लगें? यह सरकार अपने दायित्व के प्रति सजग नहीं रही, दायित्वों से विमुख रही। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कह रहा हूं उद्योग के सम्बन्ध में। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कहती है कि वास्तव में ...(व्यवधान) दो मिनट रुक जाओ आप। आप विराज जाओ दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, अगर यह सरकार चाहती है कि राजस्थान का विकास हो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये आप, अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यदि यह सरकार चाहती है कि वाकई में राजस्थान का विकास हो, मैं अंतिम बात कह कर मेरी बात समाप्त करूंगा...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा, आप कृपया विराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री सभापति: श्री पेमाराम जी। कृपया विराजिये, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री पेमा राम जी। (अनुपस्थित) श्री पवन दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम का अभिभाषण सुना, कल और आज पूरे दिन हमारे सत्ता पक्ष के तमाम भाइयों ने खूब बढ़-चढ़ कर सरकार की प्रशंसा की, विशेष कर हमारे जो नये साथी आये हैं उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार इस बात का गुणगान कर रही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान हमने चलाया। यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जिसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. समेत इनके मंत्री भी गये और संतरी भी गये। इनका अमला-जमला गांवों में गया, बी.पी.एल. को छोड़ के इन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी बनाये, यह भी सही है।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

मगर मैं यह पूछना चाहता हूं सदन में कि इनका शिक्षा विभाग गांवों में गया था, कितने शिक्षकों को गांवों में छोड़ कर आया? चिकित्सा विभाग कितने गांवों में चिकित्सक नियुक्त करके आया? सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गांवों में कितनी सड़कें दीं? इस बात का जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन्होंने नहीं दिया और ये दे भी नहीं सकते क्योंकि गांव की जनता को सिवाय मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के कुछ भी नहीं देकर आये। माननीय सभापति महोदय, सरकार के संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्रीजी कितने संवेदनशील हैं, उसका उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, एक काश्तकार चलती नहर के अन्दर चार या पांच इंच की पाइप लाइन डाल कर अगर पानी ले ले, चोरी कर ले तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, इनके अधिकारी भाग कर पड़ते हैं उसके ऊपर। मगर राजस्थान की 6-7 जिलों की जीवनदायिनी, 40 लाख किसानों का पेट भरने वाली इंदिरा गांधी नहर के ऊपर 14 महीनों से पंजाब सरकार ने 225 फुट का कट लगा रखा है और सरकार ने आज तक उस कट को बंद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हमारे अति संवेदनशील मंत्री, सिंचाई मंत्रीजी भी बैठे हैं, मुझे इस बात का इनसे भी जवाब लेना है। पन्द्रह महीने हो गये, इनको तो पता ही नहीं है, 12 और 1313 आर डी कहां है जहां कट लगा हुआ है। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता किसान, मजदूर के साथ सरेआम इस प्रकार की लूटपाट हो रही है, हमारे किसानों ने जब संघर्ष किया, सड़कों पर उतरे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा, एक लव लैटर। पर उन्होंने उस लव लैटर को स्वीकार नहीं किया, फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। दुबारा फिर एक कोशिश की, फिर दुबारा इनकी बात नहीं सुनी। कितनी कमजोर और निकम्मी राजस्थान की सरकार जो अपने सिंचाई के पानी को नहीं बचा सकती। सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है राजस्थान का। पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता, पंजाब का मंत्रिमण्डल पंजाब की विधान सभा में बैठकर पास करते हैं कि एक बूंद पानी आगे नहीं जाने देंगे और हमारा लाखों क्यूसेक्स पानी चोरी कर रहे हैं परन्तु विधान सभा में चर्चा करना भी ये मुनासिब नहीं समझते। क्या है राजस्थान की सरकार में यह दम? हमने अपना पानी कीमत देकर लिया है, हमने अपनी नहर की जो जगह ली है, उसकी कीमत दी है। क्या विधान सभा यह प्रस्ताव ला सकती है कि हमारा एक बूंद पंजाब लेगा तो हम पंजाब को ठीक करेंगे। मगर नहीं,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

संवेदनशील जो ठहरे। कर भी क्या सकते हैं? पारदर्शी भी हैं, सब कुछ दुनिया को दिखा रहे हैं।

सभापति महोदय, खूब प्रशंसा हमारे नये साथियों ने की है, दो साल का गुणगान कर रहे हैं। मैं इस सदन में गंगानगर जिले के अनूपगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं, अनूपगढ़ विधान सभा की जनता ने सीमावर्ती इलाके में भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध हुए हैं, तो किसान और मजदूर ने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया है। सीमावर्ती गांव के अन्दर राजस्थान की सरकार ने चालीस साल में अगर एक भी सड़क दी है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात का सत्यापन कर सकते हैं।

शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, राइट टू एजूकेशन की बात करते हैं। सभापति महोदय, 1997 में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी जरूर हमारे अनूपगढ़ के अन्दर एक नींव का पत्थर लगाकर आए थे कि अनूपगढ़ की जनता को जो अन्तरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर बैठी है, उसको एक कालेज देंगे। आज, मंत्रीजी, तत्कालीन मुख्यमंत्री तो दुनिया में नहीं हैं, मगर मुझे यह लगता है कि यह भी चले जाएंगे पर अनूपगढ़ की जनता को महाविद्यालय नहीं मिल सकता।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, यह जिस बी पी एल परिवार की बात कर रहे हैं कि विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, वृद्धावस्था को पेंशन दे रहे हैं, सभी माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान है कि इन्होंने बड़े विज्ञापन जरूर छपवाये हैं मगर नियम-कानून ऐसे बनाये हैं कि जिसके पच्चीस साल का बेटा है वह वृद्ध नहीं है, उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा सकती। अगर दी जाती है तो सदन में ...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इनके मंत्री जवाब दें । सभापति महोदय, विधवा पेंशन में भी ऐसा ही प्रावधान है। हम मांग करते हैं सदन में राजस्थान के उन वृद्ध लोगों की तरफ से कि अगर वास्तव में संवेदनशील सरकार है तो हरियाणा और पंजाब की तरह से कानून बनाए कि चाहे किसी के

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

दो बेटे हों चाहे तीन बेटे हों, चाहे कोई बी पी एल हो या नहीं हो, वृद्ध का मतलब वृद्ध और उसको साठ साल के बाद राजस्थान की सरकार सहारा देगी, उसको पेंशन देगी, विधवा को सहारा देगी, तो कह सकते हैं कि सरकार में कुछ है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कमल बैरवा। अब अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 13वीं विधान सभा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं कुछ कह रहा हूं, कृपया विराजिए, माननीय सदस्य। मैं सभी सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को टाइम की पाबन्दी अब करनी ही पड़ेगी सबको, तो मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमारे में ही एतराज हो गया? (व्यवधान) हम तो बोले ही नहीं अभी, हमारा बोलने का नम्बर आया तब ही ...(व्यवधान) लोग दो-दो घण्टे बोल गये।

श्री सभापति: अभी 3 घण्टे 13 मिनट आप लोगों को ज्यादा टाइम चला गया, इधर के लोगों का, हां लाबी का टाइम बाकी है। मैं छह मिनट आप लोगों को दूंगा, आठ मिनट इधर दूंगा, नौ मिनट उधर दूंगा और सात मिनट आपको दूंगा। घण्टी बजा दूंगा, अंकित नहीं होगा। मैं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): पहले वालों पर तो आपने राशन लगाया नहीं।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 13वीं विधान सभा के छठे सत्र में 15 फरवरी, 2011 को

(श्री कमल बैरवा)

दिये गये अभिभाषण में माननीय श्री अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में जो कल्याणकारी, जनहितकारी काम किये गये हैं, उन कार्यों का उल्लेख किया गया है, मैं उसके समर्थन में यहां अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने जन हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं तथा राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए अहम फैसले किये हैं। अभी हाल ही में ग्रामीण आम जन की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए प्रशासन गांवों के संग 52 दिन तक कैम्प चलाया गया जिसमें आम जन को, किसान को और मजदूर को सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, सभी विभागों को इकट्ठा करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। करीब 48 हजार खातेदारी के अधिकार दिये गये, 5 लाख 18 हजार नामान्तरण खोले गये, 16 लाख समथिंग मूल निवास बनाये गये, 12 लाख समथिंग के जाति प्रमाण-पत्र जारी किये गये और 14 लाख के करीब मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाये गये। ये सभी वह कार्य थे जिसमें आम किसान, गरीब आदमी जो गांव में बैठा है, उसको शहरों में आकर चक्कर लगाने पड़ते थे और आने-जाने का भाड़ा अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। एक जगह पंचायत हैडक्वार्टर पर कैम्प लगाकर उनका निस्तारण किया।

मैं राज्य सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखते हुए गुर्जर समाज के द्वारा की गयी आरक्षण की मांगों का समाधान शांति पूर्ण एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार किया, जबकि वर्ष 2007 और 2008 में इसी प्रकार के आन्दोलन में सत्तर व्यक्तियों की जानें गयी थीं। इस बार इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो, शांतिपूर्वक उस आन्दोलन का निपटारा किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिक्त पड़े हुए लगभग पचास हजार शिक्षकों के पदों को जिला परिषद के माध्यम से भरा जा रहा है, इससे शिक्षण व्यवस्था को गति मिलेगी।

(श्री कमल बैरवा)

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आवासीय सुरक्षा नीति के तहत सरकार द्वारा राज्य में निर्धन परिवारों को मकानों की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाकर 4 लाख 55 हजार निर्धन परिवारों को आवास, भूखण्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जल संरक्षण के सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा महानरेगा योजना के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर कराये गये जल संरक्षण एवं जल संग्रह के कार्यों और इस वर्ष अच्छा मानसून होने से प्रदेश में सारे टांके, डिग्गियां, खेत, तालाब आदि भर जाने से पानी की आवक बढ़ी है तथा आस-पास के क्षेत्रों में जल का सुधार हुआ है, जल की उपलब्धता बढ़ी है। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब की दूरदर्शिता व संवेदनशीलता का ही यह परिणाम है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग एवं न्याय विभाग के अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के दौरान राज्य में पहली बार चिन्हित नि:शक्तजनों को नि:शक्तता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र नि:शुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। एस टी, एस सी, ओ बी सी के छात्रों को मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 76 करोड़, 91 लाख रुपये व्यय करके लगभग 1,44,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रारम्भ की गयी हरित राजस्थान योजना में वन विभाग द्वारा नवम्बर, 2010 के बीजारोपण सहित 64,841 हैक्टेयर भूमि में 2 करोड़ 57 लाख से अधिक पौधे एवं अन्य विभागों, संस्थाओं द्वारा 23,000 हैक्टेयर में लगभग 1,29,85,000 पौधे लगाये गये हैं। इस क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में पर्यावरण नीति के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स पर दिनांक 1 अगस्त, 2010 से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप पर्यावरण में प्रदूषण की काफी हद तक रोकथाम हुई है।

जल के संकट तथा भू-जल स्तर में निरन्तर गिरावट होने से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने स्थायी स्रोत पर आधारित 63 वृहत् योजनाएं जिसकी अनुमानित लागत 12,884 करोड़ रुपये है, स्वीकृत की

(श्री कमल बैरवा)

हैं। उनमें से 22 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 35 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में राज्य सरकार की मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 36 लाख 57 हजार बी पी एल एवं राज्य बी पी एल परिवारों को प्रति माह 25 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री की एक बहुत अच्छी उपलब्धि है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): दो मिनट और। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सकों की बढ़ती मांग को देखते हुए चिकित्सा महाविद्यालयों से 2022 सीट्स तथा 39 सुपर स्पेशलिस्ट सीट्स की भर्ती की गयी है जिससे आने वाले समय में काफी हद तक चिकित्सकों की कमी की पूर्ति होगी।

इसके अतिरिक्त राज्य में 'स्वास्थ्य सबके लिये' लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्था द्वारा प्रसव पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर में कमी होने के लिये सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कमल बैरवा (निवाई): धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने की अनुमति दी इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पैरा नम्बर 3 और पैरा नम्बर 84 सदन को बहुत ही गुमराह कर रहा है और इसके सभी आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा। हमारी सरकार 2008 के अन्त में जब गयी तो यह तो हमारी सरकार की दूरदृष्टि थी कि हम इतने पावर प्रोजैक्ट्स छोड़कर गये थे। 2012 तक जितने भी पावर प्रोजैक्ट्स आपके चालू होंगे, वे हमारी सरकार में काम शुरू होने की वजह से ही हो रहे हैं। आप देखिये, परोसी हुई थाली छोड़कर गये हम आप लोगों के लिये। मैं आपको कम्पेरिजन देना चाहूंगा कि 2003 में जब हमारी सरकार आयी थी तो 125 मेगावाट का खाली एक फाइनेंशियल सैंक्शन

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

दिया गया था गिराल प्रोजेक्टस का और हम लोग हमारे कार्यकाल में 4500 मेगावाट लगा चुके हैं। 4500 मेगवाट के जो पावर प्लांट्स लगेंगे, उनका हम कार्य शुरू करके आलमोस्ट कम्प्लीशन स्टेज पर छोड़कर गये थे। तो अभिभाषण के पैरा 3 के अन्दर जो बोला गया है कि गत दो वर्ष में उत्पादन क्षमता में 2368 मेगावाट की वृद्धि की गयी है, जो यह वृद्धि की गयी है इसका श्रेय सरकार ले रही है, ये तो सब हमारे प्रोजैक्ट्स हैं।

अब मैं आपको 2009 का बताना चाहूंगा कि कोई भी पावर प्रोजैक्ट में ग्रीन फील्ड प्रोजैक्ट को चार साल लगते हैं आने में और नार्मल प्रोजैक्ट में जो एक्सटेंशन होता है, ढाई से तीन साल लगता है। 2009 के अन्दर आपका सूरतगढ़ यूनिट नम्बर 6-250 मेगावाट, कोटा थर्मल यूनिट नम्बर 7-200 मेगावाट, छबड़ा नम्बर 1-250 मेगावाट, मरुधर पावर 135 मेगावाट और पवन ऊर्जा के 250 मेगावाट, यानि लगभग 1100 मेगावाट 2009 में आपको मिल गये हैं। 2010 के अन्दर छबड़ा यूनिट नम्बर 2-250 मेगावाट, जोलीपा-कपूरडी यूनिट नम्बर 1 व 2-270 मेगावाट, बरसिंगसर 250 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 250 मेगावाट, 2010 में सरकार को कुल मिल गये लगभग 1100 मेगावाट। ये आंकड़े राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रकाशित हुए हैं। 2368 मेगावाट के लिये उन्होंने कहा कि दो साल में हमने किये। यह श्रेय सरकार को नहीं मिला, यह श्रेय हमारी सरकार को मिलता है।

दूसरी बात, इसके पश्चात् 2012 के अन्दर जो आपके प्रोजैक्ट्स आएंगे -काली सिंध-1200 मेगावाट, वह भी हमारा ही लगाया हुआ है, उसका कार्य हमने शुरू कर दिया था। जालीपा-कपूरड़ी की 6 यूनिट-810 मेगावाट, 2000 मेगावाट, ये भी आपके 2012 में चालू हो जाएंगे।

अब, सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सरकार ने कई अखबारों में घोषणा की है कि हम राजस्थान में उत्पादन के अन्दर एक नया माइल-स्टोन कायम कर रहे हैं। उन्होंने सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स के बारे में बात की, बहुत अच्छा है। यह तो कोई सरकार जो भी आती है, जनता के लिये कोई फेवर करके नहीं जा रहे हैं, उसका यह कर्तव्य बनता है कि जितने पावर प्रोजैक्ट्स लग सकें, चाहे कोई भी बटन दबाए, जनता को उसका फायदा मिलना चाहिये। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ये जो सुपर क्रिटिकल प्लांट्स हैं- छबड़ा 660x2 यानि कि 1320 मेगावाट, बहुत बड़ा

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

प्लांट है, एस टी पी एस 660x2=1320 मेगावाट, बहुत बड़ा प्लांट है, बासंवाड़ा 660x2=1320 मेगावाट बहुत बड़ा प्लांट है और कवाई का भी सेम 1320 यानि कि लगभग 5300 मेगावाट पावर प्लांट की सरकार ने घोषणा की कि हम करेंगे। परन्तु दुःख की बात ये है कि यह सब जो पावर प्लांट्स हैं, खाली पेपर वर्क है क्योंकि कोल का लिंकेज मिला ही नहीं है। अभी तक कोई टेण्डरिंग, कोई प्रोसेस कुछ भी नहीं हुआ शुरु। केन्द्र में आपकी सरकार है, यहां आपकी सरकार है, कैसे आएंगे ये पावर प्लाण्ट्स? कोयला नहीं मिल रहा है। पर्यावरण मंत्रालय और आपके माइन्स डिपार्टमेंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सरकार है। नहीं, आप ऐसा कह गये कि आपकी सरकार है।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): कांग्रेस की सरकार है, सत्ता आपकी है तो डोर जुडी हुई है न। सब कहते हैं कि केन्द्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी है तो कुछ तो करना चाहिए आपको।

श्री सभापति: आगे बढ़िये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यह तो 2012 तक हमारे प्रोजैक्ट्स पर आप लोग जी जाएंगे, पर उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद आप लोग जो बढ़ती हुई मांग है, 2013 के अन्त तक राजस्थान को अन्धकार में छोड़कर जाएंगे, यह मैं आपको अभी से बता रहा हूं। क्योंकि जब आपके प्रोजैक्ट्स का कुछ कार्य ही शुरु नहीं हुआ, इन सब प्रोजैक्ट्स को चार साल लगेंगे तो चार साल बाद राजस्थान की क्या पोजीशन होगी, यह भगवान ही जानता है। टेंथ, इलेवंथ फाइव ईयर प्लान के अन्दर राजस्थान की सरकार पूरे इण्डिया के अन्दर तीन स्टेट्स में थी जिन्होंने अपना कमिटमेंट, अपना टारगेट फुलफिल किया। उत्पादन ही खाली उद्देश्य नहीं है। बेसिकली क्या है, उत्पादन क्या करता है, आपको सप्लाई भी देनी है जनता को। अब सप्लाई की एक तरफ के बारे में आपको बता दिया कि 2013 में क्या पोजीशन आने वाली है। मुख्य मंत्री सबके लिए ढाणियों की जो स्कीम हमने चालू की थी 3500 रुपये के अन्दर, अब वह स्कीम बंद कर दी गयी है। 31 मार्च, 2010 को उन्होंने कोई भी आवेदन लेने से मना कर दिया है। बिजली

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

उत्पादन करेंगे और आप जनता को नहीं देंगे, विकास का क्या होगा क्योंकि इसका प्रमुख द्वार बिजली है?

सभापति महोदय, अब आपकी आ गयी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इसमें 2005 के अन्दर कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि 2012 तक हम पूरे देश के हर घर के अन्दर एक्सेसिबिलिटी दे देंगे बिजली की। 2012 को तो आप छोड़िये, यह 2020 तक भी नहीं हो सकेगा जिस रफ्तार से यह स्कीम चल रही है। राजस्थान की रिक्वायरमेंट है हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए 42 हजार करोड़ रुपया, जबकि इस सरकार को मेरे ख्याल में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिले हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की घोर निन्दा करता हूं और विरोध करता हूं धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में विचार रखना चाहूंगा। दो दिन से इस अभिभाषण पर वाद-विवाद आपस में चल रहा है, मेरे सामने विराजमान प्रतिपक्ष इसको झूठ का पुलिंदा बताते हुए पता नहीं क्या-क्या इसके बारे में चर्चाएं कर रहा था। मैं तो पहली बार विधान सभा में आया हूं और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष जो यह कह रहा था कि 5 साल बेजीपी की सरकार में विकास की गंगा बही, खूब कार्य हुआ और आज वह कार्य ठप्प हो गया है, अगर विकास की गंगा बही होती तो आप सामने नहीं बैठते।

सभापति महोदय, मैं बाड़मेर का उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि माननीय दिगम्बर सिंह जी ने और अन्य वक्ताओं ने यह बात कही कि विधान सभा में कोई एक एम.एल.ए. बताए कि क्या काम हुआ। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस की सरकार में अशोक जी गहलोत ने मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का शिलान्यास किया था। सरकार हमारी चली गयी और पांच साल बीजेपी की सरकार रही। सरकार जाने के 6 महीने बाद वापस उसी का शिलान्यास किया, एक रुपये का काम नहीं किया। सिर्फ 12 पाइप कहीं बाहर से मंगाकर उसका शिलान्यास किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को और हमारे मंत्री महीपाल जी मदेरणा को कि उन्होंने इस लिफ्ट कैनाल का काम हाथ में लिया और डेढ़-दो साल के अन्दर 600 करोड़ रुपये खर्च किये। तीन-चार महीनों के अन्दर

(श्री मेवाराम जैन)

मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का मीठा पानी बाड़मेर में पहुंचेगा, इसके लिये मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, विद्युत के बारे में भी बात चल रही थी, विद्युत के बारे में कहना चाहूंगा कि आप पहले के उदाहरण देख लें, गांवों में जाएं, ढाणियों में जाएं और इस दो साल के कार्यकाल में जो विद्युत गांवों में पहुंची है, लाइनें गांवों में पहुंची हैं, खंभे कितने खड़े हुए हैं, आप उनको देखें। मैं उदाहरण दूंगा कि बाड़मेर में कई पंचायत हैडक्वार्टर पर पूरी पंचायत में जहां एक खंभा नहीं था, 500-500 खंभे लगे। गांवों में, ढाणियों में जगह-जगह विद्युतीकरण हुआ। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले तीन सालों में विद्युत में राजस्थान आत्मनिर्भर होगा। मेरे से पहले पावर प्लांट के बारे में भी बात हुई, भादेरस में पावर प्लांट लगा, भूमि की अवाप्ति हुई। बीजेपी की सरकार में किसानों को 23 हजार रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने एशिया में सबसे बड़ी भूमि की अवाप्ति बाड़मेर में की और मेरी विधान सभा में की जिसके लिए 3 लाख रुपये उनको मुआवजा दिया गया। यह सबसे ज्यादा बाड़मेर में किसानों के हित में दिया गया। किसानों के हित में बात करने वाली पार्टी, कहां 23 हजार और कहां 3 लाख का अंतर।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ रिफाइनरी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समय में रिफाइनरी की खूब चर्चा हुई, खूब बातें हुई। कई बार रेलवे स्टेशन पर बाड़मेर के विधायक वगैरह आते थे तो उनका ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया जाता था कि हम रिफाइनरी लाये, हम रिफाइनरी लाये। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उस रिफाइनरी के लिये क्या हुआ? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रिफाइनरी की राह आसान की। बहुत ही जल्दी रिफाइनरी बाड़मेर में लगेगी और बाड़मेर तथा राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा।

सभापति महोदय, आज नरेगा की बात करें, नरेगा के अन्दर कह रहे थे कि काम नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में गत वर्ष 48 हजार टांकों का निर्माण हुआ जो आज भी पानी से भरे हुए हैं और लोगों को उससे राहत मिल रही है। अभी भी वर्तमान में 10 हजार टांके स्वीकृत हुए हैं। सड़कों का भी कार्य हुआ है। नरेगा में लोगों को रोजगार मिल रहा है।

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, सड़कों की बात करें, सड़कों के लिए अभी कह रहे थे कि एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मैं बाड़मेर जिले की बात करूंगा कि इन दो सालों में सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपये जिले में खर्च हो रहे हैं। आज शहर के विकास की बात करें, आप बाड़मेर को देखें, वहां सीमेन्ट की सड़कें, सौन्दर्यीकरण, किस तरह से विकास हो रहा है। यह आप वहां जाएं और देखें। मेरे खयाल से राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर शहर में विकास हो रहा है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण ओवरब्रिज का काम था जिसकी वजह से शहर दो भागों में बंटा हुआ था। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे मंत्री धारीवाल जी ने ओवरब्रिज की स्वीकृति दी और उसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गरीब जिसके पास मकान रहने के लिए नहीं है, उनके लिए बाड़मेर में 1 हजार परिवारों को 72-72 हजार राशि दी गयी ताकि उनको मकानों की व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, प्रशासन गांवों की ओर की बात करें, कई लोग कह रहे थे कि उनको सिर्फ सर्टिफिकेट दिये गये। मैं बाड़मेर जिले की बात करना चाहूंगा, 55 साल में जितनी सहायता असहाय, विकलांग, विधवाओं को नहीं मिली, उतनी इस 52 दिन के अन्दर बाड़मेर जिले में गरीबों को मिली। उनकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, गरीब को कितना लाभ मिला होगा, यह वह स्वयं ही जानता होगा। कई विकलांगों का भी चयन कर उनको लाभ दिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं कानून-व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। गुर्जर प्रकरण में हमारे सामने वाले बैठे कह रहे थे कि ये पटरियों पर बैठे रहें, कहीं गोली चले तो हमें बोलने का मौका मिले। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसको शांति से निपटाया।

सभापति महोदय, दो रुपये किलो गेहूं, शुद्व के लिए युद्व, राशन की सामग्री कहां तो गुजरात में जा रही थी, घासलेट पम्पों में जा रहा था, उसको रोका गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): भ्रष्टाचार पांच सालों में कितना था, आप सबको पता है। अंत में मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण का स्वागत करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा।

सभापति महोदय, गृह विभाग के बारे में बात करते हैं, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ताजा उदाहरण आपके सामने है, सीकर जिले के अजीतगढ़ थाने के अन्दर आने वाले एक गांव में एक 17 साल की लड़की के साथ लोगों ने गैंग बलात्कार किया। हैण्ड टू हैण्ड सैटिंग से डाक्टरी मुआयना बोर्ड बैठाया गया, उसने झूठी रिपोर्ट दी। आज भी वह लड़की आपके जनाना हास्पिटल में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह आपकी पारदर्शी सरकार है तो उन जेल में बैठे हुए आठ-दस लोगों के डीएनए टैस्ट करवाए और उनके खिलाफ 376 का केस दर्ज करे क्योंकि डाक्टरी रिपोर्ट में यह लिखा नहीं है। बलात्कार हो सकता है, ऐसा लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा सीनियर डाक्टरों का बोर्ड बैठाकर उस लड़की को न्याय दिलाया जाए, तब पारदर्शी सरकार आपकी कहलाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज जेलों में बैठे हुए गुण्डे लोग जेलों से ही अपना राज चला रहे हैं आपके राज में। मोबाइल के जरिये फिरौती मांगते हैं। जेल के अन्दर मोबाइल ले जा सकते हैं तो क्या एक टाइम बम या बम नहीं ले जा सकते? सरकार की यह कहां की पारदर्शिता है कि जेलों के अन्दर जैमर नहीं लगा सकती, लेकिन विधान सभा में पैसा आ गया जैमर लगाने के लिए? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि क्राइम रेट को कम करना है तो जेलों के अन्दर जैमर लगाकर या पहरा कड़ा करके, मोबाइल और अन्य अनधिकृत साधनों को बाहर से ले जाने से रोकें जिससे राज्य में क्राइम रेट कम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य के गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को आप सालाना वर्दी देते हैं, पुलिस की डिमाण्ड है 17 करोड़ रुपए की और आपने पास किया है मात्र 9 करोड़। क्या आधे पुलिस वाले बिना वर्दी के ही घूमेंगे? यह तो सरकार की पारदर्शिता का नमूना है।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में सरकार की पारदर्शिता की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक ए एस आई है जो पहले से दोषी है और सस्पैण्ड किया हुआ है, उसको 17 सीसीए का नोटिस दिया हुआ है, एक इन्क्रीमेंट रोका हुआ है, उसको ऐसा चार्ज अब के दिया है कि उसने 436 का एक केस ऐसा बना दिया कि वहां पर कोई रहता भी नहीं था। जनगणना हुई पहले, 2-3 दफा सर्वे हुआ, मकान में कोई दिखा नहीं, उस परिवार के पास में रहने वाले मकान में दिखाया था लेकिन उस एएसआई ने एक ऐसा केस बनाया कि वहां के चार आदमी 75 दिन तक जेल में रहे और उसके बाद उनकी जमानत हुई। यह सरकार की पारदर्शिता का नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश के गृह मंत्रीजी जैसा बहाना ढूंढते हैं, वैसा ही बहाना यहां के अधिकारी ढूंढते हैं। जैसा कई दफा आपके सामने सदन में आ चुका है, गाली इधर देते हैं फिर कहते हैं कि मैंने शालेग्राम जी को कहा है। ऐसे ही काम इनके अधिकारी करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ऐसा करेगा तो नीचे वाले को करने में जोर नहीं आएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी जबान फिसलने पर लगाम लगाएं। अभी भी जुबान फिसली। ऐसा काम करने से आपकी छवि कैसी रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन प्रदेश की छवि तो सही रहे, इसके लिए कानून-व्यवस्था के साथ आपको अपनी जबान पर भी ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में बात करते हैं, सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। बार-बार कहते हैं लेकिन पर्दे के पीछे सरकार किसानों की बिजली की रेट करीबन 35 प्रतिशत बढ़ा चुकी है। सरकार कहती है कि हमने बिजली उत्पादन बहुत ज्यादा किया है, तो वह सारी बिजली उत्पादन करके क्या दूसरों को बेचती है सरकार? जब फ्लैट रेट चालू की थी किसानों के लिए, उस टाइम 8 घण्टे बिजली तय हुई थी देने के लिए, लेकिन आज यह सरकार 4 घण्टे से ज्यादा बिजली एवरेज नहीं दे रही है तथा 35 से लेकर 50 प्रतिशत तक रेट भी बढ़ा दी। यह सरकार का कथनी और करनी का अंतर है कि वह किसानों के साथ किस तरह से अन्याय कर रही है। इससे सरकार की पारदर्शिता सामने आ रही है और किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, तीन मिनट नहीं हुए अभी। माननीय, आपने देखने, लिखने में गलती कर दी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर विद्युत का मैं बता रहा हूं। नगरपालिका क्षेत्र का मतलब होता है, सारा आबादी क्षेत्र है। लेकिन वहां पर जो कनेक्शन लेना चाहता है अपनी लाइट के लिए, उसको यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपका आबादी क्षेत्र नहीं है। यह घोर अन्याय है। वहां पर उनसे सरचार्ज ले रहे हैं। पूरी नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को यह कहकर टाल देते हैं कि बीपीएल को कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वरीयता से कनेक्शन नहीं देकर मनमर्जी से दिए जा रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट नहीं हुए मुझे बोले हुए।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है। सरकार ने ट्रैक्टर बनाने वाली कम्पनियों को डीलर नियुक्त कर रखा है, लेकिन सरकार उनको यह पाबन्द नहीं कर सकती कि किसान जो लोन लेते हैं वह ट्रैक्टर अपनी मर्जी से राजस्थान में कहीं से भी ले सकते हैं। 50 हजार रुपए की सब्सिडी है उस पर।

श्री सभापति: समाप्त करें। अब आपका अंकित नहीं होगा। श्री शाले मोहम्मद।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): ×××

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, 15 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण यहां पर दिया गया, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। मैं माननीय हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, ऊर्जावान मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दो साल में राजस्थान का चहुंमुखी विकास करवाया है।

मैं काफी समय से माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, उनको सुन रहा था। जो मेरे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य थे, उनको भी मैंने सुना है। डाक्टर दिगम्बर सिंहजी सुबह अपनी बात यहां पर रख रहे थे, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीपीएल को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घी नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब वह स्वयं चिकित्सा मंत्री थे तो आपने क्या किया? क्या कोई एक योजना भी बनाई थी? क्या कोई गरीबों के लिए सोचा भी था? क्या आप एक नई योजना लेकर आए थे? मैंने देखा था चूंकि मैं जिला प्रमुख था, कि पांच सालों में उन्होंने सिर्फ जो केन्द्र की योजना थी एनआरएचएम, उसमें जो पैसा आ रहा था उससे बिल्डिंग बनाईं और झूठी वाहवाही ली। न तो कोई एक डाक्टर का पद भरा, न कोई सब सेंटर खोले, न कोई पीएचसी खोली, न कोई सीएचसी खोली। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछले बजट में विशेष तौर से रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सब सेंटर्स, नई पीएचसी और नई सीएचसी दीं। दूरदराज के क्षेत्र थे या ग्रामीण क्षेत्र थे जहां वास्तव में डाक्टरों की कमी थी, डाक्टरों को उन क्षेत्रों में लगाया। जो डाक्टर वहां जाइन नहीं करना चाहते थे उनको विशेष तौर पर वहां जाइन कराया गया। आज रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग उन पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर्स का लाभ ले रहे हैं। हमारे 50 प्रतिशत, 300 पद एएनएम के रिक्त थे, वहां एएनएम नहीं थी, पद ही स्वीकृत थे, परन्तु आज हम देख रहे हैं कि दूरदराज के गांवों में सब भर दिए गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने जो काम किया है, आज तक ऐसे काम नहीं हुए, वे काम किए हैं।

अभी माननीय सदस्य वासुदेवजी देवनानी कह रहे थे, वह खुद शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि

(श्री शाले मोहम्मद)

पूरे राजस्थान के अन्दर हर ग्राम पंचायत स्तर पर सैकण्डरी स्कूल दिये हैं। यह निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। गांव के छात्र को सैकण्डरी शिक्षा करने के लिए शहर में जाना पड़ता था, दूरदराज जाना पड़ता था, इसलिए वह मिडिल करने के बाद छोड़ देता था। आज गांव में सैकण्डरी स्कूल खुली हैं तो मैं समझता हूं, गरीब छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अपने घर पर सैकण्डरी स्कूल मिल रही है, यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, आज तक ऐसा कदम किसी सरकार ने नहीं लिया। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि यह निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। यहां घनश्यामजी तिवाड़ी साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो पिछली हमारी सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थीं, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य के समय उन पाठशालाओं के अन्दर भी भेदभाव हुआ, राजीव गांधी नाम में उनको दर्द उठा, उस नाम को उन्होंने हटाया। चलो, वह कोई बात नहीं, पर उसके बावजूद जो पाठशालाएं खुली हुई थीं, जो पाठशालाएं चल रही थीं, उन पाठशालाओं को बंद किया और कुछ पाठशालाएं थीं उनमें भेदभाव किया गया। हमारे विधायक जो कह रहे हैं उनको तो प्राथमिकता से घोषित कर दिया और दूसरे विद्यालयों को सब को बंद कर दिया। यह रिकार्डेड है, मैं बता सकता हूं। आपके यहां नीचे वालों ने सही नहीं बताया। पता नहीं, आपके निर्णय किस प्रकार से होते थे। आज अभी मैंने शिक्षा मंत्रीजी से कहा है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो विद्यालय बंद हुए हैं वे अगले सत्र में चालू करेंगे। देवनानीजी अभी पता नहीं क्या-क्या आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपने भी क्या किया? आपने भेदभाव नहीं किया? आपने कौन-सा अच्छा काम किया?

छात्रवृत्ति की बात करें तो आज दूरदराज के गांवों में छात्रों को मिड-डे-मील में भोजन मिल रहा है, आज उनको छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है, शिक्षा मुफ्त कर दी, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का जो कानून बनाया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं, इस कानून से आने वाले समय में, जैसा कल करणसिंहजी साहब कह रहे थे, आने वाले समय में पता चलेगा। गरीब आदमी जो ढाणी में बैठा है, उसके लिए भी उन्होंने जिम्मेवारी तय की है। हर आदमी की जिम्मेवारी तय की गई है। मैं समझता हूं, आने वाले समय में जो हमारे ऊपर अशिक्षा का जो अभिशाप है, वह हटेगा और दूरदराज के ग्रामीण इलाके में बैठे व्यक्ति को भी शिक्षा का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

(श्री शाले मोहम्मद)

अभी खींवसर साहब की बात मैं सुन रहा था, ये विद्युत की बात रख रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर विद्युत में मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, उन्होंने एक छोटी-सी नींव लगाई थी, आज पूरे जैसलमेर के अन्दर चारों तरफ देखिए आप, यह खुद देखकर आये हैं खींवसर साहब, चारों तरफ पवन ऊर्जा के पंखे ही पंखे लगे हैं। वहां 682 मेगावाट की बिजली मिल रही है, रामगढ़ में गैस आधारित बिजली मिल रही है, यह क्या कम है क्या? अभी ये कह रहे थे कि आपने विद्युत उत्पादन क्या किया। मैं कहना चाहूंगा, देखो आप जैसलमेर में, पवन ऊर्जा से बिजली मिल रही है दो ग्राम पंचायतों के बीच में जीएसएस बन रहा है। विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आने वाले समय में गांवों में रोशनी किस प्रकार से मिलेगी या वोल्टेज की कमी हो जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा, आज दो ग्राम पंचायतों के बीच में जिस प्रकार से 33 केवीए के जीएसएस बन रहे हैं, मैं समझता हूं किसानों को नलकूप के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी वोल्टेज की समस्या भी मैं समझता हूं, आने वाले समय में खतम हो जाएगी, उन किसानों का कभी यह नहीं रहेगा कि वोल्टेज उनको नहीं मिल रहा है। आप चाहे किसानों के विद्युत कनेक्शन की बात करें, 2007 तक की जो भी पैंडिंग फाइलें थीं, उन सब को कनेक्शन दिया गया है। आज अकेले जैसलमेर जिले के अन्दर 900 किसानों को जो पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहे थे, जिन किसानों को नलकूप के कनेक्शन का इंतजार था, उन सब किसानों को 900 कनेक्शन अकेले जैसलमेर जिले में मिले हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में इन्होंने पिछली बार जैसलमेर जिले की एटीसी कम्पनी थी, उस कम्पनी को ठेका दिया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं दूरदराज इलाके का आदमी हूं, पहली बार आया हूं तो मैं मेरी बात कहना चाहूंगा।

एटीसी कम्पनी को ठेका दिया, उस कम्पनी ने जो ढाणियों का सर्वे किया, वह सर्वे सही नहीं किया। जो वास्तव में गरीब लोगों की ढाणियां थीं, उन ढाणियों को छोड़ दिया और जो अपने लोग थे, जो इनकी पार्टी के लोग थे, उन लोगों को कनेक्शन दे दिये। आज वे लोग भी रो रहे हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वापस उसी योजना का सर्वे किया जा रहा है। गरीब लोग जिनको वास्तव में उस समय कनेक्शन मिलना था और कनेक्शन नहीं

(श्री शाले मोहम्मद)

मिला, हमारे विधायक छोटूसिंहजी से पूछ लो, यह खुद उस मीटिंग में थे, वो कनेक्शन वापस सर्वे करके दिये जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं समाप्त कर रहा हूं। देखिए, कई ऐसे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखकर हर जिले की योजनाएं बनाई हैं। बीपीएल को आज मुफ्त में दवाइयां मिल रही हैं, उनको चिकित्सा मिल रही है। स्टेट बीपीएल की सूची बनाई है, आज खाद्य सुरक्षा का कानून बन रहा है, आज बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रति किलो गेहूं मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं, बड़ी अच्छी योजनाएं, वास्तव में गरीब के लिए, किसान के लिए हैं। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, उसके लिए योजनाएं बनाई हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): मैं एक बार पुन: महामहिम राज्यपाल का आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, 15 फरवरी, 2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण यहां पर हुआ, बड़े गौर से 109 पैरा के अभिभाषण को मैंने सुना। उस अभिभाषण को सुनते समय हमें लग रहा था कि प्रदेश की जनता का ध्यान इसमें रखा जाएगा, लेकिन जनता को गुमराह करने के अलावा इस अभिभाषण में कोई अच्छी बात हमें सुनने को नहीं मिली। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का प्रयास नहीं कर रही हूं, मात्र यही बताऊंगी कि किस तरह से इस कांग्रेस की सरकार का जो दो वर्ष का कार्यकाल रहा, उसमें क्या-क्या योजनाएं बंद हुईं, किस क्षेत्र में किस तरह का भेदभाव जन प्रतिनिधियों के साथ किया जा रहा है, बिजली की क्या व्यवस्था है, सड़कों की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है। सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं, वह विधान सभा क्षेत्र कृषि पर आधारित है और मजदूर वर्ग वहां पर अत्यधिक संख्या में रहता है। खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र होने के नाते बहुत कम कृषि की जमीनें वहां पर किसानों के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पास हैं। मेरे से पूर्व सभी सदस्यों ने बिजली की व्यवस्था पर अपनी-अपनी बात कही लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे सिंगल फेस और 6-7 घंटे थ्री फेस बिजली देने की बात की थी। आज मैं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूं, कोई असत्य बात यहां नहीं कहूंगी, कि आज भी मेरे क्षेत्र के किसानों को 4 घंटे से ज्यादा थ्री फेस बिजली नहीं मिल पा रही है। लगातार हमारे पास फोन करते हैं। 36 पंचायतों में से 20 पंचायतों में भी 24 घंटे सिंगल फेस बिजली मिल रही हो तो मैं अपने से इस्तीफा देने को तैयार हूं। बड़ी चिंता की बात है, गांव में चक्कियां भी बिजली से चलती हैं। और ट्यूबवैल, वैसे तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वसुंधरा राजे सरकार को, जिसने करोड़ों की पचपाड़ योजना बनाई और उस योजना के मार्फत रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के एक-एक गांव में, एक-एक ढाणी तक नल की व्यवस्था की और पानी पहुंचाया। योजना बनी, योजना दो टुकड़ों में बनी, एक योजना बोराबास-पदमपुरा योजना, नया गांव खेलगढ़ कसार योजना। पचपाड़ योजना तो पूरी हो गई लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि जिस बोराबास-पदमपुरा और नयाबास, खेलगढ़-कसार योजना का हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी के समय शिलान्यास हो चुका था, मात्र कुछ पानी के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में उस योजना को निरस्त कर दिया गया। आज भी रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की कुछ पंचायतों की जनता और लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र की जनता में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है, यह हमारा दुर्भाग्य रहा। मैं बताना चाहूंगी कि किसानों को बिजली नहीं मिलने के कारण पूरी फसलें सूख चुकी हैं। इसे तो प्रकृति का प्रकोप मानें कि पाला गिरा, मगर किसानों को कहीं न कहीं इस राजस्थान की सरकार पर विश्वास था कि पाले में जो हमारी फसल खराब हुई है, उसका हमें मुआवजा मिलेगा। हम लोग भी अनेक खेतों में गये, वहां पर देखा। लेकिन किसानों का दुर्भाग्य रहा कि पटवारियों ने जहां 40 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब हुई थी, वहां भी 10 प्रतिशत बता दिया। हमने कलक्टर साहब से भी बात की, पर सरकार ने किसी भी तरह का कोई अनुदान देने की घोषणा नहीं की, यह किसानों का दुर्भाग्य है। सरकार किसान के हित की बात करती है, गरीब के हित की बात करती है लेकिन मेरा मानना है कि किसानों की अवहेलना इस सरकार में हो रही है। सरकार को कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष से दूर हटकर किसानों की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि जिस जिले से मैं आती हूं वह गृह मंत्रीजी का जिला है। मैं एक महिला हूं, महिला होने के नाते मैंने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के उत्पीड़न के जो मामले देखे हैं तो शर्म से आंखें नीची हो जाती हैं। अभी मेरे से पूर्व बिरलाजी बोल रहे थे, 14 साल की सरोज मीना, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विनोबा भावे नगर की रहने वाली थी, उसकी मां ने लक्ष्मी पूजन का सामान उससे मंगवाया था, घर के सामने से वो गायब हो गई और आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है। एक गरीब परिवार की, एसटी परिवार की वह लड़की है। दूसरी बात बताना चाहूंगी, चेचट कांड, इतनी ओछी हरकत कि पूरे हिन्दुस्तान में शायद प्रशासन के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। महिला कांस्टेबल की इस तरह से हत्या की गई कि उसको देखने में भी शर्म आए। जब डिप्टी वहां पहुंची तो उन्होंने उसके ऊपर एक चद्दर डाला। उसको देख नहीं सकते थे, इस हालत में उसको मारकर पटक दिया। घटना घटित हो चुकी, फिर जनता ने खूब पत्थर खाये, मात्र उस महिला के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जनता के ऊपर केस लादे गये। केस लादने के बाद जितना भी स्टाफ वहां पर था, जो कांस्टेबल छुट्टी पर थे, उनको भी आज सस्पैंड कर रखा है। एक लांगरी के ऊपर पूरा का पूरा आरोप लाद दिया और बोल दिया कि मात्र इस लांगरी ने उसकी हत्या की है। आज वह जेल में बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यही जनता के साथ न्याय है? एक दूसरा कांड झालावाड़ का बताना चाहूंगी कि कितनी गोलियां चलीं। चौथी बात बताना चाहूंगी जो माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी के बारां जिले की है, कुंजेड़ में मात्र 14 वर्ष की लड़की को थाने में बुलाकर जितने भी कांस्टेबल थे, हैड कांस्टेबल थे, उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। मैं मानती हूं कि यह राजस्थान के लिए बहुत शर्म की बात है, मुख्य मंत्रीजी को ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, ऐसे हैड कांस्टेबलों को बड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो मानती हूं कि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है। जिस गृह जिले से हमारे गृह मंत्रीजी आते हैं उस जिले में इस तरह के लगातार कोई न कोई कांड होते चले जा रहे हैं, यह बड़ी गम्भीर बात है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र खनन क्षेत्र है और वहां पर लगातार अवैध खनन हो रहा है। माननीय वन मंत्रीजी कोटा में पहुंचे थे तब हमने उनके सामने यह बात रखी थी। आप देखिये, दर्रा अभयारण्य के अन्दर नरेगा के माध्यम से बाउण्ड्रीवाल बना दी गई, लेकिन उस बाउण्ड्रीवाल

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

को बनाने के बाद भी ट्रैक्टर ट्राली उस अभयारण्य के अन्दर जाकर पत्थर की खुदाई करके किस तरह से बाहर पत्थर ला रहे हैं, यह देखने की बात है। अगर इसी तरह से वन विभाग में आये दिन अवैध खनन होता रहा तो यह बड़ा चिन्ता का विषय है। कोटा से रामगंजमण्डी मैं डेली अप-डाउन करती हूं, मैं देखकर ताज्जुब करती हूं कि महिलाएं ट्रकों में भर-भरकर लकड़ियां लाती हैं और बेच देती हैं।

माननीय सभापति महोदय, पानी की समस्या के बारे में मैं बता रही थी, वैसे तो मेरा कुछ क्षेत्र नगर निगम में आता है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र आता है। आज नगर निगम की हम बात करें तो न कोई सफाई की व्यवस्था है, न कोई बिजली की व्यवस्था है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सारी सड़कें टूटी हुई अवस्था में पड़ी हुई हैं। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी ने सड़कों के लिए जांच बिठाई, 3-3, 4-4 अधिकारियों को सस्पैंड किया...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उसके बाद भी करोड़ों रुपये की सड़कें जर्जर अवस्था में आज भी पड़ी हुई हैं।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द मीणा। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मात्र दो मिनट का समय दें, सभापति महोदय। हम तो कभी-कभार ही बोलते हैं, दो मिनट का समय दें आप।

माननीय सभापति महोदय, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहूंगी कि किस तरह से किसान प्याज पैदा करता है, उसका प्याज दो रुपये किलो में बिकता है और बिकने के बाद बड़े-बड़े व्यापारियों को पहुंचने के बाद किस तरह से 60-60 रुपये किलो प्याज हो जाता है। यह किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसका प्रतीक है। माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग शिविर चला, उस शिविर में हम मानते हैं कि कुछ अच्छे काम हुए...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री कैलाश चन्द मीणा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सभापतिः कृपया विराजें। माननीय सदस्या, आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सभापतिः आप सदन की गरिमा रखें, कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री कैलाश चन्द मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी पूर्व वक्ताओं ने नरेगा, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बोला। मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना का सम्माननीय वासुदेवजी देवनानी ने जिक्र किया और मेघवालजी ने भी जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनोहरथाना में जो कांड हुआ था, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए प्रतिपक्ष के सदस्य कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर उनकी जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। दो समुदाय आमने-सामने हो चुके थे मुस्लिम और भील समाज, उसमें पुलिस ने हस्तक्षेप किया। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लाशें हो सकती थीं, वो पुलिस के हस्तक्षेप से बचीं। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी की उदारता देखो कि घटना के पांच मिनट बाद ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से 5-5 लाख रुपये की घोषणा की और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी तुरन्त पांच मिनट बाद ही घोषणा कर दी। इससे ज्यादा और महानता राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की क्या हो सकती है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी को भी आपने देखा होगा, गुर्जर भाइयों की 70 लाशें ट्रेन की पटरी पर पड़ी हुई थीं, वो आंदोलन कर रहे थे, 5-5 लाख रुपये की राशि के मुआवजे की मांग कर रहे थे, सरकारी नौकरी की मांग भी कर रहे थे। जहां तक 72 लाशें पड़ी हुई थीं, वहां तक कोई घोषणा नहीं हुई, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया। इससे ज्यादा क्या होगा कि पांच मिनट बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी और दूसरे दिन साढ़े

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

सात बजे उन्हें चैक वितरित भी कर दिया गया। इससे ज्यादा और उदारवाद किसी मुख्य मंत्री का नहीं हो सकता।

आगे मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के बारे में, मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उदयपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब हमारे वहां की स्कूलों में कम से कम 120-122 स्कूलें तो ऐसी थीं जो बिलकुल अध्यापक विहीन थीं। सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने समानीकरण का फैसला लिया, उस फैसले से गांवों में छात्र अनुपात में जो अध्यापक पहुंचे, आज गरीबों को शिक्षा का फायदा मिल रहा है।

आगे चिकित्सा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सम्माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी हमारे झालावाड़ से बिलाग करती हैं लेकिन उन्होंने झालावाड़ की जनता को गुमराह किया। मेडिकल कालेज के नाम पर वहां की जनता को एक झुनझुना पकड़ा दिया जो न तो सरकारी है, और न ही अर्द्ध सरकारी है। एक सोसायटी का नाम देकर। आज वहां डाक्टर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि डाक्टर वहां जाए कैसे? उसका भविष्य ही तय नहीं है। किसी को 80,000 रुपये का रोजाना अनाउंस किया जाता है, कभी 85,000 का किया जाता है, कभी एक लाख रुपये का किया जाता है, पर उस मेडिकल कालेज में आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहां की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

आपको एक बात और बताना चाहूंगा क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के बारे में बहुत तारीफें की हैं। 1985 से वह झालावाड़ का नेतृत्व कर रही थीं लोक सभा में और 1985 से रेलवे लाइन के लिए वह ढिंढोरा पीट रही हैं। पूरी जनता को गुमराह कर रही हैं, आज तक रेलवे लाइन नहीं आई। कांग्रेस का शासन पिछले दो साल से आया, उसमें उसके लिए भूमि अवाप्ति हो गयी और हो सकता है, इस साल मार्च में वहां की जनता रेलवे लाइन और ट्रेन देखे। तो मैं सम्माननीय गहलोत साहब के प्रयासों और तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों की बात बताना चाह रहा था कि आम आदमी के लिए क्या सोच है।

प्रशासन गांवों के संग की बात कर रहे थे, प्रशासन गांवों के संग अभियान चल चुका और समाप्त हो गया, पर उन्होंने फिर भी एक प्रावधान और किया। सारे अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि हर तहसील स्तर पर हर महीने कैम्प किया जाए, हर आई.एल.आर. सर्किल पर कैम्प किया जाए।

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

प्रशासन गांवों के संग का अभियान मात्र 52 दिन का था पर आज भी उसकी कंटीन्यूटी उन्होंने बना रखी है। आने वाले समय के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है गांवों में जाकर रहने के लिए। प्रत्येक सोमवार को जन समस्याएं सुनी जाती हैं। प्रत्येक सोमवार को एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर पर आम लोगों की सुनवाई की जाती है। पहले की सरकार में और अभी की सरकार में यह अन्तर है। हम माननीय मुख्य मंत्रीजी के जिले से आते थे पहले, वसुन्धरा राजेजी के जिले से, मैं प्रधान था उस पीरियड में, जब हमारे यहां से वो एम.एल.ए. थीं, आधा हिस्सा उनकी कांस्टीट्युएंसी का मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। हर आदमी बात करता था कि, साहब, हमने किस तरह के आदमी को चुना है, किस तरह की सरकार बनाई है और आप लोग कहते हैं कि हम फिर वापस दो साल बाद आएंगे। (व्यवधान) नहीं, ये तो आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी आम आदमी का, आम गरीब का ध्यान रखते हैं, चाहे वह कर्मचारी वर्ग हो या कोई-सा भी वर्ग हो।

अभी बीच में बात कर रहे थे कि एस.सी. एस.टी. के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुकदमों की संख्या इतनी बढ़ गई। वह इसलिए क्योंकि आपकी सरकार में कोई दर्ज करने वाला ही नहीं था, कहां से संख्या बढ़ेगी? जब कोई दर्ज करेगा तो उसके आंकड़े सामने आएंगे। सुनवाई नहीं होती थी। जब मंत्री और एम.एल.ए. की सुनवाई नहीं होती थी तो आम आदमी की सुनवाई कहां से होगी? मेरा तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने जनता के हित में सरकार के माध्यम से जो भी अभिभाषण में पेश किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सदर-ए मोहतरम, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ और आपके नजर करते हुए करना चाहूंगा कि

"दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको,
न दे जो बोसा, तो मुंह से कोई जवाब तो दे।''

माननीय मंत्रीजी, मेडिकल एण्ड हैल्थ के लिए, कि

"पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है,
प्याला अगर नहीं देता, न दे, शराब तो दे।''

श्री सभापति: यह रिकार्ड नहीं किया जाए शब्द।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): यह वजीर-ए आला साहब के लिए है-

"कि तुम उनके वादे, जिक्र उनसे क्यूं करो गालिब,

यह क्या हक है, तुम कहो और वो कहें कि याद नहीं।''

श्री सभापति: सुभान अल्लाह, मेरा ख्याल है कि अब समाप्त हो गया।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Sir, this government has raised a document which reflects and mirrors the achievements and failures of the government. This document is doctored, manufactured and manipulated. It is devoted to the admiration of this government which has totally failed on all fronts. Whatever projects, whatever plannings, whatever programmes which had been started by this government have collapsed and flopped because of no home work, because these projects and programmes were impractical. I will give you an example. Rajasthan Harit Kranti, the dream was a wonderful one. It was a beautiful dream, OK, let the whole of Rajasthan be green. But, Hon'ble Sir, this project was started in the summers, when everybody was feeling the heat of summer. At that time this dream came into the mind of the Hon'ble Chief Minister. This Harit Kranti, which must have cost quite a few crores, today if you go and see, whatever plants and whatever trees which they claim that they have planted, are no more. They are only on the document, on the paper. So this programme has totally failed.

Now you are talking about 'prashasan gaon ki or'. This is quite impractical. Why have you taken the decision of taking the administration to the villages? Why have you not been able to take control of the bureaucracy, which has become unbridled, which is dictating your government? These ministers are inefficient. They cannot call the shots. They are calling the shots sitting over there. It is they who are making the projects and the ministers who are sitting over there, have no idea of what kind of project it is, what kind of programme it is. They are quite unfamiliar. They are sitting in the drawing rooms and these projects are being produced before these ministers. They say, OK, go ahead.

Now I tell you about the transfer policy. The government is involved in teaching the politicians, the Opposition a lesson by getting their people, the so-called Opposition people, transferred from this place to that place. Now in entire Rajasthan, all hospitals are suffering. 30% doctors are not there, nurses are not there, compounders are not there. The government is not functioning at all.

Now, Hon'ble Sir, so far as the question of law and order in Rajasthan is concerned, the Hon'ble Chief Minister should be proud of the Home Minister who has made the achievement, Rajasthan is second in the whole country in the cases of atrocities and excesses committed on the SCs and STs. This is the achievement of your government.

(श्री अब्दुल सगीर खां)

You can be proud of having made a lot of progress in the field of corruption. Hon'ble Supreme Court has made certain very stringent observations about the 2-G spectrum. One former Central Minister is now in the dock. He is an accused! The government was defending the minister and now the minister is an accused. Hon'ble Sir, in Adarsh Society your Chief Minister had to go because of corruption.

Hon'ble Sir, if you look at the failures of the government which came by giving the slogan that हम आम आदमी की सरकार देंगे, where is that 'aam admi'? Where is that common man? That common man seems to have got lost somewhere in the dreams, in the imaginations, and in the fantasies of this hon'ble government. Now the common man is nowhere.

Hon'ble Sir, I would like to submit before this august House, if you analyse what had been your performance in the last two years, your government has failed miserably on each and every front.

I appreciate and admire your hon'ble Chief Minister for his being a magician and being a Gandhian. Gandhigiri. I tell you about the instance that happened. I appreciate him that he has rewarded a man who manhandled him. This is because of his generosity. But this may also prompt and instigate other youngsters who are jobless. They may do the same thing. And you cannot again reward Rs. 50,000/- to such gentlemen. So this will encourage people to commit an offence. So please be careful. Next time, don't award a man with ….

श्री सभापति: Will you please sum up now?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ... otherwise lots of other people will go under the pretext of being ill and sick and manhandle the Chief Minister. This is something very serious. The police must have taken note of it. They should have, at the same moment, by the same time, on the spot, taken care of this man who manhandled.

श्री सभापति: Please cut it short and sum up.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Sir, you have promised that you would give me at least 7 minutes. Please don't be miser with me.

Hon'ble Sir, now this government which claims to be a government of the common man, seems to be totally engrossed in corruption, in not handling the situation. The government has failed on the front of power, energy. You have after two years initiated the policy of industry. After two years! No investments. What is the kind of programme you have to attract the investors to come to Rajasthan, when the law and order situation is so bad? No industrialist and capitalist would come to this place.

श्री सभापति: Hon'ble member, finish it now. Please finish it off. Your time is over.

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): Hon'ble Sir, so I would say that this Address of H.E. the Governor is simply an admiration and appreciation of the

(श्री अब्दुल सगीर खां)

government, it is simply a very manipulated and manufactured document, which is full of falsehood. Thank you very much.

श्री सभापति: श्री गणेश सिंह परमार ।

(19.00 बजे)

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के विषय में पक्ष में बोलने का मुझे अवसर दिया, आपका आभार प्रकट करता हूं। इस अभिभाषण के प्रत्येक बिन्दु में लोक कल्याणकारी योजना का समावेश किया गया है, मैं इस अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं, इसकी सराहना करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य की सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विगत दो वर्षों में आम आदमी को बिन्दु मानकर जो उत्थान के कार्य किये हैं उसके सार्थक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गांव, गरीब और किसान को विकास के साथ जोड़ कर प्रदेश को खुशहाली की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना लागू की गई जिसके तहत 36 लाख 57 हजार बीपीएल परिवारों एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति माह 25 किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वितरण सामग्री में पारदर्शिता एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि में एक सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में वितरण व्यवस्था की गई है जिसका फायदा प्रत्येक गरीब को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को निरन्तर रखा गया है जिससे मिलावटखोरों पर अंकुश लगा है और जिसका फायदा हर व्यक्ति को मिला है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने महिला सशक्तीकरण को गति प्रदान करने के लिए राज्य में 4298 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से ....

श्री सभापति: कृपया आपस में बातचीत नहीं करें, कृपया।

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): 2 लाख 10 हजार से अधिक महिला सदस्यों को जोड़ा गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

(श्री गणेश सिंह परमार)

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत दो लाख गठित समूहों में से 1 लाख 66 हजार समूहों को 413 करोड़ 26 लाख रुपये के ऋण दिलाये जा चुके हैं जिससे महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिली है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्था को सुदृढ़ करने के लिए पांच महत्वपूर्ण विभाग जो जनता से डाइरेक्ट जुड़ाव में हैं- प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों का स्थानांतरण किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसका फायदा मिला तथा विकास में भी गति आई है। माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियिम, 2009 के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए रिक्त पड़े लगभग पचास हजार शिक्षकों के पद जिला परिषद् के माध्यम से भरे जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 10 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर पंचायत मुख्यालय पर समस्याओं का निस्तारण कर 87 लाख 17 हजार 424 लोगों को राहत पहुंचाई। इस अभियान के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं- नामांतरण, कृषि जोतों का विभाजन, राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती, किसानों को पासबुक वितरण, राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां, खातेदारी अधिकार, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म, जाति प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे विकलांगों का चिन्हीकरण, विधवा-वृद्धावस्था-विकलांग पेंशन, विकलांग विवाह हेतु सहयोग योजना, विधवाओं की पुत्री की सहायता हेतु योजना, विधवाओं को पुनर्विवाह की सहायता, गाड़िया लोहार भवन निर्माण योजना, पालनहार योजना और नि:शुल्क आबादी के पट्टे का वितरण इत्यादि।

माननीय सभापति महादेय, मेरा विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ है, वह आदिवासी इलाका है, उसमें 57 पंचायतें हैं, 57 शिविर आयोजित किये गये और 57 ही शिविरों में मेरी उपस्थिति रही। वहां 1 लाख 9 हजार 525 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया गया। पहली बार ऐसा लाभ हुआ है, मैं मुख्य मंत्री महोदयजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा पेयजल योजना, सिंचाई योजना, कानून-व्यवस्था, नरेगा योजना, वन अधिकार अधिनियम, हरित राजस्थान योजना, राजस्थान पर्यावरण नीति, ऊर्जा, पशु चिकित्सा एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किये

(श्री गणेश सिंह परमार)

जा रहे हैं जिसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील है, गरीब, किसान व मजदूरों की हितैषी सरकार है। हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध किया जा रहा है, जो गलत है, बेबुनियाद है, निराधार है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रवीन्द्र बोहरा ।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का जो भाषण था, बड़ी खुशी होती, आज हम उसकी तारीफ करते, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कर नहीं सकता। 109 बिन्दु थे...

एक माननीय सदस्य: विपक्ष में हो इसलिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): नहीं, विपक्ष में नहीं हूं और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो राजनीतिक हो। वह आपको भी छुएगी और मुझको भी छुएगी। 109 बिन्दुओं और 31 डिपार्टमेंटों को उसमें टच किया गया था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन बिन्दुओं को कहीं नहीं छुआ गया। भ्रष्टाचार, महंगाई, स्कैण्डल्स, गुड गवर्नेंस, जुडीशियल डिसआर्डर ये ऐसे बिन्दु हैं जिनको कहीं नहीं छुआ। सुशासन के नाम पर एक बहुत बड़ा पैरा-फण्डेलिया इस राजस्थान में है। आईएएस अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्रीजी का 9 मार्च, 2010 के भाषण का बिन्दु संख्या-4 सब-सैक्शन-6 उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने वादा किया था- राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाने का। मुझे कहते हुए बहुत पीड़ा है कि इस संदर्भ में अभी तक राज्य सरकार की कोई नीति कम से कम मेरे सामने तो नहीं है। मैं बहुत इज्जत करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी की, मैं दो तरह के माननीय अशोक गहलोत देखता हूं। अशोकजी गहलोत एक इंसान के रूप में प्रणाम करता हूं, पर अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री के रूप में राजनीति पहले करते हैं। जितनी तारीफ के पुलिंदे मैंने साइड से सुने हैं, मैं यह नहीं कहता, वो गलत कर रहे होंगे। इमबैलेंस है। बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए, और जो भी काम हुए हैं तो इन माननीय सदस्यों के हुए हैं। ये तारीफ अगर कर रहे हैं तो बिलकुल सही है इनका तारीफ करना। पर हम तारीफ किस रूप में करें? हम तो पानी के प्यासे, बिजली के प्यासे, लॉ एण्ड आर्डर की परेशानी और धौलपुर जिला तो एक ऐसा जिला है जिसके लिए रॉ ने कहा है, आतंकवाद कहीं से अगर शुरू

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

होगा तो वह धौलपुर से शुरू होगा। ऐसी स्थिति में इस अभिभाषण की तारीफ कैसे की जाए? आज भ्रष्टाचार की हालत यह है कि एक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, उस विभाग के अन्दर वे अधिकारी भेजे जाते हैं जो फील्ड के अन्दर अनवांटेड हो जाते हैं। जिनको कहीं फेंकना है तो सीआईडी में लगा दो, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लगा दो। अगर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर इस आगस्ट हाउस में कोई डिबेट हो तब आपको पता लगेगा कि कितने वर्षों के कितने प्रकरण बाकी हैं। सीआईडी में भेजने का मतलब किसी चीज को बंद कर दो बरसों तक। एसीडी में भेज दो। बरसों से प्रकरण लम्बित पड़े हैं। चालान होने की स्टेज पर हैं लेकिन एचओडी, हैड आफ दी डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिल रही है इसलिए उनके चालान नहीं हो सकते। जब अधिकारियों को किसी का डर नहीं है तो भ्रष्टाचार पर हम किस तरह अंकुश लगाना चाहते हैं? यह मेरा इस आगस्ट हाउस से प्रश्न है। मनों को टटोल कर देखिए, आप और हम बीजेपी और कांग्रेस से पहले, विधायक हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है और हम टेम्परेरी हैं। इन टेम्परेरियों को घुमाना खूब आता है सर-सर करके। मेरे जैसे विधायक को कलक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सर कहने लगे, मैं अपनी औकात भूल जाऊंगा।

श्री सभापति: या यूं कहिए कि आप इलैक्टेड हैं, वे सलैक्टेड हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप इन्टरप्रिटेशन कोई भी कर लीजिए। जब तक सवार होशियार नहीं होगा, घोड़ा हमेशा पटेगा। बीजेपी की सरकार आई तो सर वहां पहुंच गये, कांग्रेस की सरकार आई, सर वहां पर मौजूद हैं। आप हम इस सर के चक्कर के अन्दर अपने सर कटा रहे हैं। हमको आपस में लड़ने की जगह संवाद करना चाहिए। मैं नहीं मानता कि अशोकजी के मन में कोई अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है और यह भी गलतफहमी निकाल दीजिए कि वसुंधराजी से उनके मारे अधिकारी बेहोश हो जाते थे। मैं गलत कह रहा हूं, टोक दीजिएगा। कोई डण्डा नहीं चलाती थीं, जोर से नहीं बोलती थीं। केवल कहने का मतलब यह है कि अशोकजी एक नेक इंसान हैं पर उनको डर की भी उतनी ही जरूरत है क्रिएट करने की। मैं नेक बना रहा तो बीडीओ ने मुझे और इनको बुलाना ही ठीक नहीं समझा।

श्री सभापति: इस बेहोश शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बेहोश हुआ था साहब,

श्री सभापति: अनपार्लियामेंट्री है बेहोश शब्द।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बेहोश हुए थे. It is a fact. बेहोश हो गए थे, गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: अच्छा, ठीक है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...(व्यवधान) यह सही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। आप, माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं उस अधिकारी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। मैं दुर्भावना से नहीं कह रहा कोई, पूरे संयम से बोल रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, सिर्फ इसलिए कि वही शब्द जो है, मैं बैठ जाऊंगा वहां से निकलेगा नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप, बोल दिया है मैंने, आप जारी रखें अपना वक्तव्य।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सुशासन लाने में चाहे हमारी सरकार नहीं है, पर हमारा भी उतना फर्ज है आपको सहयोग करने का और आपका फर्ज बनता है हमें सहयोग करने का। क्योंकि हम और आप दोनों एक ही जाति के हैं, जनता से आते हैं। आपकी-हमारी लड़ाई में कैसा बंदरबांट होता है? आप भी भोग रहे हो, हम भी भोग रहे हैं। आज दिक्कत यह है, सभापति महोदय, अफसरों में भी दो बांट हो गई है। ईमानदार अफसर को जब तक उसकी ईमानदारी का, मेहनत का रेकग्जिशन नहीं मिलेगा उसके काम करने की क्षमता, साहस और समर्पण खतम हो जाएगा। ये लोग राष्ट्र को चलाने वाले हैं, इस बात को हमको मानना जरूरी है। आप देखोगे, आईएएस का, आईपीएस का जो अच्छा अधिकारी है, वह सबसे पहले ट्रांसफर होता है। क्योंकि वह हमको रास नहीं आता है। हम चाहते हैं वह अधिकारी जो हमारी गलत बात को भी माने। और सही को मानने की कोई खास बात ही नहीं है। यह मनन का प्रश्न है, इस प्रजातंत्र को बचाने का प्रश्न है। प्रजातंत्र बचेगा तो आप और हम बचेंगे, वर्ना एनजीओज ने दिल्ली में रैली करके दिखा दिया। यह आप और हमारे ऊपर थप्पड़ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए...

श्री सभापति: मैंने ज्यादा टाइम दे दिया है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आपकी मेहरबानी है...

श्री सभापति: इनकी मेहरबानी से काम नहीं चलेगा। कृपया समाप्त करें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, आप मन में जानते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं, पर आप ऐसे निष्ठुर क्यों हो रहे हो?

श्री सभापति: ...(व्यवधान) एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें। कृपया आप सहयोग करें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): एक मिनट में तीन लाख जनता की बात नहीं कही जा सकती...

श्री सभापति: आप सहयोग करें, आप ही का टाइम खराब हो रहा है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आप भी तीन लाख जनता का प्रतिनिधित्व करके आये हो। मैं केवल एक इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं, मुख्य मंत्रीजी इस राज्य के कस्टोडियन हैं। पूरे राजस्थान का मंत्रिमण्डल भी कस्टोडियन है। शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मेरी पीड़ा यह है कि राजस्थान मंत्रिमण्डल के कोई भी सीनियर मंत्री ने धौलपुर की सड़क भी नहीं देखी है, धौलपुर जिला तो होता क्या है? ऐसा हमारे साथ दुभांत मत करिए। धौलपुर भी इस राजस्थान का अंग है।

श्री अमीन खां (शिव): मैं तो धौलपुर गया हूं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज धौलपुर के अन्दर स्थिति यह है कि मेरे यहां चम्बल नदी लगी है, मेरे यहां से पानी भरतपुर भेजा जा रहा है। राजाखेड़ा का तीन चौथाई भाग चम्बल से लगा है, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने यह चार्ज लगाया कि रीजनल इम्बैलेंस है। अगर मैं आज कांग्रेस का विधायक होता तो शायद मेरा काम हो गया होता। यहां पर पुलिस का यह हाल है, अब थोड़ा सुधरा है माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं, लेकिन वहां यह हाल हो गया था कि वहां आईपीसी नहीं थी, वहां नेता पीसी थी। नेता जो कह दे वो आईपीसी थी। नेता जिसको बंद करा दे, वो बंद होता था और जिसको छुड़वा दे वो छूटता था। सभापति जी, ...

श्री सभापति: बधाई के बाद समाप्त। श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं क्या करूं, साहब अब, मेरी जनता परेशान है, कुछ तो उसके लिए कह लेने दीजिये। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: श्री प्रेमचन्द नागर।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का मौका मिला। माननीय मुख्य मंत्री महोदय व राजस्थान सरकार की दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का अभिभाषण एक आइना है। अब जहां तक मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार ने मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में कई अभूतपूर्व फैसले लिये। बेसहारों का सहारा बनी राजस्थान सरकार ने वृद्धों, विधवाओं, नि:शक्तजनों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि की है। मूल निवास, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त किया है ताकि गरीब लोग भी, नि:शक्तजन भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान चला कर वर्षों से जो कार्य रेवेन्यू के या दूसरे लम्बित पड़े हुए थे, उन कार्यों का निस्तारण एक ही दिन में किया गया। 28 विभागों के अधिकारियों ने पंचायत मुख्यालय पर एकत्रित होकर जन समस्याओं की सुनवाई की और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। हां, मैं मानता हूं कि इस अभियान में जो पैसे वाले लोग थे, पूंजीपति लोग थे उनके कार्य नहीं हुए। जो गरीब तबका था, गरीब परिवार थे, नि:शक्तजन थे, गरीब किसान थे, उन लोगों के कार्य किये गये। जैसे अलाटमेंट, खातेदारी नामांतरण, आवासीय पट्टे, सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किये गये क्रेडिट कार्डस की पास बुक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे कई कार्य इन अभियानों में किये गये। काफी देर से हम लोग सुन रहे थे, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने किसी ने इसे फ्लाप शो बताया, किसी ने कहा It is impractical. मैं जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जिन किसानों को चालीस वर्ष पहले जमीनें अलाट की गयी थीं, आपकी भी सरकारें आयीं, कांग्रेस की भी सरकारें आयीं, लेकिन आज तक उन लोगों को खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये गये थे? क्यों नहीं उन लोगों के अलाटमेंट्स को रैगुलराइज किया गया था? इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से प्रशासन गांवों

(श्री प्रेमचन्द नागर)

के संग अभियान चला और 40-40 वर्षों से लम्बित अलाटमेंट के पट्टे से जो किसान वंचित थे, उन्हें खातेदारी अधिकार दिया गया। कई स्कूलों के, सरकारी संपत्तियों के, बिल्डिंगों के स्वामित्व के पट्टे, स्कूलों के पास, एएनएम कंपाउंडर, डिस्पेंसरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे उन संस्थाओं के पास नहीं थे, इन कैंप्स के माध्यम से इनको चिह्नित किया गया व उनको पट्टे दिलाये गये।

महोदय, राजस्थान की सरकार ने चार लाख पैंतीस हजार निर्धन परिवारों को आवासीय भूखंड के पट्टे उपलब्ध करवाये हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का वितरण करवाया जा रहा है। एकल खिड़की योजना चालू की गई जिससे त्वरित रूप से आम जन की समस्याओं का समाधान हो सके। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया, वो एक सराहनीय कदम था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय व शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 18 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं।

महोदय, राजस्थान सरकार ने दो वर्षों के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में 2368 मेगावाट की वृद्धि की है जो एक सराहनीय कदम है। राज्य में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान में पहली बार 765 केवीए के दो ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति के लिए माननीय विद्युत मंत्री महोदय ने 33 केवीए के दस सब-स्टेशन स्वीकृत किये हैं जिससे आम जन को उचित गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सकेगी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पांच विभागों को पंचायती राज को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। प्रत्येक पंचायत में राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोला जाना भी विकास के आयाम को एक नयी गति देने वाली बात है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की सराहना करता हूं व आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 19 फरवरी, 2011 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.28 बजे, शनिवार दिनांक 19 फरवरी, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य राजमार्ग संख्या 34 के नैनवां क्षेत्र में रपट निर्माण

24. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य राजमार्ग संख्या 34 के नैनवा देई केशोरायपाटन मार्ग के 51 किमी. पर फुलेरा के पास वर्षा काल में 3-4 फिट पानी भरा रहने से आवागमन/यातायात अवरुद्ध रहता है? क्या सरकार उक्त स्थल पर आर.सी.सी. कल्वर्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य को सेन्ट्रल रोड फण्ड (CRF) के अन्तर्गत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त स्थल का मौका निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कराने में कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्षा के दौरान अल्प अवधि के लिए वर्ष में 5-7 बार यातायात, सड़क पर पानी के बहाव के कारण अवरुद्ध हो जाता है।

जी हां। आवश्यकता के अनुरूप आर.सी.सी. कल्वर्ट बनाना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) उक्त कार्य को सेन्ट्रल रोड फण्ड (CRF) के अन्तर्गत कराया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। उक्त कार्य कराने में लगभग 149.82 लाख रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है।

अलवर जिले की निर्माणाधीन कृषि उपज मण्डियां

25. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कुल कितनी कृषि उपज मण्डियां कहां-कहां हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में जिला अलवर में कहां-कहां नई कृषि उपज मण्डियां स्वीकृत की गईं? उक्त मण्डियों की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त मण्डियों में कब तक काम चालू कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में 3 कृषि उपज मण्डी समितियां क्रमश: अलवर, खैरथल एवं खेड़ली स्थापित हैं।

(2) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत अलवर जिले में गत तीन वर्षों में दो नई कृषि उपज मण्डी समितियां क्रमश: फल सब्जी अलवर एवं बड़ोदामेव को स्थापित करने की अधिसूचना क्रमश: दिनांक 8.2.2008 एवं 17.5.2010 को जारी कर आपत्तियां/सुझाव मांगे गये। इस संबंध में कोई आपत्तियां/ सुझाव प्राप्त नहीं हुये। नई मण्डी समितियां स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला दिग्दर्शन पुस्तिका अलवर में प्रकाशित लेख

26. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अलवर जिले में सरकार द्वारा प्रकाशित जिला दिग्दर्शन पुस्तिका में अलवर के तत्कालीन महाराजा तेजसिंह को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए रचे गये षड्यंत्र में शामिल बताया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रकाशित पुस्तिका में यह भी लिखा गया है कि तत्कालीन महाराजा तेजसिंह एवं अलवर जिला के तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. एन.वी. खरे को इस आरोप में दिल्ली में नजरबंद किया गया?

(3) क्या सरकार के पास पुस्तक में प्रकाशित विवरण में तथ्यात्मक दस्तावेज हैं? यदि हां, तो इनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अलवर जिले में सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, अलवर द्वारा "दो वर्ष-नया राजस्थान" जिला दिग्दर्शन पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था जिसमें पृष्ठ सं. 11 पर यह उल्लेख किया गया है कि "1948- गांधीजी की हत्या षड्यंत्र में कतिपय शामिल होने के आरोप में 7 फरवरी को अलवर के प्रधान मंत्री डा. एन.वी. खरे व तत्कालीन महाराजा तेजसिंह भारत सरकार द्वारा दिल्ली में नजरबंद, अलवर प्रशासन केन्द्र के हाथ में। के.वी. लाल प्रशासक नियुक्त। भारत की मिलिट्री का अलवर में कब्जा, मार्शल लॉ लगाया।"

(सूचना एवं जन संपर्क राज्य मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) जी नहीं।

गिर्वा एवं बल्लभ नगर तहसील में ठेकेदार द्वारा खनिज रायल्टी की अवैध वसूली

27. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तहसील क्षेत्र गिर्वा एवं बल्लभनगर की राजस्व सीमा से स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्रेशर गिट्टी का ठेका मैसर्स मातेश्वरी इन्द्राणी कोन्ट्रेक्टर रेबारी को दिया गया है? यदि हां, तो कब से व इसकी अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ठेका अनुबन्ध में ठेकेदार कम्पनी स्वीकृत खनन पट्टों से निकलने वाली खनिज पट्टों से ही अधि शुल्क संग्रहण के लिए अधिकृत है? यदि हां, तो क्या उक्त ठेकेदार द्वारा ठेका अनुबंध की अवहेलना करते हुए समितियों के एसटीपी खनन क्षेत्र से आने वाले खनिज पर अनाधिकृत रूप से प्रति ट्रक 150 और प्रति ट्रैक्टर 70 रुपये अवैध वसूली की जा रही है? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार ने अनुबंध की अवहेलना करते हुए अवैध राशि की कितनी वसूली की? इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खनिज अभियंता, उदयपुर ने यह माना है कि अवैध रायल्टी वसूलने का अधिकार नई ठेका फर्म को नहीं है और निर्णय किया गया है कि एसटीपी क्षेत्रों से निकलने वाले खनिज वाहनों को खनिज विभाग ही चैक करेगा? अनाधिकृत वसूल की गई एसटीपी क्षेत्र से कुल कितनी राशि बनती है और इसके लिए सरकार द्वारा किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आरोपियों में से कितने ऐसे खान अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं? सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार किस प्रकार कार्यवाही कर रही है?

(5) आरोपित सेवानिवृत्त खान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभ के बारे में कार्मिक विभाग का क्या दृष्टिकोण है और आरोपित सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से किस-किस आरोपित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के परिलाभ दे दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मातेश्वरी इन्द्राणी कोन्ट्रेक्टर प्रा. लि. को तहसील क्षेत्र गिर्वा एवं वल्भबनगर की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनन पट्टा से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन का ठेका निदेशालय के आदेश क्रमांक प-2(बी-1) उदय/10/198-203 दिनांक 5.3.2010 से अवधि दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2012 तक के लिये स्वीकृत है।

(2) जी हां। ई.आर.सी.सी. ठेकेदार स्वीकृत खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन पर ही अधिक अधिशुल्क वसूली करने के लिए अधिकृत है। दिनांक 13.6.2010 को अवैध वसूली से संबंधित एक शिकायत खनि. अभियन्ता, उदयपुर कार्यालय में प्राप्त हुई जिस पर तुरन्त पुलिस की सहायता से कार्यवाही की गई। ठेकेदार को दिनांक 14.6.2010 को नोटिस जारी किया गया तथा पुनः दिनांक 10.2.2011 को नोटिस जारी किया गया है। यदि ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त ठेकेदार एस.टी.पी. से निर्गमित खनिज रायल्टी वसूली हेतु अधिकृत नहीं था। अवैध वसूली की गई राशि तथा पेनल्टी राशि को वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(5) दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर जिले में टूरिस्ट डेस्टीनेशन का विकास

30. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में राज्य में कितने देशी और विदेशी पर्यटक आये व उनसे कितनी आय प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर इससे अधिकाधिक रोजगार की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार धार्मिक, पर्यटन, ई-को पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जिला धौलपुर को टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 2009 एवं 2010 में राज्य में आये देशी-विदेशी पर्यटकों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	देशी	विदेशी	योग	प्रतिशत परिवर्तन
2009	2,55,58,691	10,73,414	2,66,32,105	(-) 10.71
2010	2,55,43,877	12,78,523	2,68,22,400	0.71

राज्य के प्रमुख संग्रहालयों/स्मारकों में देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या एवं प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है :-

1. वर्ष 2008-09 में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या 32,41,681 व उनसे प्राप्त
   रु. 10,55,36,864/-
2. वर्ष 2009-10 में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या 35,92,696 व उनसे प्राप्त आय
   रु. 12,06,06,000/-

(पर्यटन मंत्री)

इसके अलावा देशी एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन से राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से भी आय होती है लेकिन अप्रत्यक्ष आय ब्यौरे की गणना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य सरकार ने पर्यटन को वर्ष 1989 से उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। राज्य में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से पर्यटन इकाई नीति 2007 जारी की गई हैं। इस नीति के द्वारा राज्य में स्थापित होने वाले होटलों/पर्यटन इकाइयों को सम्परिवर्तन शुल्क एवं विकास शुल्क से छूट प्रदान की गई है साथ ही विशेष आरक्षित दरों पर भूमि आबंटन, निर्मित होटल के एफ.ए.आर. में वृद्धि तथा नियमितिकरण का भी प्रावधान किया गया है। जिससे काफी प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजन की सम्भावना है।

(3) राज्य में पर्यटन के वृहद् विकास हेतु राज्य में स्थित पर्यटन महत्व के धार्मिक स्थलों, स्मारकों, नेशनल पार्क व गांवों में संरक्षण/जीर्णोद्धार व विकास कार्य करवाकर पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। वर्तमान में राज्य के पर्यटक स्थलों के संरक्षण/जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं जैसे :- हवामहल एवं जंतर-मंतर, जयपुर में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य। उदयपुर का समग्र विकास योजनान्तर्गत एकलिंगजी एवं सज्जनगढ़ का संरक्षण जीर्णोद्वार एवं विकास कार्य। बाल किला एवं कांकवाडी फोर्ट, अलवर संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य। शेरगढ़ कस्बा, बारां में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य। मचकुण्ड, धोलपुर में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य। अजमेर-पुष्कर मेगा प्रोजेक्ट अन्तर्गत अकबर किला, अजमेर एवं अजयपाल मन्दिर, अजमेर का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य। अजमेर स्थित तारागढ़ घण्टाघर एवं शहीद स्मारक का संरक्षण एवं जीर्णद्धार कार्य। आमेर महल में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य। शिव मन्दिर, भण्डदेवरा (बारां) में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य आदि आदि।

(4) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन योजना के अन्तर्गत धोलपुर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रु. 5.00 करोड़ के प्रस्ताव तैयार कर मार्च 2010 में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये। भारत सरकार से उक्त प्रस्ताव के तहत स्वीकृति उपरान्त कार्य कराये जा सकेंगे।

डाइट्स द्वारा शोध कार्यों पर व्यय राशि

31. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना की जा चुकी है? यदि हां, तो इन डाइट्स के माध्यम से जिला स्तर पर कौन-कौन सी गतिविधियां संचालित व आयोजित की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) क्या यह भी सही है कि डाइट के माध्यम से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के शोधकार्य कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में डाइट द्वारा कितने शोध कार्य किस-किस विषय पर किये गये? जिलेवार, विषयवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शोध कार्यों के लिये प्रत्येक डाइट को कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसमें से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, जिलेवार आबंटित तथा व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के 32 जिलों में डाइट्स की स्थापना की जा चुकी है। नवगठित प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में डाइट नहीं है। डाइट्स द्वारा आयोजित/संचालित गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

1. सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण
2. कार्यानुभव संबंधित क्रियात्मक प्रशिक्षण
3. शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैराटीचर, महिला शिक्षा, शिशु शिक्षा से जुडे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण
4. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, क्षेत्रिय अन्त: क्रियाऐं नवाचार एवं समन्वय
5. पाठ्क्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन
6. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
7. प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं इस स्तर से जुडे अधिकारियों को योजना एवं प्रबन्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण

(2) जी हां। डाइट्स द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक आयोजित शोधकार्य का जिलेवार, विषयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) राज्य की प्रत्येक डाइट को विभाग द्वारा प्रति वर्ष 12.00 लाख रुपये आबंटित किये जाते हैं, जिसमें सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण, कार्य गोष्ठियां प्रसार, क्षेत्रिय अन्त:क्रिया, प्रकाशन एवं अनुसंधान का कार्य सम्पादित किया जाता है। शोध के नाम से पृथक से कोई राशि का प्रावधान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत डाईट्स को शोधकार्य हेतु राशि का आबंटन किया जाता हैं। डाइट्स में विगत 5 वर्षो में शोध हेतु आबंटित राशि तथा डाइट्स द्वारा व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में बस डिपो की स्थापना

32. **श्री सूरजभान** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजगढ़ (अलवर) में राज्य सड़क मार्ग पर "बस डिपो" बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। अलवर शहर से राजगढ़ मात्र 36 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा अलवर जिले में राजस्थान परिवहन निगम के अलवर, मत्स्यनगर एवं तिजारा (कुल 3 आगार) स्थापित हैं तथा नया आगार स्थापित करने हेतु नवीन निर्धारित नीति अनुसार राजगढ़ जिला मुख्यालय नहीं होने के कारण राजगढ़ में आगार खोला जाना सम्भव नहीं है।

अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

33. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) **एवं डा. जसवन्त सिंह** (बहरोड़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2008 से 31 जनवरी, 2011 तक राज्य में जहरीली शराब पीने से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा मृतकों के आश्रितों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि वितरित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पड़ौसी राज्य हरियाणा से बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी राजस्थान व हरियाणा में देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब में एक्साइज ड्यूटी, वैट व स्थानीय करों में अन्तर होने से हो रही है? यदि हां, तो विभिन्न करों में कितना-कितना अन्तर है?

(3) क्या सरकार अवैध शराब के कारोबार को नियन्त्रित करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व कैसे तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में जनवरी, 2008 से 31.1.2011 तक जहरीली शराब पीने से 65 मौतें हुई जिसके संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों एवं दी गई मुआवजा राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(2) जी नहीं। प्रत्येक राज्य को अपनी आबकारी नीति निर्धारण का संविधान प्रदत्त अधिकार है जिसके अन्तर्गत वह अपनी नीति निर्धारित करता है। हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की अपनी-अपनी पृथक-पृथक आबकारी एवं करारोपण नीति है। अत: दोनों राज्यों की आबकारी नीति में अन्तर होने के फलस्वरूप हरियाणा से राजस्थान राज्य में शराब पर आबकारी शुल्क एवं स्थानीय करों में अन्तर है। दोनों राज्यों के आबकारी करों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आबकारी विभाग द्वारा शराब के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने एवं पड़ौसी राज्यों से तस्करी के माध्यम से आने वाली अवैध शराब की रोकथाम हेतु समय समय पर अभियान चलाये गये हैं तथा भविष्य में भी चलाये जाते रहेंगे। गत वर्षों में निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु आबकारी आयुक्त के स्तर पर नियमित रूप से विभागीय अधिकारियों को निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु पाबन्द किया गया है।

आबकारी विभाग ने पंजाब व हरियाणा के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर झुंझुनूं तथा अलवर में दिनांक 10.11.2010 से 10.12.2010 तक तथा मध्य प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों झालावाड़ एवं कोटा में दिनांक 1.12.2010 से 30.12.2010 तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाये गये। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार विशेष अभियान संचालित किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाली के बिखरी जनजाति बहुल ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु योजना

34. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के बिखरी जनजाति बाहुल्य गांव पीपला गोरीया, कोरबा, काकराडी, सांभरवाडा, वेरडी, रोनवाडा, भारला, सेरावा, गोरधनपुरा तथा मालदार विकट पेयजल किल्लत से जूझते आ रहे हैं? यदि हां, तो इन गांवों की वर्तमान आबादी एवं प्रतिदिन पेयजल आवश्यकता का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार माडा टाडा योजना, बिखरी जनजाति योजना के तहत उक्त गांवों में पेयजल स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिशासी, जन स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग, खण्ड फालना जिला पाली में प्राइज़ सूचना अनुसार इन गांवों में नोर्म्स के अनुरूप हैण्डपम्प लगे हुये है।

(2) जी नहीं।

केन्द्र/राज्य सड़क निधि से राशि आवंटन में अनियमितता

35. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सी.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. के बजट से कार्य स्वीकृति के क्या नियम/मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में सीआरएफ एवं एस.आर.एफ. के तहत कौन-कौन से कार्य किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ विधान सभा क्षेत्रों को अधिक बजट का आबंटन हुआ तथा कुछ विधान सभा क्षेत्रों को बहुत कम? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सी.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. के बजट से कार्य स्वीकृति के नियम/मानदण्ड की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) गत दो वर्षो में सी.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. के तहत विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्यों के स्थान मय राशि विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 एवं 4 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। सभी विधान सभा क्षेत्रों में बजट आबंटन, जारी स्वीकृतियों, कार्यों की प्रगति एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कुल उपलब्ध बजट में से किया गया है।

जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में बजट आबंटन सड़कों की स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाता है जिससे कि राज्य के सभी हिस्सों में सड़क तंत्र का समुचित विकास हो सके। इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटपूतली क्षेत्र में धार्मिक/विद्यालय क्षेत्रों में संचालित मदिरा बिकी केन्द्र

19. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में स्वीकृत लाइसेन्सधारी देशी व अंग्रेजी मदिरा की कितनी दुकानें कहां-कहां पर संचालित हैं? दुकानों के लाइसेन्सधारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ दुकानें विद्यालय एवं मन्दिरों के आस-पास भी संचालित हैं? यदि हां, तो उन्हें अब कब तक हटा दिया जायेगा? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में देशी मदिरा के 18 समूह (27 दुकानें) तथा अंग्रेजी मदिरा की 3 दुकानें संचालित हैं। सूची अनुज्ञाधारियों के नाम सहित परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की देशी मदिरा की दुकान सरूण्ड एवं खडब, राजकीय माध्यमिक विद्यालय से क्रमश: 150 एवं 100 मीटर दूरी पर संचालित है। उक्त दुकानों के स्थान मानचित्र अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.5 एवं राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के स्पष्टीकरण 3 के अन्तर्गत विद्यालय बन्द होने के 1 घंटे बाद खुलने की शर्त पर स्वीकृत किये गये हैं।

नगरपालिका कोटपूतली में देशी मदिरा दुकान नं. 1 व भा.नि.वि.म. दुकान नं. 2 राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर ही स्थित जीण माता मन्दिर से 200 मीटर की कम दूरी पर संचालित है। उक्त मन्दिर एन.एच. 8 रोड के मध्य में आने के कारण हाल ही में पुराने मन्दिर से 10-12 मीटर दूर सरकारी जमीन पर शिफ्ट कर दिया गया है। उक्त मन्दिर जिला आबकारी कार्यालय में संधारित रिकार्ड के अनुसार देवस्थान विभाग की सूची में शामिल नहीं है।

परिशिष्ट-अ

देशी मदिरा/भा.नि.वि.म. दुकानों की सूची

देशी मदिरा

क्र. सं.	नाम दुकान	नाम अनुज्ञाधारी	स्वीकृत दुकानों की संख्या	दुकान की लोकेशन विद्यालय एवं मन्दिरों के आस-पास संचालित
1	2	3	4	5
1.	Rajnauta	श्री राजकवर पुत्र श्री रघुवीर सिंह निवासी भोणवास कोटपूतली	2	नहीं
2.	Sangtera	श्री शीश राम पुत्र श्री बलदेव निवासी माचल बहरोड, अलवर	1	नहीं
3.	Saroond	श्री रोहिताष पुत्र श्री श्योचन्द निवासी जगदीश पुरा, कोटपूतली	1	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्द होने के एक घंटे बाद खुलने के प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.5 के अनुरूप दी गई है।
4.	Gordhanpura	श्री नवरतन सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह निवासी 52 सूरजनगर पूर्व, सिविल लाइन्स जयपुर	1	नहीं
5.	Kanwarpura	श्री रोहिताष पुत्र श्री ग्यारसीलाल निवासी गोवर्धन पुरा कोटपूतली	1	नहीं
6.	Paniyala	श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री हरिशरण निवासी बूचाहेडा वार्ड नं. 8 कोटपूतली	2	नहीं
7.	Keshwana Rajput	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी नागल चेचिका कोटपूतली	1	नहीं
8.	Gonera	श्री श्रीमती बिमला पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी वार्ड नं. 9 केश्व नगर कोटपूतली	1	नहीं
9.	Raikaranpura	श्री रोहिताश पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी पूरण नगर चिमनपुरा कोटपूतली	1	नहीं
10.	Deote	श्री बनवारी लाल पुत्र रामचन्द्र गुर्जर निवासी टोरडा गुजराज जयपुर	1	नहीं

1	2	3	4	5
11.	Nareda	श्री बृजेश कुमार पुत्र श्री शिवदयाल निवासी मीणों का मोहल्ला, श्रीमाधोपुर	2	नहीं
12.	Kharab	श्री कमलेश पुत्र श्री रतन लाल निवासी सरूण्ड कोटपूतली	1	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बन्द होने के एक घंटे बाद खुलने के प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 5.5 के अनुरूप दी गई है।
13.	Purushottam-pura	श्री नरपत सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी कुनेड कोटपूतली	1	नहीं
14.	Sudarpura	श्री जयराम पुत्र श्री पांचूराम निवासी द्वारिकापुरा कोटपूतली	1	नहीं
15.	Dantil	श्री श्रीमति गीता देवी पुत्र श्री रामावतार निवासी ढाणी कांकरी द्वारिक पुरा कोटपूतली	1	नहीं
16.	Pandipura	श्री रोहिताश पुत्र श्री घासीराम निवासी ढालूकावाली सुकलावास मोहनपुरा कोटपूतली	1	नहीं
17.	Khelna	श्री गणपत राम पुत्र श्री भगवान सहाय निवासी ढाणी श्योजीरामसिंह वाली खेलना, पावटा	2	नहीं
18.	Np Kotputli Gp Kalyanpura Gp Chaturbhaj	श्री हनुमान राम पुत्र श्री चूनाराम निवासी कुम्हारों की ढाणी बिलाडा जिला जोधपुर	6	दुकान नं. 1-जीण माता का मन्दिर
		विदेशी मदिरा दुकानात्		
1.	Np Kotputli No. 1	श्री ललित किशोर पुत्र श्री महादेव प्रसाद मीणा, बुचाहेडा कोटपूतली	1	दुकानें कोटपूतली में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर संचालित हैं।
2.	Np Kotputli No. 2	श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, सी-25 हनुमान नगर जयपुर	1	
3.	Np Kotputli No. 3	श्री शोभित पुत्र श्री महावीर प्रसाद बंसल, बुचाहेडा वार्ड नं. 8 कोटपूतली	1	नहीं

जहाजपुर कस्बा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना

20. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को संभागीय आयुक्त अजमेर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना के सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय लिये गये तथा बैठक में पारित निर्णय की पालना किस प्रकार की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवीन चयन किये गये स्थान पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 17 अप्रैल, 2008 की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है। निर्णय की पालना में संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा संशोधित स्थल का प्रस्ताव समस्त संबंधित विभागों की आपत्ति/अनापत्ति, नगरपालिका जहाजपुर का प्रस्ताव मय जिला कलक्टर की अनुशंसा के भिजवाने हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को पत्र जारी किये गये।

नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक दिनांक 12.06.09 के प्रस्ताव संख्या 5 एवं नगरपालिका की बैठक दिनांक 27.12.09 के प्रस्ताव संख्या 13 के अनुसार सर्वसम्मति से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना पालिका द्वारा पूर्व चयनित स्थान पर ही लगाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, उक्त प्रस्ताव की सूचना जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 10.3.2010 से संभागीय आयुक्त अजमेर को प्रेषित की गयी, जिस पर संभागीय आयुक्त ने पत्र दिनांक 15.9.2010 के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा से उपयुक्त स्थान का चयन कर नवीन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी निरन्तरता में जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 27.09.2010 को नगरपालिका जहाजपुर से उक्त निर्देशानुसार उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया परन्तु नगरपालिका जहाजपुर द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में अभी तक मूर्ति स्थापना हेतु कोई उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया है।

(2) नगरपालिका जहाजपुर द्वारा मूर्ति स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान का चयन कर प्रस्ताव भिजवाने पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 01.03.1997 के सभी बिन्दुओं की अनुपालना पूर्ण किये जाने के पश्चात् ही संभाग स्तरीय मूर्ति स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक प.9(16)सआ/डा भीमराव अम्बे/मूर्ति स्था./भीलवाडा/2008 दिनांक 24.4.08

कार्यवाही विवरण

नगरपालिका क्षेत्र जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने हेतु नवीन वैकल्पिक स्थान "जहाजपुर बस स्टैण्ड के पास मंदिर चौक" के संशोधित प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु आज दिनांक 17.04.2008 को संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय मूर्ति स्थापना स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :—

	नाम	पद/विभाग
1.	श्री हेमन्त गैरा	जिला कलक्टर, भीलवाडा
2.	श्री शिवजीराम मीणा	मा. विधायक, जहाजपुर
3.	श्री सी.आर. मीणा	अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर
4.	श्री दामोदर अग्रवाल	अति. मुख्य अभि. सानिवि,
5.	श्री सी.एस. पाराशर	उप नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
6.	श्री कमला शंकर	अधिशासी अधिकारी न.प. जहाजपुर

सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त महोदय ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 2266-2516 दिनांक 01.03.1997 के निर्देशों के अनुरूप दिनांक 01.03.2008 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति "जहाजपुर बस स्टैण्ड के पास निर्मित प्याऊ-विश्राम स्थल के पास" स्थापित करने की जारी की गई स्वीकृति आज्ञा क्रमांक प.9(16)सआ/डा. भीमराव अम्बे./मूर्ति स्था/भीलवाड़ा/2008/58 दिनांक 13.03.2008 को अपास्त करने की शक्तियां राज्य सरकार ने निहित होने बाबत् सदस्यों को अवगत कराया। उक्त आज्ञा द्वारा स्वीकृत स्थान का जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों द्वारा तेजाजी महाराज का स्थान एवं धार्मिक त्यौहार/मेलों के आयोजन का स्थल होने से विरोध को दृष्टिगत रखते हुए, जिला कलक्टर भीलवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर, माननीय विधायक महोदय जहाजपुर, अध्यक्ष एवं पार्षदगण नगरपालिका जहाजपुर तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका जहाजपुर द्वारा पुनः अनुरोध कर वैकल्पिक स्थान

के चयन प्रस्ताव पर विचार किये जाने हेतु आज दिनांक 17.04.2008 को बैठक में सर्वप्रथम निर्णय लिया गया कि माननीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि-अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये स्थल को स्वीकृति हेतु मान्य करने के लिये पूर्व निर्णय को अपास्त करने हेतु राज्य सरकार को लिखा जावे।

समिति की बैठक में प्रस्तुत किये गये नक्शे में जो स्थान प्रदर्शित किया गया है, वह सड़क के मार्गाधिकार/मध्य में होने से परिपत्र क्रमांक 2266-2516 दिनांक 01.03.1997 के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि यह स्थान ट्रैफिक आवागमन एवं राज्य उच्च मार्ग 39 पर होने से मूर्ति स्थापित किया जाना उचित नहीं है। समिति की बैठक में चर्चा के समय माननीय विधायक जहाजपुर एवं अधिशासी अधिकारी न. पा. जहाजपुर ने वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित किया गया, जो मंदिर चौक-बस स्टैण्ड के पास-जहाजपुर चौराहे तथा राज्य उच्च मार्ग को छोड़ते हुए होने से उचित माना गया। संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा के समय यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता एवं उप नगर नियोजक अजमेर मौके पर जाकर, संशोधित नक्शा तैयार कर, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को दो दिन में प्रस्तुत करेंगे। जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा एवं जिला यातायात अधिकारी भीलवाड़ा से अनापत्ति प्राप्त कर, जिला कलक्टर भीलवाड़ा परिपत्र क्रमांक 2266-2516 01.03.1997 की पालना करते हुए प्रेषित करेंगे।

बैठक के समय प्रस्तुत किये गये नक्शे में चर्चा अनुसार संशोधनों को अंकित करते हुए, नगरपालिका जहाजपुर के साधारण सभा की बैठक दिनांक 20.07.2006 के प्रस्ताव सं. 2 जिसमें संशोधित स्थान की अनापत्ति पूर्व में अंकित है, को स्वीकार करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि आज की बैठक में संशोधित स्थल को उचित मानते हुए, विधिवत् स्वीकृति राज्य सरकार को पूर्व में जारी की गई आज्ञा क्रमांक प.9(16)सआ/डा. भीमराव अम्बे./मूर्ति स्था./भीलवाड़ा/2008/58 दिनांक 13.03.2008 को निरस्त करने की अनुशंसा की जाकर, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर जारी कर दी जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह./-
सदस्य सचिव,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

नित्यानन्द नगर-बी, गांधी पथ, जयपुर योजना का नियमन

21. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति की नित्यानन्द नगर-बी, गांधी पथ, क्वींस रोड स्थित योजना लगभग 25-30 वर्ष पूर्व से बसी हुई है? यदि हां, तो अब तक इसका नियमन नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई कालोनीज में सड़क, पानी, सीवर, रोड़ लाइट एवं नाली आदि के कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो नित्यानन्द नगर-बी कालोनी में नाली एवं सड़क का निर्माण नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा अब कब तक उक्त कालोनी में नाली और डामर की सड़कें निर्मित करा दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि वैशाली नगर स्थित गांधी पथ रोड पर एक ओर तो नाली बनी हुई है और दूसरी ओर सड़क को चौड़ा करने के बाद नाली का निर्माण नहीं किया गया है जिसकी वजह से बरसात में सड़क की एक ओर पानी का तालाब भर जाता है और पानी घरों के अन्दर तक घुस जाता है? यदि हां, तो कब तक नाली का निर्माण करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित माननीय दवे जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से इस योजना की भूमि प्रभावित है। इस कारण इस योजना का नियमन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 03.07.2003 द्वारा दवे जांच आयोग से प्रभावित भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बनाई गई योजनाओं के नियमन के संबंध में निर्णय हेतु राज्य सरकार में प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई कालोनियों में तकनीकी रूप से साध्य होने व वित्तीय

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता होने पर गैर अनुमोदित कालोनियों में नियमानुसार सीवर सहभागिता राशि जमा कराये जाने के पश्चात् सीवर कार्य करवाये जाते हैं व रोड लाइट की व्यवस्था की जाती है। प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई अनुमोदित कालोनियों में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के अनुसार करवाये जाते हैं। नित्यानन्द नगर-बी कालोनी गैर अनुमोदित योजना एवं दवे जांच आयोग से प्रभावित होने के कारण सड़क एवं नाली निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

(4) जी नहीं। वैशाली नगर स्थित गांधी पथ रोड सड़क के दोनों ओर अनुमोदित भाग पर नाली निर्माण का कार्य प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत किया गया है तथा गैर अनुमोदित भाग पर नाली निर्माण का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

जयपुर शहर के आवासीय परिसरों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों का नियमन

22. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.8.2003 को प्रस्तावित रूपान्तरण के संबंध में अखबार में अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी जिसमें 19 सड़कों के दोनों ओर स्थित भूखण्डों की एकल गहराई तक मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शाये गये भू उपयोग में व्यावसायिक भू-उपयोग रूपान्तरण (परिवर्तन) प्रस्तावित किया गया था और उसमें वैशाली नगर एरिया में अन्य मार्ग सहित गांधी पथ क्वींस रोड से एक्सप्रेस हाइवे तक का भी हिस्सा सम्मिलित था? यदि हां, तो वर्तमान में वैशाली नगर एरिया में व्यापारियों को सीलिंग के तहत नोटिस जारी किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा अधिसूचना में प्रकाशित 19 सड़कों का व्यावसायिक भू उपयोग रूपान्तरण (परिवर्तन) शीघ्र ही किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर में आवासीय मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्ग पर किन मानदण्ड के आधार पर व्यावसायिक गतिविधियों का नियमन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? मार्ग के नाम सहित मानदण्ड का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में वैशाली नगर एरिया में गांधी पथ, क्वींस रोड से एक्सप्रेस हाइवे पर केवल उन व्यापारियों को सीलिंग के नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने अपने रियायसी भूखण्ड का व्यावसायिक रूपान्तरण करवाये बिना ही बहुतायत में अपने आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चला रखी हैं, जिसके कारण यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है।

(2) प्रारूप मास्टर प्लान विकास योजना 2025 में इन 19 सड़कों में से 12 सड़कों को मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त प्रारूप मास्टर प्लान विकास योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही भू-उपयोग रूपान्तरण (परिवर्तन) की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजरंग नगर, कोटा की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों का नवीनीकरण

23. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर के बजरंग नगर आबादी क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा चार साल पहले पी.वी.सी. पाइप लाइन डाली गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त पाइप लाइन जगह-जगह से टूट जाने के कारण जलापूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है जिसके कारण उक्त क्षेत्र की पचास हजार की आबादी को गम्भीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में पेयजल संकट के समाधान के लिए पीवीसी पाइप लाइन की जगह लोहे की पाइप लाइन डालने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त पाइप लाइन डालने का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा और इस पर कितनी लागत् आएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं है क्योंकि पी.वी.सी. वितरण पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी नहीं।

जैसलमेर जिले में रायल्टी के ठेके

24. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(1) जैसलमेर जिले में गत 5 वर्षों में रायल्टी के ठेके किन-किन एजेन्सियों को दिये गये हैं? इस वर्ष दिये गये ठेके के एग्रीमेन्ट एवं दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्लाक पत्थर, बाडू पत्थर, कांसिया पत्थर, चाप, छवणा, फाचरा, बजरी तथा अन्य सभी अनुबंधित सामग्री की दरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रायल्टी का ठेका देने के क्या नियम हैं एवं सरकार द्वारा ठेकेदारों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखा जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्ष 2005 से अधिक अधिशुल्क संग्रहण के ठेके निम्न तीन खनिजों के दो अलग-अलग क्षेत्रों में स्वीकृत किए हैं :-

1. जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील में स्वीकृत खनिज मार्बल एवं खनिज लाइमस्टोन (फलोरिंग) के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल एवं खनिज लाइमस्टोन (फलोरिंग) का अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका।
2. जैसलमेर जिला व बाड़मेर जिला (सिवाणा तहसील को छोड़कर) के ग्रामों की राजस्व सीमा में स्वीकृत खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट का अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका।

वर्ष 2005 से स्वीकृत उपरोक्त ठेकों की क्षेत्रवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर अंकित है। वर्तमान में दोनों क्षेत्रों में ठेके क्रमश: 1.4.2010 से 31.3.2012 तक व 28.5.2010 से 31.3.2012 तक स्वीकृत हैं जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ब्लाक पत्थर, बाडू पत्थर, कांसिया पत्थर, चाप, छवणा, फाचरा, बजरी की रायल्टी की खनिज अनुसार वर्तमान में लागू दरें परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 के नियम 33 से 37 के तहत स्वीकृत किये जाते हैं। नियमों की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "स")। ठेकेदार द्वारा वसूली हेतु जहां-जहां पर नाके स्थापित करता है उनकी अनुमति विभाग द्वारा दी जाती है व संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है कि ठेकेदार द्वारा रायल्टी नियमानुसार ही वसूली की जा रही है या नहीं। नियमानुसार वसूली नहीं करने पर नोटिस जारी कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन एवं भ्रमण के समय यातायात के सुचारू संचालन हेतु कार्य योजना

25. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन एवं भ्रमण के समय नगरीय यातायात को सुव्यवस्थित रखने एवं जनसाधारण को अनावश्यक असुविधा नहीं हो इसके संबंध में क्या दिशा-निर्देश बने हुए हैं?

(2) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन से पूर्व ही पूर्वाभ्यास के नाम पर वाहनों की परेड निकालने के लिए क्या नीति है? इस कारण जनता को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम रखने के लिए क्या किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर में 22 दिसम्बर, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के समय पर एक दिन पूर्व पूर्वाभ्यास के नाम पर शहर में यातायात अव्यवस्थित रहा तथा जगह-जगह काफी समय तक जाम लगा? पूर्वाभ्यास के लिए वाहन रैली भी दो बार निकाली गई, इस कारण हुई जन असुविधा के लिए क्या किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया?

उत्तर

(1) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन व भ्रमण के समय नगरीय यातायात को सुव्यवस्थित रखने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ब्ल्यूबुक में दिशा निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार ब्ल्यूबुक के अनुसार ही यातायात व्यवस्था नियंत्रित करती है। ब्ल्यूबुक एक गोपनीय दस्तावेज है जिसका विवरण सुरक्षा कारणों से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन से एक दिन पूर्व कार्यक्रम अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्वाभ्यास किया जाता है। पूर्वाभ्यास का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान अनुभव की जाने वाली व्यवहारिक समस्याओं का वास्तविक भ्रमण से पूर्व समाधान किया जाना है। पूर्वाभ्यास के दौरान जनता को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है। यातायात न्यूनतम समय के लिए रोका जाता है। महामहिम राष्ट्रपति की यात्रा से पूर्व तैयारी समीक्षा बैठक में भी पूर्वाभ्यास हेतु निर्देश दिये जाते हैं। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के समय कुछ समय के लिए यातायात रोककर अन्य मार्गों से संचालित किया गया था एवं जाम जैसी स्थिति

(गृह मंत्री)

उत्पन्न नहीं हुई थी। दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को पूर्वाभ्यास के लिए दूसरी बार पूर्वाभ्यास केवल डबोक एयरपोर्ट से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर तक के कार्यक्रम का ही हुआ था। पूर्वाभ्यास व 22 दिसम्बर, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया की यात्रा के दौरान प्रदत्त सुरक्षा से हुई जनअसुविधा के लिए कोई उत्तरदायी नहीं पाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी अधिभार वाली परिसम्पत्तियों को रख-रखाव हेतु निजी ट्रस्टों/ संस्थाओं को बेचान

26. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवस्थान विभाग की राज्य एवं राज्य के बाहर कौन-कौन सी कितनी सम्पत्ति कहां-कहां पर किस नाम से स्थित है? उक्त सम्पत्तियों के रख रखाव की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कुछ मंदिर निजी ट्रस्टों को संचालन एवं रखरखाव हेतु दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से मंदिर किन-किन को किस प्रक्रिया से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग की राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार/आत्म निर्भर मंदिरान्/संस्थान कर अचल सम्पत्ति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इन सम्पत्तियों के रख रखाव की व्यवस्था हेतु संबंधित सहायक आयुक्तों द्वारा उनके कार्यालय में कार्यरत निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जिन मन्दिरों को निजी ट्रस्टों को संचालन एवं रख रखाव हेतु दिये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इन मन्दिरों को विभागीय सुपुर्दगी नीति दिनांक 11.9.1997 परिशिष्ट-3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया की पालना कर सुपुर्दगी पर दिये गये हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना क्षेत्र में वन विकास कार्यों पर व्यय राशि

27. श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न मदों में विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण, चरागाह विकास, वन क्षेत्र विकास आदि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्य का नाम, गांव, पंचायत, वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक मद, स्वीकृत राशि व्यय राशि का कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण, प्रारम्भ नहीं हुए? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन कार्यों के अलावा वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु फेन्सिंग, तारबन्दी, चारदीवारी आदि के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग द्वारा जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2010 की अवधि में करवाये गये विकास कार्यों का मदवार विवरण प्रपत्र-1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी स्वीकृत कार्य प्रारम्भ कर पौधारोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त कार्यों का संधारण किया जा रहा है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत आठ कार्य ईको-रेस्टोरेशन माडल के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के प्लान में स्वीकृत कराये गये हैं, जिनमें आगामी वित्तीय वर्ष में पक्की दीवार, फैंसिंग का कार्य करवाया जायेगा। स्वीकृत कार्यों की सूची प्रपत्र-4 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण

28. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार वर्ष 2001 व 2002 में निर्मित पीएमजीएसवाई की सड़कों के नवीनीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) जिला सीकर में ऐसी कौन-कौनसी सड़कें हैं, जो वर्ष 2001 व 2002 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत बनीं तथा वर्तमान में काफी क्षतिग्रस्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001 व 2002 में निर्मित पीएमजीएसवाई की सड़कों का नवीनीकरण 13वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(2) सीकर जिले में वर्ष 2001 व 2002 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्यों पर व्यय राशि

29. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वर्ष 2004-05 से अब तक निर्माण कार्यों के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये गये? पंचायत समितिवार, विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गंगानगर जिले में कितने आवासीय व गैर आवासीय ब्रिज कोर्स चलाये गये? लाभान्वितों की संख्या, उपलब्ध करवाई गई राशि व व्यय राशि का वर्षवार व पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वर्ष 2004-05 से अब तक निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि तथा व्यय राशि का पंचायत समितिवार, विद्यालयवार कार्यवार विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) सत्र 2004-05 से अब तक सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से गंगानगर जिले के समस्त ब्लाक्स में संचालित किये गये आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्स शिविरों की संख्या, लाभान्वितों की संख्या, वर्षवार उपलब्ध कराई गई राशि एवं व्यय का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत करवाये गये निर्माण कार्य

30. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2011 तक किन-किन विद्यालयों में मरम्मत कार्य, नवीन कक्षा-कक्ष, निर्माण कार्य करवाये गये? पंचायत समितिवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत कितनी राशि कब-कब वितरित की गई? पंचायत समितिवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में कितने राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिका शौचालय व सामान्य शौचालय का निर्माण करवाया गया? उक्त निर्मित शौचालय में से वर्तमान में कितने शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं? पंचायत समितिवार व विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अप्रैल, 2008 से अब तक राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये मरम्मत कार्य व नवीन कक्षा कक्ष निर्माण कार्यों का पंचायत समितिवार व विद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत वितरित की गई राशि का पंचायत समितिवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(3) उदयपुर जिले में 2008 से अब तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय व सामान्य शौचालय के 3347 निर्माण कार्य करवाये गये। उक्त में से पूर्ण हुए 3115 शौचालयों में से अधिकांश उपयोग में लिए जा रहे हैं। पंचायत समितिवार व विद्यालयवार शौचालयों का विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर के विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति

31. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार भवन शौचालय/ मूत्रालय/पेयजल सुविधा/खेल मैदान विद्यालय भवन बाउण्ड्री/खेल मैदान बाउण्ड्री नहीं होने के साथ ही इन विद्यालयों के लिए स्वीकृत शुदा शैक्षणिक स्टाफ के पद भी लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन विद्यालयों में उक्त कमियों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन योजनाओं के तहत एवं कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये आवश्यकतानुसार भवन, शौचालय, मूत्रालय, पेयजल सुविधा, खेल मैदान बाउण्ड्री, विद्यालय भवन, खेल मैदान बाउण्ड्री का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है। इसी प्रकार विद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ के स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पद तथा कब से रिक्त हैं का विद्यालयवार विवरण भी परिशिष्ट "क" तथा "ख" में सम्मिलित है। पदों की स्वीकृति पश्चात् नई नियुक्ति नहीं होने, अध्यापकों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु होने आदि कारणों से रिक्त हैं।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत सिरोही जिले की अनुमोदित होने वाली निर्माण कार्य की कार्ययोजना की सीमा में राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाएं यथा कक्षा कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, चारदीवारी आदि की सुविधा आगामी दो वर्षों में उपलब्ध कराने का विचार रखती है। भूमि आबंटित होने पर भवन रहित विद्यालयों हेतु आवश्यक भौतिक सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकेगी। विद्यालयों के लिए खेल मैदान हेतु भूमि आबंटन के लिए विभाग निरन्तर प्रयासरत रहता है। विभागीय पदोन्नति तथा नई नियुक्ति से अध्यापक उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निजी विद्यालयों की छात्राओं को गार्गी पुरस्कार

32. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अथवा अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर विशेष गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर भी विशेष गार्गी पुरस्कार से वंचित रखा जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय अथवा अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की तरह निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर विशेष गार्गी पुरस्कार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय/अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं द्वारा कक्षा 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने तथा आगामी कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रुपये 3000/- दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। कक्षा 12 की छात्राओं हेतु विशेष गार्गी पुरस्कार नाम से कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। प्रश्न के भाग 1 में वर्णित प्रोत्साहन पुरस्कार योजना निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होती है।

(3) जी नहीं।

सिवाना में जल संरक्षण हेतु स्वीकृत कार्य

33. **श्री कानसिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न मदों में विभिन्न प्रकार के खडीन, बन्धे, मेड़ बन्धी, चैक डेम, बांध, एनिकट आदि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक स्वीकृत कार्यों का नाम, गांव, पंचायत, वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक, मद स्वीकृत राशि/व्यय राशि का कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण, प्रारम्भ नहीं हुए का कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन कार्यों के अलावा पानी के रिचार्ज हेतु नये छोटे-छोटे चैक डेम, बांध आदि के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक जल संसाधन विभाग व पंचायत राज विभाग में स्वीकृत कार्यों के नाम, गांव पंचायत, वित्तीय स्वीकृति क्रमांक व दिनांक, मद, स्वीकृत राशि, व्यय राशि का कार्यवार विवरण क्रमश: प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यो में से पूर्ण, अपूर्ण, प्रारम्भ नहीं हुए कार्यो का विवरण जल संसाधन विभाग व पंचायत राज विभाग के क्रमश: प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। महानरेगा योजना अन्तर्गत 58 जल संरक्षण कार्य वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किये गये हैं। जिनका विवरण प्रपत्र "स" में प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-34

(स्थगित)

जमवारामगढ़ हेतु संचालित निगम बसों का संचालन स्थल

35. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा टनल रोड बनाने हेतु झालाना डूंगरी आगार की भूमि का अधिग्रहण कर झालाना डूंगरी आगार को बंद किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त आगार से संचालित होने वाली कौन-कौनसी बसों को किस-किस आगार से संचालित करने के आदेश दिये गये हैं? बसों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि झालाना डूंगरी आगार बंद होने से निगम की कई बसों का संचालन दौसा आगार से भी किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी बसों का संचालन दौसा आगार से किया जा रहा है तथा यह बसें कौन-कौनसे गांवों से होकर गुजरती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दौसा आगार से उक्त बसें नियमित रूप से संचालित नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए झालाना डूंगरी आगार से संचालित होने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन दौसा आगार से नहीं करते हुए मांजी की छतरी या बड़ी चौपड़ आगार से करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार झालाना आगार के स्थान पर नया आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा टनल रोड बनाने हेतु झालाना डूंगरी आगार की भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने पर इस आगार का दिनांक 19.04.2010 से संचालन बंद कर दिया गया था। इस आगार से संचालित होने वाली बस सेवाओं को निगम के वैशाली नगर, विद्याधर नगर, सांगानेर, दौसा एवं भरतपुर आगारों में स्थानान्तरित किया गया है। आगारवार स्थानान्तरित बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पूर्व में दौसा आगार को संचालन हेतु स्थानान्तरित की गई बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है। तत्पश्चात् क्र.सं. 2 एवं 3 पर अंकित बस सेवाओं को दौसा आगार से विद्याधर नगर आगार को स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में इन स्थानान्तरित वाहनों में से केवल क्र.सं. 1 पर अंकित मार्ग पर ही दौसा आगार द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है। इन सेवाओं का मार्गवार एवं स्टैण्डवार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) दौसा आगार द्वारा झालाना डूंगरी आगार से स्थानान्तरित जयपुर (ट्रांसपोर्ट नगर) से सपोटरा, गंगापुर, करौली के 24 परिचक्र दिनांक 19.4.2010 से

(यातायात मंत्री)

अक्टूबर, 10 तक संचालित रहे तथा नवम्बर, 10 से जयपुर (ट्रांसपोर्ट नगर) से करौली के 12 परिचक्र परिचालकों की कमी के कारण निलम्बित किये हुये हैं तथा वर्तमान में इस मार्ग पर 12 परिचक्र संचालित हैं।

नियम में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है जिनकी पूरी होने पर दौसा आगार में कर्मचारियों की पूर्ति के प्रयास किये जा सकेंगे।

(4) झालाना डूंगरी आगार के बंद हो जाने पर दिनांक 18.4.2010 से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की निम्नांकित मार्गों की सेवाऐं दौसा आगार को स्थानान्तरित की गई थीं :-

1. मांजी की छतरी से तलाब गांव
2. बड़ी चौपड़ से बहलोद-थानागाजी-रायसर-मेहंगी

इन मार्गों की सेवाएं दौसा आगार से विद्याधरनगर आगार को दिनांक 14.5.2010 से स्थानान्तरित कर दी गई हैं ये दोनों मार्गो की सेवाऐं वर्तमान में पूर्ववत बड़ी चौपड़ (मांजी की छतरी) से ही यथावत संचालित हैं। अत: यात्रियों को निगम बस सेवा मिल रही है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में झालाना डूंगरी आगार के स्थान पर नया डिपो खोलने का कोई विचार नहीं है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिवहन निगम में महिला परिचालकों की कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति

36. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रित महिला परिचालकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का एक अवसर प्रदान किया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्णय के अन्तर्गत कितनी महिला आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रित महिला परिचालकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का एक अवसर निगम मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 12/244/10 के निर्णय संख्या 47/2010

(यातायात मंत्री)

के क्रम में प्रदान किया गया है, जिस पर 37 महिला परिचालकों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति आदेश क्रमांक 341 दिनांक 15.2.2011 जारी किये जा चुके हैं। (आदेश की प्रति संलग्न)

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिवहन निगम में कार्यरत कार्मिकों का बकाया मानदेय/ओवर टाइम

37. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक एवं परिचालकों के मानदेय का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(2) राज्य के विभिन्न डिपो में कार्यरत कार्मिकों की कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है? अब सरकार कब तक उक्त ओवर टाइम की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम में कार्यरत चालक/परिचालकों को ओवरटाइम का भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह नहीं किया जा रहा है इसका प्रमुख कारण निगम के लगातार घाटे में होने के फलस्वरूप इसकी रोकड़ तरलता ऋणात्मक चल रही है।

(2) निगम की विभिन्न आगारों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया ओवरटाइम आदि के पेटे 1998-99 से 2009-10 तक के वित्तीय लेखों में 183.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया हुआ है। वर्तमान में ओवरटाइम का बकाया भुगतान कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त किया जा रहा है। निगम की रोकड़ तरलता में सुधार होने पर ही कार्यरत कर्मचारियों को इसका भुगतान नियमित रूप से किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनजाति छात्रावासों की संचालन राशि का दुरुपयोग

38. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति छात्रावासों के संचालन के मद की राशि में करोड़ों रुपये के गबन की आशंका से जनजाति क्षेत्र विकास आयुक्त के आदेश पर उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा जांच दल गठित कर जांच शुरू की गई थी?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान संचालन मद की राशि का दुरुपयोग करने में विभागीय कर्मचारी और अधिकारी लिप्त पाये गये थे? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक लेखा अधिकारी के निर्देशन में पांच सदस्यीय दल ने भी जांच कर वित्तीय अनियमितताएं उजागर की हैं? यदि हां, तो लगभग एक वर्ष पूर्ण होने पर भी किन-किन के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के द्वारा जांच समिति गठित कर जांच करवायी।

(2) उप खण्ड अधिकारी, डूंगरपुर से जांच प्रतिवेदन उनके पत्र संख्या 159 दिनांक 14.2.2011 विभाग को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। दिनांक 27.10.2009 के आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के स्तर पर जांच कमेटी गठित करवायी गयी। जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

संस्कृत शिक्षा विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति

39. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों की भर्ती की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो कितने शिक्षकों की स्वीकृति जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से उक्त शिक्षकों की भर्ती हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो अभी तक उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक ग्रेड-III (संस्कृत/सामान्य) के 2916 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति जारी की गई।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग से विभाग को अब तक 2400 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें से 2207 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी हैं। शेष की नियुक्ति के संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

136-आशार्थियों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन एवं डिग्री सत्यापन के तहत प्रक्रियाधीन हैं।

18-आशार्थी काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं।

11-अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र चयन की निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने के कारण आयोग को लौटाये गये।

विशेष- माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 12621/2009 में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.08.2010 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में आयोग द्वारा चयनित व अभिशंषित 171 अभ्यर्थी अपात्र हो गये। इनमें से विभाग द्वारा 142 की नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके थे। विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन जारी किये गये थे। अब संशोधित परिणाम व सूची आयोग से प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में इन अभ्यर्थियों को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। 171 में से एक आवेदन पत्र आयोग से अप्राप्त है तथा शेष 28 आवेदन आयोग को लौटाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-20 का विवरण)

परिशिष्ट-1

SL. No.	Project Elements	Total Land Area	Suggested Built up Area		Max. Allowable Built up Area		Specification of Product
Toursim & Recreational Products							
1.	Resort	30.0	4.60	18580	8.05	32515	200 rooms
2.	Craft village	5.0	1.85	7500	3.24	13125	125 shops
3.	Chowki Dhani Type	7.0	0.12	500	0.21	875	215 covers
4.	Restaurant + Bar	1.0	0.12	500	0.21	875	215 covers
5.	Food Court	1.0	0.12	500	0.21	875	359 covers
6.	Ent. Centre	0.5	0.14	700	0.30	1225	
7.	Multiplex	2.0	0.47	1906	0.82	3336	900 seats
8.	Go Karting	3.0	0.05	200	0.09	350	12 carts
9.	Boat House	2.0	0.10	400	0.18	700	
10.	Amusement Park	30.0	0.98	4000	1.72	7000	
11.	Convention Centre	8.0	0.50	2000	0.88	3500	2000 persons
	Total	89.5	9.08	36786	13.62	55179	
Common Facilities							
12.	P & T/STD Facility						
13.	Bank/ATM						
14.	Booking office						
15.	Info. Centre						
16.	Admin. Office						
17.	Security/Police Station						
18.	Public Toilets						
19.	Dispensary/First Aid						
20.	Driver Rest Room etc.						

SL. No.	Project Elements	Total Land Area	Suggested Built up Area		Max. Allowable Built up Area		Specifica-tion of Product
21.	Pulbic Garden/ Sqare/Fountain	10.5					
22.	Car Park						
23.	Taxi Stand						
24.	Bus Park						
25.	Bus Stand						
26.	Engineering Ser-vices e.g. electric sub station, water treatment & sewage						
	Total	10.5					
Grand Total		100					

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-21 का विवरण)

झाड़ोल के तहसील कोटड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याताओं के रिक्त पद	पद रिक्त होने की दिनांक
1.	रा.बा.उ.मा.वि. कोटड़ा	3	1 पद जुलाई,08 से, 2 पद मई, 2009 से
2.	रा.उ.मा.वि. कोटड़ा	3	1 पद अप्रैल, 04 से, 1पद जुलाई, 01 से 0 1 पद मार्च, 09 से
3.	रा.उ.मा.वि. मामेर	3	3 पद जनवरी, 2009 से
	योग	**09**	

झाड़ोल के तहसील झाड़ोल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	व्याख्याताओं के रिक्त पद	पद रिक्त होने की दिनांक
1	**2**	**3**	**4**
1.	रा.बा.उ.मा.वि., झाड़ोल	03	1 पद दिसम्बर, 09 से, 1 पद जुलाई, 07 से व 1 पद अगस्त, 10 से
2.	रा.उ.मा.वि. , फलासिया	08	1 पद अगस्त, 10 से, 3 पद 1997 से, 1 पद अगस्त, 07 से व 3 पद 1999 से
3.	रा.उ.मा.वि., ओगणा	03	1 पद अक्टूबर, 04 से व 2 पद सितम्बर, 09 से
4.	रा.उ.मा.वि., बाघपुरा	03	1 पद जुलाई, 05 से, 1 पद जुलाई, 08 से व 1 पद जुलाई, 01 से
5.	रा.उ.मा.वि., डैया	02	2 पद 1999 से
6.	रा.उ.मा.वि., ढीमडी	02	2 पद 2002 से

1	2	3	4
7.	रा.उ.मा.वि., ओडा	03	1 पद अक्टूबर, 10 से, 1 पद अगस्त, 02 से व 1 पद जुलाई, 03 से
8.	रा.उ.मा.वि., कोल्यारी	03	3 पद 2004-05 से
9.	रा.बा.उ.मा.वि., झाड़ोल	02	2 पद 2002 से
10.	रा.उ.मा.वि., मगवास	02	2 पद 2006 से
11.	रा.उ.मा.वि., गोराणा	02	2 पद 2008 से
12.	रा.उ.मा.वि., बिरोठी	03	3 पद 2008 से
	योग	**36**	

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-22 की प्रति)

JAIPUR CITY TRANSPORT SERVICES Ltd.
Regd. Off.—R.K. Vyas Bhawan, J.L.N. Marg, Jaipur-302 005
Office : Ph. 0141-2574036 Fax : 0141-2572515

No. JCTSL/09-10/594 Date : 30.7.10

Zonal Manager,

Jaipur Maha Nagar, City Transport

Rajasthan State Road Transport Corporation

Jaipur

Sub. :-Fare policy for new suburban buses of JCTSL.

Sir,

The operation of JCTSL buses on suburban routes is proposed to be started from 31st July. 2010. Initially the buses on Meena Wala to Goner route will be operated. The fare policy on suburban routes will be as follows :-

The fare to be charged will be in slabs as follows :-

0 to 25 Km.	Rs. 10/-
26 to 35 Km.	Rs. 15/-
36 Km. and above	Rs. 20/-

The concessions being given by RSRTC as per the Govt. order to various categories of passengers will continue to be in force.

The monthly concessional pass facilities to passengars will be on following rate :-

0 to 25 Km.	Rs. 400/- per month
26 to 35 Km.	Rs. 600/- per month
36 Km. above	Rs. 800/- per month

The daily & monthly pass of urban buses are not valid in these suburban buses. please ensure operation of suburban buses accordingly.

Yours Sincerely

Sd/-

Managing Director

JCTSL, Jaipur

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-29 की सूची)

परि.-अ

दिनांक 27.10.09 को जारी अधिसूचना के तहत नया जयपुर शहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

तहसीज जयपुर	खसरा नं.	तहसील सांगानेर	खसरा नं.
विजयपुरा	1 से 583	टोडीरमजानीपुरा (आशिंक)	1 से 162
सुमेल	1 से 771	श्री गोवन्दिपुरा	1 से 104
जामडोली (आशिंक)	5 से 608	कल्याणपुरा ऊर्फ खातीपुरा (आंशिक)	1 से 669
मालपुरा डूंगर	1 से 119	उदयपुर गिलारिया	1 से 288
मालपुरा चौड	1 से 179	खोह रेबारयिान	1 से 130
बीड मालपुरा ऊर्फ मुकुन्दपुरा	1 से 336	खोह नागोरियान	1 से 4730
रूपा की नांगल	1 से 307	पालडीमीणा	1 से 984
जयसिंहपुरा खोर	1 से 2269	हीरापुरा	1 से 541
बल्लुपुरा	1 से 107	लूनियावास	1 से 835
किलनगढ	1 से 190	भावगढ बन्धा	1 से 698
मानपुरा सड़वा (आंशिक)	1 से 254	गोविन्दपुरा रोपाडा	1 से 289, 300 से 1323
बगराना)	1 से 744	खोरी रोपाडा	1 से 701
		लखेसरा	1 से 834
		मातासूल	1 से 108
		जयपुरा उर्फ कुन्दनपुरा	1 से 89

तहसील आमेर	**खसरा नं.**	**तहसील जमवारामढ़**	**खसरा नं.**
कस्बा आमेर (आशिंक) मय बड़ी का बास	5734 से 5757, 8082 से 8906	मथुरादासपुरा	1 से 69
लालवास (आंशिक)	43, 61 से 323	लांगडियावास मय बालकिशनपुरा	1 से 371
		पालेड़ा	1 से 236
तहसील बस्सी		बाढ राघोदासपुरा	1 से 3
हिंगोनिया	1 से 503, 668 से 746	चावण्ड का मण्ड मय डालूकों का बाढ़	1 से 486
भटेसरी	1 से 37, 33/117	गुवारड़ी	1 से 134

परिशिष्ट-ब

अधिसूचना दिनांक 27.10.2009 के बाद संशोधित अधिसूचना दिनांक 06.01.2011 के तहत नया जयपुर शहर के अन्तर्गत छोडे गये ग्रामों की सूची

तहसील जयपुर	**खसरा नं.**	**तहसील सांगानेर**	**खसरा नं.**
विजयपुरा	1 से 583	टोडीरमजानीपुरा (आशिंक)	1 से 162
सुमेल	1 से 771	श्री गोवन्दिपुरा	1 से 104
जामडोली (आशिंक)	5 से 608	कल्याणपुरा ऊर्फ खातीपुरा (आंशिक)	1 से 669
मालपुरा डूंगर	1 से 119	उदयपुर गिलारिया	1 से 288
मालपुरा चौड	1 से 179	खोह रेबारियान	1 से 130
बीड मालपुरा ऊर्फ मुकुन्दपुरा	1 से 336	खोह नागोरियान	1 से 1287, 1356 से 4730

तहसीज जयपुर	खसरा नं.	तहसील सांगानेर	खसरा नं.
जयसिंहपुरा खोर	1 से 511, 513 से 526, 529 से 541, 547 से 552, 558 से 776, 786, 795, 800 से 810, 814 से 820, 825 से 830, 833 से 851, 855, 857, 1020, 1031 से 1036, 1048 से 1058, 1139 से 1306, 1311 से 1315, 1324 से 1443, 1517 से 1521, 1532 से 1805, 1808 से 1818 1821, 2135 से 2268	लखेसरा	1 से 40, 242 से 249, 251 से 254, 258 से 407, 416 से 429, 433, 434, 436 से 444, 446, 780 से 834
बल्लुपुरा	1 से 107	लूनियावास	1 से 835
किलनगढ	1 से 190	भावगढ बन्धा	1 से 698
मानपुरा सड़वा (आंशिक)	1 से 254	गोविन्दपुरा रोपाडा	1 से, 290, 299
बगराना)	1 से 744	पालडी मीणा	1 से 984
		जयपुरा उर्फ कुन्दनपुरा	1 से 89

तहसील आमेर	खसरा नं.	तहसील जमवारामढ़	खसरा नं.
कसबा आमेर (आशिंक) मय बड़ी का बास	5734 से 5757, 8082 से 8906	पालेड़ा	135, 136, 140 से 236
लालवास (आंशिक)	43, 61 से 323	बाढ राघोदासपुरा	1 से 3
		चावण्ड का मण्ड मय डालूको का बाढ	1 से 68, 80 से 86, 113 से 188, 222 से 240, 245, 387 से 393, 408 से 413, 419, 420